सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

का

31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष का

राजस्व क्षेत्र का प्रतिवेदन

झारखण्ड सरकार

झारखण्ड सरकार

वर्ष 2016 का प्रतिवेदन संख्या 4

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

का

31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष का

राजस्व क्षेत्र का प्रतिवेदन

झारखण्ड सरकार

वर्ष 2016 का प्रतिवेदन संख्या 4

विषय सूची

	कंडिका	पृष्ठ
प्रस्तावना		v
विहंगावलोकन		vii
अध्याय - I: सामान्य		
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृति	1.1	1
राजस्व के बकाये का विश्लेषण	1.2	5
करनिर्धारण में बकाये	1.3	7
विभाग द्वारा पता लगाये गये कर अपवंचन	1.4	7
प्रतिदाय मामलों की लंबनता	1.5	8
लेखापरीक्षा के प्रति विभागों/सरकार की प्रतिक्रिया	1.6	9
लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गये विषयों को निपटाने हेतु प्रणाली का विश्लेषण	1.7	13
वित्त वर्ष 2015-16 हेतु लेखापरीक्षा कार्यान्वयन	1.8	15
लेखापरीक्षा के परिणाम	1.9	16
इस प्रतिवेदन का कार्यक्षेत्र	1.10	16
अध्याय - II: बिक्री, व्यापार आदि पर कर		
कर प्रशासन	2.1	17
लेखापरीक्षा के परिणाम	2.2	18
वाणिज्यकर विभाग में मू.व.क./के.बि.क. के लेन-देन की तिर्यक-जाँच की व्यवस्था का कार्यान्वयन	2.3	19
झारखंड में वाणिज्यकर विभाग में बकाये राजस्व की वसूली की प्रणाली	2.4	33
वास्तविक आवर्त के निर्धारण में अनियमितताएँ	2.5	56
ब्याज का अनारोपण	2.6	59
केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अनुपालन में अनियमितताएँ	2.7	62
झा.मू.व.क. अधिनियम के तहत कर के गलत दर का अनुप्रयोग	2.8	65
गलत छूट	2.9	66
इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई.टी.सी.)की स्वीकृति में अनियमितताएँ	2.10	68
क्रय कर का आरोपण नहीं किया जाना	2.11	69
अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया	2.12	70
अध्याय - III: राज्य उत्पाद		
कर प्रशासन	3.1	71

	कंडिका	पृष्ठ
लेखापरीक्षा के परिणाम	3.2	72
अधिनियमों/नियमावलियों के प्रावधानों का पालन नहीं होना	3.3	73
खुदरा उत्पाद दुकानों की बन्दोबस्ती नहीं होना	3.4	73
खुदरा विक्रेताओं द्वारा शराब का कम उठाव	3.5	75
डेमरेज प्रभारों का आरोपण नहीं होना	3.6	76
उत्पाद राजस्व का अवरुद्ध होना	3.7	76
अनुज्ञा शुल्क का वसूली नहीं किया जाना	3.8	77
अध्याय - IV: वाहनों पर कर		
कर प्रशासन	4.1	79
लेखापरीक्षा के परिणाम	4.2	79
अधिनियमों/नियमावलियों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं होना	4.3	81
प्रमादी वाहन मालिकों से करों का संग्रहण नहीं होना	4.4	81
वैयक्तिक वाहनों पर एकमुश्त कर का आरोपण नहीं होना	4.5	83
वाहनों का स्वामित्व लेने की तिथि से कर आरोपण नहीं होना	4.6	84
राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र के वार्षिक प्राधिकार का नवीकरण नहीं होना	4.7	85
निबंधन प्रमाणपत्रों को स्मार्ट कार्ड में निर्गत नहीं किया जाना	4.8	86
बैठान क्षमता का गलत निर्धारण	4.9	87
बैंकों द्वारा संग्रहित राजस्व को जमा करने में विलंब के कारण भुगतेय ब्याज का उद्ग्रहण नहीं होना	4.10	87
अध्याय - V: अन्य कर प्राप्तियाँ		
अ. भू-राजस्व		
कर प्रशासन	5.1	89
लेखापरीक्षा के परिणाम	5.2	89
झारखण्ड में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में पट्टा प्रबंधन (एक निष्पादन लेखापरीक्षा)	5.3	91
ब. मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क		
कर प्रशासन	5.4	121
लेखापरीक्षा के परिणाम	5.5	121
अधिनियमों/नियमावलियों के प्रावधानों का पालन नहीं होना	5.6	122
पट्टों पर मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस का आरोपण नहीं किया जाना	5.7	122
स. विद्युत पर कर एवं शुल्क		
कर प्रशासन	5.8	124

	कंडिका	पृष्ठ
लेखापरीक्षा के परिणाम	5.9	124
अधिनियमों/नियमावलियों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया	5.10	125
विद्युत शुल्क का कम आरोपण	5.11	126
अध्याय - VI: खनन प्राप्तियाँ		
कर प्रशासन	6.1	127
लेखापरीक्षा के परिणाम	6.2	128
अधिनियमों/नियमावलियों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं होना	6.3	130
धुले हुए कोयले पर स्वामिस्व का अल्पारोपण	6.4	130
गलत दर के अनुप्रयोग के कारण स्वामिस्व का अल्पारोपण	6.5	132
नियत लगान का नहीं आरोपण/कम आरोपण	6.6	134
प्रेषण के छिपाव के कारण स्वामिस्व का अल्पारोपण	6.7	135
कोयले की श्रेणी को निम्न करने के कारण स्वामिस्व का अल्पारोपण	6.8	136
अवैध खनन के लिए दण्ड का आरोपण नहीं किया जाना	6.9	137
अर्थदण्ड का नहीं लगाया जाना	6.10	138
परिशिष्ट	I-XIV	141-236

प्रस्तावना

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का मार्च 2016 को समाप्त हुये वर्ष का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत झारखण्ड के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के अंतर्गत संचालित राजस्व क्षेत्र के अंतर्गत मुख्य राजस्व अर्जित करने वाले विभागों के आय एवं व्यय की लेखापरीक्षा की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ इस प्रतिवेदन में अन्र्तविष्ट है।

इस प्रतिवेदन में उल्लेखित मामलों में वैसे मामले, जो 2015-16 की अवधि के दौरान नमूना लेखापरीक्षा के क्रम में प्रकाश में आये साथ ही वे जो पूर्ववर्ती वर्षो में प्रकाश में आए थे, परन्तु जिन्हें पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित नहीं किया जा सका, जहाँ कहीं आवश्यक हुआ, 2015-16 के बाद की अवधि से संबंधित मामलों को भी सम्मिलित किया गया है।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत लेखापरीक्षा मानकों के आधार पर लेखापरीक्षा की गई है।

विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में ₹ 11,676.35 करोड़ के कर/शुल्क के अनारोपण या अल्पारोपण एवं हानि से संबंधित एक निष्पादन लेखापरीक्षा एवं दो लेखापरीक्षाएँ सहित 32 कंडिकायें सम्मिलित हैं। जिसमें ₹ 10,282.30 करोड़ वसूलनीय है एवं शेष ₹ 1,394.05 करोड़ सरकार को हुई परिहार्य क्षति है। ₹ 1,394.05 करोड़ परिहार्य क्षति सहित ₹ 11,672.52 करोड़ की राशि के लेखापरीक्षा अवलोकनों को सरकार/विभागों द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। मुख्य निष्कर्षों में से कुछ का उल्लेख संक्षेप मे निम्न कंडिकाओं में किया गया है:

I. सामान्य

वर्ष 2014-15 की कुल प्राप्तियाँ ₹ 31,564.56 करोड़ की तुलना में वर्ष 2015-16 में झारखण्ड सरकार की कुल प्राप्तियाँ ₹ 40,638.35 करोड़ थीं। कर राजस्व के ₹ 11,478.95 करोड़ एवं कर-भिन्न राजस्व के ₹ 5,853.01 करोड़ को मिलाकर राज्य सरकार ने कुल ₹ 17,331.96 करोड़ का राजस्व सृजित किया। भारत सरकार से ₹ 23,306.39 करोड़ (विभाज्य संघीय करों से राज्यों का हिस्सा: ₹ 15,968.75 करोड़ एवं सहायता अनुदान: ₹ 7,337.64 करोड़) प्राप्त हुए। इस प्रकार, राज्य सरकार कुल राजस्व का मात्र 43 प्रतिशत ही सृजित कर सकी। वर्ष 2014-15 की तुलना में 2015-16 में कुल प्राप्तियाँ में 28.75 प्रतिशत की अच्छी-खासी वृद्धि का कारण मुख्यत: विभाज्य संघीय करों से राज्यों का हिस्सा में 68.32 प्रतिशत की वृद्धि के साथ कर-भिन्न राजस्व में 35 प्रतिशत की वृद्धि थीं। वर्ष 2015-16 की अवधि में बिक्री, व्यापार आदि पर कर (₹ 8,998.95 करोड़) और अ-लौह खनन और धातुकर्मीय उद्योग (₹ 4,384.43 करोड़) क्रमश: कर राजस्व एवं कर-भिन्न राजस्व के मुख्य स्रोत थे।

(कंडिका 1.1)

31 मार्च 2016 को बिक्री, व्यापार आदि पर कर, वाहनों पर कर एवं राज्य उत्पाद के संबंध में राजस्व के बकाये के रुप में ₹ 3,237.28 करोड़ थीं जिनमें ₹ 2,608.99 करोड़ पाँच वर्षों से अधिक समय से बकाया था। उपरोक्त बकाये में से ₹ 313.48 करोड़ की वसूली के लिए भू-राजस्व के बकाये की तरह नीलामपत्रवाद दायर किये गये एवं ₹ 1,343.84 करोड़ की वसूली न्यायालयों एवं अन्य कानूनी कार्यवाहियों के कारण रुका हुआ था, जबकि शेष ₹ 1,579.96 करोड़ के संबंध में की गई विशिष्ट कार्रवाई की जानकारी संबंधित विभागों द्वारा नहीं दी गयी।

(कंडिका 1.2)

वर्ष 2015-16 तक निर्गत निरीक्षण प्रतिवेदनों (नि.प्र.) एवं लेखापरीक्षा आपत्तियों की संख्या, जिसका निपटारा जून 2016 तक नहीं हो पाया था, क्रमश: 740 एवं 7,192 थीं, जिनमें ₹ 8,075 करोड़ सन्निहित थे।

(कंडिका 1.6.1)

वर्ष के दौरान बिक्री, व्यापार आदि पर कर, राज्य उत्पाद, वाहनों पर कर, भू-राजस्व, मुद्रांक एवं निबंधन फीस, विद्युत पर कर एवं शुल्क एवं खनन प्राप्तियाँ के 123 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जाँच की गयी जिनमें 45,954 मामलों में कुल ₹ 12,737.35 करोड़ के राजस्व के कर/शुल्क के कम आरोपण एवं हानि के मामले उद्घटित हुये। संबद्ध विभागों ने 40,355 मामलों में सन्निहित ₹ 12,120.88 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य त्रुटियों को स्वीकार किया एवं 2015-16 में 804 मामलों में ₹ 362.23 करोड़ वसूल की गयी।

(कंडिका 1.9)

II. बिक्री, व्यापार आदि पर कर

"वाणिज्यकर विभाग में मू.व.क./के.बि.क. के लेन-देन की तिर्यक-जाँच की व्यवस्था का कार्यान्वयन" की लेखापरीक्षा से निम्नलिखित उद्घटित हुआ:

- निबंधन हेतु योग्य व्यवसायियों की पहचान हेतु विभाग में लेन-देन की तिर्यक-जाँच हेतु प्रणाली के अपर्याप्त कार्यान्वयन के कारण 277 अनिबंधित व्यवसायियों द्वारा ₹ 37.65 करोड़ के कर का अपवंचन हुआ।

(कंडिका 2.3.6)

- विभागान्तर्गत आंकड़ो के तिर्यक-जाँच में प्रकट हुआ कि 42 व्यवसायियों द्वारा क्रय/विक्रय आवर्त का छिपाव किया गया एवं परिणामस्वरूप 51.17 करोड़ के कर एवं अर्थदण्ड का अवनिर्धारण हुआ।

(कंडिका 2.3.7.1)

- झारखण्ड सरकार के अन्य विभागों से प्राप्त आंकड़ो के तिर्यक-जाँच में 25 निबंधित व्यवसायियों द्वारा क्रय/विक्रय आवर्त के छिपाव का पता चला एवं परिणामस्वरूप ₹ 95.58 करोड़ के कर एवं अर्थदण्ड का अवनिर्धारण हुआ।

(कंडिका 2.3.7.2)

- भारत सरकार के विभागों/लो॰उ॰इकाईयों से प्राप्त आंकड़ो को वाणिज्यकर विभागों में निबंधित 64 व्यवसायियों द्वारा दाख़िल विवरणियों से की गयी तिर्यक-जाँच में क्रय/विक्रय आवर्त के छिपाव का पता चला एवं परिणामस्वरूप ₹ 1,026.36 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

(कंडिका 2.3.7.3)

"झारखण्ड में वाणिज्यकर विभाग में बकाये राजस्व की संग्रहण की प्रणाली" की लेखापरीक्षा में निम्नलिखित उद्घटित हुआ:

- 1 अप्रैल 2011 को बकाये राजस्व की राशि ₹ 1,406.35 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2016 को 2,384.39 हो गयी। इस प्रकार, 69.54 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी।

(कंडिका 2.4.4.1)

- विभाग द्वारा प्रतिवेदित बकाये से संबंधित 10 अंचलों से संग्रहित बकाये में भिन्नता थीं। विभाग ने 28 अंचलों में ₹ 722.09 करोड़ के बकाये न्यायालयों, अन्य न्यायिक प्राधिकरणों एवं सरकार के पास लंबित प्रतिवेदित किया जबकि मात्र 10 अंचलों द्वारा प्रत्यक्षरीति से लेखापरीक्षा को दिये गये सूचना में ₹ 1,360.21 करोड़ के बकाये की राशि दर्शाया गया।

(कंडिका 2.4.5)

- वाणिज्यकर न्यायाधिकरण (वा.क.न्या.) एवं वाणिज्यकर आयुक्त (वा.क.आ.) के न्यायालयों में जनवरी 2010 एवं मार्च 2014 के बीच दायर 418 मामलों में से 166 पुनरीक्षण के मामलों में सन्निहित ₹ 274.85 करोड़ की राशि झा.मू.व.क. अधिनियम में दिये गये समय सीमा के अन्तर्गत काल बाधित हो गये।

(कंडिका 2.4.6.1 एवं 2.4.6.2)

- 229 मामलों में सन्निहित ₹ 44.68 करोड़ के प्रमाणित बकाये 10 वर्षो से अधिक समय से निष्पादन हेतु लंबित था।

(कंडिका 2.4.10)

14 वाणिज्यकर अंचलों में निबंधित 36 व्यवसायियों के विक्रय/क्रय आवर्त के निर्धारण में करनिर्धारण प्राधिकारियों द्वारा बरती गयी अनियमिताओं के परिणामस्वरूप 2009-10 से 2012-13 के दौरान ₹ 294.32 करोड़ के कर एवं अर्थदण्ड का अवनिर्धारण हुआ ।

(कंडिका 2.5)

12 वाणिज्यकर अंचलों के 34 निर्धारितियों के मामले में 2010-11 एवं 2012-13 मध्य की अवधि के दौरान छूट के दावे प्रलेखों द्वारा समर्थित नहीं होने के कारण करनिर्धारण प्राधिकारियों द्वारा ₹ 173.06 करोड़ का ब्याज आरोपित नहीं किया गया।

(कंडिका 2.6)

III. राज्य उत्पाद

2014-15 के दौरान चार उत्पाद जिलों में 79 दुकानें अबंदोबस्त रहीं जिसके कारण सरकार को ₹ 47 करोड़ के उत्पाद शुल्क से वंचित रहना पड़ा।

(कंडिका 3.4.)

11 उत्पाद जिलों में जे॰एस.बी.सी.एल गोदामों/डिपो में भा.नि.वि.श./बीयर के रखे गये भण्डार पर ₹ 4.16 करोड़ के डेमरेज प्रभार (विलम्ब के लिए शुल्क) नहीं लगाया गया।

(कंडिका 3.6.)

IV. वाहनों पर कर

16 परिवहन कार्यालयों में 5,845 वाहन स्वामियों द्वारा अक्टूबर 2005 एवं मार्च 2016 के मध्य देय ₹ 17.35 करोड़ के कर एवं अर्थदंड का न तो प्रमादी वाहन स्वामियों द्वारा भुगतान किया गया और न ही विभाग द्वारा माँग की गयी।

(कंडिका 4.4. एवं 4.5.)

V. अन्य कर प्राप्तियाँ

भू-राजस्व

"झारखण्ड में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में पट्टा प्रबंधन" के एक निष्पादन लेखापरीक्षा में निम्नलिखित उद्घटित हुआ:

- सरकार 469.38 एकड़ सन्निहित 1,279 उप-पट्टों के मामले में 1971-72 से 2014-15 की अवधि हेतु सलामी, लगान एवं उपकर के रूप में ₹ 3,376.24 करोड़ के राजस्व से वंचित हुई।

(कंडिका 5.3.9.1)

- 1999 से 2015 की अवधि हेतु सरकार ₹ 974.48 करोड़ के राजस्व से वंचित हुई चूँकि टाटा स्टील लिमिटेड, जमशेदपुर को दी गयी 122.82 एकड़ भूमि के संयंत्र क्षेत्र का पट्टा अधिकार अनियमित तरीके से अन्य कंपनी को हस्तांतरित किया गया। नियमावली पट्टाधारकों द्वारा पट्टा अधिकारों के हस्तांतरण की परिकल्पना नहीं करता।

(कंडिका 5.3.9.2)

- सरकार ₹ 26.76 करोड़ के राजस्व से वंचित हुई चूँकि 2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान 4.31 एकड़ भूमि सन्निहित 23 बिक्री दस्तावेज निबंधित हुए यद्यपि उप-पट्टाधारक इन भूमि/फ्लैटों की बिक्री के लिये अधिकृत नहीं था।

(कंडिका 5.3.9.3)

- विभाग ₹ 3,964.94 करोड़ के लगान और ब्याज के संग्रह में विफल रहा चूँकि 1934-35 से 2014-15 के बीच की अवधि हेतु 2,547.42 एकड़ खासमहल भूमि में सन्निहित 10,425 पट्टाधारकों में से 7,862 पट्टाधारकों ने पट्टे का नवीनीकरण नहीं कराया। विभाग ने न तो पट्टे के नवीनीकरण के लिये पट्टाधारकों को नोटिस निर्गत किया और न ही उन्हें निष्कासित करने के लिये कदम उठाया।

(कंडिका 5.3.10.1)

- सरकार 1996-97 से 2014-15 की अवधि हेतु ₹ 248.77 करोड़ के राजस्व से वंचित हुई क्योंकि विभाग अतिक्रमण के अधीन 1,859.68 एकड़ भूमि को खाली कराने व इससे राजस्व अर्जित करने में विफल रहा और टाटा स्टील लिमिटेड,

जमशेदपुर को पट्टे पर दी गयी 69.43 एकड़ भूमि की अवस्थिति का पता नहीं लगा सका।

(कंडिका 5.3.10.3)

- सरकार ₹ 216.59 करोड़ के राजस्व से वंचित हुई क्योंकि विभाग 2006-07 से 2014-15 के दौरान 78 पट्टाधारकों के मामले में पट्टा लगान, उपकर, ब्याज, सलामी और भूमि के पूंजीकृत मूल्य की वसूली में विफल रहा।

(कंडिका 5.3.11)

- प्रवर्तन के छः वर्ष के पश्चात भी किसी जिले में राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम पूर्ण नहीं हुआ। अभिलेखों के अनियमित संधारण के कारण 12,098.25 एकड़ खासमहल भूमि के क्षेत्र की विसंगतियाँ थीं।

(कंडिका 5.3.12.2 व कंडिका 5.3.12.3)

मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क

वर्ष 2011-12 एवं 2014-15 के मध्य अंचल कार्यालयों, नगर परिषद, अधिसूचित क्षेत्र समिति आदि द्वारा निष्पादित 106 पट्टों से संबंधित आंकड़ों को छः जिला अवर निबंधक कार्यालय के अभिलेखों से तिर्यक-जांच में उद्यघटित हुआ कि ये दस्तावेजें निबंधित नहीं थीं, इस तरह ₹ 29.48 लाख के मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस का आरोपण नहीं हुआ।

(कंडिका 5.7)

विद्युत पर कर एवं शुल्क

वाणिज्यकर अंचल, हजारीबाग में करनिर्धारण प्राधिकारियों द्वारा दो निर्धारितियों के मामलों में गलत दर के अनुप्रयोग के परिणामस्वरूप ₹ 24.34 लाख के विद्युत शुल्क का कम आरोपण हुआ।

(कंडिका 5.11)

VI. खनन प्राप्तियाँ

एक कोयला खान द्वारा मिडलिंग, टेलिंग और अस्वीकृत कोयले के आधार विक्रय मूल्य को विवरणी मे अवमूल्यन कर जिला खनन कार्यालय, रामगढ़ को समर्पित किया जिसके परिणामस्वरुप ब्याज सहित ₹ 446.21 करोड़ के स्वामिस्व का कम आरोपण हुआ।

(कंडिका 6.4)

2007-08 से 2008-09 एवं 2013-14 से 2014-15 की अवधि में चार जिला खनन पदाधिकारयों द्वारा छः पट्टाधारियों के मामले में 94 लाख मी.ट. कोयला, फेल्सपार, अबरख, क्वार्ट्ज़ एवं सोपस्टोन के प्रेषण पर स्वामिस्व के गलत दर के अनुप्रयोग के परिणामस्वरुप ₹ 143.52 करोड़ के स्वामिस्व का कम आरोपण हुआ।

(कंडिका 6.5)

अध्याय - I
सामान्य

अध्याय-I: सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1.1.1 वर्ष 2015-16 के दौरान झारखण्ड सरकार द्वारा सृजित कर एवं कर-भिन्न राजस्व, वर्ष के दौरान भारत सरकार से प्राप्त विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के निवल प्राप्ति में राज्य का अंश एवं सहायता अनुदान तथा संबंधित पूर्ववर्ती चार वर्षों के तत्संबंधी आँकड़े **तालिका-1.1** में उल्लिखित हैं।

तालिका - 1.1.
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.		2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
1	**राज्य सरकार द्वारा सृजित राजस्व**					
	• कर राजस्व	6,953.89	8,223.67	9,379.79	10,349.81	11,478.95
	• कर-भिन्न राजस्व	3,038.22	3,535.63	3,752.71	4,335.06	5,853.01
	कुल	**9,992.11**	**11,759.30**	**13,132.50**	**14,684.87**	**17,331.96**
2	**भारत सरकार से प्राप्तियाँ**					
	• विभाज्य संघीय करों में राज्य का अंश	7,169.93	8,188.05	8,939.32	9,487.01	15,968.75[1]
	• सहायता अनुदान	5,257.41	4,822.20	4,064.97	7,392.68	7,337.64
	कुल	**12,427.34**	**13,010.25**	**13,004.29**	**16,879.69**	**23,306.39**
3	**राज्य सरकार की कुल प्राप्तियाँ (1 एवं 2)**	**22,419.45**	**24,769.55**	**26,136.79**	**31,564.56**	**40,638.35**
4	**1 की 3 से प्रतिशतता**	**45**	**47**	**50**	**47**	**43**

स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे।

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि वर्ष 2015-16 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा सृजित राजस्व (₹ 17,331.96 करोड़) कुल राजस्व प्राप्ति का 43 प्रतिशत था। वर्ष 2015-16 के दौरान शेष 57 प्रतिशत प्राप्तियाँ भारत सरकार से मिली। 2014-15 की तुलना में 2015-16 में कुल राजस्व प्राप्ति में 28.75 की अच्छी-ख़ासी वृद्धि का कारण मुख्यतः विभाज्य संघीय करों में राज्य के अंश में 68.32 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ही कर-भिन्न राजस्व में 35 प्रतिशत की वृद्धि रही। राज्य सरकार द्वारा सृजित

[1] पूर्ण विवरण के लिये कृपया सरकार के वर्ष 2015-16 के सरकार के वित्त लेखे में विवरणी संख्या 11-लघु शीर्षवार राजस्व का विस्तृत लेखा देखें। मुख्य शीर्ष 0020-निगम कर, 0021-निगम कर से भिन्न आय पर कर, 0028-आय एवं व्यय पर अन्य कर (लघुशीर्ष-107-व्यवसाय, व्यापार, आजीविका और रोजगार पर कर को छोड़कर), 0032-सम्पत्ति पर कर, 0044-सेवा पर कर, 0037-सीमा शुल्क, 0038- संघीय उत्पाद शुल्क एवं 0045-वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क, लघु शीर्ष-901 निवल प्राप्तियों में राज्यों का समानुदिष्ट हिस्सा के अधीन दर्ज आँकड़ें जो वित्त लेखा में ए-कर राजस्व शीर्ष में दिखाये गये हैं: को राज्य द्वारा सृजित राजस्व से अलग कर और विभाज्य संघीय करों में राज्य के अंश में सम्मिलित कर इस विवरणी में दिखाया गया है।

राजस्व जिसमें कर राजस्व की दो तिहाई हिस्सा संघटित है उसी अवधि में मात्र 10.91 प्रतिशत ही बढ़ी।

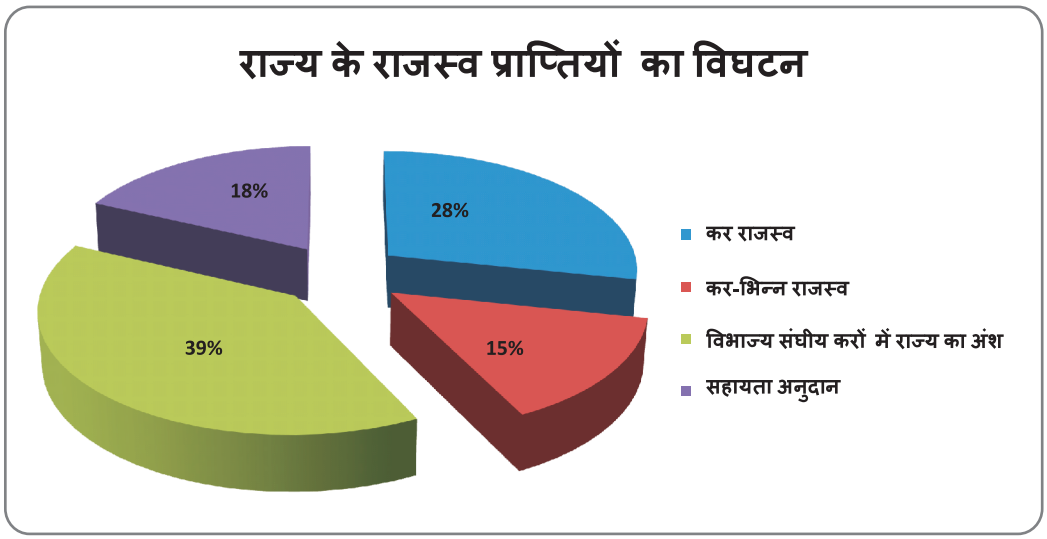

1.1.2 2011-12 से 2015-16 की अवधि के दौरान सृजित किये गये कर राजस्व का विवरण **तालिका-1.2** में दिया गया है।

तालिका-1.2

सृजित कर राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राजस्व शीर्ष		2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2014-15 की तुलना में 2015-16 में वृद्धि (+) कमी (-) की प्रतिशतता
1	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	ब.अ.	5,633.25	6,650.00	7,874.50	9,267.95	11,180.02	(+) 20.63
		वास्तविक	5,522.02	6,421.61	7,305.08	8,069.72	8,998.95	(+) 11.52
2	राज्य उत्पाद	ब.अ.	445.00	650.00	700.00	1,931.84	1,200.00	(-) 37.88
		वास्तविक	457.08	577.92	627.93	740.16	912.47	(+) 23.28
3	मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क	ब.अ.	450.00	490.00	568.00	680.48	800.00	(+) 17.56
		वास्तविक	401.17	492.40	502.61	530.67	531.64	(+) 0.18
4	वाहनों पर कर	ब.अ.	356.00	550.00	639.40	836.33	900.76	(+) 7.70
		वास्तविक	391.92	465.36	494.79	660.37	632.59	(-) 4.21
5	विद्युत पर कर एवं शुल्क	ब.अ.	100.00	142.00	161.00	193.82	200.00	(+) 3.19
		वास्तविक	72.76	110.72	145.79	175.40	125.68	(-) 28.35
6	भू-राजस्व	ब.अ.	83.49	82.00	95.00	300.14	300.00	(-) 0.05
		वास्तविक	52.94	96.38	229.84	83.54	164.35	(+) 96.73
7	माल एवं यात्रियों पर कर-स्थानीय क्षेत्रों में वस्तुओं के प्रवेश पर कर	ब.अ.	30.00	20.00	नियत नहीं	0.15	5.00	(+) 3,233.33
		वास्तविक	40.95	0.51	1.08	0.28	0.17	(-) 39.29

तालिका-1.2

सृजित कर राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राजस्व शीर्ष		2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2014-15 की तुलना में 2015-16 में वृद्धि (+) कमी (-) की प्रतिशतता
8	वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	ब.अ.	36.75	28.00	34.50	41.91	35.00	(-) 16.49
		वास्तविक	15.05	15.28	22.76	32.57	30.22	(-) 7.22
9	व्यवसाय, व्यापार, आजीविका और रोजगार पर कर	ब.अ.	कार्यान्वित नहीं किया गया	65.00[2]	80.00	61.38	80.00	(+) 30.34
		वास्तविक		43.49	49.91	57.11	82.88	(+) 45.12
कुल		**ब.अ.**	**7,134.49**	**8,677.00**	**10,152.40**	**13,314.00**	**14,700.78**	**(+) 10.42**
		वास्तविक	**6,953.89**	**8,223.67**	**9,379.79**	**10,349.81**	**11,478.95**	**(+) 10.91**

स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे एवं झारखण्ड सरकार के राजस्व एवं प्राप्तियों की विवरणी के अनुसार पुनरीक्षित अनुमान।

उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है कि विगत वर्ष की तुलना में बजट अनुमानों में बदलाब (-)37.88 से 3,233.33 प्रतिशत के मध्य रही, जिसके विरुद्ध भू-राजस्व और माल एवं यात्रियों पर कर के संबंध में वास्तविकी में क्रमशः 96.73 प्रतिशत की वृद्धि एवं 39.29 प्रतिशत की कमी रही। तदन्तर, माल एवं यात्रियों पर अन्य कर के संबंध में वास्तविक प्राप्तियों की प्रवृत्ति पर बिना विचार किये बजट अनुमानों में 3,233.33 प्रतिशत की वृद्धि की गयी। संबंध विभागों ने बजट अनुमानों में उच्च विचरण का कारण अनुरोध के बावजूद सूचित नहीं किया (अक्टूबर 2016)।

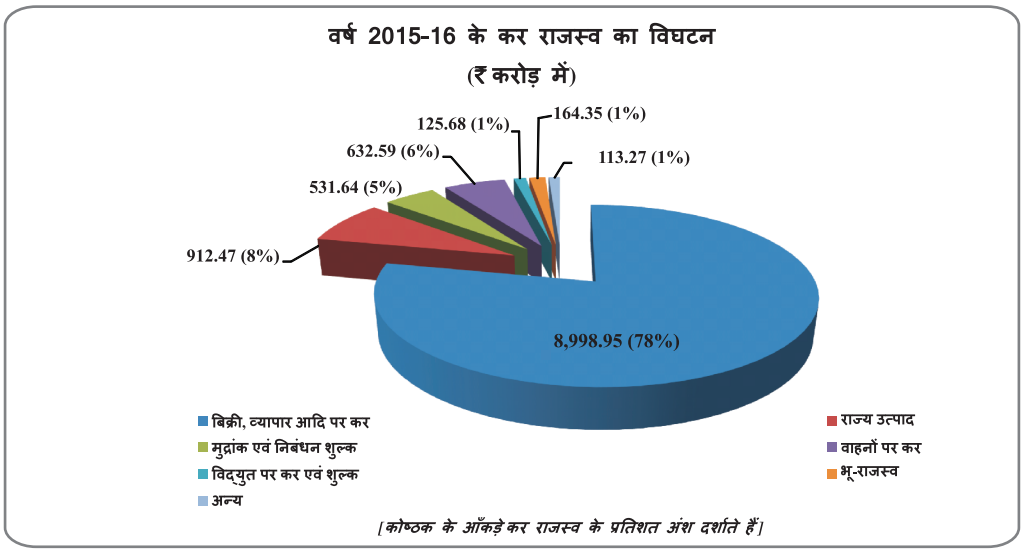

कर राजस्व के कुछ मुख्य शीर्षों से संबंधित 2014-15 की तुलना में 2015-16 की प्राप्तियों में वृद्धि के कारण निम्न थे:

[2] 29 जून 2012 से लागू।

बिक्री, व्यापार आदि पर कर: विभाग द्वारा 11.52 प्रतिशत की वृद्धि का कारण प्रभावकारी कर प्रशासन के साथ बकाये की पर्याप्त वसूली को बताया गया (अगस्त 2016)।

राज्य उत्पाद: विभाग द्वारा 23.28 प्रतिशत की वृद्धि का कारण भारत निर्मित विदेशी शराब के शुल्क के दर में वृद्धि का होना बताया गया (जुलाई 2016)।

भू-राजस्व: विभाग द्वारा 96.73 प्रतिशत की वृद्धि का कारण पुराने बकाए एवं पट्टेधारकों द्वारा भूमि के पूंजीकृत मूल्य का जमा होना बताया गया।

अनुरोध के बावजूद (अप्रैल एवं जुलाई 2016 के मध्य) राजस्व के अन्य शीर्षों में आधिक्य/कमी की वजहें संबंधित विभागों ने प्रस्तुत नहीं किया।

1.1.3 वर्ष 2011-12 से 2015-16 की अवधि के दौरान सृजित कर-भिन्न राजस्व के विस्तृत विवरण **तालिका-1.3** में दर्शाये गये हैं:

तालिका-1.3
सृजित कर-भिन्न राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राजस्व शीर्ष		2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2014-15की तुलना में 2015-16में वृद्धि (+) कमी (-) की प्रतिशतता
1	अ-लौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	ब.अ.	2,759.75	3,209.92	3,500.00	4,699.47	5,500.00	(+) 17.40
		वास्तविक	2,662.79	3,142.47	3,230.22	3,472.99	4,384.43	(+) 26.24
2	वानिकी एवं वन्य जीवन	ब.अ.	4.17	4.80	5.25	4.18	10.39	(+) 148.56
		वास्तविक	3.71	4.22	5.17	3.66	4.13	(+) 12.84
3	ब्याज प्राप्तियाँ	ब.अ.	100.64	65.00	115.00	243.36	90.00	(-) 63.02
		वास्तविक	44.16	72.23	69.48	143.04	122.44	(-) 14.40
4	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	ब.अ.	33.00	19.00	20.00	3.62	10.00	(+) 176.24
		वास्तविक	15.42	20.48	5.24	4.16	3.73	(-) 10.34
5	अन्य	ब.अ.	711.10	542.37	703.40	742.39	693.64	(-) 6.57
		वास्तविक	312.14	296.23	442.60	711.21	1,338.28	(+) 88.17
कुल		**ब.अ.**	**3,608.66**	**3,841.09**	**4,343.65**	**5,693.02**	**6,304.13**	**(+) 10.73**
		वास्तविक	**3,038.22**	**3,535.63**	**3,752.71**	**4,335.06**	**5,853.01**	**(+) 35.02**

स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे एवं झारखण्ड सरकार के राजस्व एवं प्राप्तियों की विवरणी के अनुसार बजट अनुमान

2014-15 एवं 2015-16 दोनों वर्षों में कुल प्राप्तियों में से कर-भिन्न राजस्व का अंश 14 प्रतिशत रहा। 2014-15 की अवधि में 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई 2015-16 में कर-भिन्न राजस्व में विगत वर्ष की तुलना में 35.02 प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि अ-लौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग में संग्रहण में वृद्धि के कारण हुई (₹ 911 करोड़)।

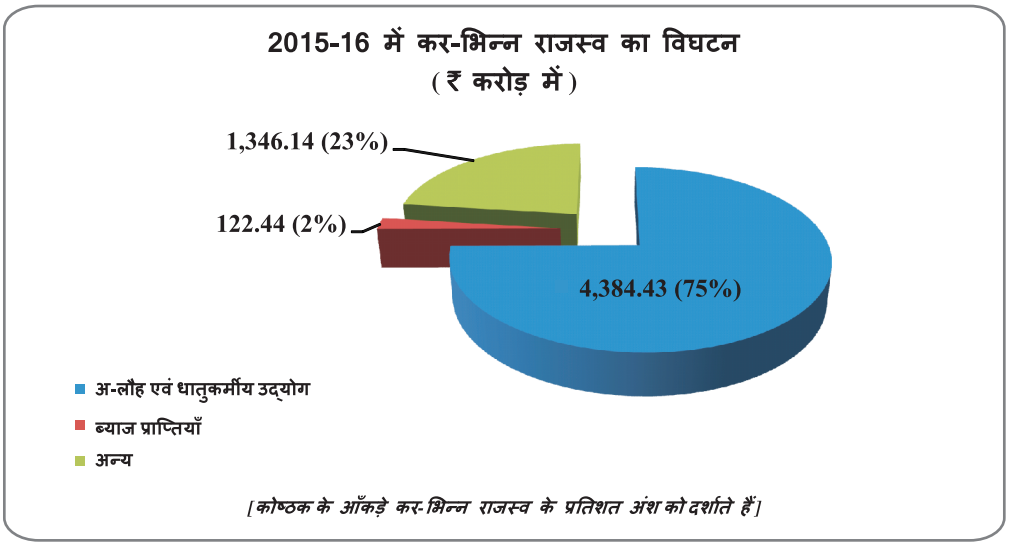

अनुरोध के बावजूद (अप्रैल एवं जुलाई 2016 के मध्य) राजस्व के अन्य शीर्षों में आधिक्य/कमी की वजहें संबंधित विभागों ने प्रस्तुत नहीं किया।

1.2 राजस्व के बकाये का विश्लेषण

31 मार्च 2016 को राजस्व के कुछ प्रमुख शीर्षों से संबंधित राजस्व के बकाये की राशि ₹ 3,237.28 करोड़ थीं, जिसमें ₹ 2,608.99 करोड़ पाँच वर्षों से अधिक से बकाया था, जैसा कि **तालिका-1.4** में वर्णित है।

तालिका-1.4
राजस्व बकाया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2016 को बकाया राशि	31 मार्च 2016 को पाँच वर्षों से अधिक से बकाया राशि	अभ्युक्तियाँ
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	2,936.44	2,429.10	₹ 2,936.44 करोड़ में से ₹ 152.02 करोड़ के मांग की वसूली के लिए भू-राजस्व के बकाये की तरह नीलामपत्रवाद दायर किये गये। ₹ 701.29 करोड़ एवं ₹ 568.60 करोड़ की वसूली पर क्रमश: न्यायालयों, अन्य अपीलीय प्राधिकारियों एवं सरकार द्वारा रोक लगायी गयी। ₹ 49.56 करोड़ एवं ₹ 16.41 करोड़ की माँग पर क्रमश: सुधार/पुनर्विचार आवेदन एवं व्यवसायी/पार्टी के दिवालिया हो जाने के कारण रोक लगायी गयी। शेष ₹ 1,448 करोड़ के बकाये के संबंध में की गयी विशिष्ट कार्रवाई की सूचना नहीं दी गयी (अक्टूबर 2016)।

तालिका-1.4
राजस्व बकाया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2016 को बकाया राशि	31 मार्च 2016 को पाँच वर्षों से अधिक से बकाया राशि	अभ्युक्तियाँ
2.	वाहनों पर कर	270.27	169.05	₹ 270.27 करोड़ में से ₹ 145.93 करोड़ माँग की वसूली के लिए भू-राजस्व के बकाये की तरह नीलामपत्रवाद दायर किये गये। शेष ₹ 124.34 करोड़ के बकाये के संबंध में की गयी विशिष्ट कार्रवाई की सूचना नहीं दी गयी (अक्टूबर 2016)।
3	राज्य उत्पाद	30.57	10.84	₹ 30.57 करोड़ के बकाये में से ₹ 15.53 करोड़ माँग की वसूली के लिए भू-राजस्व के बकाये की तरह नीलामपत्रवाद दायर किये गये, ₹ 7.65 करोड़ एवं ₹ 6.90 लाख की वसूली पर क्रमशः न्यायालयों, अन्य न्यायिक प्राधिकारियों एवं सरकार द्वारा रोक लगायी गयी। ₹ 10.56 लाख की वसूली पार्टियों के दिवालिया हो जाने के कारण रोक लगायी गयी एवं ₹ 16.08 लाख की राशि का अपलेखन संभावित था। शेष ₹ 7.06 करोड़ के बकाये के संबंध में की गयी विशिष्ट कार्रवाई की सूचना नहीं दी गयी (अक्टूबर 2016)।
कुल		**3,237.28**	**2,608.99**	

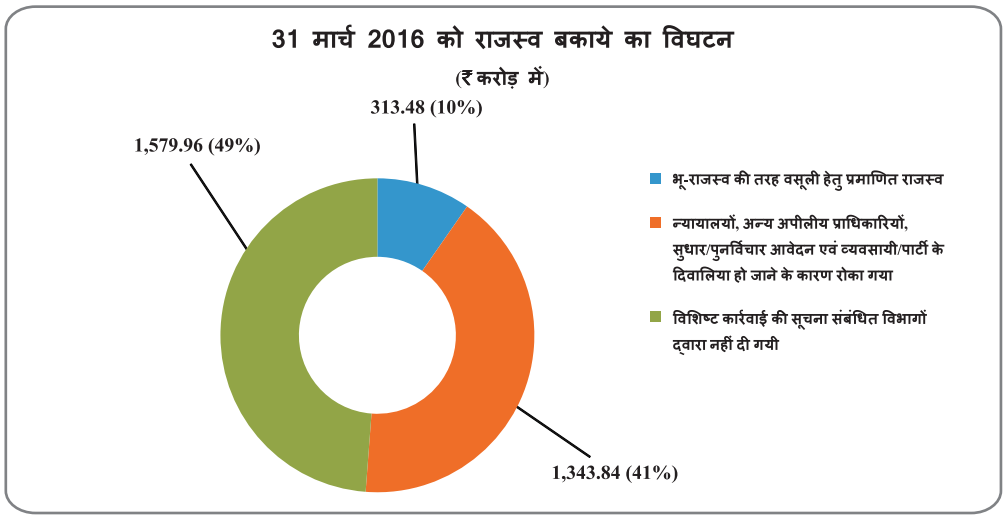

उपर्युक्त लंबित राजस्व ₹ 3,237.28 करोड़ में से ₹ 313.48 करोड़ की वसूली के लिये बकाये भू-राजस्व की तरह नीलामपत्रवाद दायर किये गये एवं ₹ 1,343.84 करोड़ की वसूली पर न्यायालयों, अन्य अपीलीय प्राधिकारियों, सरकार, भूल सुधार/पुनर्विचार आवेदन एवं पार्टियों के दिवालिया हो जाने के कारण रोक लगायी

गयी, शेष ₹ 1,579.96 करोड़ के संबंध में की गयी विशिष्ट कार्रवाई की सूचना संबंधित विभागों द्वारा नहीं दी गयी।

हमारे द्वारा सक्रिय अनुसरण (अप्रैल एवं अगस्त 2016 के बीच) के बावजूद 2015-16 के अन्त में अन्य विभागों से संबंधित संग्रहण हेतु लंबित राजस्व के बकाये की स्थिति प्रस्तुत नहीं की गयी (अक्टूबर 2016)।

1.3 करनिर्धारण मे बकाये

मूल्यवर्द्धित कर, मनोरंजन कर, विद्युत शुल्क एवं कार्य संविदा बकायेदारों पर करों के संबंध में वर्ष के प्रारंभ में करनिर्धारण संबंधित लंबित मामले, वर्ष के दौरान करनिर्धारण योग्य मामले, वर्ष के दौरान निष्पादित किये गये मामले एवं वर्ष के अंत में निष्पादन योग्य लंबित मामलों की संख्या का विस्तृत विवरण, जैसा वाणिज्यकर विभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया **तालिका-1.5** में दिया गया है।

तालिका-1.5

करनिर्धारण में बकाये

वर्ष	प्रारंभिक शेष	करनिर्धारण हेतु लंबित नये मामले	कुल लंबित करनिर्धारण	निष्पादित मामले	वर्ष के अंत में शेष	कॉलम 6 से 4 की प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7
2010-11	19,919	64,145	84,064	66,874	17,190	20.45
2011-12	17,190	63,515	80,705	50,473	30,232	37.46
2012-13	31,244	58,087	89,331	53,385	35,946	40.24
2013-14	33,505	63,903	97,408	63,519	33,889	34.79
2014-15	37,983	68,303	1,06,286	65,464	40,822	38.41
2015-16	39,652	72,761	1,12,413	64,999	47,414	42.18

स्रोत: वाणिज्य कर विभाग, झारखण्ड सरकार।

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2012-13 एवं 2015-16 के दौरान, विभाग द्वारा प्रस्तुत आँकड़े पिछले वर्ष में शेष के रूप में प्रतिवेदित आँकड़ों से भिन्न थे। कर निर्धारण में बकाये की भिन्नता का कारण यद्यपि माँगा गया था (अगस्त 2016), प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2016)। तदन्तर, 31 मार्च 2016 को 47,414 मामले कर निर्धारण के निष्पादन हेतु लंबित थे जो दर्शाता है कि 42.18 प्रतिशत मामले कर निर्धारण हेतु बकाये हैं। इसके परिणामस्वरूप राजस्व की हानि हो सकती है क्योंकि मामले कालबाधित हो सकते हैं।

1.4 विभाग द्वारा पता लगाये गये कर अपवंचन

वाणिज्यकर विभाग द्वारा पता लगाये गये कर अपवंचन के मामले, निष्पादित मामले एवं अतिरिक्त कर हेतु सृजित माँग जैसा कि विभाग द्वारा प्रतिवेदित किये गये, के विस्तृत विवरण **तालिका-1.6** में दिये गये हैं।

तालिका-1.6

पता लगाये गये कर अपवंचन

राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2015 तक लंबित मामले	2015-16 के दौरान पता लगाये गये मामले	कुल	मामलों की संख्या जिनमें करनिर्धारण/जाँच पूर्ण हुई तथा अर्थदंड सहित अतिरिक्त सृजित माँग आदि		31 मार्च 2016 को निष्पादन हेतु लंबित मामलों की संख्या
				मामले की संख्या	माँग की राशि (₹ करोड़ में)	
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	18	49	67	64	9.11	3

विभाग द्वारा 31 मार्च 2015 को प्रस्तुत आँकड़े पिछले वर्ष में शेष के रूप में प्रतिवेदित आँकड़ों से भिन्न है (31 मार्च 2015 को 34 मामले)। भिन्नता का कारण यद्यपि माँगा गया था (अगस्त 2016) प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2016)। कर निर्धारण का समापन एवं जाँच का निवल प्रभाव ₹ 9.11 करोड़ की माँग थी।

1.5 प्रतिदाय मामलों की लंबनता

वर्ष 2015-16 के आरंभ में प्रतिदाय के लंबित मामलों की संख्या, वर्ष के दौरान प्राप्त दावे, वर्ष के दौरान स्वीकृत प्रतिदाय तथा वर्ष 2015-16 की समाप्ति पर लंबित मामले, जैसा कि विभाग द्वारा प्रतिवेदित किये गये, **तालिका-1.7** में दिया गया है।

तालिका-1.7

लंबित प्रतिदाय मामलों का विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	मू.व.क./विद्युत पर शुल्क	
		मामलों की संख्या	राशि
1.	वर्ष के आरंभ में लंबित दावे	581	5,998.14
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	17	911.57
3.	वर्ष के दौरान किये गये प्रतिदाय	34	518.61
4.	वर्ष के अंत में बकाया शेष	564	6,391.10
5.	विलम्बित प्रतिदाय के कारण भुगतान किया गया ब्याज	शून्य	शून्य

स्रोत: वाणिज्य कर विभाग द्वारा प्रस्तुत सूचना।

विभाग द्वारा प्रस्तुत आँकड़े में वर्ष के आरंभ में लंबित मामले पिछले वर्ष के अंत में शेष के रूप में प्रतिवेदित आँकड़ों से भिन्न थे (505 मामले में सन्निहित ₹ 2,422.36 लाख की राशि), भिन्नता का कारण यद्यपि माँगा गया था (अगस्त 2016), प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2016)। झा.मू.व.क. अधिनियम प्रतिदाय के दावे का आवेदन नब्बे दिनों से अधिक अवधि तक यदि आधिक्य राशि व्यवसायी को वापस नहीं किया जाता है तो ऐसे आदेश की तिथि से प्रतिदाय की वापसी की तिथि तक छः प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज का भुगतान करने का प्रावधान करता है।

बिक्री कर/मू.व.क. के प्रतिदाय मामलों के निष्पादन की प्रगति प्राप्त किये गये दावों की तुलना में अत्यंत धीमी थी और ब्याज के भुगतान के लिए संवेदनशील है।

1.6 लेखापरीक्षा के प्रति विभागों/सरकार की प्रतिक्रिया

हम संव्यवहारों की नमूना जाँच करने हेतु सरकारी विभागों का आवधिक निरीक्षण करते हैं तथा निर्धारित नियमावलियों और प्रक्रियाओं के अनुसार लेखाओं और अन्य अभिलेखों के संधारण की जाँच करते हैं। इन निरीक्षणों के पश्चात जाँच के दौरान पाए गए एवं कार्यस्थल पर नहीं निपटाए गए अनियमितताओं को सम्मिलित करते हुए निरीक्षण प्रतिवेदन (नि.प्र.) जो अगले उच्चतर प्राधिकारियों के प्रतियों सहित निरीक्षित कार्यालय के प्रमुख को त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई करने हेतु जारी किये जाते हैं। कार्यालयों के प्रमुख/सरकार को निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित अवलोकनों पर तत्परता से अनुपालन करना, चूक एवं त्रुटियों को सुधारना और प्रारंभिक उत्तर के माध्यम से निरीक्षण प्रतिवेदनों के जारी किये जाने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर अनुपालन प्रेषित करना अपेक्षित है। गंभीर वित्तीय अनियमितताएँ विभागों के प्रमुखों और सरकार को प्रतिवेदित की जाती है।

वर्ष 2008-09 से 2015-16 तक निर्गत नि.प्र. की हमने समीक्षा की और पाया कि 740 नि.प्र. से संबद्ध ₹ 8,075 करोड़ की 7,192 कंडिकाएँ जून 2016 के अंत तक लंबित थी, जैसा कि पिछले दो वर्षों के तत्संबंधी आँकड़े सहित **तालिका-1.8** में नीचे उल्लिखित है।

तालिका-1.8
लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों का विवरण

(₹ करोड़ में)

	जून 2014	जून 2015	जून 2016
लंबित नि.प्र. की संख्या	977	1,065	740
लंबित लेखापरीक्षा अवलोकनों की संख्या	8,127	8,677	7,192
सन्निहित राशि	12,704.36	13,276.85	8,074.99

1.6.1 30 जून 2016 को लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा अवलोकनों और सन्निहित राशि का विभागवार विवरण **तालिका-1.9** वर्णित हैं।

तालिका-1.9
निरीक्षण प्रतिवेदनों का विभागवार विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	प्राप्तियों की प्रकृति	लंबित नि.प्र. की संख्या	लंबित लेखापरीक्षा अवलोकनों की संख्या	सन्निहित राशि
1	वाणिज्य कर	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	184	3,871	5,397.33
		प्रवेश कर	5	5	9.50
		विद्युत शुल्क	12	53	58.67
		मनोरंजन कर आदि	1	2	0.12

तालिका-1.9
निरीक्षण प्रतिवेदनों का विभागवार विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	प्राप्तियों की प्रकृति	लंबित नि.प्र. की संख्या	लंबित लेखापरीक्षा अवलोकनों की संख्या	सन्निहित राशि
2	उत्पाद एवं मद्यनिषेध	राज्य उत्पाद	119	638	604.09
3	राजस्व एवं भूमि सुधार	भू-राजस्व	45	463	26.52
4	परिवहन	मोटर वाहनों पर कर	137	866	264.80
5	निबंधन	मुद्रांक एवं निबंधन फीस	107	545	31.58
6	खान एवं भूतत्व	अ-लौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	130	749	1,682.38
कुल			**740**	**7,192**	**8,074.99**

वर्ष 2008-09 तक निर्गत 147 निरीक्षण प्रतिवेदनों के प्रथम उत्तर भी, जिसे निरीक्षण प्रतिवेदन निर्गत होने की तिथि से एक माह के अंदर कार्यालय प्रमुखों से प्राप्त होना अपेक्षित है, प्राप्त नहीं हुए। संभाव्य वसूली योग्य राजस्व का परिमाण ₹ 8,075 करोड़, जैसा कि नि.प्र. में लाया गया है, राज्य के कुल राजस्व संग्रहण ₹ 17,331.96 करोड़ से आँका जा सकता है। तथापि, प्रधान सचिव/आयुक्त ने बहिर्गमन सम्मेलन एवं अन्य मुलाकातों में आश्वस्त किया कि नि.प्र. के द्वारा इंगित राजस्व की वसूली हेतु कारवाई. की जायेगी।

हम अनुशंसा करते हैं कि सरकार, अन्य मान दंडों में से नि.प्र./लेखापरीक्षा अवलोकनों के अनुपालन के मानदंडों हेतु अधकरियों की प्रतिक्रिया के निर्धारण हेतु प्रणाली संस्थापित कर सकती है जैसा कि महाराष्ट्र में प्रक्रिया प्रचलित है।

1.6.2 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

सरकार नि.प्र.एवं नि.प्र. के कंडिकाओं के अनुश्रवण एवं शीघ्र निपटारे की प्रगति के लिए लेखापरीक्षा समितियां स्थापित करती है। वर्ष 2015-16 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की हुई बैठकें एवं निष्पादित कंडिकाओं के विवरण **तालिका-1.10** में वर्णित है।

तालिका-1.10
विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकों का विवरण

(₹ लाख में)

राजस्व शीर्ष	संपन्न बैठकों की संख्या	निष्पादित कंडिकाओं की संख्या	राशि
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	2	50	919.02
मुद्रांक एवं निबंधन फीस	1	7	0
राज्य उत्पाद	1	35	137.98
वाहनों पर कर	2	2	11.89
भू-राजस्व	2	22	356.28

तालिका-1.10
विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकों का विवरण

(₹ लाख में)

राजस्व शीर्ष	संपन्न बैठकों की संख्या	निष्पादित कंडिकाओं की संख्या	राशि
अ-लौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	2	2	20.72
कुल	**10**	**118**	**1,445.89**

परिवहन विभाग एवं वाणिज्यकर विभाग से संबंधित लेखापरीक्षा अवलोकनों के निष्पादन की प्रगति नि.प्र. एवं लेखापरीक्षा अवलोकनों कि वृहत लंबनता की तुलना में नगण्य था।

1.6.3 लेखापरीक्षा को संवीक्षा हेतु अभिलेखों का प्रस्तुत नहीं किया जाना

कर/कर-भिन्न प्राप्तियों से संबंधित कार्यालयों का स्थानीय लेखापरीक्षा कार्यक्रम पर्याप्त रूप से अग्रिम में तैयार किया जाता है और विभाग को, लेखापरीक्षा प्रारंभ किये जाने से सामान्यत: एक माह पूर्व सूचनाएं भेज दी जाती है जिससे कि वे संबंधित अभिलेखों को संवीक्षा के लिए तैयार रख सके।

वर्ष 2015-16 के दौरान, हमें लेखापरीक्षा हेतु तीन विभागों (परिवहन, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार तथा खान एवं भूतत्व विभागों) के 17 कार्यालयों से संबंधित 103 अभिलेखें उपलब्ध नहीं करायी गयी। ऐसे मामलों का कार्यालयवार विघटन **तालिका-1.11** में दिया गया है।

तालिका-1.11
अप्रस्तुत अभिलेखों का विवरण

कार्यालय का नाम	लेखापरीक्षा को प्रस्तुत न किये गये करनिर्धारण मामलों/अभिलेखों की संख्या
भू.सु.उ.स, धनबाद	2
अंचल कार्यालय, धनबाद	5
अंचल कार्यालय, तोपचाची	6
अंचल कार्यालय, टुंडी	6
अंचल कार्यालय, टुंडी पूर्व	6
अंचल कार्यालय, बलियापुर	6
अंचल कार्यालय, झरिया	6
अंचल कार्यालय, गोमिया	7
अंचल कार्यालय, बेरमों	7
अंचल कार्यालय, पेटरवार	8
अंचल कार्यालय, चन्द्रपुरा	9
अंचल कार्यालय, चास	9
अंचल कार्यालय, चंदनक्यारी	22
जिला परिवहन कार्यालय, जमशेदपुर	1
परिवहन आयुक्त, रांची	1
बंदोबस्त कार्यालय, धनबाद	1
खान सचिव,झारखंड,रांची,	1
कुल	**103**

1.6.4 प्रारूप लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर विभागों का प्रत्युत्तर

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल करने हेतु प्रस्तावित प्रारूप लेखापरीक्षा कंडिकाओं को प्रधान महालेखाकार (प्र.म.ले.) द्वारा, संबंधित विभागों के प्रधान सचिवों/सचिवों को लेखापरीक्षा अवलोकनों पर उनका ध्यान आकृष्ट करने एवं छः सप्ताह के अंदर प्रत्युत्तर भेजने का आग्रह करते हुए, अग्रसारित किया जाता है। विभागों/सरकार से उत्तरों की अप्राप्ति का तथ्य लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित ऐसी कंडिकाओं के अंत में हमेशा दर्शाया जाता है।

एक निष्पादन लेखापरीक्षा एवं 41 प्रारूप कंडिकाएँ (32 कंडिकाओं में से संकलित कर) मई एवं जुलाई 2016 के बीच संबंधित विभागों के प्रधान सचिवों/सचिवों के नाम से भेजे गये थे। हमने विभागों से लेखापरीक्षा अवलोकनों के संबंध में बहिर्गमन सम्मेलन एवं मुलाकातों के दौरान उत्तर प्राप्त किया। तथापि, खान एवं भूतत्व विभाग से छः लेखापरीक्षा अवलोकनों के संबंध में उत्तर अनुस्मारक (जुलाई एवं अगस्त 2016 के बीच) निर्गत करने के बावजूद उपलब्ध नहीं कराया गया। इन्हें विभाग के प्रत्युत्तर के बिना ही इस प्रतिवेदन में शामिल कर लिया गया है।

1.6.5 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्तन-संक्षेपित स्थिति

दिसम्बर 2002 में अधिसूचित लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) की आंतरिक कार्य प्रणाली ने निर्धारित किया कि विधानसभा में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन की प्रस्तुति के पश्चात, विभाग लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर कार्रवाई प्रारंभ करेंगे एवं सरकार द्वारा उन पर कृत कार्रवाई की व्याख्यात्मक टिप्पणियां (ए.टी.एन.) प्रतिवेदन को पटल पर रखने के तीन माह के अंदर समिति के विचारार्थ प्रस्तुत करेंगे। 2010-11 से 2014-15 की अवधि के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल 144 कंडिकायें (निष्पादन लेखापरीक्षा सहित) में से विभागों से 58 कंडिकाओं पर कृत कार्रवाई पर व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ संबंधित विभाग से औसतन तीन माह के विलंब से प्राप्त हुए एवं जिन 86 कंडिकाओं के संबंध में कृत कार्रवाई व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ अब तक प्राप्त नहीं हुए हैं **तालिका-1.12** में वर्णित हैं।

तालिका-1.12

क्र. सं.	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की समाप्ति का वर्ष	विधानमण्डल में प्रस्तुति की तिथि	कंडिकाओं की संख्या	कंडिकाओं की संख्या जिनकी व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्राप्त हुईं	कंडिकाओं की संख्या जिनकी व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुईं
1	31 मार्च 2011	06.09.2012	32	26	06
2	31 मार्च 2012	27.07.2013	25	4	21
3	31 मार्च 2013	04.03.2014	27	10	17
4	31 मार्च 2014	26.03.2015	28	18	10
5	31 मार्च 2015	15.03.2016	32	0	32
कुल			**144**	**58**	**86**

2015-16 के दौरान लो.ले.स. ने वर्ष 2010-11 से 2013-14 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित 37 चयनित कंडिकाओं पर चर्चा की तथा प्रतिवेदन (2009-10) में सम्मिलित खान एवं भूतत्व विभाग से संबंधित एक कंडिका पर अपनी अनुशंसाएँ दी। तथापि, नवम्बर 2000 में राज्य बनने के समय से लो.ले.स. की अनुशंसाओं पर इन विभागों से ए.टी.एन. प्राप्त नहीं हुई है।

1.7 लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गये विषयों को निपटाने हेतु प्रणाली का विश्लेषण

निरीक्षण प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में दर्शाए गए मुद्दों पर विभागों/सरकार द्वारा दक्षता का विश्लेषण के लिये, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित एक विभाग के कंडिकाओं और निष्पादन लेखापरीक्षा पर की गयी कार्रवाई का मूल्यांकन किया गया एवं इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किया गया।

अनुवर्ती कंडिकाओं 1.7.1 एवं 1.7.2 में **खान एवं भूतत्व विभाग** के अंतर्गत राजस्व शीर्ष **खनन प्राप्तियाँ** का स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान प्रदर्शन एवं वर्ष 2008-09 से 2015-16 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित मामलों पर भी की गई कार्रवाई की चर्चा की गयी।

1.7.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

खान एवं भूतत्व विभाग के राजस्व शीर्ष के अंतर्गत राजस्व शीर्ष खनन प्राप्तियाँ से संबंधित वर्ष वर्ष 2008-09 से 2015-16 की अवधि में निर्गत निरीक्षण प्रतिवेदनों, इन प्रतिवेदनों में सम्मिलित कंडिकाओं की संक्षेपित स्थिति एवं 31 मार्च 2016 को उनकी स्थिति नीचे **तालिका-1.13** में सारणीबद्ध है।

तालिका-1.13
निरीक्षण प्रतिवेदन की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष			वर्ष के दौरान परिवर्धन			वर्ष के दौरान निष्पादन			वर्ष के दौरान अंतिम शेष		
	नि.प्र.	कंडिकाएँ	राशि	नि.प्र.	कंडिकाएँ	राशि	नि.प्र.	कंडिकाएँ	राशि	नि.प्र.	कंडिकाएँ	राशि
2008-09	0[3]	0	0.00	14	101	210	0	0	0	14	101	210.00
2009-10	14	101	210.00	11	77	126.64	0	0	0	25	178	336.64
2010-11	25	178	336.64	19	108	49.91	0	0	0	44	286	386.55
2011-12	44	286	386.55	18	149	2298.74	0	9	1.54	62	426	2,683.75
2012-13	62	426	2,683.75	21	176	68.78	0	17	1982.37	83	585	770.16
2013-14	83	585	770.16	18	107	128.79	1	65	14.02	100	627	884.93
2014-15	100	627	884.93	18	100	407.42	4	74	17.06	114	653	1,275.29
2015-16	114	653	1,275.29	17	108	753.17	1	12	346.08	130	749	1,682.38

[3] 2008-09 से पूर्व के नि॰ प्र॰ को अनुसरण हेतु सरकार पर छोड़ दिया गया है। .

2008-09 से 2015-16 की अवधि के दौरान ₹ 4,043.45 करोड़ के वित्तीय प्रभाव सहित 926 लेखापरीक्षा कंडिकाओं से अंतर्विष्ट 136 नि.प्र. निर्गत किया गया। इसी समय में ₹ 2,361.07 करोड़ मौद्रिक मूल्य की छः नि.प्र. में सन्निहित 177 लेखापरीक्षा कंडिकाओं का विभाग के साथ लेखापरीक्षा समिति की बैठकों एवं नियमित पारस्परिक संपर्क के द्वारा निष्पादन किया गया। वर्तमान में ₹ 1,682.38 करोड़ मौद्रिक मूल्य की 130 नि.प्र. में अर्न्तविष्ट 749 लेखापरीक्षा कंडिकाएँ निष्पादन हेतु लंबित है, जिसमें ₹ 355.28 करोड़ मौद्रिक मूल्य की 40 नि.प्र. में अर्न्तविष्ट 207 लेखापरीक्षा कंडिकाएँ पाँच वर्षों से अधिक समय से लंबित है (2008-09 से 2010-11 के बीच)।

1.7.2 स्वीकृत मामलों में वसूली

विभाग द्वारा स्वीकार किये गये और वसूल की गयी राशि से संबंधित कंडिकाओं की स्थिति **तालिका-1.14** में वर्णित है।

तालिका-1.14
स्वीकृत मामलों में वसूली

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	सम्मिलित कंडिका की संख्या	कंडिकाओं का मौद्रिक मान	स्वीकार किये गये कंडिका की संख्या	स्वीकार किये गये कंडिकाओं का मौद्रिक मान	वसूल की गयी राशि
2008-09	3	22.75	1	13.33	0.64
2009-10	3	11.26	3	11.26	0.47
2010-11	6	24.26	1	14.65	5.98
2011-12	1	146.31	1	139.70	0.99
2012-13	4	35.57	3	34.20	9.85
2013-14	4	35.78	3	17.21	9.48
2014-15	7	367.20	1	325.24	325.24

2008-09 से 2013-14 के दौरान स्वीकृत मामलों के विरूद्ध की गई वसूली 0.71 एवं 55 प्रतिशत के बीच रही। 2014-15 के दौरान इंगित स्वीकृत मामलों के विरूद्ध 100 प्रतिशत की वसूली कर विभाग ने सराहनीय प्रयास किया।

स्वीकृत मामलों में वसूली अनुसरण की जानी चाहिए चूंकि संबंधित पक्षों से बकाए वसूलनीय हैं। विभाग/सरकार के द्वारा स्वीकृत मामलों के अनुसरण हेतु कोई तंत्र की संस्थापना नहीं की गयी थी।

हम अनुशंसा करते है कि विभाग स्वीकार किये गये मामलों में वसूली के प्रयास एवं अनुश्रवण हेतु त्वरित कार्रवाई कर सकती है। राज्य के राजस्व की रक्षा के लिये गंभीर प्रयास करने हेतु स्वीकृत मामलों में लंबित वसूली के मामलों को संबंधित पदाधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से विनिहित किया जा सकता है।

1.8 वित्त वर्ष 2015-16 हेतु लेखापरीक्षा कार्यान्वयन

विभिन्न विभागों के अंतर्गत इकाई कार्यालयों को उनकी राजस्व स्थिति, लेखापरीक्षा अवलोकनों की पूर्व प्रवृत्तियां और अन्य मानदण्डों के अनुसार उच्च, मध्यम और निम्न जोखिम इकाइयों में वर्गीकृत किया जाता है। वार्षिक लेखापरीक्षा योजना की तैयारी जोखिम विश्लेषण के आधार पर तैयार किया जाता है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सरकार की राजस्व प्राप्ति एवं कर प्रशासन के विवेचनात्मक मुद्दे, यथा बजट भाषण, राज्य वित्त पर श्वेत पत्र, वित्त आयोग का प्रतिवेदन (राज्य एवं केन्द्र), कर सुधार समिति की अनुशंसाएँ, पिछले पाँच वर्षों के राजस्व अर्जन का सांख्यिकीय विश्लेषण, कर प्रशासन की विशिष्टताएँ, लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र और पिछले पाँच वर्षों में इसका प्रभाव आदि सम्मिलित होता है। वर्ष 2015-16 के दौरान, सम्पूर्ण लेखापरीक्षा क्षेत्र में कुल 548 लेखापरीक्षा इकाइयाँ शामिल थी जिनमें से 131 इकाइयों को लेखापरीक्षा की योजना बनायी गयी एवं 123 इकाइयों की लेखापरीक्षा की गयी। विवरण **तालिका-1.15** में वर्णित है।

तालिका-1.15

लेखापरीक्षा योजना एवं कार्यान्वयन

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	इकाइयों की कुल संख्या	इकाइयाँ जिनके लिये लेखापरीक्षा की योजना बनायी गयी	2015-16 के दौरान लेखापरीक्षित इकाइयाँ
1	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	44	27	27
2	वाहनों पर कर	27	19	19
3	मुद्रांक एवं निबंधन फीस	56	20	20
4	राज्य उत्पाद	23	16	16
5	भू-राजस्व	341	30	23
6	अ-लौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	51	18	17
7	झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम	5	1	1
8	झारखण्ड स्टेट बेभरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड	1	0	0
कुल		**548**	**131**	**123**[4]

उपरोक्त अनुपालन लेखापरीक्षाओं के अतिरिक्त **"झारखंड में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में पट्टा प्रबंधन"** के एक निष्पादन लेखापरीक्षा एवं दो लेखापरीक्षाएँ **"वाणिज्यकर विभाग में मू.व.क/के.बि.क के लेन-देन की तिर्यक-जांच की व्यवस्था का कार्यान्वयन"** तथा **"झारखंड में वाणिज्यकर विभाग में बकाए राजस्व की संग्रहण की प्रणाली"** इन प्राप्तियों के कर प्रशासन की क्षमता की जाँच करने के लिए लिये गये।

[4] आठ इकाइयों की कमी(एक द्विवार्षिक एवं सात त्रैवार्षिक) पंचायत चुनाव के कारण रही

1.9 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष के दौरान संचालित स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति

वर्ष 2015-16 के दौरान बिक्री,व्यापार आदि पर कर, राज्य उत्पाद, वाहनों पर कर, भू-राजस्व, मुद्रांक एवं निबंधन फीस, विद्युत पर कर एवं शुल्क एवं खनन प्राप्तियाँ के 123 इकाइयों के अभिलेखों के नमूना जाँच से 45,954 मामलों में 12,737.35 करोड़ के अवनिर्धारण/कम आरोपण/राजस्व की हानि उद्घटित हुआ। वर्ष के दौरान संबंधित विभागों ने हमारे द्वारा इंगित 40,355 मामलों में ₹ 12,120.88 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया, जिसमें 40,265 मामलों में सन्निहित ₹ 11,774.37 करोड़ वर्ष 2015-16 में एवं शेष पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किया गया। विभागों ने 2015-16 में 804 मामलों में ₹ 362.23 करोड़ वसूल किया।

1.10 इस प्रतिवेदन का कार्यक्षेत्र

इस प्रतिवेदन में ₹ 11,676.35 करोड़ के वित्तीय प्रभाव के 32 कंडिकाएँ उपर संदर्भित स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान एवं पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान पाये गये लेखापरीक्षा अवलोकनों, जिन्हें पिछले प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किया जा सका था, से चयनित एवं एक निष्पादन लेखापरीक्षा **"झारखंड में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में पट्टा प्रबंधन"** एवं दो लेखापरीक्षाएँ **"वाणिज्यकर विभाग में मू.व.क/के.बि.क के लेन-देन की तिर्यक-जांच की व्यवस्था का कार्यान्वयन"** तथा **"झारखंड में वाणिज्यकर विभाग में बकाए राजस्व की संग्रहण की प्रणाली"** हैं जिसमें से ₹ 10,282.30 करोड़ वसूलनीय हैं।

विभाग/सरकार ने ₹ 11,672.52 करोड़ के परिहार्य क्षति सहित ₹ 1,394.05 करोड़ के लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया एवं ₹ 13.55 करोड़ वसूल किया। शेष मामलों में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2016)। इनकी चर्चा अनुवर्त्ती अध्याय II से VI में की गयी है।

अध्याय - II
बिक्री, व्यापार आदि पर कर

अध्याय- II: बिक्री, व्यापार आदि पर कर

2.1 कर प्रशासन

बिक्री कर/मूल्यवर्द्धित कर और केंद्रीय बिक्री कर का आरोपण और संग्रहण झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर (झा.मू.व.क.) अधिनियम, 2005, केन्द्रीय बिक्री कर (के.बि.क.) अधिनियम, 1956 और उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा शासित होते हैं। वाणिज्यकर के सचिव-सह-आयुक्त वाणिज्यकर विभाग (वा.क.वि.) में इन अधिनियमों और नियमों के प्रशासन के लिए उत्तरदायी हैं और उन्हें वाणिज्यकर के अपर आयुक्त एवं संयुक्त आयुक्तों (वा.क.सं.आ.), वाणिज्यकर के अन्वेषण ब्यूरो (अ.ब्यू.), निगरानी एवं अनुश्रवण के संयुक्त आयुक्तों के साथ वाणिज्यकर के अन्य उप/सहायक आयुक्तों का सहयोग प्राप्त होता है।

विभाग का संगठनात्मक ढाँचा इस प्रकार है:

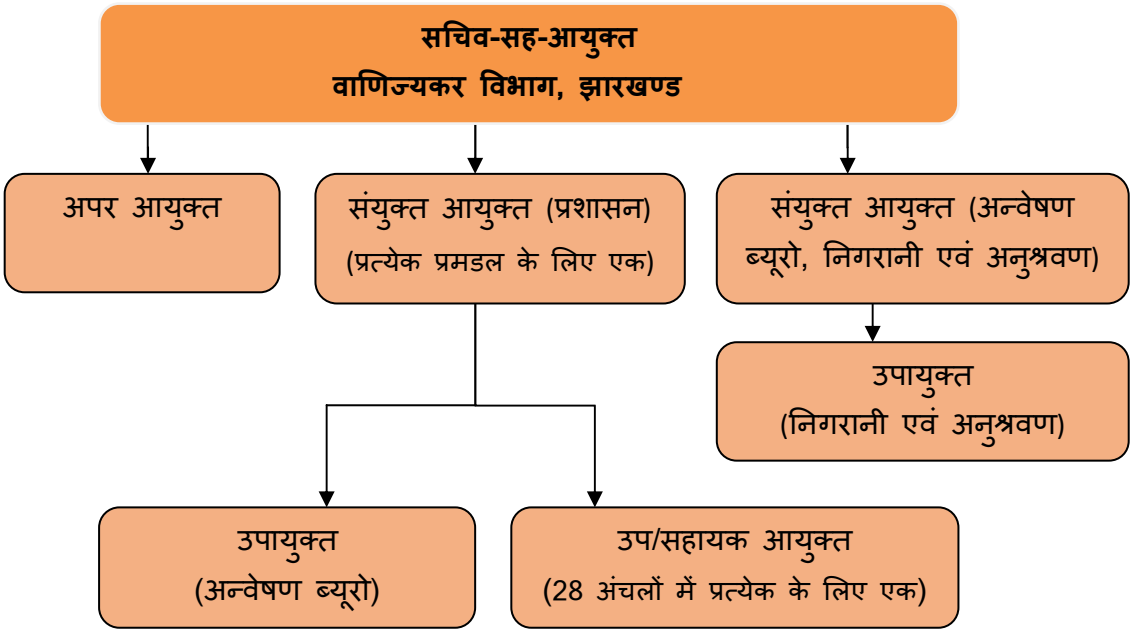

राज्य पाँच वाणिज्यकर प्रमंडलों[1] में विभाजित है, जिसमें प्रत्येक के प्रभारी संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) होते हैं एव 28 अंचलों[2] में विभाजित है, जिसमें प्रत्येक के प्रभारी वाणिज्यकर उपायुक्त/सहायक आयुक्त (वा.क.उ./वा.क.स.आ.) होते हैं। अंचल के वा.क.उ./वा.क.स.आ., जिन्हें वाणिज्यकर पदाधिकारियों का सहयोग प्राप्त होता है, सरकार को देय कर का आरोपण और संग्रहण के अलावे सर्वेक्षण के लिए भी उत्तरदायी हैं। वा.क.सं.आ. (प्रशासन) को सहयोग करने के लिए प्रत्येक प्रमंडल में

---

[1] धनबाद, दुमका, हजारीबाग, जमशेदपुर और राँची।

[2] आदित्यपुर, बोकारो, चाईबासा, चिरकुंडा, देवघर, धनबाद, धनबाद नागरीय, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, हजारीबाग, जमशेदपुर, जमशेदपुर नागरीय, झरिया, कतरास, कोडरमा, लोहरदगा, पाकुड़, पलामू, रामगढ़, राँची पूर्वी, राँची दक्षिणी, राँची विशेष, राँची पश्चिमी, साहिबगंज, सिंहभूम और तेनुघाट।

अ.ब्यू. के एक उपायुक्त पदस्थापित होते हैं तथा मुख्यालय के नियंत्रण में प्रत्येक प्रमंडल मे एक वा.क.उ. (निगरानी एवं अनुश्रवण) पदस्थापित होते हैं।

2.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

हमने 2015-16 के दौरान वाणिज्यकर विभाग की कुल 45 इकाइयों में से 25 वार्षिक इकाइयों और दो द्विवार्षिक इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जांच करने के लिए योजना बनाई और उपर्युक्त योजनाबद्ध सभी इकाइयों[3] की नमूना जाँच की जिसने मू.व.क./बिक्री, व्यापार आदि पर कर से संबंधित ₹ 7,807.49 करोड़ की राजस्व एकत्रित की थी। हमारे लेखापरीक्षा से 597 मामलों में सन्निहित ₹ 2,952.62 करोड़ के कर का अवनिर्धारण एव अन्य अनियमितताओं का पता चला जो निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आते है जैसा कि **तालिका-2.1** में दिए गए है।

तालिका-2.1

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	राशि
1	**वाणिज्यकर विभाग में मू.व.क./के.बि.क.के लेन देन की तिर्यक जाँच की व्यवस्था का कार्यान्वयन**	1	1,226.44
2	**झारखण्ड में वाणिज्यकर विभाग में बकाये राजस्व की संग्रहण की प्रणाली**	1	377.28
3	आवर्त के गलत निर्धारण/छिपाये जाने के कारण कर का कम आरोपण	207	941.78
4	ब्याज/अर्थदंड का नहीं लगाया जाना	120	208.10
5	कर की गलत दर का अनुप्रयोग	49	66.01
6	के.बि.क. के तहत कर की रियायती दर की अनियमित अनुमति	38	51.05
7	इन पुट टैक्स क्रेडिट कि अनियमित/गलत अनुमति	30	12.61
8	अन्य मामलें	151	69.35
कुल		**597**	**2,952.62**

[3] वा.क.उ./वा.क.स.आ. के कार्यालयों, आदित्यपुर, बोकारो, चाईबासा, चिरकुंडा, देवघर, धनबाद, धनबाद नागरीय, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, हजारीबाग, जमशेदपुर, जमशेदपुर नागरीय, झरिया, कतरास, कोडरमा, लोहरदगा, पाकुड़, पलामू, रामगढ़, रांची पूर्वी, रांची दक्षिण, रांची विशेष, रांची पश्चिमी, सिंहभूम और तेनुघाट और आयुक्त, वाणिज्यकर, रांची।

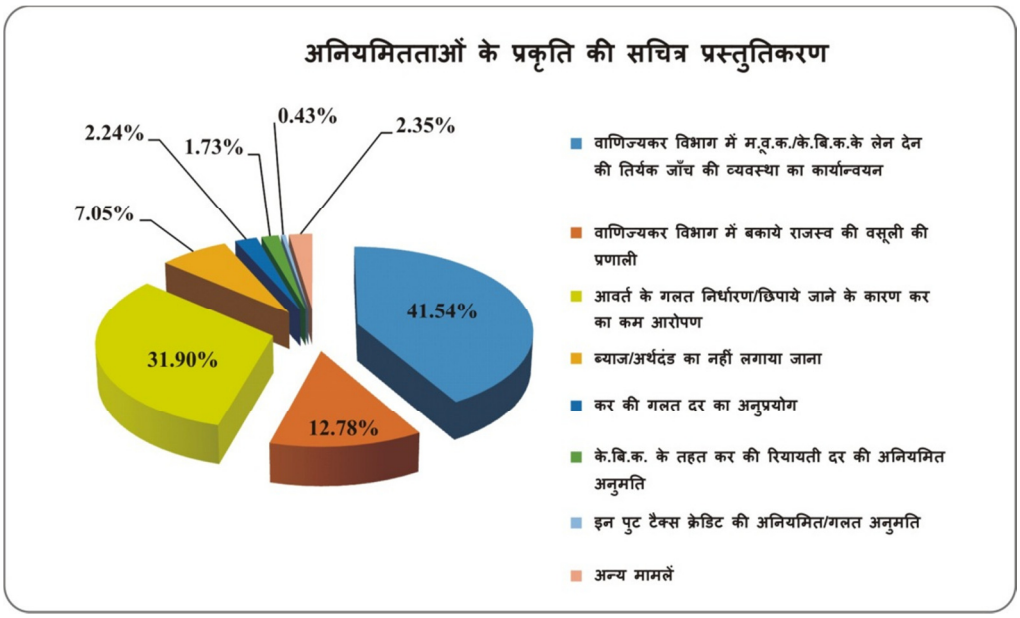

वर्ष के दौरान विभाग ने 168 मामलों में सन्निहित ₹ 2,151.03 करोड़ के कर का अवनिर्धारण एव अन्य कमियों को स्वीकार किया, जिसमे से हमारे द्वारा 128 मामलों में अंतर्ग्रस्त ₹ 2,150.38 करोड़ वर्ष 2015-16 में और शेष पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किये गये थे। 30 मामलों में ₹ 2.43 करोड़ की राशि वसूल की गई।

इस अध्याय में हमने ₹ 1,603.72 करोड़ की वित्तीय निहितार्थ वाले दो लेखा परीक्षाओं "**वाणिज्यकर विभाग में मू.व.क./के.बि.क.के लेन देन की तिर्यक जाँच की व्यवस्था का कार्यान्वयन"** और **"झारखण्ड में वाणिज्यकर विभाग में बकाये राजस्व की संग्रहण की प्रणाली"** और ₹ 546.66 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ वाले कुछ मामलें उदाहरणस्वरुप प्रस्तुत किये है। विभाग ने ₹ 2,150.38 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ वाले सभी लेखापरीक्षा अवलोकनो को स्वीकार किया जो अनुवर्ती कंडिकाओं में चर्चित हैं।

2.3 वाणिज्यकर विभाग में मू.व.क./के.बि.क. के लेन-देन की तिर्यक-जाँच की व्यवस्था का कार्यान्वयन

2.3.1 प्रस्तावना

झा.मू.व.क. अधिनियम, 2005, एक अन्वेषण ब्यूरो (अ.ब्यू.) को वाणिज्यकर आयुक्त (वा.क.आ.) के नियंत्रण और पर्यवेक्षण में कार्य करने का प्रावधान करता है तथा वह ऐसे कर्तव्यों का निष्पादन करेगा जो उसे समय-समय पर सौंपा जाएगा। वा.क.आ. द्वारा अगस्त 2009 में जारी एक आदेश के तहत प्रमंडलीय अ.ब्यू. को वा.क.सं.आ. (प्रशासन) के अधीन में अंतर्राज्यीय भंडार अंतरण करने वाले व्यवसायियों के लिए के.बि.क. अधिनियम, 1956 के अनुसार उनके निबंधन प्रमाण पत्र में व्यवसाय के अतिरिक्त स्थानों और प्रविष्टियों की जाँच करने, बड़े निर्माताओं/व्यवसायियों का

निरीक्षण करने, राज्य/केंद्रीय उपक्रमों और रेलवे गोदामों से उनके द्वारा की गई खरीद/आयात के आंकड़े एकत्र करने का कार्य सौंपा गया था।

आयुक्त ने अ.ब्यू. को बड़े निर्माताओं/उपक्रमों/व्यवसायियों के संबंध में खरीद/प्राप्ति के आंकड़े प्राप्त करने और उनकी तिर्यक जाँच कर, कर का अपवंचन/परिवर्जन की जाँच करने के लिए भी निर्देश दिया था। तदन्तर, झा.मू.व.क. अधिनियम, बेहतर प्रशासन के लिए आयुक्त को सभी व्यवसायियों या व्यवसायी के किसी भी वर्ग या व्यक्तियों से आंकड़े एकत्रित करने की शक्ति प्रदान करता है।

2.3.2 लेखापरीक्षा का उद्देश्य

लेखापरीक्षा को इस उद्देश्य के साथ संचालित किया गया कि क्या सरकारी राजस्व की रक्षा करने के लिए अन्य विभागों के साथ लेनदेन के तिर्यक जांच की व्यवस्था का पालन किया गया था।

2.3.3 लेखापरीक्षा मानदंड

- झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005;
- झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर नियमावली, 2006;
- केन्द्रीय बिक्री कर (के.बि.क.) अधिनियम, 1956;
- केन्द्रीय बिक्री कर (निबंधन एवं आवर्त) नियमावली, 1957;
- केन्द्रीय बिक्री कर (झारखण्ड) नियमावली, 2006; और
- समय-समय पर जारी निर्देश/अधिसूचनाएं

2.3.4 लेखापरीक्षा का क्षेत्र और कार्यप्रणाली

2.3.4.1 लेखापरीक्षा नियमित अनुपालन लेखापरीक्षा के साथ साथ 2010-11 से 2014-15 की अवधि हेतु जुलाई 2015 और जून 2016 के बीच संचालित की गई। हमने राज्य सरकार के विभागों/केन्द्र सरकार के विभागों, निजी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से एकत्रित आंकड़ों/सूचनाओं का व्यवसायियों/ठेकेदारों के कर निर्धारण अभिलेखों के साथ तिर्यक-जाँच, कर की चोरी के साथ ही अनिबंधित व्यवसायियों/ ठेकेदारों की पहचान का पता लगाने के लिये किया।

2.3.4.2 आंकड़ों का संग्रहण झारखंड सरकार के निम्नलिखित विभागों/निगमो से किया गया: **राज्य उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग** (प्रेषित/बिक्री की गयी भारत निर्मित विदेशी शराब की मात्रा और मूल्य, आयात शुल्क और भुगतान किये गये उत्पाद शुल्क), **खान एवं भूतत्व विभाग** (निष्कर्षित और प्रेषित खनिज की मात्रा), झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल)/लोक निर्माण विभागों (कार्यसंवेदकों को कार्यसंविदा के निष्पादन हेतु किए गए सकल भुगतान)।

2.3.4.3 भारत सरकार के विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अर्थात्, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग (ई आर-4 में वार्षिक वित्तीय सूचना विवरण), **सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड** (संबन्धित कोयला खान क्षेत्रों के लेखापरीक्षित वार्षिक लेखें), **प्रणाली, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क निदेशालय** (झारखंड राज्य में देश के बाहर से आयातित मालों का सीआईएफ मूल्य), **भारतीय रेल** (झारखंड के आपूर्तिकर्ताओं को पत्थर गिट्टी की आपूर्ति के लिए किए गए सकल भुगतान) एवं **भारतीय खान ब्यूरो** (प्रेषित खनिज की मात्रा, औसत कीमत और झारखंड के पट्टेदारों द्वारा की गयी रॉयल्टी का भुगतान) से आंकड़ों का संग्रहण किया गया।

2.3.4.4 वाणिज्यकर विभाग में निबंधित व्यवसायियों के कर निर्धारण आदेशों से आँकड़ों का संग्रहण किया गया।

2.3.4.5 उपरोक्त विभाग (गों) से प्राप्त किए आँकड़ों का व्यवसायी द्वारा दाखिल विवरणियों के साथ तिर्यक-जांच किया गया।

एक बहिर्गमन सम्मेलन प्रधान सचिव सह-आयुक्त वाणिज्यकर विभाग, झारखंड सरकार के साथ 2 अगस्त 2016 को आयोजित की गई जिसमें लेखापरीक्षा निष्कर्ष, परिणाम और अनुशंसाओं पर चर्चा की गई। सरकार/विभाग के दृष्टिकोण को उपयुक्त रूप में प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।

2.3.5 आभारोक्ति

भारतीय लेखा और लेखापरीक्षा विभाग लेखापरीक्षा हेतु आवश्यक सूचनायें और अभिलेखों को उपलब्ध कराने में सहयोग हेतु वाणिज्यकर विभाग, झारखंड सरकार एवं झारखंड और भारत सरकार के अन्य विभागों के प्रति आभार प्रकट करता है।

लेखापरीक्षा का निष्कर्ष

उपर्युक्त विभागों से 2010-11 और 2014-15 की अवधि से संबंधित 790 व्यवसायियों के संबंध में एकत्रित आँकड़ों का व्यवसायियों द्वारा दायर अभिलेखों[4] और वा क वि. मे संधारित आँकड़ों के आधारसंग्रह के साथ तिर्यक-जांच किया गया। हमने देखा कि अधिनियम में मू.व.क./के.बि.क. के लेन देन की तिर्यक-जाँच की व्यवस्था के कार्यान्वयन में कमी है जिसके फलस्वरूप नमूना जाँचकृत 790 व्यवसायियों में से 412 व्यवसायियों के मामले में ₹ 1,226.44 करोड़ के राजस्व का रिसाव हुआ। इन अनियमितताओं की चर्चा अनुवर्ती कंडिकाओं में की गयी है। अनियमितताओं की प्रकृति का चित्रण एक सचित्र आरेख में नीचे दर्शाया गया है:

[4] करनिर्धारण प्राधिकारी द्वारा पारित कर निर्धारण आदेश, व्यवसायी द्वारा दाखिल आवधिक विवरणी, झा.मू.व.क.-409 में मू.व.क लेखापरीक्षा प्रतिवेदन और व्यवसायियों के निबंधन प्रमाण पत्र।

₹ 1,226.44 करोड़ से आवेष्टित अनियमितताओं का सचित्र आरेख
(₹ करोड़ में)

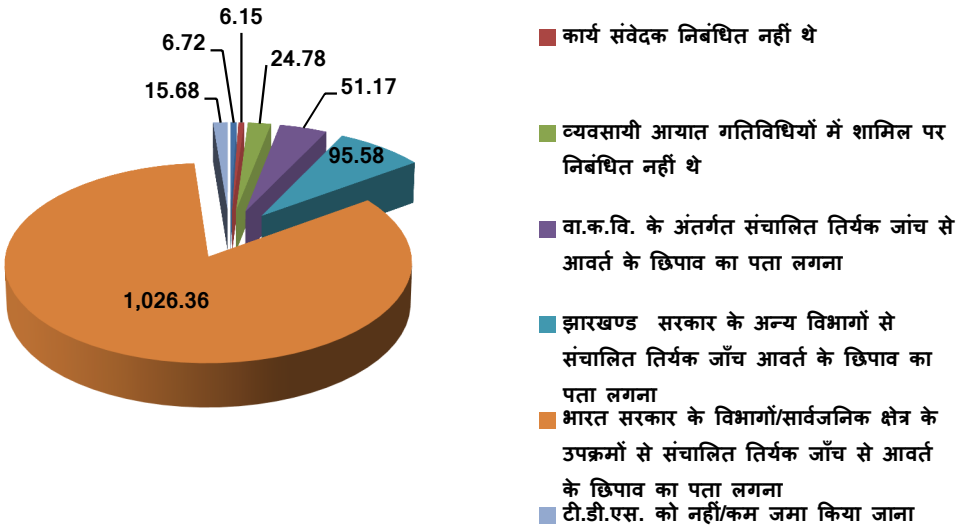

2.3.6 वा.क.वि. में व्यवसायियों के निबंधन हेतु पात्रता मानदंड

झा.मू.व.क.अधिनियम की धारा 25 प्रावधान है कि कोई भी व्यवसायी जो कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, वह तब तक व्यवसाय नहीं कर सकता जब तक कि वह निबंधित नहीं हो। अधिनियम की धारा 8 (5) और इसके तहत जारी अधिसूचनाओं के अंतर्गत, व्यवसायी आवर्त के विनिर्दिष्ट मात्रा के आधार पर स्वयं निबंधित के होने लिए उत्तरदायी थे, जैसा कि **तालिका-2.2** में दर्शाया गया हैं:

तालिका-2.2

व्यवसायियों की श्रेणी	मात्रा (₹)
पत्थर चिप्स/पत्थर आदि के खनन से संबन्धित व्यक्तियों	1,00,000
कार्य संविदा सौदों से संबन्धित व्यक्तियों	25,000
व्यापारिक गतिविधियों में संलग्न व्यक्तियों	5,00,000
देश के बाहर से माल के आयात और अन्य राज्यों से खरीद कर झारखंड में बिक्री करने से संबन्धित व्यक्तियों	शून्य

तदन्तर, धारा 38 प्रावधान है कि यदि कोई व्यवसायी किसी अवधि के लिए कर का देनदार है और अधिनियम के अन्तर्गत अपना निबंधन करवाने में विफल रहता है, तो विहित प्राधिकारी अपने सर्वोतम विवेक से देय कर की राशि का निर्धारण करेगा तथा व्यवसायी को अर्थदण्ड के रूप में निर्धारित कर की समतुल्यराशि अथवा दस हजार रूपये, जो भी अधिक हो, भुगतान करने का निर्देश भी कर सकता है।

2.3.6.1 खनन गतिविधियों में संलिप्त व्यवसायी परंतु निबंधित नहीं थे

खनन विभाग/भारतीय रेल से संगृहीत आंकड़ों के तिर्यक जांच से पता चला कि 204 पट्टेदारों, जिनकी आपूर्ति आवर्त निर्धारित अवसीमा को पार कर गयी थी, वा.क.वि. में निबंधित नहीं थे, फलस्वरूप अर्थदंड सहित ₹ 6.72 करोड़ के कर का निर्धारण नहीं हुआ।

हमने पट्टेदारों द्वारा पत्थर चिप्स/पत्थर के निष्कर्षित और प्रेषित आँकड़ों का नमूना जांच के तौर पर तीन जिला खनन कार्यालयों[5] से प्राप्त किया (अगस्त 2015 और

जून 2016 के बीच) और पाया कि 268 पट्टेदारों मे से 203 पट्टेदारों ने 2010-11 और 2014-15 के बीच ₹ 23.19 करोड़[6] मूल्य के 9.30 लाख घनमीटर पत्थर चिप्स/पत्थर को प्रेषित किया था। वाणिज्यकर विभाग के डेटाबेस के साथ हमारे तिर्यक जांच से पता चला कि इनके आवर्त ₹ 1 लाख की निर्दिष्ट मात्रा से अधिक होने के बावजूद, प्रचलित कानून के अनुसार ये पट्टेदार निबंधित नहीं थे। परिणामस्वरूप, अर्थदंड सहित ₹ 6.32 करोड़ के कर आरोपित नहीं किये गये।

तदन्तर, पाकुड़ वाणिज्यकर अंचल में निबंधित एक व्यवसायी के मामले में यह देखा

गया कि व्यवसायी के निबंधन की स्वीकृति करदेयता तिथि 1 नवंबर, 2011 के साथ प्रदान की गई थी। हालांकि, मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) आद्रा से प्राप्त आंकड़ों कि तिर्यक-जांच से पता चला कि व्यवसायी वास्तव में 2010-11 के दौरान पत्थर गिट्टी की आपूर्ति के लिए ₹ 1.60 करोड़ का भुगतान प्राप्त किया था। इस प्रकार, व्यवसायी 2010-11 की अवधि के लिये ₹ 20.00 लाख के अर्थदंड सहित ₹ 40.00 लाख के कर का भुगतान करने हेतु उत्तरदायी था। नमूना जांच से अर्थदंड सहित ₹ 6.72 करोड़ के कर का निर्धारण नहीं होने का पता चला (**परिशिष्ट-।**)।

---

[5] गिरिडीह, गुमला और रामगढ़।

[6] न्यूनतम सरकारी दर से परिकलित -2010-11- ₹ 230 प्रतिघनमीटर , 2011-12 और:2012-13- ₹ 260 प्रतिघनमीटर और 2013-14 और 2014-15- ₹ 354 प्रतिघनमीटर ।

हमारे द्वारा मामले को जून 2016 में विभाग/सरकार को प्रतिवेदित किये जाने पर, विभाग/सरकार ने बहिर्गमन सम्मेलन में लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया (अगस्त 2016) और कहा कि अनिबंधित व्यवसायियों कि पहचान करने और उसके वसूली के लिए कार्रवाई समयबद्ध तरीके से किया जाएगा। तदन्तर, यह भी कहा गया कि झारखंड के पट्टेदारों द्वारा प्रेषित महत्वपूर्ण/लघु खनिजों के आँकड़ों को प्रदेश के सभी खनन कार्यालयों से प्राप्त किया जाएगा। तत्पश्चात विभाग द्वारा रामगढ़ वाणिज्यकर अंचल से संबंधित 23 पट्टेदारों के मामले में ₹ 1.75 करोड़ की मांग सृजित की गई और ₹ 0.67 लाख की वसूली की गयी (अगस्त 2016)। तदन्तर उत्तर अप्राप्त है (अक्टूबर 2016)।

2.3.6.2 कार्य संवेदक निबंधित नहीं थे

विभाग मुख्य ठेकेदारों के कर निर्धारण अभिलेखों में उपलब्ध उप-ठेकेदारों की स्रोत पर की गयी कर की कटौती (टीडीएस) के विवरण का उपयोग 71 अनिबंधित उप-ठेकेदारों का पता लगाने के लिए नहीं किया। फलस्वरूप, अर्थ`दंड सहित ₹ 6.15 करोड़ का कर आरोपित नहीं किया गया।

हमने राँची पूर्वी और राँची दक्षिणी वाणिज्यकर अंचलो मे निबंधित चार कार्य संवेदकों के कर निर्धारण अभिलेखों[7] के नमूना जांच (जनवरी 2016) से पाया कि उपर्युक्त संवेदकों ने 2010-11 और 2011-12 के दौरान 223 उप-संवेदकों को कार्यसंविदा के निष्पादन हेतु ₹ 243.61 करोड़ का भुगतान किया था और कर के आरोपण से छूट का लाभ उठाया था। हमने वा.क.वि. के डेटाबेस से तिर्यक-जांच किया और पाया कि 223 उप-संवेदकों में से 71 उप-संवेदकों ने ₹ 23.47 करोड़ का भुगतान प्राप्त किया जो निबंधित नहीं थे, हालांकि वे ₹ 25,000 की निर्धारित सीमा को पार कर चुके थे। करनिर्धारण प्राधिकारियों (क.नि.प्रा.) ने मुख्य कार्यसंवेदकों का कर निर्धारण किया, लेकिन उन 71 अनिबंधित उपसंवेदकों का पहचान नहीं किया। इस प्रकार, अर्थदंड सहित ₹ 6.15 करोड़ का देय कर आरोपित नहीं किया गया।

हमारे द्वारा मामले को जून 2016 में विभाग/सरकार को प्रतिवेदित किये जाने पर, विभाग/सरकार ने बहिर्गमन सम्मेलन में लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया (अगस्त 2016) और कहा कि कर प्रभाव अल्प होगा क्योंकि पहले से ही मुख्य

[7] करनिर्धारण प्राधिकारी द्वारा पारित कर निर्धारण आदेश, झा.मू.व.क.-409 और टीडीएस प्रमाण पत्र।

ठेकेदार द्वारा चार प्रतिशत टीडीएस कि कटौती की जा रही है। हालांकि, वे एक समयबद्ध तरीके से उचित सत्यापन के बाद उप-संवेदकों को निबंधित करने के लिए सुधारात्मक उपाय करने का आश्वासन दिया। हमारी प्रतिक्रिया है कि टीडीएस की दर 2010-11 के दौरान दो प्रतिशत था और कार्यसंविदा के निष्पादन में प्रयुक्त माल पर मू.व.क. पांच और 14 फीसदी के बीच थी। इस प्रकार, उत्तर युक्तियुक्त नहीं था और विभाग उन 71 अनिबंधित संवेदकों को कर के दायरे में लाने के लिए आवश्यक कदम उठा सकती है। तदन्तर उत्तर अप्राप्त है (अक्टूबर 2016)।

2.3.6.3 व्यवसायी आयात गतिविधियों में शामिल पर निबंधित नहीं थे

दो अनिबंधित व्यवसायियों द्वारा आयातित माल का पता नहीं लगाया गया और ₹ 24.78 करोड़ के कर और अर्थदंड आरोपित नहीं किया गया।

हमने प्रणाली, केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क महानिदेशालय, नई दिल्ली से देश के बाहर से झारखंड में आयातित माल के आँकड़ों को संगृहीत किया (जून 2016)। हमने 21 व्यवसायियों, जिन्होंने देश के बाहर से माल का आयात किया था, के लेन-देन की नमूना जांच की (जून 2016), जिसमें से दो व्यवसायियों ने 2012-13 और 2013-14 के बीच ₹ 226.01 करोड़ का एक्सेसरीज़ के साथ मोबाइल फोन एवं फर्नीचर का आयात किया था। हमने वा.क.वि. के डेटाबेस से तिर्यक-जांच किया और पाया कि उपरोक्त दोनो व्यवसायी वा.क.वि. में निबंधित नहीं थे। इस प्रकार, आयात गतिविधियों में शामिल व्यवसायियों का पता नहीं चला और करोड़ के अर्थदंड सहित ₹ 24.78 करोड़ के कर का आरोपण नहीं हुआ जैसा कि **तालिका-2.3** में दर्शाया गया है।

तालिका-2.3

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अंचल का नाम व्यवसायी का नाम	पता	वस्तु	अवधि	आयातित माल का मूल्य	कर की दर (%)	भुगतेय कर आरोप्य अर्थदंड	कुल
1	झरिया गुलजार अहमद	घर सं.-124, ग्राम-ईदगाह मुहल्ला पाथरडीह, धनबाद	दूरदर्शन के साथ/बिना दो सिम के साथ मोबाइल फोन, हेड फोन्स, पीछे के आवरण आदि	2012-13	213.87	5	10.69 10.69	21.38
2	देवघर भुवनेश्वर नाथ	द्वारिका नाथ कुँवर(के पुत्र), जलसार रोड, एच साह लेन, पास जगदंबा आश्रम, देवघर	फर्नीचर	2012-13 और 2013-14	12.14	14	1.70 1.70	3.40
कूल					**226.01**			**24.78**

हमारे द्वारा मामले को जून 2016 में विभाग/सरकार को प्रतिवेदित किये जाने पर, विभाग/सरकार ने बहिर्गमन सम्मेलन में लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया

(अगस्त 2016) और कहा कि मामले को देखा जाएगा और अर्थदंड के साथ कर लगाया जाएगा। तदन्तर, लेखापरीक्षा द्वारा बताये जाने पर कि वर्तमान में कोई घोषणा पत्र देश के बाहर से आयातित माल पर नियन्त्रण रखने के लिए निर्धारित नहीं किया गया है, विभाग ने कहा कि माल के आयात की उचित जांच करने के लिए जवाबदेही हेतु तंत्र के अन्वेषण करने कि संभावना का पता लगाया जाएगा। बाद में विभाग ने झरिया वाणिज्यकर अंचल के क्षेत्राधिकार में अनिबंधित व्यवसायी का पता लगाया, व्यवसायी को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान किया गया और ₹ 21.38 करोड़ का मांग सृजित किया (अगस्त 2016)। तदन्तर उत्तर अप्राप्त है (अक्टूबर 2016)।

हम अनुशंसा करते है कि सरकार शीर्ष स्तर पर उचित निगरानी के साथ-साथ अनिबंधित व्यवसायियों की पहचान करने और उन्हें कर के दायरे में लाने के लिए आवधिक सर्वेक्षण और आँकड़ों का बिभागान्तर्गत/अंतर्विभागीय विनिमय के आयोजन पर विचार कर सकती हैं।

2.3.7 खरीद/बिक्री आवर्त का छिपाव

झा.मू.व.क. अधिनियम की धारा 37(6) और के.बि.क. अधिनियम की धारा 9 के साथ पठित धारा 40(1) के प्रावधानों के अंतर्गत, यदि विहित प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने के कारण हैं कि व्यवसायी ने ऐसे आवर्त के ब्यौरे को छुपाया है या ऐसे आवर्त का गलत विवरण प्रस्तुत किया है जिससे विवरणित आँकड़े वास्तविक राशि से कम हैं, तो विहित प्राधिकारी व्यवसायी के छिपाये गये आवर्त पर निर्धारित कर के अतिरिक्त अर्थदंड के रूप में इस तरह निर्धारित अतिरिक्त कर की राशि के दुगुने के समतुल्य राशि का भुगतान करने का निर्देश देगा। तदन्तर, झा.मू.व.क. अधिनियम 2005 की धारा 40 (2) के प्रावधानों के अंतर्गत, यदि विहित प्राधिकारी को कर निर्धारण के पूर्व या अन्यथा पता लगाता है कि किसी निबंधित व्यवसायी ने उसके द्वारा भुगतेय कर की राशि को कम करने की दृष्टि से किसी बिक्री या खरीद या उसका कोई ब्यौरा छिपाया है या स्वयं द्वारा प्रस्तुत विवरणी में अपने आवर्त का गलत तथ्य या अपने बिक्री या खरीद का गलत ब्यौरा प्रस्तुत किया है, वह निर्धारिती को अप्रकट किये गये या छिपाये गये आवर्त पर निर्धारित अतिरिक्त कर के अलावा ब्याज के रूप में पाँच प्रतिशत प्रतिमाह की दर से एक राशि भुगतान करने का निर्देश देगा। तदन्तर, जुलाई 2014 से ब्याज को अर्थदंड से बदल दिया गया, जो निर्धारित अतिरिक्त कर की राशि के तिगुने के समतुल्य राशि हैं।

2.3.7.1 वा.क.वि. में संचालित तिर्यक-जाँच के परिणाम

विभागान्तर्गत आँकड़े के तिर्यक-जाँच ने बिक्री/खरीद आवर्त के छिपाव और परिणामी ₹ 51.17 करोड़ के कर एवं अर्थदंड के अवनिर्धारण को उद्घटित किया।

अभिलेखों की नमूना जाँच की (अगस्त 2015 और अप्रैल 2016 के बीच) जिसमें से कोयला, लौह-अयस्क, लोहा एवं इस्पात और कार्यसंविदा के मालों के 42 व्यवसायियों ने 2010-11 और 2012-13 के बीच ₹ 450.58 करोड़ की खरीद/बिक्री दिखाया था जिस पर करनिर्धारण प्राधिकारी द्वारा कर निर्धारण सम्पन्न किया गया (जून 2013 और मार्च 2015 के बीच)।

हमने झारखंड के उसी अंचल या अन्य वाणिज्यकर अंचलों में निबंधित प्रतिपक्षों के प्रतिवेदित लेनदेन की सत्यता की जांच करने के लिए अभिलेखों की तिर्यक-जांच किया और पाया कि वास्तव में इन व्यवसायियों द्वारा उक्त अवधि के दौरान ₹ 693.49 करोड़ मूल्य के माल की खरीद या बिक्री की गयी थी। इस प्रकार, व्यवसायियों द्वारा ₹ 242.91 करोड़ के आवर्त का छिपाव किया गया था। यद्यपि, बिक्री/खरीद के बारे में जानकारी उसी अंचल या वा.क.वि. के अन्य अंचलों में उपलब्ध था, क.नि.प्रा. निर्धारित प्रावधानों के तहत तिर्यक-जाँच करके वास्तविक आवर्त का पता लगाने में विफल रहे। इसके परिणामस्वरूप अर्थदंड सहित ₹ 51.17 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ **(परिशिष्ट-II)**।

हमारे द्वारा मामले को जून 2016 में प्रतिवेदित किये जाने पर, विभाग/सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकन के साथ सहमति व्यक्त की और कहा कि संबंधित वाणिज्यकर अंचलों को उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाएगा। तदन्तर उत्तर अप्राप्त है (अक्टूबर 2016)।

2.3.7.2 झारखंड सरकार के अन्य विभागों से संचालित तिर्यक-जाँच के परिणाम

झारखंड सरकार के अन्य विभागों के साथ किए गए लेन-देन की तिर्यक-जांच करने पर 25 निबंधित व्यवसायियों द्वारा खरीद/बिक्री आवर्त के छिपाव का पता चला और परिणामस्वरूप ₹ 95.58 करोड़ के कर एवं अर्थदण्ड का अवनिर्धारण हुआ।

हमने कार्य विभाग(गों)/उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग/जे.बी.वी.एन.एल. से झारखंड में निबंधित व्यवसायियों द्वारा कार्यसंविदा हेतु भुगतान प्राप्ति/बिक्री/खरीद/उत्पाद शुल्क, लाइसेंस शुल्क, आयात शुल्क से संबन्धित आंकड़ों को संग्रहित किया और इसे वा.क.वि. में उपलब्ध उनकी विवरणियो के साथ तिर्यक-जाँच की। हमने कर निर्धारण अभिलेखों से पाया (अक्टूबर 2015 और जनवरी 2016 के बीच) कि 75 व्यवसायियों

[8] आदित्यपुर, धनबाद, धनबाद नागरीय, गिरिडीह, जमशेदपुर, झरिया, कतरास, पलामू, रांची पूर्वी , रांची दक्षिणी, रांची विशेष , रांची पश्चिमी और तेनुघाट।

में से, चार वाणिज्यकर अंचलों[9] में निबंधित, भा.नि.वि.श., कोयला, कार्यसंविदा सामग्रियों के 25 व्यवसायियों ने 2010-11 और 2012-13 के बीच की अवधि के दौरान ₹ 104.70 करोड़ की खरीद/बिक्री दिखाया जिस पर क॰नि॰प्रा॰ ने (जनवरी 2012 और मार्च 2015 के बीच) कर निर्धारण सम्पन्न किया। हालांकि, हमने पाया कि इन व्यवसायियों ने ₹ 333.20 करोड़ का लेन-देन किया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 228.50 करोड़ के आवर्त का छिपाव हुआ। इस प्रकार, राज्य के अन्य विभागों से प्राप्त आंकड़ों के साथ व्यवसायियों द्वारा प्रस्तुत विवरणियो की तिर्यक-जांच को संचालित करने मे विफल रहने के कारण अर्थदण्ड सहित ₹ 95.58 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ **(परिशिष्ट-III)**।

हमारे द्वारा मामले को जून 2016 में प्रतिवेदित किये जाने पर, विभाग/सरकार ने बहिर्गमन सम्मेलन में हमारे लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया (अगस्त 2016) और कहा कि संबंधित वाणिज्यकर अंचलों को उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाएगा। बाद में विभाग ने गुमला वाणिज्यकर अंचल से संबंधित आठ मामलों में ₹ 1.16 करोड़ के अतिरिक्त मांग का सृजन किया (अगस्त 2016)। तदन्तर उत्तर अप्राप्त है (अक्टूबर 2016)।

हम अनुशंसा करते हैं कि कर का अपवंचन रोकने के लिए, झारखंड सरकार के अन्य विभागों और वा.क.वि. में निबंधित व्यवसायियों के बीच हुए लेनदेन को नियमित आधार पर लेन देन की तिर्यक-जाँच की प्रणाली को सुदृढ़ करने पर सरकार विचार कर सकती है।

2.3.7.3 भारत सरकार के विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संचालित तिर्यक-जाँच के परिणाम

भारत सरकार के विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्राप्त आंकड़ों का वा.क.वि. में निबंधित 64 व्यवसायियों द्वारा दाखिल विवरणियों के साथ किये गये तिर्यक-जाँच से खरीद/बिक्री आवर्त के छिपाव का पता चला और फलस्वरूप ₹ 1,026.36 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

• हमने भारत सरकार के विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों[10] से झारखंड में निबंधित व्यवसायियों के लिये आपूर्ति/ बिक्री/खरीद/उत्पाद शुल्क/देश के

[9] गुमला, रांची पूर्वी, रांची दक्षिणी और रांची विशेष।

[10] 1. आद्रा और चक्रधरपुर में भारतीय रेल मंडल, 2. उप मुख्य अभियंता (नि.), पूर्व मध्य रेलवे, पटना का कार्यालय, 3. भारतीय खान ब्यूरो कोलकाता, 4. प्रणाली, केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क निदेशालय, नई दिल्ली, 5. सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (मुख्यालय), रांची और 6. आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, रांची और जमशेदपुर का कार्यालय।

बाहर से आयातित माल संबन्धित आंकड़ों को संग्रहित किया और इसे वा.क.वि. में उनकी विवरणियों के अभिलेखों के साथ तिर्यक-जाँच किया। नमूना जाँच हेतु 169 मामलों में से, 11 वाणिज्यकर अंचलों[11] मे निबंधित, कोयला, आयरन कास्टिंग, कैल्साइड अल्युमिना, लौह अयस्क, पत्थर गिट्टी, फर्नीचर, लकड़ी आदि, की 44 व्यवसायियों के कर निर्धारण अभिलेखों से हमने पाया (नवंबर 2015 और जून 2016) कि इन व्यवसायियों ने 2010-11 और 2013-14 के बीच की अवधि के दौरान ₹ 11,438.92 करोड़ की खरीद/बिक्री दर्शाया था जिसपर करनिर्धारण प्राधिकारियों ने कर निर्धारण सम्पन्न किया (फरवरी 2013 और मार्च 2016 के बीच)। हालांकि, तिर्यक जांच हेतु प्राप्त आंकड़ों की तुलना से हमने पाया कि व्यवसायियों ने ₹ 18,386.57 करोड़ का लेनदेन किया था, परिणामस्वरूप ₹ 6,947.65 करोड़ रुपये के आवर्त का छिपाव हुआ। इस प्रकार, केन्द्र सरकार के विभागों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्राप्त आंकड़ों के साथ व्यवसायियों द्वारा प्रस्तुत विवरणियो की तिर्यक जांच की व्यवस्था की अपर्याप्त कार्यान्वयन के फलस्वरूप अधिनियम की धारा 40 (1) के तहत अर्थदण्ड सहित ₹ 650.50 करोड़ के कर का अवानिर्धारण हुआ **(परिशिष्ट-IV)**। दृष्टान्तस्वरुप कुछ मामले **तालिका-2.4** में दर्शाये गये हैं।

तालिका-2.4

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अंचल का नाम टिन	अवधि	वस्तु	वास्तविक आवर्त लेखापित आवर्त	छिपाव	कर की दर (%)	भुगतेय कर आरोप्य अर्थदंड	कुल
1	चाईबासा 20191200625	2012-13	लौह अयस्क	2,502.77 1,047.61	1,455.16	5	72.76 0.00	72.76
		हमने **आईबीएम**, **कोलकाता** से झारखंड के पट्टेदारों द्वारा प्रेषित लौह अयस्क की मात्रा और औसत बिक्री मूल्य के आंकड़ों की माँग की और पाया कि व्यवसायी द्वारा हस्तांतरित मालों का वास्तविक मूल्य ₹ 2,502.77 करोड़ था (जिसपर पट्टेदार द्वारा रॉयल्टी का भुगतान किया गया था)। हालांकि, व्यवसायी ने विवरणी में ₹ 1,047.61 करोड़ मूल्य के माल का हस्तांतरण दिखाया था जिस पर कर निर्धारण को सम्पन्न किया गया। इस प्रकार, हस्तांतरित मालों का अवमूल्यन किया गया।						
2	तेनुघाट 20042205379	2011-12	कोयला	682.99 245.59	437.40	5	21.87 43.74	65.61
		सीसीएल (मुख्यालय), **रांची** से एकत्र किये गये आंकड़ों/ सूचना (लाभ और हानि खाते और संलग्न अनुसूची) का व्यवसायी के कर निर्धारण अभिलेखों के साथ तिर्यक-जाँच से पता चला कि व्यवसायी ने वास्तव में **₹** 682.99 करोड़ के मालों की बिक्री की थी लेकिन अपनी मू.व.क. विवरणियों में ₹ 245.59 करोड़ की बिक्री ही दर्शाया था, जिस पर कर निर्धारण सम्पन्न किया गया।						
3	रामगढ़ 20021905607	2012-13	वायर रॉड और रीबार	346.53 83.58	262.95	5	13.15 26.30	39.45
		केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विवरणी (ई आर-4) के अनुसार विनिर्माण व्यय ₹ 346.53 करोड़ था, जबकि मू.व.क. अभिलेख में ₹ 83.58 करोड़ ही दिखाया गया था, जिससे उत्पादन की लागत कम हो गया, जिस पर कर निर्धारण सम्पन्न किया गया।						

[11] आदित्यपुर, चाईबासा, धनबाद, हजारीबाग, पाकुड़, पलामू, रामगढ़, रांची पूर्वी, रांची दक्षिणी , रांची पश्चिमी और तेनुघाट।

तालिका-2.4

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अंचल का नाम टिन	अवधि	वस्तु	वास्तविक आवर्त लेखापित आवर्त	छिपाव	कर की दर (%)	भुगतेय कर आरोप्य अर्थदंड	कुल
4	आदित्यपुर 20870900521	2012-13	मोटर पार्ट्स	94.49 2.85	91.64	10	9.16 18.32	27.48
		महानिदेशक प्रणाली, सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, नई दिल्ली से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार आयात का वास्तविक मूल्य (माल ढुलाई, बीमा और सीमा शुल्क सहित) ₹ 94.49 करोड़ था जबकि व्यवसायी ने इसे बिक्री कर विवरणी में ₹ 2.85 करोड़ ही दिखाया था जिस पर कर निर्धारण सम्पन किया गया।						
5	पाकुड 20281305723	2011-12	पत्थर गिट्टी	9.08 0.00	9.08	14	1.27 2.54	3.81
		व्यवसायी ने 2011-12 के दौरान कोई भी अंतर्राज्य बिक्री नहीं दिखाया था, हालांकि, **म.रे.प्र. दक्षिण पूर्व रेलवे, आद्रा के कार्यालय** से प्राप्त आंकड़ों के हमारी तिर्यक जाँच से पता चला कि व्यवसायी ने उक्त अवधि के दौरान वास्तव में ₹ 9.08 करोड़ के पत्थर गिट्टी की आपूर्ति की थी।						

• इसी तरह नौ वाणिज्यकर अंचलों[12] में ऑटो पार्ट्स, पेय पदार्थ, बिस्कुट, लोहा और इस्पात, फेरो मैंगनीज, लकड़ी आदि में व्यवसाय करने के लिए निबंधित 38 व्यवसायियों नें 2013-14 और 2014-15 के बीच की अवधि के दौरान ₹ 5,631.53 करोड़ की खरीद/बिक्री दर्शाया, तदनुसार करों का भुगतान किया। हालांकि, हमने पाया कि व्यवसायियों नें वास्तव में ₹ 7,145.79 करोड़ मूल्य के मालों की खरीद/बिक्री की थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1,514.26 करोड़ के आवर्त का छिपाव हुआ जिस पर अधिनियम की धारा 40(2) के अंतर्गत व्यवसायी ब्याज/अर्थदण्ड सहित ₹ 375.86 करोड़ के कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे।

इस प्रकार, केन्द्र सरकार के विभागों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्राप्त आंकड़ों के साथ व्यवसायियों द्वारा प्रस्तुत विवरणियो की तिर्यक-जांच की व्यवस्था का कार्यान्वयन अपर्याप्त थी जिसके फलस्वरूप 64 व्यवसायियों के मामलें में अर्थदण्ड सहित ₹ 1,026.36 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

हमारे द्वारा मामले को जून 2016 में प्रतिवेदित किये जाने पर, विभाग/सरकार ने बहिर्गमन सम्मेलन में हमारे लेखापरीक्षा अवलोकनों से सहमति व्यक्त की (अगस्त 2016) और कहा कि संबंधित वाणिज्यकर अंचलों को उचित कार्रवाई करने के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग से खरीद के आंकड़ों को प्राप्त करने का निर्देश दिया जाएगा। तदन्तर उत्तर अप्राप्त है (अक्टूबर 2016)।

हम अनुशंसा करते है कि सरकार व्यवसायियों के द्वारा केंद्र सरकार के विभागों और उपक्रमों से किये गए सौदों की तिर्यक-जाँच के लिए एक डेटाबेस का सृजन एवं उसके आवधिक अद्यतनीकरण करने पर विचार कर सकती है।

[12] आदित्यपुर, धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर नागरीय, रामगढ़, रांची पूर्वी, रांची दक्षिणी, रांची पश्चिमी और सिंहभूम।

2.3.8 स्रोत पर की गई कर की कटौती (टी.डी.एस.) का नहीं/कम जमा किया जाना

सरकारी खातों में जमा टी.डी.एस को कर निर्धारण अभिलेखों के साथ की गयी तिर्यक-जाँच से पता चला कि अर्थदंड सहित ₹ 15.68 करोड़ का टी.डी.एस चार व्यवसायियों द्वारा नहीं/कम जमा किया गया।

झा.मू.व.क. अधिनियम की धारा 44 और उसके अंतर्गत जारी अधिसूचना प्राविधित करता है कि कोई व्यक्ति कार्य संविदा के निष्पादन हेतु भुगतान किसी मूल्यवान प्रतिफल के रूप में करते समय उससे दो प्रतिशत की दर से अग्रिम कर की कटौती (टी.डी.एस.) करेगा। धारा 44 की उपधारा 6 में प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति, पूरे या कर के किसी भी हिस्से का भुगतान करने में विफल रहता है, तो विहित प्राधिकारी, उसे सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद, भुगतान करने में विफल उपरोक्त कर की राशि के बराबर अर्थदण्ड की राशि का भुगतान करने का निर्देश देगा।

हमने रांची पूर्वी और रांची पश्चिमी वाणिज्यकर अंचलों में निबंधित चार व्यवसायियों के कर निर्धारण अभिलेखों से पाया कि व्यवसायियों ने 2010-11 और 2011-12 के बीच की अवधि के लिये कार्यसंविदा पर ₹ 21.39 करोड़ के टी.डी.एस. कटौती को दर्शाया था। हमने वा.क.वि. के डेटाबेस और उसी अंचल/अन्य अंचलों में निबंधित दूसरे व्यवसायियों/उपसंवेदकों के कर निर्धारण अभिलेखों से इस तथ्य की सत्यता की तिर्यक-जांच की और पाया कि ₹ 21.39 करोड़ में से मात्र ₹ 13.55 करोड़ ही व्यवसायी द्वारा जमा किया गया था। यद्यपि व्यवसायीवार मू.व.क./टी.डी.एस. के भुगतान के बारे में सूचना अंचल के कम्प्यूटरीकृत भुगतान मॉड्यूल में उपलब्ध था, तथापि करनिर्धारण प्राधिकारी नें कर निर्धारण सम्पन्न करते समय (मार्च 2014 और मार्च 2015 के बीच) इसका जांच नहीं की। इसके परिणामस्वरूप ₹ 7.84 करोड़ का टी.डी.एस.व्यवसायी द्वारा नहीं/कम जमा किया गया, इसके अलावा संग्रहित टी.डी.एस. जमा नहीं करने के लिए ₹ 7.84 करोड़ के अर्थदण्ड के भुगतान करने की देयता भी थी।

हमारे द्वारा मामले को जून 2016 में विभाग/सरकार को प्रतिवेदित किये जाने पर, विभाग/सरकार ने बहिर्गमन सम्मेलन में लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया (अगस्त 2016) और कहा कि इस संबंध में उचित सत्यापन के बाद सुधारात्मक उपायों को लागू किया जाएगा। इसके बाद, रांची पूर्वी वाणिज्यकर अंचल के एक मामले में ₹ 23.43 लाख के अतिरिक्त मांग का सृजन किया गया और उसे मूल मांग से समायोजित किया गया (जून 2016)। तदन्तर उत्तर अप्राप्त है (अक्टूबर 2016)।

हम अनुशंसा करते हैं कि सरकार टी.डी.एस संग्रहण और विवरणियों के माध्यम से कोषागार में उनकी प्रेषण की निगरानी के लिए एक तंत्र गठित करने पर विचार कर सकती है।

2.3.9 उपसंहार

विभाग में निबंधन हेतु उत्तरदायी सौदों की तिर्यक-जाँच के लिए व्यवस्था का कार्यान्वयन व्यवसायियों की पहचान करने में अपर्याप्त थी। विभाग कर निर्धारण अभिलेखों में उपलब्ध टी.डी.एस/उप-संवेदकों के ब्यौरों का उपयोग अनिबंधित व्यवसायियों का पता लगाने के लिए नहीं किया। तदन्तर, झारखंड सरकार और भारत सरकार के अन्य विभागों से, झारखंड के व्यवसायियों द्वारा किए गए सौदों के आंकड़ों/सूचना संग्रहण के लिए मौजूदा तंत्र अपर्याप्त था जिसके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर राजस्व का रिसाव हुआ।

2.3.10 अनुशंसाएँ

हम अनुशंसा करते हैं कि सरकार:

• शीर्ष स्तर पर समुचित अनुश्रवण के साथ अनिबंधित व्यवसायियों की पहचान कर उन्हें कर दायरे में लाने के लिए आवधिक सर्वेक्षणों और विभागान्तर्गत/अंतर्विभागीय आँकड़ों के विनिमय करने;

• कर अपवंचन रोकने के लिए, वा.क.वि. में निबंधित व्यवसायियों द्वारा झारखंड सरकार के अन्य विभागों के साथ किए गए लेनदेन की नियमित रूप तिर्यक-जांच से करने की प्रणाली को सुदृढ़ करने;

• झारखंड के व्यवसायियों द्वारा, केन्द्र सरकार के विभागों और उपक्रमों से किए गए लेनदेन की तिर्यक-जांच हेतु एक डेटाबेस के सृजन और आवधिक अद्यतनीकरण करने एवं; और

• टी,डी.एस. संग्रहण और विवरणियों के माध्यम से कोषागार में उनके प्रेषण के अनुश्रवण हेतु एक तंत्र की स्थापना करने पर विचार कर सकती है।

2.4 झारखंड में वाणिज्यकर विभाग में बकाये राजस्व की वसूली की प्रणाली

2.4.1 परिचय

वित्तीय वर्ष खत्म होने से तीन वर्षों की समाप्ति के पूर्व कर निर्धारण प्रारंभ एवं पूर्ण किया जाना आवश्यक है। निर्धारित कर माँग पत्र में निर्दिष्ट ढंग और समय के भीतर निर्धारिती द्वारा भुगतान किया जाएगा जो सामान्यत: ऐसे माँग पत्र तामिल होने की तिथि से 30 दिनों से कम नहीं होगा। कर की राशि, दंड या कोई अन्य राशि जो नोटिस के अनुसरण में भुगतान की नियत तिथि के बाद भी बकाया रहता है, बिहार और उड़ीसा लोक मांग वसूली (बि.उ.लो.मां.व.) अधिनियम, 1914 के अंतर्गत भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूली योग्य होगी। बकाया की वसूली बैंक बैलेंस से और संपत्ति की नीलामी के पश्चात हुए बिक्री प्राप्ति से किया जा सकता है। वैसे मामलों में, जहाँ बक़ायेदार का राज्य में कोई संपत्ति नहीं है लेकिन किसी अन्य राज्य में संपत्ति है, तो संबंधित करनिर्धारण प्राधिकारी को अन्य राज्य के राजस्व प्राधिकारी से पत्राचार करना आवश्यक है। इस प्रयोजन के लिए, उस राज्य जिसमें बक़ायादार ने संपत्ति अर्जित है के जिले के समाहर्ता को राजस्व वसूली प्रमाण पत्र अग्रेषित करने की आवश्यकता है। बशर्ते जहाँ ऐसी राशि के संबंध में एक अपील स्वीकार कर लिया गया हो, अपीलीय प्राधिकारी ऐसी राशि या उसके हिस्से की वसूली पर जब तक अपील लंबित हो रोक लगा सकता है।

2.4.2 लेखापरीक्षा का उद्देश्य

हमने अधिनियम, नियमावलियों के प्रावधानों और विभागीय निर्देशों के अनुपालन, पर्याप्तता और उचित प्रवर्तन के साथ-साथ देय कर, दंड/ब्याज या कोई अन्य देय राशि की वसूली के संबंध में विभाग में आंतरिक नियंत्रण तंत्र की पर्याप्तता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने की दृष्टि से लेखापरीक्षा संचालित किया।

2.4.3 लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं आच्छादन

वाणिज्यकर विभाग (वा.क.वि.) में राजस्व की बकाया राशि के संग्रहण की प्रणाली की लेखापरीक्षा जनवरी 2016 और मई 2016 के बीच संचालित किया गया। हमने यादृच्छिक प्रतिचयन विधि द्वारा प्रत्येक अंचल के बकायों के आधार पर उन्हें उच्च (₹ 100 करोड़ व अधिक), मध्यम (₹ 20 करोड़ एव ₹ 100 करोड़ के बीच) और निम्न जोखिम (₹ 20 करोड़ से नीचे) में श्रेणीकृत करते हुए 2011-2012 से 2015-16 आच्छादित अवधि के लिए 31 मार्च 2015 को ₹ 1,830.84 करोड़ के कुल

बकाये राजस्व में से ₹ 1,218.62 करोड़ के बकाया राजस्व सन्निहित 28 अंचलों में से 10 अंचलों[13] और सचिव-सह-आयुक्त, वाणिज्यकर के कार्यालय को चयनित किया।

2 अगस्त 2016 को प्रधान सचिव-सह-आयुक्त, झारखण्ड सरकार के साथ एक बहिर्गमन सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें लेखापरीक्षा के परिणामों, निष्कर्षों और अनुशंसाओं पर चर्चा की गई। सरकार/विभाग के विचारों को प्रतिवेदन में समाविष्ट किया गया है।

2.4.3.1 आभारोक्ति

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग आवश्यक सूचना और अभिलेखों को लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराने में वाणिज्यकर विभाग, झारखंड सरकार के सहयोग के लिए आभार प्रकट करता है।

2.4.3.2 लेखापरीक्षा का निष्कर्ष

राजस्व का आँकड़ा वाणिज्यकर आयुक्त के कार्यालय और चयनित अंचलों से एकत्र किया गया। 1,130 बकायेदारों के अपील/पुनरीक्षण व बकायों के मामले के अभिलेखों की जाँच की गयी, जिसमें से, 250 बकायेदारों के मामले में अनियमितताएँ पायी गयी, जिनका उल्लेख अनुवर्ती कंडिकाओं में किया गया है:

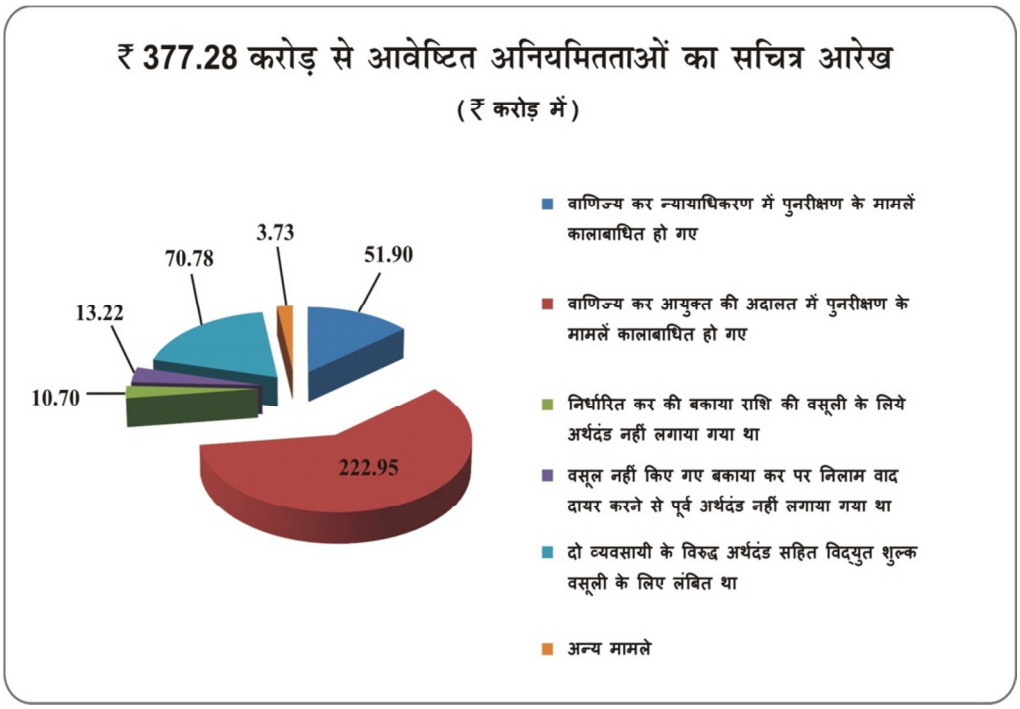

[13] आदित्यपुर, देवघर, धनबाद, धनबाद नागरीय, जमशेदपुर, जमशेदपुर नागरीय, रामगढ़, राँची पूर्वी, राँची दक्षिणी और सिंहभूम।

2.4.4 राजस्व के बकायों की प्रवृत्ति

2.4.4.1 बकायों एवं उनके वसूली की विवरणी

1 अप्रैल 2011 को बकाये की राशि ₹ 1,406.35 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2016 को ₹ 2,384.39 करोड़ हो गई, इस प्रकार 69.54 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

वाणिज्यकर विभाग द्वारा प्रस्तुत 2011-12 से 2015-16 के दौरान संग्रहण हेतु लंबित बकाया राजस्व था जैसा कि **तालिका-2.5** में है:

तालिका -2.5

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आरंभिक शेष	योग	कुल	वसूली गयी राशि	अंत शेष	वसूली की प्रतिशतता
2011-12	1,406.35	74.87	1,481.22	230.50	1,250.72	15.56
2012-13	1,250.72	268.58	1,519.30	402.07	1,117.23	26.46
2013-14	1,117.23	348.41	1,465.64	376.46	1,089.18	25.69
2014-15	1,089.18	589.81	1,678.99	315.99	1363.00[14]	18.82
2015-16	1,363.00	1,359.27	2,722.27	337.88	2384.39[15]	12.41

स्रोत: आँकड़ा वाणिज्यकर विभाग, झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत।

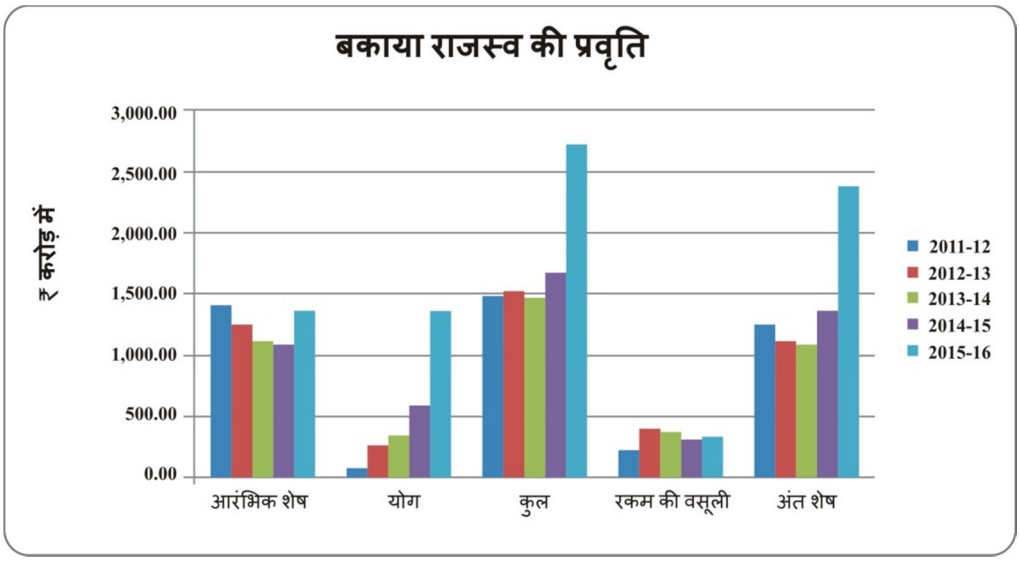

उपरोक्त तालिका से यह देखा जाता है कि 1 अप्रैल 2011 का बकाया ₹ 1,406.35 करोड़ 31 मार्च, 2016 को बढ़कर ₹ 2,384.39 करोड़ हो गया इस प्रकार 69.54 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई, जबकि 2012-13 से गिरती प्रवृत्ति के साथ प्रत्येक वर्ष में वसूली की दर का दायरा 12.41 और 26.46 प्रतिशत के बीच रहा और 2015-16 में गिर कर 12.41 प्रतिशत हुआ।

[14] वाणिज्यकर विभाग ने 31.03.2015 तक का बकाया ₹ 1,830.84 करोड़ प्रतिवेदित किया।

[15] मार्च 2016 तक के बकाया राजस्व का प्रगामी योग ₹ 2,384.39 करोड़ था लेकिन वाणिज्यकर विभाग ने कुल योग ₹ 2,936.44 करोड़ दर्शाया था।

2.4.4.2 कुल सृजित राजस्व की तुलना मे बकाया राशि की वसूली

वर्ष 2011-12 से 2015-16 के दौरान विभाग द्वारा सृजित राजस्व की तुलना में बकायों की वसूली **तालिका-2.6** में दर्शाये गये हैं।

तालिका -2.6

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल सृजित राजस्व	वसूली गयी बकाये की राशि	प्रतिशतता[16] कालम 2 से 3	बकायों का अंतशेष	प्रतिशतता कालम 5 से 2
1	2	3	4	5	6
2011-12	5,650.78	230.50	4.25	1,250.72	23.07
2012-13	6,591.61	402.07	6.50	1,117.23	18.05
2013-14	7,524.62	376.46	5.27	1,089.18	15.24
2014-15	8,335.08	315.99	3.94	1,363.00	17.00
2015-16	9,237.90	337.88	3.80	2,384.39	26.79

स्रोत: कुल राजस्व मांग वित्त लेखे, झारखंड सरकार पर आधारित है।

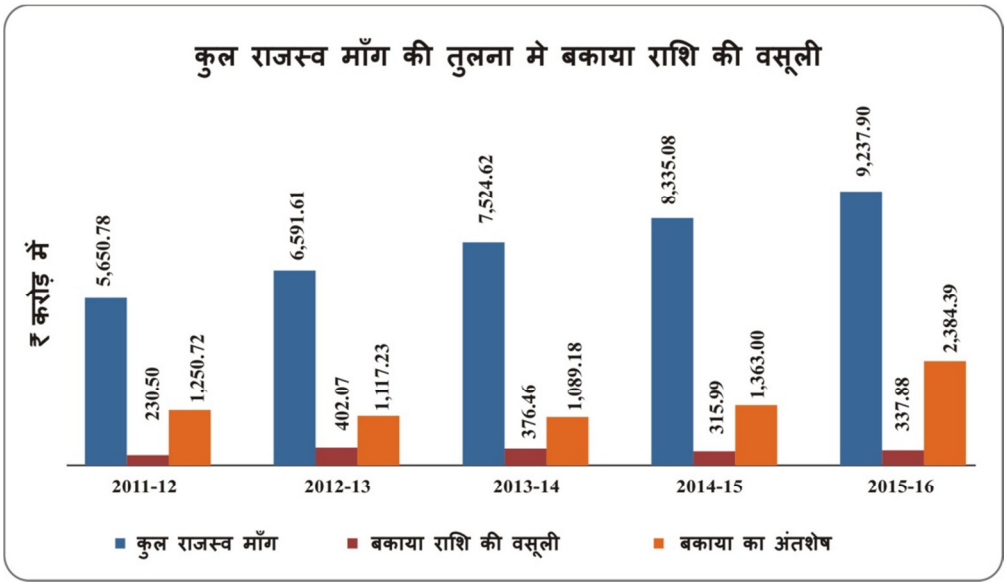

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि 2011-12 से 2015-16 की अवधि के दौरान बकाये राजस्व की वसूली की राशि का दायरा कुल सृजित राजस्व के 3.80 एवं 6.50 प्रतिशत के बीच था। इसने दर्शाया कि बकायों की वसूली की गति कम थी और कुल सृजित राजस्व की तुलना में बकायों का अंत शेष 15.24 और 26.79 प्रतिशत के बीच था जो वर्ष 2015-16 में अचानक बढ़ गया।

मामले को जून 2016 में विभाग/सरकार को प्रतिवेदित किये जाने के बाद, विभाग/सरकार ने बहिर्गमन सम्मेलन मे लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया (अगस्त 2016) और प्रत्येक अंचल मे वसूली अधिकारी नामित कर बकायों की वसूली

[16] कुल राजस्व माँग से बकाया वसूली घटाकर, बकाया वसूली और बकाया का अंत शेष की प्रतिशतता की गणना की गई है।

हेतु आवश्यक कार्रवाई करने पर सहमत हुए। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2016)।

सरकार बकाये की वसूली के अनुश्रवण के लिए मौजूदा तंत्र को मजबूत बनाने पर विचार कर सकती है और बकायों को कम करने के लिए महाराष्ट्र सरकार की तर्ज पर एक अलग वसूली प्रकोष्ठ, जिसमें महाराष्ट्र वैट अधिनियम के अंतर्गत संयुक्त आयुक्त (वसूली) की अध्यक्षता में एक पृथक वसूली शाखा बकाएदारों के बैंक खाते, चल व अचल संपत्तियों की जब्ती और संपत्तियों की नीलामी के लिये व्यावहारिक अधिकार से लैस है, का गठन कर उचित कदम उठा सकती है ।

2.4.5 अपील, पुनरीक्षण और न्यायालयों में लम्बित माँग

विभाग द्वारा प्रतिवेदित तथा 10 अंचलों से संग्रहित बकायों में विसंगति थी। विभाग ने पूरे राज्य में अदालत, अन्य न्यायिक प्राधिकारों, सरकार और सुधार/पुनरीक्षण में ₹ 722.09 करोड़ लंबित प्रतिवेदित किया जबकि 10 अंचलों द्वारा प्रस्तुत सूचना ने इसे ₹ 1,360.21 करोड़ दर्शाया।

अपील, आयुक्त वाणिज्यकर, न्यायाधिकरण और न्यायालय में 31.03.2015 को लंबित मामलों की स्थिति थी जैसा कि **तालिका-2.7** में है।

तालिका-2.7

(₹ करोड़ में)

अपील, पुनरीक्षण और न्यायालय में लम्बित माँग जैसा कि विभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया	सन्निहित राशि	अपील, पुनरीक्षण और न्यायालय में लम्बित माँग जैसा कि नमूना जाँच किये गये अंचलों[17] द्वारा प्रस्तुत	मामलों की संख्या	सन्निहित रकम
उच्च न्यायालय और अन्य न्यायिक प्राधिकार	450.81	उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय एवं न्यायाधिकरण	309	830.76
सरकार, सुधार एवं पुनरीक्षण	271.28	वा.क.आ. न्यायालय एवं वा.क.सं.आ. अपील	672	529.45
योग	**722.09**		**981**	**1,360.21**

उपरोक्त तालिका से देखा गया कि विभाग ने 31.03.2015 तक पूरे राज्य में न्यायालय, अन्य न्यायिक प्राधिकारों, सरकार एवं सुधार/पुनरीक्षण में ₹ 722.09 करोड़ लंबित प्रतिवेदित किया है, जबकि 10 अंचलों द्वारा प्रस्तुत सूचना ने 981 मामलों में ₹ 1,360.21 करोड़ प्रतिबिंबित किया। इस प्रकार, 10 अंचलों के लंबित मामलों की स्थिति विभाग द्वारा पूरे राज्य के प्रतिवेदित लंबित स्थिति से अधिक थी। यह दर्शाता है कि बकायों की स्थिति जैसा कि विभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया का अंचलों द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ों के साथ मिलान की आवश्यकता है। यह सरकार द्वारा बकायों के अपर्याप्त अनुश्रवण को भी इंगित करता है।

[17] आदित्यपुर, देवघर, धनबाद, धनबाद नागरीय, जमशेदपुर, जमशेदपुर नागरीय, रामगढ़, राँची पूर्वी, राँची दक्षिणी और सिंहभूम।

मामले को जून 2016 में विभाग/सरकार को हमारे प्रतिवेदित किये जाने के बाद, विभाग/सरकार ने बहिर्गमन सम्मेलन में लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया (अगस्त 2016) और अपील, पुनरीक्षण और न्यायालयों में लंबित बकायों का सही आँकड़ा सुनिश्चित करने पर सहमति व्यक्त किया और कहा कि विभिन्न अपीलीय प्राधिकारियों के साथ समान मामलों के ओवरलैपिंग की संभावना हो सकती थी। तदंतर, उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2016)।

हम, तथापि, अनुशंसा करते हैं कि विशेष रूप से जुलाई 2011 से प्रभावी विवरणियों के ई-फाइलिंग और आँकड़ों के आंकिकीकरण के मद्देनजर सरकार को समग्र विभागीय आँकड़े और वे जो अंचलों में संधारित हैं, के बीच के अंतर के मिलान के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए।

2.4.6 पुनरीक्षणाधीन मामलों का निष्पादन

वाणिज्यकर न्यायाधिकरण (वा.क.न्या.) और वाणिज्यकर आयुक्त (वा.क.आ.) के न्यायालय में, जनवरी 2010 और मार्च 2014 के बीच दायर 418 मामलों में से, पुनरीक्षण के ₹ 274.85 करोड़ सन्निहित 166 मामले झा.मू.व.क. अधिनियम के अंतर्गत कालबाधित हो गये, जैसा कि नीचे कंडिका 2.4.6.1 से 2.4.6.2 में उल्लिखित है।

2.4.6.1 वाणिज्यकर न्यायाधिकरण (वा.क.न्या.) के न्यायालय में निष्पादन हेतु लंबित पुनरीक्षण के मामले

वा.क.न्या. के न्यायालय में, 7 मई 2011 से मार्च 2014 तक की अवधि के दौरान दायर पुनरीक्षण के 298 मामलों में से ₹ 51.90 करोड़ सन्निहित 62 पुनरीक्षण के मामले लंबित थे जिनका निष्पादन मामलों को दायर करने की तिथि से दो वर्ष के भीतर अपेक्षित था। झा.मू.व.क. अधिनियम के अंतर्गत ये मामले कालबाधित हो गये हैं।

झा.मू.व.क. अधिनियम, 2005 की धारा 80 (1) और 2 (ख) के अंतर्गत, अपील पर पारित एक आदेश, आवेदन पर, न्यायाधिकरण द्वारा संशोधित किया जा सकता है। इस अधिनियम के अंतर्गत पारित कोई आदेश या एक आदेश जिसके विरूद्ध एक अपील प्रदान की गई हो, आवेदन पर न्यायाधिकरण द्वारा पुनरीक्षित किया जा सकता है। तदंतर, वा.क.न्या द्वारा पुनरीक्षण के मामलों का निष्पादन हेतु दो वर्षों की समय सीमा निर्धारित करने के लिये धारा 80 की उप-धारा (6) को 07 मई 2011 से संशोधित किया गया।

मई 2016 तक लंबित मामलों की प्रमंडलवार स्थिति जैसा कि न्यायाधिकरण द्वारा प्रस्तुत किया गया **तालिका-2.8** में निम्नानुसार है।

तालिका-2.8

(₹ करोड़ में)

प्रमंडल का नाम	मामलों की संख्या	राशि	झा.मू.व.क. अधिनियम के अंतर्गत 07.05.2011 से मार्च 2014 की अवधि से संबंधित मामलों की संख्या	राशि
जमशेदपुर	92	111.49	27	8.58
राँची	42	73.86	2	1.50
धनबाद	64	16.71	7	0.66
हजारीबाग	74	116.99	21	41.03
संथाल परगना	26	44.18	5	0.13
योग	**298**	**363.23**	**62**	**51.90**

ऊपर से यह देखा जा सकता है कि ₹ 363.23 करोड़ सन्निहित 298 मामले वा.क.न्या., झारखंड में निष्पादन हेतु मई 2016 तक लंबित थे। जिसमें से झा.मू.व.क. अधिनियम से संबंधित ₹ 51.90 करोड़ सन्निहित 62 मामले 7 मई 2011 से मार्च 2014 की अवधि के दौरान दायर किए गए। मामलों का निष्पादन निर्धारित अवधि में नहीं किया गया और परिणामत: मामले समय सीमा द्वारा बाधित हो गये हैं। इस प्रकार, ₹ 51.90 करोड़ के कर की वसूली नहीं हो सकी।

मामले को जून 2016 में विभाग/सरकार को हमारे प्रतिवेदित किये जाने के बाद, विभाग/सरकार ने बहिर्गमन सम्मेलन में लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया (अगस्त 2016) और कहा कि विभाग अधिनियम में समय की सीमा के संबंध में आवश्यक संशोधन लाने पर विचार कर रहा था। तदंतर उत्तर प्राप्त नही हुआ है (अक्टूबर 2016)।

2.4.6.2 वाणिज्यकर आयुक्त (वा.क.आ.) के न्यायालय में निष्पादन हेतु लंबित पुनरीक्षण मामले

वा.क.आ. के न्यायालय में, 2010 से 2013 के दौरान दायर 120 मामलों में से ₹ 222.95 करोड़ सन्निहित 104 पुनरीक्षण के मामलों को दायर किये जाने की तिथि से दो वर्षों के भीतर निष्पादित करना अपेक्षित था, लंबित थे। ये मामले झा.मू.व.क. अधिनियम के अंतर्गत कालबाधित हो गये हैं।

झा.मू.व.क. अधिनियम और उसके अधीन बनाई गई नियमावलियां, विभाग में उच्च प्राधिकारियों या न्यायाधिकरण को करनिर्धारण प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारियों द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण के रूप में पर्याप्त उपचार का प्रावधान करता है।

वाणिज्यकर विभाग के आयुक्त स्वप्रस्ताव पर या एक आवेदन पर, ऐसे आदेश की वैधता और औचित्य के प्रति स्वयं को संतुष्ट करने हेतु, किन्हीं कार्यवाहियों के अभिलेखों को माँग सकता है व उसकी जाँच कर सकता है जिसमें अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत नियुक्त किसी प्राधिकारी द्वारा आदेश पारित किया गया हो, और

अधिनियम की धारा 80 की उप-धारा 4 के अंतर्गत अभिलेखों की जाँच के बाद ऐसा आदेश जो वह उचित समझता हो पारित कर सकता है। तदंतर, वा.क.आ. द्वारा पुनरीक्षण के मामलों के निष्पादन हेतु दो वर्ष की समय सीमा निर्धारित करने के लिये 07 मई 2011 से धारा 80 की उप-धारा (6) को संशोधित किया गया ।

हमने वा.क.आ. न्यायालय में निष्पादन हेतु लंबित पुनरीक्षण के मामलों के संबंध में सूचना माँगा। उनके द्वारा प्रस्तुत जानकारी **तालिका-2.9** में नीचे दर्शाया गया है।

तालिका 2.9

अवधि	आरंभिक शेष	योग	कुल	निष्पादन	अंत शेष	निष्पादन प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7 (4 से 5)
2011	1,277	1,398	2,675	800	1,875	29.91
2012	1,875	1,450	3,325	800	2,525	24.06
2013	2,525	1,435	3,960	1,250	2,710	31.57
2014	2,710	1,412	4,122	1,280	2,842	31.05
2015	2,842	1,400	4,242	1,240	3,002	29.23

उपरोक्त तालिका से यह देखा जाएगा कि 1 जनवरी 2011 को 1,277 लंबित मामले 31 दिसंबर 2015 को बढ़कर 3,002 हो गये, इस प्रकार 135.08 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई, जबकि प्रत्येक वर्ष में निष्पादन की दर का दायरा वर्ष 2013 से घटती प्रवृत्ति के साथ 24.06 से 31.57 प्रतिशत के बीच था।

हमने 1 जनवरी 2010 से 31 दिसम्बर 2013 के बीच दायर ₹ 257.24 करोड़ की विवादग्रस्त राशि सन्निहित 120 पुनरीक्षणों के मामलों को नमूना जाँच के लिए चुना और पाया कि ₹ 222.95 करोड़[18] सन्निहित 104 मामले, मई 2016 तक वा.क.आ. के न्यायालय में निष्पादन हेतु लम्बित थे। इन मामलों को अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार दिसंबर 2013 और दिसंबर 2015 के बीच निष्पादित करना अपेक्षित था। मामले कालबाधित हो गये थे, इस प्रकार, ₹ 222.95 करोड़ के कर की वसूली नहीं हुई।

मामले को जून 2016 मे विभाग/सरकार को हमारे प्रतिवेदित किये जाने के बाद, विभाग/सरकार ने बहिर्गमन सम्मेलन मे लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया (अगस्त 2016) और कहा कि अधिनियम में समय की सीमा के संबंध में आवश्यक संशोधन लाने पर विभाग विचार कर रहा था। तदंतर यह कहा गया कि ऐसे मामलों में जहाँ कोई कार्रवाई/निर्णय नहीं लिया गया और जो मामले कालबाधित हो गये, निचली अदालतों के निर्णय कायम रहेंगे। लेखापरीक्षा ने इस विषय पर स्पष्टीकरण माँगा और मामलों के कालबाधित हो जाने के परिणामत: निचले न्यायालय द्वारा राशि की वसूली और माँग पत्रों को निर्गत करने के रूप में विभाग द्वारा की गयी

[18] ₹ 10.80 करोड़ के 13 मामले 07.05.2011 के पूर्व के थे और शेष ₹ 212.15 करोड़ के 91 मामले 07.05.2011 से दिसम्बर 2013 तक के थे।

कार्रवाई के संबंध में भी पूछा। प्रधान सचिव ने कहा कि इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2016)।

सरकार मामलों के निष्पादन में तेजी लाने के लिए विशेष आयुक्त की नियुक्ति कर या विभागीय प्राधिकारियों को शक्ति प्रत्यायोजित करने के द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए अपील/पुनरीक्षणाधीन मामलों की आवधिक समीक्षा हेतु निर्देश जारी कर सकती है।

2.4.7 पुनरीक्षणाधीन मामले को स्वीकार किया जाना

पुनरीक्षणाधीन मामले की स्वीकृति हेतु व्यवसायी द्वारा ₹ 1.30 करोड़ (₹ 6.50 करोड़ के निर्धारित कर का 20 प्रतिशत) की राशि जमा करना अपेक्षित था इसके बजाय व्यवसायी द्वारा ₹ 1.06 करोड़ जमा किया गया।

झा.मू.व.क. अधिनियम, 2005 की धारा 80 के उप धारा 4 के परन्तुक के अंतर्गत, जुलाई 2014 से कोई भी पुनरीक्षण/आवेदन तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कर निर्धारण या पुननिर्धारण का आदेश या अपीलीय आदेश पर आपत्ति करने वाला व्यवसायी निर्धारित कर का 20 प्रतिशत या स्वीकृत कर की पूर्ण राशि जो अधिक हो, का भुगतान नहीं कर देता है।

हमने धनबाद नागरीय वाणिज्यकर अंचल में पाया (मई 2016) कि एक व्यवसायी (मेसर्स अशोक लेलैंड, टिन-20111601279) का 2011-12 की अवधि हेतु 10 फरवरी 2015 को केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अंतर्गत ₹ 6.50 करोड़ के कर का निर्धारण किया गया। व्यवसायी ने ₹ 31.00 लाख का स्वीकृत कर जमा कर दिया था। इस प्रकार, शेष राशि ₹ 6.19 करोड़ की शेष राशि के भुगतान हेतु एक माँग पत्र सं. 15551 दिनांक 10 फरवरी 2015 को व्यवसायी को भेजा गया। व्यवसायी ने वाणिज्यकर आयुक्त, झारखण्ड, राँची के न्यायालय में (पुनरीक्षण वाद संख्या सी.सी.एस.968/2015) पुनरीक्षण हेतु एक आवेदन दर्ज किया। आयुक्त ने अंतिम आदेश होने तक शेष राशि की वसूली स्थगित करने के लिए विवादग्रस्त राशि के विरुद्ध ₹ 75 लाख जमा करने का निर्देश दिया।

तथापि, उपरोक्त अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत, व्यवसायी को ₹ 1.30 करोड़ (₹ 6.50 करोड़ के निर्धारित कर का 20 प्रतिशत) की राशि जमा करना आवश्यक था इसके बजाय व्यवसायी द्वारा ₹ 1.06 करोड़ (₹ 31 लाख और ₹ 75 लाख) जमा किया गया।

मामले को जून 2016 में विभाग/सरकार को हमारे प्रतिवेदित किये जाने के बाद, विभाग/सरकार ने बहिर्गमन सम्मेलन में लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया (अगस्त 2016) और मामले की जाँच करने पर सहमत हुये। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2016)।

2.4.8 बकायों की वसूली हेतु अनुवर्ती कार्रवाई आरंभ करने में कमियाँ

माँग पत्र या तो नहीं दिये गये या छह महीने से लेकर दो वर्ष एक महीने के असामान्य विलंब के बाद दिये गये इस तरह ₹ 5.54 करोड़ के कर और ब्याज की वसूली नहीं हुई।

झा.मू.व.क. नियमावली, 2006 के नियम 17 के प्रावधानों के तहत भुगतान किया जाने वाला कर, अर्थदंड या ब्याज हेतु माँग पत्र जिस तिथि या उसके पूर्व यह भुगतेय है निर्दिष्ट करते हुये निर्गत किया जाना आवश्यक है। कर, अर्थदंड या ब्याज की भुगतान न की गयी राशि की वसूली की कार्यवाही शुरू करने के पूर्व निर्धारिती को माँग पत्र दिया जाना बाध्यकारी है। ऐसी कोई समय सीमा विहित नहीं है जिसके भीतर कर निर्धारण संपन्न होने के बाद माँग पत्र दिया जाना आवश्यक हो, तथापि इसे यथासंभव शीघ्र दिया जाना चाहिए। माँगपत्र फैक्स, ईमेल सेवा के द्वारा या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दिया जा सकता है जो जुलाई 2011 से प्रभावी है।

हमने सात वाणिज्यकर अंचलों में 170 व्यवसायियों में से 25 व्यवसायियों के मामले में देखा (मार्च और मई 2016) कि ₹ 554.02 लाख के कर और ब्याज की वसूली हेतु माँग पत्र या तो दिया नहीं गया या असामान्य विलंब से दिया गया। विवरणी **तालिका-2.10** में निम्नानुसार हैं:

तालिका-2.10

(₹ लाख में)

क्र. सं.	अंचल का नाम	व्यवसायियों की संख्या	कर अवधि	मांग पत्र निर्गत करने की तारीख मांग पत्र दिये जाने की तिथि	मांग पत्र दिये जाने में विलम्ब	बकाया राशि
1.	राँची दक्षिणी	3	2006-07 से 2008-09	मार्च 09 और सितम्बर 10 जून 10 और मार्च 12	15 से 25 माह	40.06
		7	2006-07 से 2009-10	मार्च 09 और मार्च 13	नहीं दिया गया	98.90
2.	राँची पूर्वी	2	2008-09 से 2010-11	मार्च 11 और मार्च 14 मई 12 और सितम्बर 14	6 से 13 माह	5.39
		7	2001-02 से 2009-10	फरवरी 09 और दिसम्बर 15	नहीं दिया गया	61.74
3.	रामगढ़	1	2006-07	जुलाई 11	नहीं दिया गया	219.33
4.	देवघर	2	2011-12	मार्च 15 जनवरी 16 और फरवरी 16	10 से 11 माह	120.20
5.	आदित्यपुर	1	2009-10	अक्टूबर 13 जुलाई 14	9 माह	5.23
6.	सिंहभूम	1	2009-10	मई 12 फरवरी 13	8 माह	1.61

(₹ लाख में)

क्र. सं.	अंचल का नाम	व्यवसायियों की संख्या	कर अवधि	मांग पत्र निर्गत करने की तारीख मांग पत्र दिये जाने की तिथि	मांग पत्र दिये जाने में विलम्ब	बकाया राशि
7.	धनबाद नागरीय	1	2009-10	मई 15 नवम्बर 15	6 माह	1.56
योग		**25**				**554.02**

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि माँग पत्र दिये जाने में विलंब का दायरा छह महीने और दो साल एक महीने के बीच था।

इसका परिणाम राजस्व की वसूली में अनुवर्ती विलंब में हुआ और कर के बकायों की वसूली हेतु अग्रेतर कार्यवाहियों पर इसका समग्र प्रभाव पड़ा।

बहिर्गमन सम्मेलन में प्रधान सचिव झा.मू.व.क. नियमावलियों में आवश्यक संशोधन द्वारा कर निर्धारण के बाद माँग पत्र दिये जाने व निर्गत करने की समयावधि निश्चित करने पर सहमत हुए। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2016)।

2.4.8.1 मांग पत्र दिये जाने में असामान्य विलंब

कर निर्धारण के चार साल चार माह बीत जाने के बाद व्यवसायी को ₹ 41.52 लाख के अर्थदंड का माँग पत्र दिया गया।

हमने राँची दक्षिणी वाणिज्यकर अंचल में एक व्यवसायी (मेसर्स वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लि. टिन-20050100140, अवधि 2007-08) के मामले में पाया (मई 2016) कि 07 फरवरी 2008 को वाणिज्यकर अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान व्यवसायी की सामग्रियाँ जब्त की गयीं। चूँकि व्यवसायी सामग्रियों के समुचित लेखे के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहा, विहित प्राधिकारी ने झा.मू.व.क. अधिनियम, 2005 की धारा 70 (5) (ख) के अंतर्गत ₹ 41.52 लाख अर्थदंड का आरोपित किया और 13 फरवरी 2008 को माँग पत्र निर्गत किया गया।

व्यवसायी ने 29 मई 2008 को सं.आ.वा.क. (अपील) के न्यायालय में एक अपील दायर किया। मामले को 01 जुलाई 2008 को अंचल में प्रतिप्रेषित कर दिया गया। 28 अप्रैल 2009 को ₹ 41.52 लाख के अर्थदंड हेतु एक एक-पक्षीय आदेश पारित किया गया पर रिमांड मामलों के कमजोर अनुश्रवण और नियमावलियों में माँग पत्र दिये जाने की समय सूची के प्रावधान के अभाव के कारण व्यवसायी को माँग पत्र चार साल व चार महीने बीत जाने के बाद दिया गया (अगस्त 2013)।

बिलम्ब से माँग पत्र दिये जाने के आधार पर निर्धारिती ने 21 सितम्बर 2013 को सं.आ.वा.क. (अपील) के न्यायालय में एक अपील दायर किया। सं.आ.वा.क. (अपील) ने दिनांक 28 अप्रैल 2009 के पूर्व के आदेश को निरस्त कर दिया और एक नया आदेश पारित करने के लिए 21 दिसंबर 2013 को मामला अंचल को वापस भेज

दिया। तदनुसार, ₹ 38.76 लाख के लिए एक नया आदेश दिया गया और माँग पत्र पुन: निर्गत किया गया (जनवरी 2016)।

इस प्रकार माँग पत्र दिये जाने में चार साल व चार महीने का विलंब असंग्रहित राजस्व पर ब्याज की हानि का कारण बना।

बहिर्गमन सम्मेलन में प्रधान सचिव ने इसे गंभीरता से लिया और सुधारात्मक/ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिये आश्वस्त दिया। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2016)।

सरकारी राजस्व की संरक्षण के उद्देश्य से समयबद्ध सीमा के भीतर माँग पत्र निर्गत करने व दिये जाने के लिए एक समय सूची निर्धारण पर सरकार विचार कर सकती है।

2.4.9 निर्धारित कर के बकायों पर अर्थदंड नहीं लगाया गया

₹ 15.24 करोड़ के निर्धारित कर की अप्राप्त राशि पर ₹ 10.70 करोड़ का अर्थदंड आरोपित नहीं किया गया।

झा.मू.व.क. अधिनियम, 2005 की धारा 43 की उपधारा 6 के अंतर्गत, जहाँ एक व्यवसायी निर्धारित कर या आरोपित ब्याज या उस पर अधिरोपित अर्थदंड या उससे देय कोई राशि का माँग पत्र दिये जाने की तिथि से 30 दिनों के अन्दर भुगतान करने में विफल रहता है, तो विहित प्राधिकारी व्यवसायी को देय राशि के अतिरिक्त अर्थदंड के रूप में, इस कर की राशि के दो प्रतिशत के बराबर एक राशि, अर्थदंड, ब्याज या प्रतिमाह देय कोई राशि उस तिथि के बाद जब यह राशि भुगतान के लिये देय था उस अवधि के लिये जिसके लिये भुगतान में विलंब हुआ हो भुगतान करने का निर्देश देगा।

हमने 10 वाणिज्यकर अंचलों[19] में 224 व्यवसायियो में से 34 व्यवसायियों के कर निर्धारण मामले के अभिलेखों से पाया (मार्च और मई 2016 के बीच) कि 2006-07 से वर्ष 2011-12 की अवधि हेतु जनवरी 2009 और जून 2015 के बीच कर निर्धारण संपन्न किया गया और तद्नुसार फरवरी 2009 और जुलाई 2015 के बीच व्यवसायियों को माँग पत्र दिया गया पर मार्च 2016 तक ₹ 15.24 करोड़ का निर्धारित कर वसूली से बाहर रहा। ₹ 10.70 करोड़ का अर्थदंड, हालाँकि कर के बकाये पर आरोप्य था, आरोपित नहीं किया गया **(परिशिष्ट-V)**।

बहिर्गमन सम्मेलन में, प्रधान सचिव अवलोकनों से सहमत हुये और इस संबंध में उचित कार्रवाई करने के लिये आश्वस्त किया। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2016)।

---

[19] आदित्यपुर, देवघर, धनबाद, धनबाद नागरीय, जमशेदपुर, जमशेदपुर नागरीय, रामगढ़, राँची पूर्वी, राँची दक्षिणी और सिंहभूम।

2.4.10 राजस्व का प्रमाणित बकाया

229 मामलों में सन्निहित ₹ 44.68 करोड़ प्रमाणित बकाये 10 वर्षों से अधिक समय से निष्पादन हेतु लंबित थे।

अधियाचना पदाधिकारी (अ.प.) और नीलामपत्रवाद पदाधिकारी (नी.पदा.) संयुक्त रूप से नीलामपत्रवाद मामलों के समय पर निष्पादन हेतु उत्तरदायी हैं और परस्पर संज्ञान में लाने और यदि आवश्यक हो तो बिना विलम्ब समाहर्त्ता के संज्ञान में लाने के लिए बाध्य है। अ.पद. मुख्य रुप से नीलामपत्रवाद के व्यवस्थित आवेदन, आपत्तियों के त्वरित निष्पादन के लिये उत्तरदायी हैं, यदि उसे संदर्भित किया गया हो। नी.प॰. यह देखने के लिए उत्तरदायी है कि नीलामपत्र कार्यालय में कोई विलम्ब न हो और आवेदन दिये जाने पर यथाशीघ्र नीलामपत्रवाद दायर किये जाते हैं और बि.उ.लो.माँ.व. अधिनियम, 1914 की धारा 7 के अधीन अपेक्षित नोटिस निर्गत किये जाते हैं।

अग्रेतर, झा.मू.व.क. अधिनियम, 2005 की धारा 43 की उप-धारा 7 और निरसित अधिनियम (बी.एफ. अधिनियम) की धारा 25 की उप-धारा 4 के प्रावधान अधिनियम के अधीन देय कर की वसूली का प्रावधान करते हैं बकाये को यह मानकर कि ये भू-राजस्व के बकाये थे, जिनका बिहार एवं उड़ीसा लोक माँग वसूली अधिनियम, 1914 या राजस्व वसूली अधिनियम,1890 के अंतर्गत नीलामपत्रवाद की कार्यवाहियों के माध्यम के द्वारा संग्रह किया जा सकता है। बाद वाले अधिनियम के अंतर्गत राज्य में निवास करने वाले दूसरे राज्य के बकायेदारों के संबंध में भी कार्यवाही प्रारंभ किया जा सकता है पर वसूली स्थानीय कानून द्वारा शासित होगा। अग्रेतर, बि.उ.लो.माँ.व. अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत, जब्ती और संपत्ति की बिक्री द्वारा या गिरफ्तारी द्वारा या दोनों रीतियों द्वारा बकायों की वसूली की जा सकती है।

मार्च 2015 में कुल प्रमाणित बकाया जैसा कि वाणिज्यकर विभाग द्वारा प्रतिवेदित किया गया ₹ 162.15 करोड़ था। हमने 10 वाणिज्यकर अंचलों से राजस्व का प्रमाणित बकाये का आँकडा एकत्र किया । मार्च 2015 में प्रमाणित बकायों का ब्यौरा **तालिका-2.11** मे निम्नानुसार था:

तालिका-2.11

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अंचल का नाम	मामलों की संख्या	कुल रकम	वसूली की राशि	शेष	वसूली प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7 (4 से 5)
1	धनबाद नागरीय	54	18.28	4.96	13.32	27.13
2	धनबाद	127	4.28	0	4.28	0.00
3	जमशेदपुर	35	8.95	2.12	6.83	23.69
4	जमशेदपुर नागरीय	56	6.21	1.26	4.95	20.29
5	आदित्यपुर	44	13.05	0	13.05	0.00
6	सिंहभूम	34	7.83	0	7.83	0.00
7	देवघर	59	7.11	3.53	3.58	49.65

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अंचल का नाम	मामलों की संख्या	कुल रकम	वसूली की राशि	शेष	वसूली प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7 (4 से 5)
8	राँची पूर्वी	24	13.65	0.04	13.61	0.29
9	राँची दक्षिणी	19	7.35	0.1	7.25	1.36
10	रामगढ़	61	0.32	0	0.32	0.00
योग		**513**	**87.03**	**12.01**	**75.02**	**13.80**

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि चार वाणिज्यकर अंचलों में प्रमाणित बकायों की वसूली की दर शून्य थी और अन्य छः वाणिज्यकर अंचलो में वसूली का दायरा 0.29 और 49.65 प्रतिशत के बीच था।

28 अंचलों में से नौ अंचलों[20] में लंबित प्रमाणित बकायों की उम्रवार स्थिति **तालिका-2.12** मे निम्नानुसार थी:

तालिका -2.12

(₹ करोड़ में)

लंबित रहने की अवधि	मामलों की संख्या	सन्निहित अंचलों की संख्या	सन्निहित राशि
20 साल और उससे अधिक	118	8	2.36
10-20 साल	111	9	42.32
5-10 साल	52	7	13.39
0-5 साल	105	6	12.67
योग	**386**		**70.74**

उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि नौ अंचलों में प्रमाणित बकायों के 229 मामलों में, वसूली के लिए ₹ 44.68 करोड़ 10 वर्षों से अधिक से लंबित था।

बहिर्गमन सम्मेलन में प्रधान सचिव नीलामपत्रवाद के मामलों में सम्मिलित बकायों के तीव्र निष्पादन के लिए संबंधित अंचलों को आवश्यक निर्देश निर्गत करने पर सहमत हुए।

सरकार बिहार और उड़ीसा लोक माँग वसूली अधिनियम, 1914 के प्रावधानों को लागू करने के द्वारा सतत अनुश्रवण के माध्यम से बकाया मामलों के तीव्र निष्पादन के लिए निर्देश निर्गत कर सकती है।

प्रमाणित बकायों के दृष्टान्तस्वरूप मामले

मामलों के दायर करने के 13 वर्ष से लेकर 22 वर्ष से अधिक बीत जाने के बाद भी प्रभावी अनुपालन की कमी के कारण छः प्रमाणित देनदार के विरुद्ध ₹ 24.35 करोड़ के प्रमाणित बकायों का मामला अनिष्पादित रहा।

[20] आदित्यपुर, देवघर, धनबाद नागरीय, जमशेदपुर, जमशेदपुर नागरीय, रामगढ़, राँची पूर्वी, राँची दक्षिणी और सिंहभूम।

- हमने आदित्यपुर वाणिज्यकर अंचल में 21 व्यवसायियों में से मेसर्स सरायकेला ग्लास वर्क्स लिमिटेड, निबंधन सं.-एपी 10(आर)/1(सी) के मामले में पाया (मई 2016), कि व्यवसायी पर 1987-88 से 1992-1993 से संबंधित निर्धारित बकाया कर ₹ 974.75 लाख और 1979-81, 1986-87 और 1993-95 की अवधियों हेतु ₹ 97.91 लाख (कुल ₹ 1,072.66 लाख) था। बकायों की वसूली के लिए उपायुक्त सरायकेला की न्यायालय में नीलामपत्रवाद संख्या 01/2000-01 और 1 (बि.क.)/2002/03 दायर किया गया। बि.उ.लो.मां.व. अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत नीलामवाद की प्रतिलिपि और एक नोटिस नीलामपत्रवाद ऋणी को दिया जाना आवश्यक था लेकिन इसे 2011 तक तामिल नहीं किया गया। इस बीच, व्यवसायी ने तब तक अपना कारोबार बंद कर दिया था। नी.प. ने भी बकायों की वसूली हेतु बि.उ.लो.मां.व. अधिनियम की धारा 15 का उपयोग नहीं किया था।

विभाग को कोलकाता उच्च न्यायालय के साथ संलग्न एक अधिकृत परिसमापक के अंतर्गत कंपनी के परिसमापन के बारे में पता चला और दिसंबर 2013 में परिसमापक को अपना दावा प्रस्तुत किया, जिसकी स्वीकृति सुनिश्चित नहीं की जा सकी। तथापि, इस संबंध में या तो अ.प. या नी.प. द्वारा उठाए गए प्रभावी कदमों का संकेत देने के लिए अभिलेख पर कुछ नहीं था (दिसंबर 2013)।

मामले को हमारे बताए जाने पर, उ.वा.क. ने कहा कि मामले के अनुसरण के लिए प्रयास किये जा रहे थे। तथ्य यह है कि नीलामपत्रवाद मामला दायर करने के 15 वर्षों के व्यतीत होने के बाद भी राजस्व के बकायों की वसूली नहीं हुई थी। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2016)।

- हमने धनबाद नागरीय वाणिज्यकर अंचल में पाया (मई 2016) कि एक व्यवसायी मेसर्स हावड़ा मोटर्स कंपनी, निबंधन संख्या- डी.यू.-111(आर) के विरूद्ध 1993-94 से 1996-97 की अवधि हेतु ₹ 1.42 करोड़ के राजस्व के बकाया की वसूली हेतु मार्च 2000 में नीलामपत्रवाद मामला संख्या- 66 / वि.क./ 1999-2000 दायर किया गया । दिनांक 02 दिसंबर 2011 की सुनवाई में समाहर्त्ता ने अवलोकित किया कि ऋण वसूली न्यायाधिकरण, कोलकाता के आदेश द्वारा प्रमाणित ऋणी की अचल संपत्ति नीलाम कर दी गयी थी। समाहर्त्ता ने विभाग को कानूनी प्रक्रिया के अनुसार, बि.उ.लो.मां.व. अधिनियम की सम्बन्धित धारा के अंतर्गत क्रेता मेसर्स कृष्णा कंस्ट्रक्शन को इस मामले में वादी बनाने के लिए आवेदन दाखिल करने का निर्देश दिया। हालांकि, राजस्व की वसूली के लिए बि.उ.लो.माँ.व. अधिनियम के अंतर्गत संपत्ति के क्रेता के विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई।

इसे हमारे इंगित किये जाने के बाद, वा.क.उ. ने कहा कि जाँच करने और क्रेता के विरूद्ध कानूनी तौर पर कोई कार्रवाई की जा सकती है या नहीं, इसके लिये मामले को देखा जायेगा। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2016)।

- हमने धनबाद नागरीय वाणिज्यकर अंचल में एक व्यवसायी, मेसर्स बी. के. जायसवाल के मामले में पाया (मई 2016) कि 1998-2000 की अवधि हेतु ₹ 233.68 लाख के राजस्व के बकाया की वसूली के लिए मार्च-2000 में वाद संख्या-65/बि.क./1999-2000 के द्वारा एक नीलामवाद मामला दायर किया गया, जिसमें से ₹ 85.54 लाख झारखण्ड वाणिज्यकर न्यायाधिकरण के न्यायालय में 16 दिसंबर 2008 से लंबित था। वसूली योग्य राशि ₹ 148.14 लाख थी। न्यायाधिकरण द्वारा इस मामले के निपटारे में विलंब ने बकायों की वसूली को प्रभावित किया।

इसे हमारे इंगित किये जाने के बाद, वा.क.उ. ने कहा कि न्यायाधिकरण में मामले का अनुसरण किया जायगा और नवीनतम अद्यतन स्थिति सूचित किया जायेगा। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2016)।

- हमने राँची पूर्वी वाणिज्यकर अंचल में पाया कि 1993-94 से 2002-03 की अवधि के दौरान 24 व्यवसायियों में से राज्य से बाहर पते वाले (कोलकाता) तीन व्यवसायियों के संबंध में 1980-81 से 1996-97 अवधि हेतु ₹ 985.85 लाख के बकाये की वसूली के लिए नीलामपत्रवाद मामले दायर किये गये जिसकी विवरणी **तालिका-2.13** में निम्नानुसार हैं।

तालिका -2.13

(₹ लाख में)

वाद संख्या और दाखिल करने का वर्ष	व्यवसायी का नाम / निबंधन संख्या	अवधि	राशि
1(बि.क.)/ 2002-03	मेसर्स आशीष इनवेस्टमेंट, नि.स.- आर.एन.(ई)- 857 (आर), प्रो.- गणेश कुमार अग्रवाल, पिता- बाला प्रसाद अग्रवाल, 15-ए एवरेस्ट हाउस, 46- ई, चौरंगी रोड कोलकाता।	1987-88 से 1996-97	917.09
4 से 9 (बि.क.)/ 1995-96	मेसर्स पॉली आर्ट इंडस्ट्रीज प्रा.लिमिटेड आर.एन.(ई)-650 (आर)/478 (सी) कोकर औद्योगिक क्षेत्र, प्रो.-अरुण कुमार खोमानी, दिलीप खोमानी, पुत्र- श्री गोविन्द देव खोमानी, वुड स्ट्रीट, कोलकता।	1989-90 से 1994-95	63.68
2(बि.क.)/ 1993-94	मेसर्स हरलालका इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, एच. बी. रोड, कोकर, 52/1/ए कॉलोनी स्ट्रीट, कोलकाता।	1980-81	5.08
योग			**985.85**

अ.प. और नी.प. संयुक्त रूप से नीलामपत्रवाद मामलों का समय पर निष्पादन के लिए उत्तरदायी थे और एक दूसरे के संज्ञान में और यदि आवश्यक हो, तो अविलंब समाहर्त्ता के संज्ञान में लाने के लिए बाध्य थे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि नीलामपत्रवाद दाखिल करने के 13 से 22 वर्ष से ज्यादा बीत जाने के बाद भी प्रमाणित बकायों की वसूली के लिये अ. अ. और नि. अ. द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई।

मामले को हमारे इंगित किये जाने के बाद, वा.क.उ. ने कहा (जुलाई 2016) कि बकायेदार पंजीकृत पते पर वास नहीं कर रहे थे। वा.क.उ. ने आगे कहा कि बकायों की वसूली के लिए बकायेदारों का पता लगाने के प्रयास किये जा रहे थे।

प्रधान सचिव के साथ बहिर्गमन सम्मेलन में, आदित्यपुर, धनबाद नागरीय और रांची पूर्वी अंचलों से संबंधित मामलों पर विस्तार से चर्चा की गई और सरकार द्वारा मामलों के निष्पादन के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिये आश्वस्त किया गया। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2016)।

2.4.10.1 नीलामपत्रवाद मामलों के प्रतिवेदन में विसंगतियां

पंजी-IX और X के बीच ₹ 1.99 करोड़ की विसंगति।

राजस्व पर्षद के अनुदेश 46 के साथ पठित बि.उ.लो.मां.व. अधिनियम, 1914, के प्रावधानों के अनुसार, बकायों की वसूली हेतु प्रारंभ की गई नीलामपत्रवाद कार्यवाही अंचल में संधारित पंजी-IX में प्रविष्ट किये जाते हैं और इसे नीलामपत्रवाद कार्यालय में भेजा जाना अपेक्षित है जो विवरणियों को पंजी-X में प्रविष्ट करता है। अग्रेतर, नी.अ. यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है कि नीलामपत्रवाद कार्यालय में कोई विलंब न हो। पर्षद का अनुदेश आगे निर्धारित करता है कि प्रत्येक माह पंजी-IX और पंजी-X का मिलान किया जाना चाहिए।

हमने धनबाद वाणिज्यकर अंचल के पंजी-IX का संबंधित नीलामपत्रवाद कार्यालय के पंजी-X के साथ तिर्यक-जाँच किया (मई 2016) और पाया कि 1991-92 से 1993-94 की अवधि हेतु बकाया राशि ₹ 1.99 करोड़ के बकाया की वसूली के लिए मार्च 2000 में एक व्यवसायी मेसर्स डाटा केबल प्रा. लि., धनबाद के विरूद्ध दायर वाद संख्या-22/99-00 पंजी-IX से गायब था। अ. अ. ने पंजी-IX और पंजी-X का मिलान नहीं किया। इस तरह, बकायों की वसूली हेतु नीलामपत्रवाद मामले का अवलोकन नहीं किया गया।

इसे हमारे इंगित किये जाने के बाद वा.क.उ. ने कहा कि पंजी-IX का जिला नीलामपत्रवाद कार्यालय में पंजी-X के साथ मिलान किया जाएगा। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2016)।

2.4.10.2 नीलामपत्रवाद प्रारम्भ करने के पूर्व अर्थदंड का आरोपण नहीं किया जाना

अनुद्ग्रहीत बकाया ₹ 7.31 करोड़ पर नीलामपत्र वाद प्रारम्भ करने से पूर्व ₹ 13.22 करोड़ का अर्थदंड नहीं आरोपित किया गया।

बि.उ.लो.मा.व. अधिनियम के तहत राजस्व पर्षद अनुदेश संख्या-9 में प्रावधान है कि ब्याज, यदि कोई, किसी भी दर से, जिसकी सम्बन्धित अधिनियम द्वारा अनुमति हो

माँग देय होने की तिथि से नीलामपत्र वाद दाखिल करने की तिथि तक अधियाचना पदाधिकारी (अ.प.) द्वारा शामिल किया जाएगा। अतएव, अ.प. को नीलामपत्र वाद दायर किए जाने से पूर्व झा.मू.व.क. अधिनियम या निरसित अधिनियम की सुसंगत धारा के तहत देय मांग (बकाये की राशि) में ब्याज/अर्थदण्ड की राशि शामिल करना आवश्यक था।

हमने तीन वाणिज्यकर अंचलों[21] के 54 व्यवसायियो में से छः व्यवसायियो के नीलामपत्र वाद के मामलों के अभिलेखों से देखा (मई 2016) कि 1992-93 से 2009-10 तक की अवधि के बकाया राजस्व की राशि ₹ 7.31 करोड़ की वसूली के लिए जनवरी 2010 से फरवरी 2015 के बीच नीलामपत्र वाद दायर किये गये थे। अ.प., मामले को नीलाम पत्र अधिकारी को भेजते समय कर भुगतान में विलम्ब के लिये बिना कारण बताये अर्थदंड ₹ 13.22 करोड़ आरोपित नहीं किया **(परिशिष्ट-VI)**।

बहिर्गमन सम्मेलन में प्रधान सचिव उचित कार्रवाई करने के लिए सहमत हुए। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2016)।

2 4.11 नीलामपत्र वाद की कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी

2.4.11.1 बन्द कर दिये गये व्यवसाय के विरुद्ध नीलामपत्र वाद की कार्यवाही शुरू नहीं की गयी

मांग पत्रों के तामिल होने के दो से तीन साल के बाद भी नीलामपत्र वाद की कार्यवाही शुरू नहीं किया गया था।

हमने रामगढ़ और राँची पूर्वी वाणिज्यकर अंचलों में देखा (मई 2016) कि दो व्यवसायियों ने 2009-10 और 2010-11 की अवधि का बकाया कर ₹ 2.42 करोड़ जिनका कर निर्धारण क्रमश: फरवरी 2013 और मई 2014 में हुआ था, का भुगतान किये बिना व्यवसाय को बंद कर दिया था। माँग पत्र फरवरी 2013 और मई 2014 के मध्य निर्गत किये गये थे। हालाँकि, माँग पत्र तामिल होने के दो से तीन साल बाद भी बकाया की वसूली के लिये नीलामपत्र वाद की कार्यवाही शुरू नहीं किया गया था। तदन्तर झा.मू.व.क. अधिनियम, 2005 की धारा 43(6) के तहत बकाया कर का भुगतान नहीं करने के लिये प्रति माह दो प्रतिशत की दर से संगणित भुगतान के देय हो जाने (मई 2013 से जुलाई 2014 के मध्य) से भुगतान करने में बिलम्ब (मार्च 2016) के लिये ₹ 1.34 करोड़ का अर्थदंड भी आरोप्य था लेकिन आरोपित नही किया गया (अक्टूबर 2016)।

बहिर्गमन सम्मेलन में प्रधान सचिव उचित कार्रवाई करने के लिए सहमत हुए। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2016)।

[21] धनबाद नागरीय, जमशेदपुर और सिंहभूम।

2.4.11.2 विद्युत शुल्क (वि.शु.) की वसूली के लिये नीलामपत्र वाद आरम्भ नही किया जाना

दो व्यवसायियों के विरुद्ध 2002-03 से 2009-10 की अवधि का अर्थदंड ₹ 70.78 करोड़ सहित विद्युत शुल्क (वि.शु.) ₹ 116.98 करोड़ वसूली के लिए लंबित था।

बि.वि.शु. अधिनियम, 1948 की धारा 7 के अंतर्गत, अधिनियम के अधीन आरोपित कोई भी शुल्क या अर्थदंड भुगतान के लिए बकाया रहता है तो वह भू-राजस्व के बकाया की तरह वसूली योग्य है। पुनः बि.वि.शु. अधिनियम, 1948 की धारा 5-ए (2) के अंतर्गत, कोई भी अनुज्ञप्तिधारी नियत तारीख के भीतर विद्युत शुल्क का भुगतान करने में विफल रहता है, तो विहित प्राधिकारी अर्थदंड आरोपित करेगा जो प्रतिमाह पहले तीन महीने के लिए ढ़ाई प्रतिशत और बाद के महीने के लिए पांच प्रतिशत से कम नहीं होगा।

हमने वाणिज्यकर अंचल रांची दक्षिणी में दो व्यवसायियों के मामले में देखा (मई 2016) कि वर्ष 2002-03 से 2009-10 की अवधि का कर निर्धारण मार्च 2008 से अक्तूबर 2013 के मध्य सम्पन्न किया गया था। तदनुसार, मार्च 2011 से अक्टूबर 2013 के मध्य बकाया विद्युत शुल्क (वि.शु.) ₹ 46.20 करोड़ के लिये मांग पत्र निर्गत किया गया था। मांग पत्र अक्टूबर 2011 से नवम्बर 2013 के मध्य तामिल किया गया था लेकिन आज तक वह वसूली के लिये शेष था (अक्टूबर 2016)। विहित प्राधिकारी विद्युत शुल्क की राशि की वसूली के लिए बिना कारण बताये अधिनियम के प्रावधानों का उपयोग नहीं किया था। निर्धारित विद्युत शुल्क का भुगतान न करने के लिए नवंबर 2011 से मार्च 2016 तक की अवधि के लिए विद्युत शुल्क के अलावा अर्थदंड ₹ 70.78 करोड़ भी आरोप्य था जिसे आरोपित नहीं किया गया था **(परिशिष्ट-VII)**।

बहिर्गमन सम्मेलन में प्रधान सचिव, जे.एस.ई.बी. से बकाया की वसूली के लिये उचित कार्रवाई करने पर सहमत हुए। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2016)।

2.4.12 आस्थगित कर और उस पर देय ब्याज की वसूली नहीं

₹ 22.02 लाख के ब्याज सहित ₹ 98.74 लाख आस्थगित कर की राशि नहीं वसूला गया था।

झा.मू.व.क. अधिनियम 2005, की धारा 95 (3) (ii) के साथ पठित नियम 64 प्रावधानित करता है कि एक निबन्धित व्यवसायी जो निरसित अधिनियम के अंतर्गत कर विमुक्ति की सुविधा का उपभोग कर रहा था, उन्हे अचल सम्पति के सकल मूल्य की शेष प्रतिशतता या शेष अवधि के लिये कर विमुक्ति की सुविधा को कर आस्थगन की सुविधा में अनुमत किया जा सकेगा, बशर्ते कि व्यवसायी को

झा.मू.व.क.-408 में नए सिरे से पात्रता प्रमाण पत्र निर्गत किया गया हो। आस्थगित अवधि की समाप्ति के बाद व्यवसायी को दस बराबर छः मासिक किश्तों में आस्थगित कर का भुगतान करना है, जिसमें विफल रहने पर प्रति माह ढ़ाई प्रतिशत की दर से ब्याज आरोप्य है। हालांकि, माननीय उच्चतम न्यायालय, मेसर्स टाटा स्टील कंपनी वनाम झारखंड राज्य के मामले में आस्थगित कर के भुगतान में विफल होने पर एक प्रतिशत की दर से ब्याज के भुगतान का आदेश दिया था (12/02/2016)।

हमने धनबाद वाणिज्यकर अंचल में देखा (मई 2016) कि छः व्यवसायियो ने

असमाप्त हुए अवधि अप्रैल 2006 से मार्च 2012 तक के लिए ₹ 1.29 करोड़ कर के आस्थगन की सुविधा का लाभ उठाया था, जिनमें से दो व्यवसायियो ने कुल राशि ₹ 10.63 लाख और अन्य दो व्यवसायियो ने आंशिक रुप से ₹ 41.21 लाख (कुल ₹ 51.84 लाख) का भुगतान कर दिया था। इस प्रकार, चार व्यवसायियों से मई 2016 तक शेष बकाया राशि ₹ 76.72 लाख नहीं वसूला गया था। हालाँकि, प्रति माह एक प्रतिशत की दर से ब्याज ₹ 22.02 लाख आस्थगित कर का नहीं/बिलम्ब से भुगतान करने के लिए आरोप्य था, जिसे आरोपित नहीं किया गया। इस प्रकार ₹ 22.02 लाख ब्याज सहित ₹ 98.74 लाख बकायेदारों से नहीं वसूला गया।

बहिर्गमन सम्मेलन में प्रधान सचिव बकाया की वसूली के लिये उचित कार्रवाई करने पर सहमत हुए। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2016)।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

आंतरिक नियंत्रणों का प्रयोजन कानून, नियमावलियों और विभागीय निर्देशों के उचित अमल का युक्तिसंगत आश्वासन प्रदान करता है। ये धोखे एवं अन्य अनियमितताओं का पता लगाने और बचाव में भी मदद करतें हैं। आंतरिक नियंत्रण शीघ्र एवं दक्ष सेवाओं के लिए करों और शुल्कों के अपवंचन के विरुद्ध पर्याप्त सुरक्षा उपायों के लिए विश्वसनीय वित्तिय एवं सूचना प्रणालियों के सृजन में भी मदद करतें हैं। अतः यह सुनिश्चित करना विभाग का दायित्व है कि एक उचित आंतरिक संरचना की स्थापना हो और इसे प्रभावी रखने के लिए यह समय-समय अद्यतन किया जाय।

2.4.13 राजस्व के बकाये का अनुश्रवण

झा.मू.व.क. अधिनियम के अंतर्गत विभाग ने न तो बकाया और संग्रहण पंजी निर्धारित किया और न ही निगरानी के लिए साफ्टवेयर में कोई इनबिल्ट प्रणाली स्थापित किया।

निरस्त कर अधिनियम (बि.वि. अधिनियम) के प्रावधानों के अंतर्गत विभाग ने विवरणियों की की प्राप्ति स्वीकृत/निर्धारित कर की राशि का भुगतान, कर निर्धारण पूर्ण करने और जमा कर घटाने के बाद शेष देय कर के राशि आदि की निगरानी की सुविधा के लिए, प्रत्येक वाणिज्यकर अंचल में बकाया और संग्रहण पंजी (पंजी-VI) संधारित करना विहित किया था।

झा.मू.व.क. अधिनियम लागू होने के बाद विभाग ने न तो कर की बकाया राशि का ब्यौरा उल्लिखित करने के लिए किसी भी तरह का पंजी विहित किया और न ही विभाग के साफ्टवेयर एप्लिकेशन में बकाया की वसूली की निगरानी करने के लिए इनबिल्ट प्रणाली संस्थापित किया। हालांकि, नमूना जाँच किए गए अंचलों में से कुछ अंचलों में हमने देखा कि अपनी सुविधा के लिए पंजी-VI सन्धारित किया जा रहा था। यह राजस्व की बकाया राशि के संग्रहण और निगरानी में विभाग की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की विफलता को इंगित करता है।

मामले को हमारे बताए जाने (अप्रैल 2016) के बाद विभाग ने बकाया राशि की निगरानी के लिए अपेक्षित सॉफ्टवेयर की गैर मौजूदगी के तथ्य को स्वीकारा और कहा कि टी. सी. एस. को इस उद्देश्य के लिए सॉफ्टवेयर स्थापित करने का निर्देश दिए जा रहा था।

2.4.14 मानव संसाधन प्रबंधन

नमूना जाँच किये गए अंचलो मे मार्च 2016 तक पदाधिकारी (35 प्रतिशत) एव सहायक कर्मी (67 प्रतिशत) की उल्लेखनीय कमी थी जिससे राजस्व बकाया के संग्रहण का कार्य प्रभावित हुआ।

किसी संगठन या विभाग के कुशल एव प्रभावी कार्यचालन हेतु मानव संसाधन की उपलब्धता महत्वपूर्ण निमित्त है, यह पाया गया कि आच्छादित अवधि मे बकायो मे वृद्धि हुई यद्यपि मानव बल की कमी थी। हमने (अप्रैल 2016 एव जुलाई 2016 के मध्य मे) नमूना जाँच किये गये अंचलों में पदाधिकारियों/सहायक कर्मियों के स्वीकृत एव कार्यरत बल की स्थिति का संकलन किया। मई 2016 तक स्वीकृत बल एव कार्यरत बल की स्थिति **तालिका-2.14** मे वर्णित है।

तालिका-2.14

क्र.स.	अंचल का नाम	स्वीकृत बल		कार्यरत बल		कमी(प्रतिशत)	
		पदाधिकारी	अन्य	पदाधिकारी	अन्य	पदाधिकारी	अन्य
1	आदित्यपुर	8	39	6	10	2	29
2	देवघर	8	25	4	7	4	18
3	धनबाद	8	36	5	13	3	23
4	धनबाद नागरीय	12	45	8	11	4	34
5	जमशेदपुर	11	36	9	12	2	24
6	जमशेदपुर नागरीय	10	36	6	13	4	23
7	रामगढ़	8	23	7	13	1	10
8	रांची पूर्वी	8	29	5	9	3	20
9	रांची दक्षिणी	11	35	5	9	6	26
10	सिंघभूम	7	22	4	9	3	13
कुल		**91**	**326**	**59**	**106**	**32**	**220**

उपर्युक्त के आधार पर यह देखा जा सकता है की नमूना जाँच किए जाए अंचलों मे पदाधिकारी (35 प्रतिशत) एव सहायक कर्मी (67 प्रतिशत) की भारी कमी पायी गई जिसके कारण यह बकायों राजस्व का संग्रहण प्रभावित हुआ। जैसा कि पूर्व के कंडिकाओं में चित्रित है।

हम अनुशंसा करते हैं कि सरकार अधिनियम के प्रभावी प्रशासन के लिए स्वीकृत बल के अनुसार मानवबल की तैनाती पर विचार कर सकती है।

2.4.15 आंतरिक लेखापरीक्षा

आंतरिक लेखापरीक्षा, आंतरिक नियंत्रण तंत्र का महत्वपूर्ण घटक है और इसे सामान्यतः समग्र नियंत्रणों का नियंत्रण के रूप में परिभाषित किया जाता है तथा यह की किसी संगठन को कानून, नियम एवं विभागीय निर्देशों के उचित प्रवर्तन में सक्षम बनाता है। विभाग में मू.व.क. लेखा परीक्षा स्कन्ध चयनित लेखापरीक्षा निर्धारण के उद्देश्य हेतु अस्तित्व में आया परंतु बकाए के मामलों का पुनरीक्षण करना इसका उद्देश्य नहीं था। वाणिज्यकर विभाग ने अप्रैल 2016 में कहा कि बकाए की वसूली की निगरानी के लिए मुख्यालय स्तर पर पदाधिकारियों के एक दल को प्राधिकृत किया गया है। तथापि, मांगे जाने पर भी (जुलाई 2016) विभाग ने बकाए की निगरानी के परिणामों को प्रस्तुत नहीं किया।

2.4.16 निष्कर्ष

विभाग ने राजस्व के बकाये के अनुश्रवण के लिए कोई पंजी निर्धारित नहीं किया है अथवा वांछित सन्निहित अनुप्रयोग सॉफ्टवेर को संस्थापित नहीं किया है । ऐसे में, विभाग बकाए की सही स्थिति का पता नहीं लगा सकता। तदन्तर, विभाग ने राजस्व की त्वरित वसूली के लिए मांग पत्र तमिला की समय सारणी निर्धारित नहीं की है

और इसके पास अपील एवं पुनरीक्षण में लंबित मामलों को लगातार अनुश्रवण एवं समीक्षा के द्वारा के त्वरित निष्पादन के लिए प्रभावी प्रणाली एवं प्रक्रिया नहीं है।

2.4.17 अनुशंसाओ का सारांश

सरकार विचार कर सकती हैं:

- बकाया राशि की वसूली की निगरानी के लिए मौजूदा तंत्र को मजबूत बनाने और बकाया राशि को कम करने के लिए उचित कदम उठाने के लिये, महाराष्ट्र सरकार की तर्ज पर एक अलग वसूली प्रकोष्ठ का गठन करने, जहाँ महाराष्ट्र वैट अधिनियम के तहत, संयुक्त आयुक्त (वसूली) के अंतर्गत, एक अलग वसूली शाखा को बकाएदारों का बैंक खाते, चल-अचल संपत्तियों की जब्ति और नीलामी का अधिकार है;
- विशेष आयुक्त की नियुक्ति द्वारा या मामलों के निष्पादन में तेजी लाने के लिए विभागीय प्राधिकारियों को शक्ति प्रदत करके, अपील/पुनरीक्षण के मामलों का निर्धारित समय सीमा के अंदर निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए आवधिक समीक्षा हेतु निर्देश जारी करने;
- राजस्व की संरक्षण के लिए समयबद्ध सीमा के भीतर माँग पत्र निर्गत और तामिल करने के लिए निर्देश जारी करने;
- बकाया मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए लगातार अनुश्रवण और भू-राजस्व की बकाया राशि की तरह बिहार और उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम, 1914 के प्रावधानों को लागू करके बकाया राजस्व की वसूली का निर्देश जारी करने; और
- अधिनियम के प्रभावी प्रशासन के लिये स्वीकृत बल के अनुसार मानव बल प्रतिनियुक्त करने।

2.5 वास्तविक आवर्त के निर्धारण में अनियमितताएँ

उचित कर निर्धारण एवं देय कर के आरोपण के लिये आवर्त का वास्तविक निर्धारण आवश्यक है। इस कंडिका में विक्रय/क्रय आवर्त का छिपाया जाना तथा आवर्त के गलत निर्धारण में सम्मिलित ₹ 294.32 करोड़ के कर और अर्थदण्ड पर प्रकाश डाला गया है जैसा कि कंडिका 2.5.1 और 2.5.3 में उल्लिखित है।

2.5.1 झा.मू.व.क. अधिनियम के अंतर्गत विक्रय/क्रय आवर्त का छिपाया जाना

करनिर्धारण प्राधिकारियों ने कर निर्धारण संपन्न करते समय व्यवसायी के पृथक अभिलेखों में उपलब्ध अतिरिक्त सूचनाओं से विवरणियों की जाँच नहीं की। जिसके फलस्वरुप वास्तविक आवर्त का छिपाव हुआ तथा परिणामी ₹ 284.10 करोड़ के अर्थदण्ड और कर का अवनिर्धारण हुआ।

के.बि.क. अधिनियम की धारा 9 के साथ पठित झा.मू.व.क. अधिनियम की धारा 40(1) और 37(6) के प्रावधानों के अंतर्गत, यदि विहित प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने के ठोस कारण हैं कि व्यवसायी ने आवर्त के ब्यौरे को जानबूझकर छिपाया, छोड़ा या दर्शाने में विफल रहा है अथवा ऐसे आवर्त का गलत ब्यौरा दाखिल किया है, जिससे विवरणित राशि वास्तविक राशि से कम है, तो उक्त प्राधिकारी वैसे आवर्त पर व्यवसायी द्वारा देय कर की राशि का निर्धारण या पुनर्निर्धारण करेगा तथा छिपाये गये आवर्त पर निर्धारित कर के अतिरिक्त अर्थदण्ड के रूप में इस प्रकार निर्धारित अतिरिक्त कर की राशि के दुगुनी राशि के समतुल्य राशि का भुगतान करने का निर्देश देगा।

हमने 11 वाणिज्यकर अंचलों[22] में निबंधित 39,741 व्यवसायियों में से 1,677 व्यवसायियों के कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जाँच की (जून 2015 और मार्च 2016 के बीच) और देखा कि 18 व्यवसायियों ने 2010-11 से 2012-13 की अवधि के दौरान आवधिक विवरणियों और प्रपत्र झा.मू.व.क.-409 में निर्धारित वैट ऑडिट रिपोर्ट के माध्यम से ₹ 1,447.06 करोड़ का क्रय/विक्रय आवर्त दर्शाया था जिसके आधार पर (सितंबर 2013 और अगस्त 2015 के बीच) कर निर्धारण संपन्न किया गया। तथापि, व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत किये गये घोषणा प्रपत्र 'एफ' और 'सी' की अधियाचना और उपयोग, वार्षिक विवरणी, ब्यापार लेखा, अंकेक्षित वार्षिक लेखा, लाभ और हानि लेखा तथा अनुज्ञा प्रपत्र की विस्तृत विवरणी की हमारी जाँच से यह पता चला कि व्यवसायियों ने वास्तव में ₹ 2,230.56 करोड़ मूल्य के वस्तुओं[23] का

---

[22] आदित्यपुर, देवघर, धनबाद, धनबाद नागरीय , गिरिडीह, गोड्डा, जमशेदपुर, कतरास, राँची पूर्वी, राँची पश्चिमी और सिंहभूम।

[23] बस का ढाँचा , सीमेंट, वाणिज्यिक वाहन और स्पेयर पार्ट्स, कंप्यूटर और कंप्यूटर पार्ट्स, डी सल्फराईजिंग पाउडर, बिजली के सामान, विस्फोटक, फायर ब्रिक्स , इन्सुलेटर फिटिंग, लौह अयस्क, धातु स्टील छड़, धातु स्टील फ्लैट, धातु स्टील इंगोट्स , रेलवे की बोगियाँ, रबर उत्पादों, स्पंज आयरन, स्टील ट्यूब्स और कार्य संविदा में शामिल माल।

क्रय/प्राप्ति/विक्रय किया था। इस प्रकार, व्यवसायियों ने अपनी विवरणियों में ₹ 783.50 करोड़ के सामग्रियों के क्रय/विक्रय को छिपाया था। यह दर्शाता है कि निर्धारण प्राधिकारियों ने इन 18 व्यवसायियों द्वारा दाखिल किये गये अभिलेखों में उपलब्ध प्रासंगिक सूचनाओं से विवरणियों का तिर्यक सत्यापन नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 189.40 करोड़ के अर्थदंड सहित` ₹ 284.10 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

हमने अधिकतम वित्तीय निहितार्थ के आधार पर पाँच वाणिज्यकर अंचलों के पाँच व्यवसायियों के संबंध में विशिष्ट मामलों को **तालिका-2.15** में उल्लेख किया है।

तालिका - 2.15

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अंचल का नाम व्यवसायियों की संख्या	अवधि निर्धारण माह	आपत्तियों की प्रकृत्ति	छिपाया गया आवर्त कर की दर (%)	मू.व.क. का कम आरोपण अर्थदण्ड
1	आदित्यपुर एक	2011-12 फरवरी 2015	व्यवसायी ने विनिर्मित और बिक्री की गयी वस्तुओं पर ₹ 49.01 करोड़ का उपकर सहित उत्पाद शुल्क का भुगतान किया था। इस प्रकार, उत्पाद शुल्क भुगतान के आधार पर वस्तुओं की वास्तविक बिक्री ₹ 475.86 करोड़ थी, लेकिन विक्रय आवर्त `₹ 76.43 करोड़ ही लेखापित किया गया था।	399.43 14	55.92 111.84
2	राँची पश्चिमी एक	2010-11 मार्च 2014	व्यवसायी ने 2010-11 की अवधि के लिए ₹ 464.96 करोड़ का प्रपत्र 'सी' में घोषणा जारी किया लेकिन` ₹ 316.98 करोड़ अन्तरराज्यीय क्रय लेखापित किया।	147.98 12.5	18.50 37.00
3	सिंहभूम एक	2011-12 नवम्बर 2014	व्यवसायी ने कच्चे माल की खरीद पर भुगतान की गये ₹ 85.76 करोड़ के उत्पाद शुल्क का भुगतान शामिल नहीं किया।	85.76 14	12.00 24.00
4	गिरिडीह एक	2011-12, एवं 2012-13 मार्च एवं अगस्त 2015	व्यवसायी ने लेखा परीक्षित वार्षिक लेखे के अनुसार ₹ 311.98 करोड़ की बिक्री दर्शाया लेकिन ₹ 194.02 करोड़ पर कर निर्धारण संपन्न किया गया । इस प्रकार, व्यवसायी ने ₹ 117.96 करोड़ का बिक्री आवर्त छिपाया था।	117.96 5	5.90 11.80
5	जमशेदपुर एक	2010-11 मार्च 2014	व्यवसायी ने ₹ 46 करोड़ का वास्तविक खरीद किया था लेकिन ₹ 41.85 करोड़ ही लेखापित किया जिस पर कर निर्धारण संपन्न किया गया।	4.15 12.5	0.52 1.04

हमने मामले को मई 2016 में सरकार को प्रतिवेदित किया; बहिर्गमन सम्मेलन में सरकार/विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकनों के साथ सहमति व्यक्त की और कहा कि उचित कार्रवाई की जाएगी (अगस्त 2016)। बाद में, विभाग ने गिरिडीह वाणिज्यकर अंचल के चार मामलों में ₹ 2.52 करोड़ का अतिरिक्त मांग सृजित किया। तदन्तर उत्तर अप्राप्त है (अक्टूबर 2016)।

2.5.2 झा.मू.व.क. अधिनियम के अन्तर्गत सकल आवर्त का गलत निर्धारण

सकल आवर्त ₹ 4,732.25 करोड़ के बजाय ₹ 4,633.45 करोड़ गलत तरीके से निर्धारित किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 5.63 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

झा.मू.व.क. अधिनियम, 2005 की धारा 2(xxv) के प्रावधानों के अंतर्गत सकल आवर्त (स.आ.), किसी दी गई अवधि के दौरान कार्य संविदा के निष्पादन अथवा अन्तर्राज्यीय बिक्री या वाणिज्य के दौरान राज्य के बाहर वस्तुओं की बिक्री अथवा निर्यात के लिए प्राप्त या प्राप्य कुल राशि सहित व्यवसायी द्वारा प्राप्त और प्राप्य कुल राशियों का योग है।

हमने छः वाणिज्यकर अंचलों[24] में निबंधित 14,716 व्यवसायियों में से 818 व्यवसायियों (व्यवसायियों का 5.5 प्रतिशत) के कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जाँच (अक्टूबर 2015 और मार्च 2016 के बीच) की और पाया कि आठ व्यवसायियों के मामलों में 2009-10 से 2011-12 की अवधि लिए सकल आवर्त ₹ 4,633.45 करोड़ निर्धारित किया गया था। तथापि, व्यवसायी द्वारा दाखिल विवरणी की हमारी संवीक्षा में यह पाया गया कि वास्तविक सकल आवर्त ₹ 4,732.25 करोड़ था। क.नि.प्रा. ने कर निर्धारण संपन्न करते समय (फरवरी 2013 और अगस्त 2015 के मध्य) विवरणियों/अभिलेखों में उल्लिखित आँकड़ों पर विचार नहीं किया और बिना कारण बताये हुए कम करके सकल आवर्त का निर्धारण किया, इसके फलस्वरूप ₹ 98.80 करोड़ से स.आ. का गलत निर्धारण हुआ। इसका परिणाम ₹ 5.63 करोड़ के कर के अवनिर्धारण में हुआ।

हमने मामले को मई 2016 में सरकार को प्रतिवेदित किया; बहिर्गमन सम्मेलन में सरकार/विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकनों के साथ सहमति व्यक्त की और कहा कि उचित कार्रवाई की जाएगी (अगस्त 2016)। तदन्तर उत्तर अप्राप्त है (अक्टूबर 2016)।

2.5.3 झा.मू.व.क. अधिनियम के अंतर्गत करदेय आवर्त का गलत निर्धारण

झा.मू.व.क. नियमावली के अंतर्गत श्रम एवं सदृश प्रभार पर गलत छूट की अनुमति के परिणामस्वरुप ₹ 32.98 करोड़ के कर देय आवर्त का कम निर्धारण हुआ तथा ₹ 4.59 करोड़ के कर का परिणामी अवनिर्धारण हुआ।

झा.मू.व.क. नियमावली, 2006 का नियम 22, कार्य संविदा के प्रयोजन हेतु करयोग्य आवर्त के निर्धारण के लिए श्रम लागत और एवं अन्य सदृश प्रभार को घटाने की अनुमति प्रदान करता है। तदन्तर, यह प्रावधान है कि कार्य संवेदक द्वारा घोषित कार्य संविदा के निष्पादन में प्रयुक्त मालों का मूल्य वस्तुओं के खरीद मूल्य से कम

[24] आदित्यपुर, चाईबासा, हजारीबाग, जमशेदपुर नागरीय , कतरास और लोहरदगा।

नहीं हो सकेगा और अगर संवेदक और मू.व.क. व्यवसायी माल के सही मूल्य निर्धारित करने के लिए खातों का संधारण नहीं किया है, तो वह कुल प्राप्त या प्राप्य प्रतिफल पर, निर्दिष्ट कटौती के बाद 14 फीसदी की दर (7 मई 2011 से) से कर का भुगतान करेगा।

हमने पांच वाणिज्यकर अंचलों[25] में निबंधित 19,210 व्यवसायियों में से 989 व्यवसायियों (व्यवसायियों का 5.14 प्रतिशत) के कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जाँच (जुलाई 2015 और मार्च 2016 के बीच) की और देखा कि 10 संवेदकों के मामले में 2010-11 और 2011-12- के दौरान श्रम लागत और एवं अन्य सदृश प्रभार पर गलत छूट की अनुमति देने के कारण करयोग्य आवर्त (टी.टी.ओ.) ₹ 174.13 करोड़ के बजाय ₹ 141.15 करोड़ का आवर्त निर्धारित किया गया। क.नि.प्रा. ने कर निर्धारण संपन्न करते समय (मई 2012 और मार्च 2015 के बीच) उपरोक्त नियम के अनुसार कर देय आवर्त का निर्धारण नहीं किया, परिणामस्वरूप ₹ 32.98 करोड़ के कर देय आवर्त का अल्पनिर्धारण हुआ। इसके फलस्वरूप ₹ 4.59 करोड़ के कर की राशि का अवनिर्धारण हुआ।

हमने मामले को मई 2016 में सरकार को प्रतिवेदित किया; सरकार/विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन में लेखापरीक्षा अवलोकनों के साथ सहमति व्यक्त की और कहा कि उचित कार्रवाई की जाएगी (अगस्त 2016)। इसके बाद, विभाग ने जमशेदपुर नागरीय वाणिज्यकर अंचल के एक मामले में ₹ 4.63 करोड़ के अतिरिक्त मांग का सृजन किया। तदन्तर उत्तर अप्राप्त है (अक्टूबर 2016)।

2.6 ब्याज का अनारोपण

झा.मू.व.क. अधिनियम के प्रावधानों के अधीन राज्य के बाहर/भीतर भंडार हस्तांतरण, कर की रियायती दर पर अंतर्राज्यीय बिक्री, सामग्रियों के स्वयं उपभोग, इनपुट टैक्स क्रेडिट के दावे की अस्वीकृति और करनिर्धारण प्राधिकारी द्वारा स.आ. में अभिवृद्धि पर ₹ 173.06 करोड़ का ब्याज यद्यपि आरोप्य था, आरोपित नहीं किया गया। मामलें अनुवर्ती कंडिकाओं में वर्णित हैं:

2.6.1 अस्वीकृत छूट और रियायतों पर ब्याज आरोपित नहीं किया गया

करनिर्धारण प्राधिकारियों ने, छूट, रियायतें और इनपुट टैक्स क्रेडिट की अस्वीकृति के कारण आवर्त पर निर्धारित दरों पर कर आरोपित की। हालांकि, ₹ 119.92 करोड़ का ब्याज यद्यपि आरोप्य था, आरोपित नहीं किया गया।

के.बि.क. अधिनियम की धारा 9(2) के साथ पठित झा.मू.व.क. अधिनियम की धारा 35(6) के प्रावधानों एवं उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अधीन, यदि निर्धारित समय के भीतर स्व-निर्धारण दाखिल नहीं की गयी हो, तो विहित प्राधिकारी दाखिल

[25] धनबाद नागरीय, गोड्डा, जमशेदपुर, जमशेदपुर नागरीय और सिंहभूम।

की गयी विवरणी के आधार पर, जो अभिलेखों में दर्ज हो, अधिनियम के अधीन छूट व कटौती जो अपेक्षित प्रमाण द्वारा समर्थित न हो, की अस्वीकृति सहित आवश्यक समायोजन करने के पश्चात व्यवसायी द्वारा देय कर एवं ब्याज की राशि का निर्धारण करेगा। तदन्तर, अधिनियम की धारा 30(1), कर देय की तिथि से भुगतान किये जाने की तिथि या निर्धारण के आदेश की तिथि, जो भी पहले हो, एक प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज आरोपित करने को प्रावधानित करता है।

हमने नौ वाणिज्यकर अंचलों[26] के 36,700 निबंधित व्यवसायियों में से 1,398 व्यवसायियों के कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जाँच (जुलाई 2015 और फरवरी 2016 के बीच) की और पाया कि 19 व्यवसायियों ने आवधिक विवरणी/झा.मू.व.क.-409 के द्वारा 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान ₹ 32,525.69 करोड़ के आवर्त पर राज्य के बाहर/अंदर भंडार अंतरण, मार्गस्थ बिक्री, रियायती दर पर अंतर्राज्यीय बिक्री एवं इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया। क.नि.प्रा. ने (फरवरी 2014 एवं मार्च 2015 के बीच) इन व्यवसायियों का कर निर्धारण संपन्न करते समय ₹ 28,048.24 करोड़ के आवर्त पर कर से छूट एवं कर के रियायती दर की अनुमति दी। शेष आवर्त ₹ 4,477.44 करोड़ पर विहित दर से करारोपण कर ₹ 345.77 करोड़ का कर आरोपित किया गया। तथापि, अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत ₹ 119.92 करोड़ का ब्याज यद्यपि आरोप्य था, आरोपित नहीं किया गया। .

हमने उच्चतम वित्तीय निहितार्थ के आधार पर पांच वाणिज्यकर अंचलों में पांच व्यवसायियों के संबंध में विनिर्दिष्ट मामलों को **तालिका- 2.16** में उल्लेख किया है।

तालिका-2.16

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अंचल का नाम व्यवसायियों की संख्या	अवधि निर्धारण माह	आपत्तियों की प्रकृत्ति	निर्धारित अतिरिक्त कर	आरोप्य ब्याज
1	रांची पश्चिमी एक	2011-12 मार्च 2015	व्यवसायी ने गैर कर प्रभारों पारगमन बिक्री और आई॰टी॰सी से संबंधित ₹ 2,340.37 करोड़ की छूट/ आई॰टी॰सी का दावा किया। हालांकि, क.नि.प्रा. ने ₹ 619.35 करोड़ का दावा स्वीकार किया और अस्वीकृत आवर्त पर ₹`188.82 करोड़ का कर आरोपित किया। निर्धारित अतिरिक्त कर पर एक प्रतिशत की दर से ब्याज यद्यपि आरोप्य था, आरोपित नहीं किया गया।	188.82	66.09

[26] आदित्यपुर, चिरकुंडा, धनबाद नागरीय , गिरिडीह, जमशेदपुर, जमशेदपुर नागरीय, झरिया, रांची विशेष और रांची पश्चिमी।

तालिका-2.16

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अंचल का नाम व्यवसायियों की संख्या	अवधि निर्धारण माह	आपत्तियों की प्रकृत्ति	निर्धारित अतिरिक्त कर	आरोप्य ब्याज
2	जमशेदपुर नागरीय एक	2011-12 फरवरी 2015	व्यवसायी ने अंतर्राज्यीय भंडारअंतरण, रियायती दर पर अंतर्राज्यीय बिक्री और एस इ जेड इकाईयों को की गई बिक्री हेतु ₹ 28,205.90 करोड़ का दावा किया था लेकिन प्रपत्र 'एफ','सी' और 'आइ' ₹ 26,523.75 करोड़ हेतु प्रस्तुत की। क.नि.प्रा. ने ₹` 83.15 करोड़ का कर आरोपित किया लेकिन निर्धारित अतिरिक्त कर पर एक प्रतिशत की दर से आरोप्य ब्याज आरोपित नहीं किया गया।	83.15	28.27
3	जमशेदपुर एक	2011-12 मार्च 2015	व्यवसायी ने भंडारअंतरण, रियायती दर पर अंतर्राज्यीय बिक्री, मार्गस्थ बिक्री और आई॰टी॰सी हेतु ₹ 717.98 करोड़ का दावा किया था लेकिन प्रपत्र 'एफ','सी' 'ई-1' और झा.मू.व.क-404, ₹ 36.84 करोड़ हेतु प्रस्तुत की। क.नि.प्रा. ने अस्वीकृत आवर्त पर ₹` 54.59 करोड़ का कर आरोपित किया लेकिन निर्धारित अतिरिक्त कर पर एक प्रतिशत की दर से आरोप्य ब्याज आरोपित नहीं किया गया।	54.59	19.11
4	आदित्यपुर एक	2011-12 फरवरी 2015	व्यवसायी ने भंडारअंतरण, निर्यात बिक्री रियायती दर पर अंतर्राज्यीय बिक्री और आई॰टी॰सी हेतु ₹ 209.29 करोड़ का दावा किया था लेकिन प्रपत्र 'एफ','सी' 'एच' और झा.मू.व.क.-404 प्रस्तुत नहीं किया क..नि.प्रा. ने अस्वीकृत आवर्त पर ₹ 8.31 करोड़ का कर आरोपित किया लेकिन निर्धारित अतिरिक्त कर पर एक प्रतिशत की दर से आरोप्य ब्याज आरोपित नहीं किया गया।	8.31	2.83
5	गिरिडीह एक	2011-12 फरवरी 2014	व्यवसायी ने ₹ 36.81 लाख के आई.टी.सी. का दावा किया था लेकिन आई.टी.सी का दावा अस्वीकृत कर दिया गया। तथापि, निर्धारित अतिरिक्त कर पर एक प्रतिशत की दर से आरोप्य ब्याज आरोपित नहीं किया गया।	0.37	0.13

हमने मामले को मई 2016 में सरकार को प्रतिवेदित किया; सरकार/विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन में लेखापरीक्षा अवलोकनों के साथ सहमति व्यक्त की और कहा कि उचित कार्रवाई की जाएगी (अगस्त 2016)। इसके बाद, विभाग ने तीन वाणिज्यकर अंचलों के तीन मामले में ₹ 68.32 करोड़ के अतिरिक्त मांग का सृजन किया। तदन्तर उत्तर अप्राप्त है (अक्टूबर 2016)।

2.6.2 बढ़ाये गये आवर्त पर ब्याज का आरोपण नहीं होना

झा.मू.व.क. अधिनियम की धारा 40 (2) के प्रावधानों के तहत 15 व्यवसायियों द्वारा आवर्त के छिपाव/संगोपन के लिए क.नि.प्रा. द्वारा आवर्त और उसपर कर का निर्धारण करते समय ₹ 53.14 करोड़ का ब्याज आरोपित नहीं किया गया।

झा.मू.व.क. अधिनियम, 2005 के धारा 40(2) के प्रावधानों के अंतर्गत यदि विहित प्राधिकारी किसी ऐसी सूचना पर, जो उसे निर्धारण के पूर्व या अन्यथा प्राप्त हुई हो, कि किसी निबंधित व्यवसायी ने उसके द्वारा देय कर की राशि को कम करने के उद्देश्य से किसी खरीद या बिक्री या उसके किसी हिस्से को छुपाया है या अपने आवर्त का गलत विवरण प्रस्तुत किया है या स्वयं द्वारा प्रस्तुत विवरणी में क्रय या विक्रय का गलत ब्यौरा प्रस्तुत किया है, तो वह व्यवसायी को निर्धारित अतिरिक्त कर के साथ साथ, अप्रकट या छुपाये गये आवर्त पर प्रत्येक माह के लिए पांच प्रतिशत की दर से ब्याज के रूप में एक राशि अदा करने का निर्देश देगा।

हमने नौ वाणिज्यकर अंचलों[27] में निबंधित व्यवसायियों का पांच प्रतिशत अर्थात् 33,298 व्यवसायियों में से 1,538 व्यवसायियों के कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जाँच की (जुलाई 2015 और मार्च 2016 के बीच) और पाया कि 15 व्यवसायियों ने 2011-12 और 2012-13 की अवधि के लिए ₹ 3,955.14 करोड़ के स.आ. घोषित करते हुए अपनी विवरणियों दाखिल की। क.नि.प्र. ने कर निर्धारण संपन्न करते समय (जनवरी 2015 और जनवरी 2016 के बीच) मालों का नहीं/कम लेखांकन, आवर्त का छिपाव, गलत, अपूर्ण और अविश्वसनीय लेखा प्रस्तुत करने के आधार पर सकल आवर्त को ₹ 616.17 करोड़ के अतिरिक्त राशि द्वारा बढ़ाकर ₹ 4,571.31 करोड़ पर पुनर्निर्धारण किया। हालांकि, झा.मू.व.क. अधिनियम की धारा 40(2) के प्रावधानों के तहत ₹ 53.14 करोड़ का यद्यपि ब्याज आरोप्य था, आरोपित नहीं किया गया।

हमने मामले को मई 2016 में सरकार को प्रतिवेदित किया; सरकार/विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन में लेखापरीक्षा अवलोकनों के साथ सहमति व्यक्त की और कहा कि उचित कार्रवाई की जाएगी (अगस्त 2016)। तदन्तर उत्तर अप्राप्त है (अक्टूबर 2016)।

2.7 केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम के अनुपालन में अनियमितताएँ

के.बि.क. अधिनियम, 1956 के प्रावधानों और उसके अधीन जारी नियमों/अधिसूचनाओं के अंतर्गत करारोपण से छूट/रियायत का दावा करने हेतु

[27] आदित्यपुर, चिरकुंडा, धनबाद, धनबाद नागरीय, हजारीबाग, जमशेदपुर, जमशेदपुर नागरीय, झरिया और तेनुघाट।

विभिन्न घोषणा प्रपत्रें निर्धारित हैं। तदन्तर अधिनियम घोषणा प्रपत्रों के दुरूपयोग पर दंड के आरोपण की व्यवस्था करता है।

हमने पाया कि क॰नि॰प्रा॰ ने अधिनियम के प्रावधानों एवं उसके अधीन जारी अधिसूचनाओं का अनुपालन नहीं किया, परिणामत: ₹ 45.80 करोड़ के अर्थदंड एवं कर का अल्पारोपण हुआ। ये मामले अनुवर्ती कंडिकाओं में वर्णित हैं:

2.7.1 के.बि.क. के तहत कर के रियायती दर की गलत अनुमति

अस्वीकृत मार्गस्थ बिक्री के ₹ 377.32 करोड़ पर कर की गलत रियायती दर आरोपित की गई हालांकि ये राज्य के भीतर सम्पन्न किए गये थे और परिणामतः ₹ 45.28 करोड़ का अल्पारोपण हुआ।

के.बि.क. अधिनियम,1956 के अंतर्गत बने नियम 12(1) एव 12(4) के साथ पठित अधिनियम की धारा 6(2) के अनुसार अन्तरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान किसी भी माल की बिक्री पर इस अधिनियम के तहत कर से छूट दी जाएगी, बशर्ते कि बिक्रेता व्यवसायी विहित प्राधिकारी को निबंधित व्यवसायी जिस से माल खरीदे गए थे द्वारा हस्ताक्षरित प्रपत्र ई-1 या ई-।। में एक प्रमाण पत्र और प्रपत्र 'सी' में उस पक्ष से एक घोषणापत्र जिसे बाद में माल बेचे गए थे, प्रस्तुत करेगा। तदन्तर अधिनियम की धारा 3 प्राविधित करता है कि अन्तर्राज्यीय व्यापार व वाणिज्य के क्रम में बिक्री या क्रय की गई वस्तुओं की बिक्री तब माना जायेगा, जब बिक्रय या क्रय की गई वस्तुओं का परिवहन एक राज्य से अन्य राज्य के लिए हो या एक राज्य से दूसरे राज्य के लिए उनकी संचलन के दौरान मालों के स्वत्वाधिकार के दस्तावेजों का स्थानांतरण ससमय किया गया हो।

हमने रांची पश्चिमी वाणिज्यकर अंचल में निबंधित 5740 व्यवसायियों में से 110 व्यवसायियों (व्यवसायियों का दो प्रतिशत) के कर निर्धारण अभिलेखों की जाँच की (नवंबर 2015) और पाया कि एक व्यवसायी के मामलें में कर निर्धारण (मार्च 2015) करते समय क.नि.प्रा. ने अवधि 2011-12 के लिए मार्गस्थ बिक्री के ₹ 377.32 करोड़ को अस्वीकृत कर दिया और मात्र झारखंड के व्यवसायियों द्वारा जारी प्रपत्र 'सी' की प्रस्तुतिकरण पर, कर की रियायती दर आरोपित किया। चूँकि, सामान की खरीद और बिक्री एक ही राज्य में प्रारंभ और समाप्त हुआ था के.बि.क. अधिनियम के तहत लागू कर के रियायती दर के बजाय राज्य में लागू उचित दर पर आरोपित किया जाना अपेक्षित था। इसके फलस्वरूप रियायती दर की गलत अनुमति दी गई और परिणामस्वरुप ₹ 45.28 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ।

हमने मामले को मई 2016 में सरकार को प्रतिवेदित किया; सरकार/विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन में लेखापरीक्षा अवलोकनों के साथ सहमति व्यक्त की और कहा कि उचित कार्रवाई की जाएगी (अगस्त 2016)। तदन्तर उत्तर अप्राप्त है (अक्टूबर 2016)।

2.7.2 के.बि.क. के तहत कर का अवनिर्धारण

कर के रियायती दर पर आधिक्य स्वीकृति या गलत दर के अनुप्रयोग के फलस्वरूप के.बि.क. अधिनियम के तहत ₹ 52.16 लाख के कर का कम आरोपण हुआ।

के.बि.क. अधिनियम की धारा 8 के प्रावधानों के तहत, प्रत्येक निबंधित व्यवसायी, जो अन्तरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के क्रम में क्रेता व्यवसायी के निबंधन प्रमाणपत्र में निर्दिष्ट वर्ग या वर्गों का माल बेचता है, पर दो प्रतिशत की रियायती दर से कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, बशर्ते कि ऐसी बिक्री क्रेता व्यवसायी द्वारा जारी घोषणा प्रपत्र 'सी' से समर्थित हो और जहां बिक्री प्रपत्र 'सी' में घोषणा द्वारा समर्थित नहीं है, पर राज्य में इस तरह के माल की बिक्री पर लागू दर पर कर आरोप्य है।

हमने तीन वाणिज्यकर अंचलों[28] में निबंधित 7,968 व्यवसायियों में से 379 व्यवसायियों (व्यवसायियों का 4.8 प्रतिशत) के अभिलेखों का नमूना जाँच की (जुलाई 2015 और मार्च 2016 के बीच) और पाया कि धनबाद और तेनुघाट वाणिज्यकर अंचलों के तीन व्यवसायियों के मामलें में क.नि.प्र. ने कर निर्धारण संपन्न करते समय (अक्टूबर 2014 सितंबर 2015 के बीच) प्रपत्र 'सी' में 156 घोषणाओं के प्रस्तुतिकरण पर ₹ 680.25 करोड़ पर कर की रियायती दर आरोपित किया। हालांकि, अभिलेखों की हमारी संवीक्षा ने उद्घटित किया कि उपर्युक्त आवर्त में ₹ 12.21 करोड़ का कर अवयव शामिल था जिसे गलत कर योग्य आवर्त के रूप में माना गया। तदन्तर, हमने देखा कि आदित्यपुर वाणिज्यकर अंचल में, क.नि.प्र. द्वारा कर निर्धारण संपन्न करते समय (फरवरी 2015) 33 घोषणाओं में ₹ 21.33 करोड़ के लिए` प्रपत्र 'सी' के प्रस्तुतिकरण पर, ₹ 15.58 करोड़ के आवर्त पर ही कर की रियायती दर आरोपित किया गया था। क.नि.प्रा ने कहा कि ₹ छः करोड़ के अधिक मूल्य का प्रपत्र 'सी' व्यवसायी की दुसरी इकाई से संबंधित था। हमने उसी अंचल में निबंधित व्यवसायी की दूसरी इकाई के अभिलेखों के साथ उपर्युक्त प्रपत्रों की तिर्यक-जाँच की और पाया कि उपर्युक्त प्रपत्र 'सी' पर रियायती दर पर कर नहीं लगाया गया था। आदित्यपुर अंचल में निबंधित एक अन्य व्यवसायी के मामले में, व्यवसायी द्वारा घोषणा प्रपत्र 'सी' प्रस्तुत नहीं किया गया, लेकिन ₹ 3.52 करोड़ के आवर्त पर पांच प्रतिशत की बजाय चार प्रतिशत की गलत दर से कर आरोपित किया गया। इसके फलस्वरूप पांच व्यवसायियों के मामले में ₹ 52.16 लाख के के.बि.क. का कम आरोपण हुआ।

हमने मामले को मई 2016 में सरकार को प्रतिवेदित किया; सरकार/विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन में लेखापरीक्षा अवलोकनों के साथ सहमति व्यक्त की और कहा

[28] आदित्यपुर, धनबाद और तेनुघाट।।

कि उचित कार्रवाई की जाएगी (अगस्त 2016)। विभाग ने तेनुघाट वाणिज्यकर अंचल के एक मामले में ₹ 26.96 लाख के अतिरिक्त मांग का सृजन किया। तदन्तर उत्तर अप्राप्त है (अक्टूबर 2016)।

2.8 झा.मू.व.क. अधिनियम के तहत कर के गलत दर का अनुप्रयोग

बस/ट्रक का ढाँचा, सौंदर्य प्रसाधन, जनरेटर सेट, और कार्य संविदा में मान्य बिक्री के आवर्त पर मू.व.क. के गलत दर के अनुप्रयोग के फलस्वरूप ₹ 15.44 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ।

झा.मू.व.क. अधिनियम, 2005 की धारा 9 और 13 के प्रावधानों और उसके अन्तर्गत संलग्न अनुसूची के तहत बस/ट्रक का ढाँचा, सौंदर्य प्रसाधन, पेंट, बाथ शावर, जनरेटर सेट, डीजल इंजन के पुर्जे आदि 7 मई 2011 से 14 प्रतिशत की दर से करयोग्य है। मोटर पार्ट्स 7 मई, 2011 से 10 प्रतिशत की दर से करयोग्य है। तदन्तर, झा.मू.व.क. नियमावली, 2006 के नियम 22 (2) के अनुसार कार्य ठेकेदारों के अस्वीकृत श्रम लागत और अन्य सदृश प्रभार पर 6 मई 2011 तक 12.5 प्रतिशत और उसके बाद 14 प्रतिशत की दर से कर लगाये जाने थे। यह न्यायिक निर्णय[29] है कि बस ढाँचा मोटर वाहन का अभिन्न हिस्सा है और यह स्पेयर पार्ट्स या सहायक उपकरण के तहत नहीं आता है ।

हमने आठ वाणिज्यकर अंचलों[30] में निबंधित 34,299 व्यवसायियों में से 968 व्यवसायियों (व्यवसायियों का तीन प्रतिशत) के कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जाँच (जुलाई 2015 और मार्च 2016 के बीच) की और यह पाया कि बस/ट्रक ढाँचों, सौंदर्य प्रसाधन, स्टील की कुर्सियां, जनरेटर सेट, मोटर पार्ट्स डीजल इंजन के पुर्जों आदि या कार्य संविदा का काम कर रहे 22 व्यवसायियों ने 2011-12 और 2012-13 के बीच की अवधि के लिए एक, चार, पाँच और 10 प्रतिशत की दर से कर स्वीकार करते हुये अपनी विवरणियाँ दाखिल की। हालांकि, कर निर्धारण अभिलेखों की हमारी जाँच से पता चला कि करनिर्धारण प्राधिकारी आदित्यपुर, अंचल ने छः व्यवसायियों के मामले में बस/ट्रक के ढाँचे की बिक्री पर 14 प्रतिशत की दर से ₹ 24.92 करोड़ की आरोप्य कर के बजाय इसे स्पेयर पार्ट्स मानते हुए 10 प्रतिशत की दर से ₹ 17.80 करोड़ का कर लगाया। शेष सात अंचलों के करनिर्धारण प्राधिकारियों (क.नि.प्रा.) ने 16 व्यवसायियों के कर निर्धारण सम्पन करते समय (मई 2014 और मार्च 2016 के बीच) 14 प्रतिशत की दर से ₹ 14.18 करोड़ के आरोप्य कर के बजाय सौंदर्य प्रसाधन, स्टील की कुर्सियां, जनरेटर सेट, मोटर पार्ट्स डीजल इंजन के पुर्जों आदि की बिक्री तथा कार्य संविदा पर एक, चार और पांच प्रतिशत की दर से ₹ 5.86 करोड़ का कर लगाया। क.नि.प्रा. विवरणियों/अभिलेखों में उल्लिखित आंकडों

---

[29] अन्नपूर्णा कार्बन उद्योग कंपनी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य [1976] 37 एसटीसी 378 (एससी) और अंबाला कोच बिल्डर्स बनाम हरियाणा राज्य और अन्य [1977] 39 एसटीसी 44 पी॰एच॰।

[30] आदित्यपुर, धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, जमशेदपुर, कतरास, रांची विशेष और रांची पश्चिमी।

की उक्त प्रावधानों और दरों की अनुसूची से सत्यापित नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप क.नि.प्रा. द्वारा गलत दरों के अनुप्रयोग के कारण ₹ 15.44 करोड़ के कर का अवानिर्धारण हुआ।

हमने मामले को मई 2016 में सरकार को प्रतिवेदित किया; सरकार/विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन में लेखापरीक्षा अवलोकनों के साथ सहमति व्यक्त की और कहा कि उचित कार्रवाई की जाएगी (अगस्त 2016)। विभाग ने गिरिडीह वाणिज्यकर अंचल के एक व्यवसायी के मामले में ₹ 12.94 लाख के अतिरिक्त मांग का सृजन किया। तदन्तर उत्तर अप्राप्त है (अक्टूबर 2016)।

2.9 गलत छूट

देय कर के आरोपण हेतु वास्तविक आवर्त के निर्धारण के लिए वास्तविक छूट के निर्धारण की स्वीकृति आवश्यक है। इस कंडिका में छूट की गलत स्वीकृति के परिणामस्वरूप ₹ 11.57 करोड़ के कर का अवनिर्धारण शामिल है।

2.9.1 झा.मू.व.क. अधिनियम के अन्तर्गत छूट की गलत अनुमति

व्यवसायियों को मूल्यांतर और सब्सिडी, प्रोत्साहन, व्यापार छूट, छूट, सेवा प्रभार, लघु संविदा व्यय, उत्पाद शुल्क आदि के कारण ₹ 6.08 करोड़ के कर से छूट की अनुचित स्वीकृति प्रदान की गई।

झा.मू.व.क. अधिनियम की धारा 2(xlii) के प्रावधानों के तहत, उत्पाद शुल्क खरीद मूल्य का एक अभिन्न हिस्सा है और अप्रैल 2010 से संशोधित[31] धारा 9(5) के अनुसार जब एक निबंधित व्यवसायी किसी बिक्री के क्रम में मालों की मात्रा के (रूप में या अन्यथा) व्यापार छूट या प्रोत्साहन की अनुमति देता है, व्यापार छूट या प्रोत्साहन के रूप में अनुमत मात्रा को व्यवसायी द्वारा की गयी बिक्री माना जायगा। तदन्तर, झा.मू.व.क. नियमावली के नियम 22 के तहत अनिबंधित ठेकेदारों को दिये गये लघु संविदा व्यय और टी॰डी॰एस के लिए छूट, स्वीकार्य नहीं है।

हमने नौ वाणिज्यकर अंचलों[32] में निबंधित 37,606 व्यवसायियों में से 1,375 व्यवसायियों (व्यवसायियों का 3.6 प्रतिशत) के कर निर्धारण अभिलेखों की जाँच (जुलाई 2015 और मार्च 2016 के बीच) की और पाया कि 13 निर्धारितियों ने 2011-12 और 2012-13 की अवधि के दौरान मूल्यांतर और सब्सिडी, प्रोत्साहन, व्यापार छूट, छूट, सेवा प्रभार, लघु संविदा व्यय, उत्पाद शुल्क और टी.डी.एस इत्यादि के मद में ₹ 56.56 करोड़ की कटौती का दावा किया। करनिर्धारण प्राधिकारी ने कर निर्धारण संपन्न करते समय (अप्रैल 2014 और मार्च 2015 के बीच) प्रावधानों के

[31] 7 मई 2011 के एस.ओ.1।

[32] आदित्यपुर, धनबाद, गिरिडीह, जमशेदपुर नागरीय, पलामू, रांची पूर्वी, रांची विशेष, रांची पश्चिमी और सिंहभूम।

उल्लंघन कर गलत तरीके से उपरोक्त आवर्त पर कर से छूट कि स्वीकृति दी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 6.08 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

हमने मामले को मई 2016 में सरकार को प्रतिवेदित किया; सरकार/विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन में लेखापरीक्षा अवलोकनों के साथ सहमति व्यक्त की और कहा कि उचित कार्रवाई की जाएगी (अगस्त 2016)। तदन्तर उत्तर अप्राप्त है (अक्टूबर 2016)।

2.9.2 छूट की गलत अनुमति

क.नि.प्रा. द्वारा ₹ 109.74 करोड़ के छूट की गलत स्वीकृति दिये जाने के कारण ₹ 5.49 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

के.बि.क. अधिनियम की धारा 6 ए और उसके अधीन बने नियम 12(5) के अनुसार, राज्य के बाहर वस्तुओं के भंडार अंतरण पर कर से छूट का लाभ लेने के लिए प्रपत्र 'एफ' में घोषणा प्रस्तुत करना अनिवार्य है। वैसे लेनदेन जो प्रपत्र 'एफ' द्वारा समर्थित नही है के मामले में, राज्य में लागू उचित दर पर कर आरोप्य है। तदन्तर, झा.मू.व.क. नियमावली के नियम 44 के अनुसार जहां कोई व्यवसायी राज्य के भीतर अपनी शाखाओं को माल के भंडार अंतरण पर कर के आरोपण से छूट का दावा करता है, तो व्यवसायी इस उद्देश्य के लिए विधिवत अंतरिती शाखा द्वारा जारी किए गए प्रपत्र झा.मू.व.क.-506 प्रस्तुत करेगा।

हमने कतरास वाणिज्यकर अंचल में निबंधित 1,470 व्यवसायियों में से 179 व्यवसायियों (व्यवसायियों का 12.17 प्रतिशत) के कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जाँच (मार्च 2016) की और पाया कि एक व्यवसायी के मामले में 2011-12 की अवधि के लिये करनिर्धारण प्राधिकारी ने कर निर्धारण फरवरी 2015 में संपन्न करते समय ₹ 16.42 करोड़ और ₹ 93.32 करोड़ के राज्यान्तर्गत और अन्तर्राज्यीय भंडार अंतरण के दावे को अस्वीकृत कर दिया, जो क्रमशः प्रपत्र 'एफ' और प्रपत्र झा.मू.व.क-506 में, घोषणाओं द्वारा समर्थित नहीं थे। तथापि, कर निर्धारण संपन्न करते समय उपरोक्त ₹ 109.74 करोड़ का आवर्त कर के आरोपण से बच गया। इसके फलस्वरूप ₹ 109.74 करोड़ के गलत छूट की अनुमति दी गयी और` परिणामस्वरूप ₹ 5.49 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ।

हमने मामले को मई 2016 में सरकार को प्रतिवेदित किया; सरकार/विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन में लेखापरीक्षा अवलोकनों से सहमत हुए और कहा कि उचित कार्रवाई की जाएगी (अगस्त 2016)। तदन्तर उत्तर अप्राप्त है (अक्टूबर 2016)।

2.10 इनपुट टैक्स क्रेडिट की स्वीकृति में अनियमितताएँ

राज्य के बाहर अनिबंधित व्यवसायियों को की गयी बिक्री पर आई.टी.सी. का समायोजन और नियमों के गलत अनुप्रयोग के कारण ₹ 4.47 करोड़ का अतिरिक्त आई.टी.सी. की स्वीकृति दी गई।

झा.मू.व.क. अधिनियम की धारा 18 के प्रावधानों के अन्तर्गत एक निबंधित व्यवसायी कर अवधि के दौरान उसके द्वारा राज्य के अन्दर किये गये क्रय पर भुगतान की गयी कर राशि पर, पूर्ववर्ती मू.व.क. बिक्री व्यवसायी द्वारा जारी घोषणा प्रपत्र झा.मू.व.क.-404 में दावा प्रस्तुत करने पर आई.टी.सी. का हकदार है। बशर्ते बिक्रेता व्यवसायी एक साल के दौरान किए गए बिक्री के लिए एक क्रेता व्यवसायी के संबंध में एक घोषणा जारी करेगा। राज्य के बाहर वस्तुओं के स्थानांतरण के मामलों में आई.टी.सी. की आनुपातिक रूप से अनुमति दी जायगी, हालाँकि, अन्तर्राज्यीय अनिबंधित व्यवसायियों को की गयी बिक्री पर कोई आई.टी.सी. स्वीकार्य नहीं था। तदन्तर, झा.मू.व.क. नियमावली, 2006 के नियम 22 प्राविधित करता है कि, जहाँ किसी संवेदक मू.व.क. व्यवसायी ने वस्तुओं के सही मूल्य का निर्धारण करने हेतु लेखाओं का संधारण नहीं किया है, तो वह आई.टी.सी. के दावे का पात्र नहीं होगा।

हमने सात वाणिज्यकर अंचलों[33] में निबंधित 23,454 व्यवसायियों में से 808 व्यवसायियों (व्यवसायियों का 3.4 प्रतिशत) के कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जाँच (अक्टूबर 2015 और मार्च 2016 के बीच) की और पाया कि 11 व्यवसायियों ने 2011-12 और 2012-13 के बीच की अवधि के लिये करों के भुगतान से ₹ 199.71 करोड़ का आई.टी.सी. समायोजित किया जिसमें अन्तर्राज्यीय अनिबंधित व्यवसायियों को की गयी बिक्रियाँ, अंतर्राज्यीय भंडार अंतरण का गलत संविभाजन, नियमों के गलत अनुप्रयोग, का दावा शामिल था। क.नि.प्रा. ने भी कर निर्धारण संपन्न करते समय (जून 2014 और फरवरी 2016 के बीच) ₹ 199.71 करोड़ की आई.टी.सी. की स्वीकृति दी थी। हालांकि, झा.मू.व.क-404 में घोषणाओं और करयोग्य आवर्त के विस्तृत विवरण की हमारी जांच से, पता चला कि इसमें राज्यान्तर्गत भंडार अंतरण, अन्तर्राज्यीय अनिबंधित व्यवसायियों को की गयी बिक्रियाँ, अंतर्राज्यीय भंडार अंतरण का गलत संविभाजन, लेखाओं का संधारण नहीं करने आदि के लिए आई.टी.सी. के दावे के मामले थे। इस प्रकार ये व्यवसायी वास्तव में केवल ₹ 195.24 करोड़ के आई.टी.सी. की राशि के हकदार थे। इसके परिणामस्वरूप क.नि.प्रा. द्वारा ₹ 4.47 करोड़ रुपये के अतिरिक्त आई.टी.सी. की स्वीकृति दी गयी, इसके अलावा गलत आई.टी.सी. का लाभ उठाने के लिए व्यवसायी ₹ 1.29 करोड़ रुपये के ब्याज का भी भुगतान करने हेतु उत्तरदायी थे।

[33] आदित्यपुर, चाईबासा, गिरिडीह, हजारीबाग, जमशेदपुर, कतरास और सिंहभूम।

हमने मामले को मई 2016 में सरकार को प्रतिवेदित किया; सरकार/विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन में लेखापरीक्षा अवलोकनों के साथ सहमति व्यक्त की और कहा कि उचित कार्रवाई की जाएगी (अगस्त 2016)। विभाग ने गिरिडीह और हजारीबाग वाणिज्यकर अंचलों के दो व्यवसायियों के मामले में ₹ 32.77 लाख की अतिरिक्त मांग सृजित की। तदन्तर उत्तर अप्राप्त है (अक्टूबर 2016)।

2.11 क्रय कर का आरोपण नहीं किया जाना

क्रय किये गये वस्तुएँ जो पूंजीकृत कर दी गई अथवा विनिर्माण के बाद बिक्री के अतिरिक्त अन्यथा निपटाया गया, पर क.नि.प्रा. ने ₹ 44.15 लाख के क्रय कर का आरोपण नहीं किया।

झा.मू.व.क. अधिनियम, 2005 की धारा 10 के प्रावधानों के अंतर्गत कर के भुगतान का उत्तरदायी प्रत्येक व्यवसायी जो किसी व्यवसायी से उन परिस्थितियों में, जहाँ इस अधिनियम के अंतर्गत किसी कर का भुगतान नहीं किया गया है, किन्हीं वस्तुओं की खरीद करता है तो वह ऐसी वस्तुओं के क्रय मूल्य पर कर भुगतान का उत्तरदायी होगा यदि ऐसी खरीद के बाद वस्तुओं का उपयोग या उपभोग उन वस्तुओं के उत्पादन पर किया जाता है जो इस तरह विनिर्मित वस्तुएं राज्यान्तर्गत या अन्तर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य के क्रम में बिक्री से अन्यथा निपटाया गया हो। तदन्तर, प्रत्येक व्यवसायी, जो अनिबंधित व्यवसायी से माल खरीदता है एवं अन्यथा निपटारा करता है, वह भी खरीद कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। ऐसा कर उसी दर से आरोपित किया जायेगा जो ऐसी वस्तुओं की राज्यान्तर्गत बिक्री पर इस तरह की खरीद की तारीख पर आरोपित होती।

हमने झरिया और आदित्यपुर वाणिज्यकर अंचलों में निबंधित 5,324 व्यवसायियों में से 236 व्यवसायियों (व्यवसायियों का 4.4 प्रतिशत) के कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जाँच (सितंबर और दिसंबर 2015 के बीच) की और पाया कि दो व्यवसायियों के मामलें में क.नि.प्रा. ने 2011-12 की अवधि के लिये कर निर्धारण संपन्न करते समय (मार्च 2015) क्रय कर का आरोपण नहीं किया। एक मामले में एक व्यवसायी ने अनिबंधित व्यवसायियों से ₹ 2.53 करोड़ रुपये का माल खरीदा और अपने व्यापार के लिए माल को पूंजीकृत किया। दूसरे व्यवसायी के मामले में हमने पाया कि ₹ 184.12 करोड़ के कुल विनिर्मित माल में से ₹ 28.94 करोड़ का माल राज्य के बाहर भंडार अंतरण के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया। तदन्तर, हमारी जांच से पता चला कि व्यवसायी ने उक्त विनिर्माण की प्रक्रिया में ₹ 5.55 करोड़ रुपये का माल अनिबंधित व्यवसायियों से खरीदकर उपभोग किया था। इस प्रकार, व्यवसायी भंडार अंतरण के संविभाजित/पूंजीकृत मूल्य पर ₹ 44.15 लाख के क्रय कर का भुगतान करने हेतु उत्तरदायी थे।

हमने मामले को मई 2016 में सरकार को प्रतिवेदित किया; सरकार/विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन में लेखापरीक्षा अवलोकनों के साथ सहमति व्यक्त की और कहा कि उचित कार्रवाई की जाएगी (अगस्त 2016)। तदन्तर उत्तर अप्राप्त है (अक्टूबर 2016)।

2.12 अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया

निर्धारित प्रपत्र झा.मू.व.क-409 में मू.व.क. लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अप्रस्तुतीकरण हेतु ₹ 26.77 लाख का दंड आरोपित नहीं किया गया।

झा.मू.व.क. अधिनियम 2005 की धारा 63(3) के प्रावधानों के अधीन, एक व्यवसायी जिसका किसी विशेष वर्ष में सकल आवर्त ₹ 40 लाख से अधिक हो, वह उस वर्ष के अंत होने से नौ महीने के भीतर मू.व.क. लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रपत्र झा.मू.व.क-409 के रूप में प्रस्तुत करना अपेक्षित है; ऐसा करने में विफल रहने पर करनिर्धारण प्रधिकारी सकल आवर्त जैसा वह निर्धारित करे, का 0.1 प्रतिशत दण्ड के रुप में आरोपण करेगा।

हमने लोहरदगा वाणिज्यकर अंचल में निबंधित 961 व्यवसायियों में से 101 व्यवसायियों (अर्थात व्यवसायियों के 10.5 प्रतिशत) के कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जाँच (नवम्बर 2015) की और पाया कि एक निबंधित व्यवसायी ने 2009-10 से 2010-11 की अवधि के लिये प्रपत्र झा.मू.व.क-409 में मू.व.क. लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया था, हालांकि आवर्त वर्ष में ₹ 40 लाख से अधिक था। करनिर्धारण प्रधिकारी ने कर निर्धारण संपन्न करते समय (मार्च 2013 और मार्च 2014 के बीच) ₹ 267.68 करोड़ के निर्धारित सकल आवर्त पर मू.व.क. लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं करने के लिए अर्थदंड ₹ 26.77 लाख को आरोपित नहीं किया, हालांकि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ये आरोप्य थे।

हमने मामले को मई 2016 में सरकार को प्रतिवेदित किया; सरकार/विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन में लेखापरीक्षा अवलोकन के साथ सहमति व्यक्त की और ₹ 26.77 लाख के अतिरिक्त मांग का सृजन किया (सितम्बर 2016)। तदन्तर उत्तर अप्राप्त है (अक्टूबर 2016)।

अध्याय - III
राज्य उत्पाद

अध्याय-III: राज्य उत्पाद

3.1 कर प्रशासन

उत्पाद शुल्क का आरोपण एवं संग्रहण बिहार उत्पाद अधिनियम, 1915 के प्रावधानों तथा उसके अधीन बनाये गये नियमावलियों/निर्गत अधिसूचनाओं, झारखण्ड सरकार द्वारा यथा अंगीकृत, से शासित होता है। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के सचिव राज्य उत्पाद नियमों के प्रशासन के लिए सरकार के स्तर पर उत्तरदायी होते हैं। आयुक्त उत्पाद (आ.उ.) विभाग के प्रमुख होते हैं। वे राज्य सरकार की उत्पाद नीतियों एवं कार्यक्रमों के प्रशासन एवं कार्यान्वयन के लिए मुख्य तौर पर जिम्मेवार होते हैं। मुख्यालय में एक उपायुक्त उत्पाद एवं सहायक आयुक्त उत्पाद द्वारा उनको सहयोग किया जाता है। तदन्तर, झारखण्ड राज्य तीन उत्पाद प्रमण्डलों[1] में, प्रत्येक उपायुक्त उत्पाद के नियंत्रणाधीन, विभक्त हैं। प्रमण्डलों को पुन: 19 उत्पाद जिलों[2] में, प्रत्येक जिला एक सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद (स.आ.उ./अ.उ.) के प्रभार के अधीन, विभक्त किया गया है।

विभाग की संगठनात्मक तालिका निम्न प्रकार है:

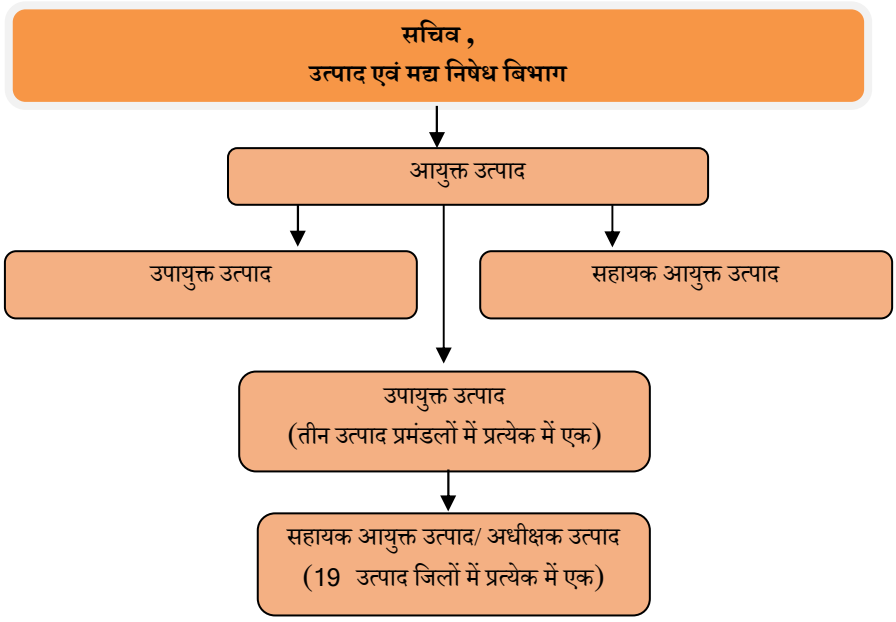

खुदरा उत्पाद अनुज्ञाधारियों को राज्य में सभी प्रकार के मदिरा की आपूर्ति हेतु झारखण्ड राज्य बिवरेज़ कार्पोरेशन लिमिटेड (जे.एस.बी.सी.एल.) का गठन प्रबंध निदेशक के नेतृत्व में अक्टूबर 2010 से थोक बिक्री हेतु अनन्य विशेषाधिकार प्राप्त भंडारागार के रूप में किया गया था।

---

1 उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची तथा संथाल परगना प्रमण्डल, दुमका।

2 बोकारो, चाईबासा, धनबाद, देवघर, दुमका, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला-सह-सिमडेगा, हजारीबाग-सह-रामगढ़-सह-चतरा, जमशेदपुर, जामताड़ा, कोडरमा, लोहरदगा, पाकुड़, पलामू-सह-लातेहार, राँची, साहिबगंज तथा सरायकेला-खरसावाँ।

3.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

हमने वर्ष 2015-16 के दौरान उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग से संबन्धित कुल 23 इकाइयों में से 15 वार्षिक इकाइयों एवं एक द्विवार्षिक इकाई का चयन नमूना जांच हेतु किया और सभी चयनित इकाइयों[3] के अभिलेखों का नमूना जांच किया, जिसमे राज्य उत्पाद से संबन्धित ₹ 786.53 करोड़ राजस्व संग्रहित की गयी। हमारे लेखा परीक्षा में 8,114 मामलों में सन्निहित ₹ 92.03 करोड़ उत्पाद शुल्क एवं अनुज्ञा शुल्क इत्यादि का अनारोपण/अल्पारोपण का पता चला जैसा की विवरण **तालिका-3.1** में उल्लिखित है।

तालिका-3.1

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	राशि
1.	खुदरा उत्पाद दुकानों की अबंदोबस्ती	79	47.00
2.	खुदरा अनुज्ञाधारियों को अनुचित वित्तीय लाभ	893	16.99
3.	मदिरा का कम उठाव	457	5.64
4.	डेमरेज प्रभारों का उद्ग्रहीत नहीं होना	80	4.79
5.	अन्य मामले	6,605	17.61
कुल		**8,114**	**92.03**

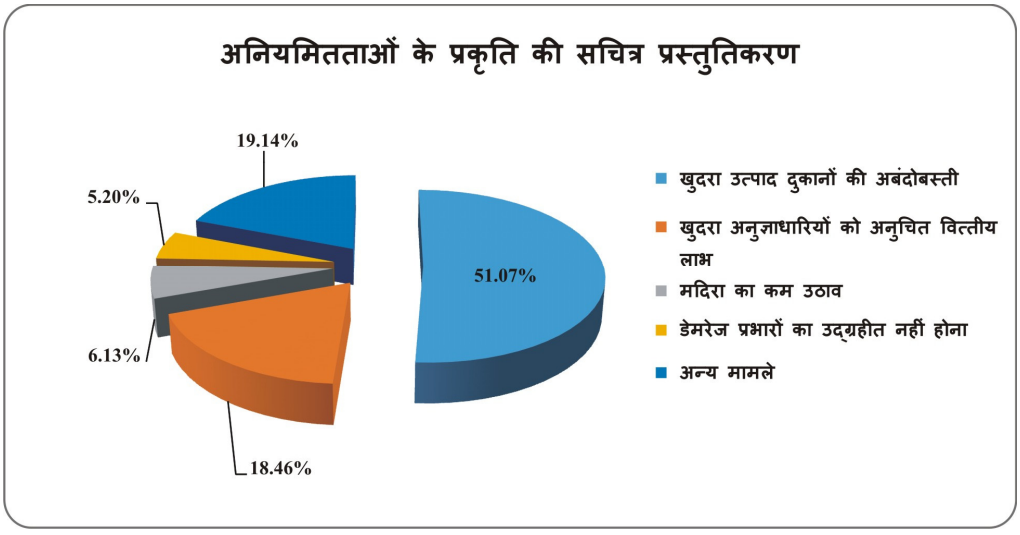

वर्ष 2015-16 के दौरान विभाग ने हमारे द्वारा इंगित 7,274 मामलों में ₹ 64.81 करोड़ का अनुज्ञाशुल्क, कर शुल्क का नहीं/अल्प उद्ग्रहण, राजस्व की हानि एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया और 434 मामलों में ₹ 5.60 करोड़ की राशि वसूल किया।

[3] सा.आ.उ. बोकारो, धनबाद, हजारीबाग-सह-रामगढ़-सह-चतरा, जमशेदपुर, और राँची, अ.उ. चाईबासा, डाल्टंगंज-सह-लातेहार, देवघर, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, कोडरमा, लोहरदगा स्थित गुमला, सरायकेला-खरसांवा एवं आयुक्त उत्पाद, राँची का कार्यालय।

अनुवर्ती कंडिकाओं में हम ₹ 57.75 करोड़ के वित्तीय प्रभाव के दृष्टान्तस्वरूप कुछ मामले प्रस्तुत करते हैं।

3.3 अधिनियमों/नियमावलियों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं होना

बिहार उत्पाद (बि.उ.) अधिनियम, 1915 (झारखण्ड सरकार द्वारा यथा अंगीकृत) तथा संकल्प संख्या 367 दिनांक 20 फरवरी 2009, गजट अधिसूचना संख्या 150 दिनांक 27 मार्च 2009, एवं उसके अंतर्गत निर्गत पत्र संख्या 191 दिनांक 31 मार्च 2013 में प्रावधान है :

i) खुदरा उत्पाद दुकानों की शत-प्रतिशत बंदोबस्ती;

ii) खुदरा उत्पाद दुकानों द्वारा न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा (न्यू.प्र.मा.) का उठाव; एवं

iii) न्यू.प्र.मा. से अधिक उठाव पर अतिरिक्त अनुज्ञाशुल्क का उद्ग्रहण।

अधिनियमों/नियमावलियों के कुछ प्रावधानों के अनुपालन नहीं किये जाने के कारण होने वाले राजस्व की हानि/अनुद्ग्रहण का उल्लेख निम्नलिखित कंडिकाओं में किया गया है।

3.4 खुदरा उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती नहीं होना

जिला उत्पाद प्राधिकारियों के सतत् प्रयास के अभाव के कारण उत्पाद शुल्क एवं अनुज्ञा शुल्क के रूप में सरकार को ₹ 47 करोड़ के उत्पाद राजस्व से वंचित होना पड़ा।

बि.उ. अधिनियम एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियमावलियों और नीतियों के प्रावधानों के अधीन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, झारखण्ड सरकार ने संकल्प सं. 367 दिनांक 20 फरवरी 2009 एवं तत्पश्चात गज़ट अधिसूचना सं. 150 तारीख 27 मार्च 2009 के द्वारा नीलामी/निविदा हेतु डाक के स्थान पर लॉटरी प्रणाली के माध्यम से सभी खुदरा दुकानों की बंदोबस्ती करने, अधिक उत्पाद राजस्व की प्राप्ति, अवैध मदिरा के बिक्री पर रोक, एक ईकाई/व्यक्ति के एकाधिकार पर नियंत्रण एवं उपभोक्ताओं को मानक स्तर के मदिरा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये दिशा निर्देशों सहित एक नई उत्पाद नीति अंगीकृत किया। 26 फरवरी 2014 को आ.उ. के द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के तहत सभी स.आ.उ./अ.उ. दुकानों की संभाव्यता एवं न्यू.प्र.मा. को तर्क संगत बनाकर खुदरा उत्पाद दुकानों की शत प्रतिशत बंदोबस्ती के लिए उत्तरदायी बनाये गए। खुदरा दुकानों की अबंदोबस्ती की स्थिति में, अनुज्ञा प्राधिकारियों को घटाए गये सुरक्षित शुल्क पर दुकानों की बंदोबस्ती हेतु आ.उ. को अनुशंसा करने की विवेकाधीन शक्तियाँ है। उत्पाद राजस्व के हित में घटाए गए अनुज्ञा शुल्क पर बंदोबस्ती के प्रस्ताव को आ.उ. अनुमोदित कर सकते हैं।

हमने (जुलाई एवं दिसम्बर 2015 के बीच) देखा कि चार उत्पाद जिलों[4] में न्यू.प्र.मा. एवं अनुज्ञा शुल्क, अग्रिम अनुज्ञा शुल्क और प्रतिभूति राशि दर्शाते हुए खुदरा उत्पाद दुकानों की सूची जिला स्तर पर तैयार की गई और इन सभी तथ्यों के साथ बिक्री अधिसूचनाएँ प्रकाशित की गई। वर्ष 2014-15 के लिए 454 खुदरा उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती प्रक्रिया फरवरी एवं मार्च 2014 के दौरान संचालित की गई। तथापि, 79 खुदरा दुकानें[5] पूरे वर्ष न्यू.प्र.मा. के लक्ष्य का सही निर्धारण एवं पिछले वर्ष वास्तविक खपत के आकलन का अभाव में अबंदोबस्त रही। बिक्री अधिसूचनाओं के प्रकाशन के अलावे, विभाग द्वारा अन्य प्रयास नहीं किया गया। उत्पाद प्राधिकारियों के सतत प्रयास के कमी के कारण सरकार उत्पाद शुल्क एवं अनुज्ञा शुल्क के रूप में ₹ 47 करोड़ की राशि से वंचित हुई, जैसा कि **तालिका-3.2** में वर्णित है।

तालिका-3.2

(₹ लाख में)

क्र.सं.	जिला का नाम	न्यू.प्र.मा. (एल.पी.एल./बी.एल.में)			अनुज्ञा शुल्क	उत्पाद शुल्क	कुल (अ.शु.+उ. शुल्क)
		दे.श./म.दे.श.	भा.नि.वि.श.	बीयर			
1	बोकारो	9,70,154	2,13,800	2,87,592	902.37	251.01	1153.37
2	धनबाद	1,28,688	1,93,824	3,09,120	449.90	189.77	639.67
3	जमशेदपुर	7,75,565	6,89,123	9,16,042	1731.15	666.33	2397.48
4	रामगढ़	2,39,957	1,32,952	1,64,234	377.28	132.10	509.38
कुल		**21,14,364**	**12,29,699**	**16,76,988**	**3460.70**	**1239.20**	**4699.90**

दे.श./म दे.श.. = देशी शराब/मसालेदार देशी शराब, भा.नि.वि.श.= भारत निर्मित विदेशी शराब, एल.पी.एल.= लंदन प्रूफ लीटर, बी.एल.= बल्क लीटर।

हमारे द्वारा मामलें मई 2016 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया, आ.उ. ने बताया (अगस्त 2016) कि दिलचस्पी लेनेवाले आवेदकों की अनुपलब्धता के कारण, दुकाने अबंदोबस्त रही यद्यपि दुकानों की शतप्रतिशत बंदोबस्ती हेतु प्रयास किया गया। विभाग द्वारा दिया गया जवाब संतोष जनक नहीं था क्योंकि विभाग ने दुकानों की शत प्रतिशत बंदोबस्ती हेतु मानक के आधार पर अथवा दुकानों की संभाव्यता के आधार पर न्यू.प्र.मा. के निर्धारण हेतु कोई प्रयास नहीं किया। तदन्तर, पूर्व के अनुज्ञाधारियों से दुकानों की बंदोबस्ती हेतु कोई संपर्क नहीं किया गया अथवा खुदरा दुकानों की बंदोबस्ती पर ये दुकानें क्यों अबंदोबस्त रही, की छानबीन नहीं की गई। चूंकि वृहत उत्पाद के राजस्व खुदरा उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती पर निर्भर है,

---

4 बोकारो, धनबाद पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर) एवं हजारीबाग-सह-चतरा सह-रामगढ़।

5 अबंदोबस्त/प्रस्तावित दुकानों की संख्या: बोकारो (23/98), धनबाद (10/147), जमशेदपुर (37/165) और रामगढ़ (9/44)।

सरकार को राजस्व से वंचित होना पड़ा। अबंदोबस्त दुकानों के कारण अवैध शराब की आपूर्ति का भी जोखिम है।

3.5 खुदरा विक्रेताओं द्वारा शराब का कम उठाव

शराब के कम उठाव के लिए उत्पाद शुल्क की हानि के समतुल्य वित्तीय दण्ड ₹ 5.57 करोड़ का आरोपण नहीं किया गया।

बि.उ. अधिनियम के प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों/नीतियों के अधीन खुदरा उत्पाद दुकान के प्रत्येक अनुज्ञाधारी विक्रेता को अगले महीने के लिए देशी शराब की साप्ताहिक आवश्यकता को पूर्ववर्ती माह के अंतिम सप्ताह तक देशी शराब की थोक आपूर्ति हेतु अनन्य विशेषाधिकार के संवेदक को समर्पित करना है और विभाग द्वारा प्रत्येक दुकान के लिए हरेक प्रकार के शराब की निर्धारित न्यू.प्र.मा. उठाव करने के लिए बाध्य है, जिसमे विफल होने पर सरकार को हुए उत्पाद शुल्क की हानि के बराबर वित्तीय अर्थदण्ड विक्रेता से वसूलनीय होगा।

हमने (जुलाई 2015 एवं मार्च 2016 के बीच) छः उत्पाद जिलों[6] में शराब की खपत विवरणी की नमूना जाँच की एवं पाया कि वर्ष 2014-15 में 701 खुदरा दुकानों में से 447 विक्रेताओं को जिलों के थोक विक्रेता अनुज्ञाधारियों से दे.श./ म.दे.श./भा.नि.वि.श./बीयर के 187.41 लाख एल.पी.एल./बी.एल. का उठाव करना अपेक्षित था, परन्तु केवल 152.30 लाख एल.पी.एल./बी.एल. का उठाव किया गया, परिणास्वरूप 35.11 लाख एल.पी.एल./बी.एल. शराब का कम उठाव हुआ। विभाग ने शराब के कम उठाव के लिए उत्पाद शुल्क के क्षति के समतुल्य ₹ 5.57 करोड़ का आर्थिक दण्ड आरोपित नहीं किया।

हमने मामले को मई 2016 में सरकार को प्रतिवेदित किया, आ.उ. (अगस्त 2016) ने बताया कि कुल राशि में से ₹ 5.55 करोड़ समायोजित अनुज्ञाधारियों के सुरक्षित जमा से किया गया, शेष राशि का समायोजन प्रक्रियाधीन था। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2016)।

[6] बोकारो, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर), हजारीबाग-सह-चतरा-सह रामगढ़, राँची-सह-खूँटी एवं गुमला-सह-सिमडेगा।

3.6 डेमरेज प्रभारों[7] का आरोपण नहीं होना

जे.एस.बी.सी.एल. गोदामों/डिपो में पड़े भा.नि.वि.श./बीयर के स्कंधों पर ₹ 4.16 करोड़ के डेमरेज प्रभारों का आरोपण नहीं किया गया।

जे.एस.बी.सी.एल. द्वारा अप्रैल 2013 में निर्गत परिपत्र के साथ पठित मद्य नीति के अनुच्छेद 8(बी.) एवं 10(बी.) में जे.एस.बी.सी.एल गोदामों में प्राप्ति की तिथि से म.दे.श. के 120 दिनों से अधिक पुराना स्कन्ध एवं बीयर की 60 दिनों से अधिक पुराना स्कन्ध पर ₹ दो प्रति पेटी प्रतिदिन की दर से डेमरेज प्रभार आरोपित करने का प्रावधान है।

हमने (जुलाई 2015 और मार्च 2016 के बीच) वर्ष 2014-15 में 11 उत्पाद जिलों[8] के 13 जे.एस.बी.सी.एल. गोदामों[9] के उत्पाद अभिलेखों, आंकड़ो/सूचनाओं के नमूना जाँच में पाया की 24 वितरकों/निर्माताओं[10] के पास भा.नि.वि.श./बीयर की 1.32 लाख पेटियाँ संचयन के स्वीकार्य सीमा से तीन दिन से 570 दिनों अधिक तक जे.एस.बी.सी.एल. गोदामों में पडे हुए थे। तथापि, जे.एस.बी.सी.एल. ने वितरकों/ निर्माताओं पर डेमरेज प्रभार का ₹ 4.16 करोड़ की राशि आरोपित नहीं किया।

हमने मामले को मई 2016 में सरकार को प्रतिवेदित किया, आ.उ. ने (अगस्त 2016) बताया कि जे.एस.बी.सी.एल. को सभी जिलों में डेमरेज प्रभारों की गणना एवं वितरकों/निर्माताओं से प्रभारों के भुगतान हेतु निर्देशों/आदेश दिये गये। तदन्तर, आयुक्त ने बताया की अंतिम गणना के पश्चात डेमरेज प्रभारों की वसूली किया जाएगा। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2016)।

3.7 उत्पाद राजस्व का अवरुद्ध होना

भा.नि.वि.श. के स्कन्ध को उत्पाद प्रदत्त भंडारगार में स्थानांतरित नहीं किया जाने के फलस्वरूप ₹ 90.17 लाख का उत्पाद राजस्व अवरुद्ध हुआ

बि.उ. अधिनियम की धारा 17 के प्रावधानों के अंतर्गत कोई भी मादक द्रव्य, आसवनी, मद्य निर्माणशाला, भंडारगार या अन्य अनुज्ञप्ति धारित संचयन स्थान, जो

---

7 विलम्ब शुल्क।

8 बोकारो, धनबाद, दुमका-सह-गोड्डा, देवघर, जमशेदपुर, गिरिडीह, हजारीबाग-सह-चतरा-सह-रामगढ़, पलामू-सह-लातेहार, राँची-सह-खूंटी, सरायकेला-खरसांवा एवं चाईबासा।

9 बोकारो, धनबाद, दुमका, देवघर, जमशेदपुर, गिरिडीह, हजारीबाग, लातेहार, पलामू, राँची, रामगढ़, सरायकेला एवं चाईबासा।

10 एडी ब्राउसन ब्रेव (प्रा.) लिमिटेड, एलाइड ब्लेंडर्स एवं डिस्टलरी (प्रा.) लिमिटेड, बकार्डी इंडिया (प्रा.) लि., बीम ग्लोबल स्प्रीट एंड वाईन इंडिया लि., भूटान ब्रेव. (प्रा.) लि., कार्लस्बर्ग वाईन लि., देवांस मॉडर्न ब्रेव. लि, डियाजियों इंडिया (प्रा.) लि., फोरसीजन वाईन लि., जगजीत इंडस्ट्रीज लि., जैगपिन ब्रेव. लि., खोडेए इंडिया लि., मोहन मीकिन्स लि., माउन्ट शिवालिक ब्रेव., नासिक विटर्न्स (प्रा.) लि., परनोड रिकॉर्ड इंडिया (प्रा.) लि.,रेडिको खेतान लि., सब मिलर इंडिया लि., श्री ओम बोटलर्स और ब्लेंडर्स (प्रा.) लि., सोम डिस्ट एवं ब्रेव. (प्रा.) लि., स्पेन्सर डिस्ट. एवं ब्रेव. (प्रा.) लि., श्री लैब ब्रेव. (प्रा.) लि., यूनाइटेड ब्रेव. लि. और यूनाइटेड स्प्रीट्स लिमिटेड।

इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित, प्राधिकृत अथवा जारी है, से बाहर नहीं किया जा सकता जब तक अनुज्ञाधारी अध्याय V के अधीन देय उत्पाद कर (यदि कोई हो) का भुगतान नहीं कर दिया हो अथवा उसके भुगतान से संबन्धित एक बंध पत्र का निष्पादन नहीं किया हो। तदनुसार, भा.नि.वि.श. के बोटलिंग प्लांट के एक अनुज्ञाधारी को उत्पाद प्रपत्र 19 बी एवं 19 सी में अनिवार्य रूप में अनुज्ञप्ति प्राप्त करता है; एक अनुज्ञप्ति बंध के अधीन भंडार गृह में भा.नि.वि.श. का संचयन के लिए एवं दूसरे स्कन्ध की बिक्री के लिए जे.एस.बी.सी.एल/थोक विक्रेताओं को उत्पाद कर के भुगतान के पश्चात भा.नि.वि.श./बीयर की आपूर्ति किया जाना है।

हमने (जुलाई 2015) बोकारो उत्पाद जिला के वार्षिक स्कन्ध प्रतिवेदन 2014-15 के नमूना जाँच में पाया कि एक अनुज्ञाधारी,[11] जो दोनों अनुज्ञप्ति धारण करता है, ने सितम्बर से नवम्बर 2013 के बीच निर्मित एक लाख एल.पी.एल. भा.नि.वि.श. को प्रदत जे.एस.बी.सी.एल./थोक विक्रेता को आपूर्ति हेतु कर प्रदत्त भंडारगार को स्थानांतरित नहीं किया। बंधित भंडारगार के लिए कच्चे माल की प्राप्ति की स्वीकृति विभाग द्वारा इस प्रत्याशा में दिया जाता है कि भा॰नि.वि.श में इसके रूपान्तरण के पश्चात उत्पाद कर उद्ग्रहित किया जाएगा। चूंकि भा॰.नि.वि.श. का 19 बी से 19 सी में स्थानांतरित होने का कोई निश्चित समय निर्धारित नहीं है, अनुज्ञाधारी ने स्कन्ध को 19 बी में रोक कर रखा, फलस्वरूप ₹ 90.17 लाख का उत्पाद राजस्व अवरुद्ध हुआ।

हमने मामले को मई 2016 में सरकार को प्रतिवेदित किया, आ.उ. ने बताया (अगस्त 2016) कि भा.नि.वि.श. का 19 बी से 19 सी में स्थानांतरण एवं उत्पाद राजस्व कि वसूली सुनिश्चित करने हेतु स.आ.उ. बोकारो को निर्देशित किया गया है। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2016)।

3.8 अनुज्ञा शुल्क का वसूली नहीं किया जाना

दे.श./म.दे.श. की आपूर्ति निर्धारित न्यू.प्र.मा. से अधिक किए जाने पर ₹ 11.49 लाख की अनुज्ञा शुल्क की वसूली नहीं किया जाना।

उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, झारखण्ड सरकार ने दे.श./म.दे.श. के संग्रहण एवं जिलों को निर्धारित न्यू.प्र.मा. पर ₹ दो प्रति एल.पी.एल. के विहित दर से अनुज्ञा शुल्क के अग्रिम भुगतान के उपरांत खुदरा अनुज्ञाधारी विक्रेताओं को राज्य के विभिन्न भंडारगारों से थोक आपूर्ति हेतु जे.एस.बी.सी.एल का गठन किया। तदन्तर, अगर वर्ष के अंतर्गत कॉर्पोरेशन द्वारा जिला के निर्धारित न्यू.प्र.मा. से अधिक मदिरा की आपूर्ति की जाती है तो अधिक आपूर्ति किए गये मात्रा पर उसी दर से जे.एस.बी.सी.एल. से अनुज्ञा शुल्क वसूलनीय था।

[11] मेसर्स श्री ओम बोटलर्स एण्ड ब्लेण्डर्स (प्रा.लि.), बालीडीह, बोकारो।

हमने (जुलाई 2015 तथा मार्च 2016 के बीच) जे.एस.बी.सी.एल. के अनुज्ञप्ति संचिकाओं, खपत विवरण एवं इससे संबंधित नौ उत्पाद जिलों[12] से संबंधित संचिकाओं के नमूना जाँच में पाया कि वर्ष 2014-15 में आठ जे.एस.बी.सी.एल. भंडारगारों[13] ने दे.श./म.दे.श. के निर्धारण न्यू.प्र.मा. के 19.64 लाख एल.पी.एल. के विरुद्ध 25.39 लाख एल.पी.एल. की आपूर्ति की, फलस्वरूप दे.श./म.दे.श. के 5.74 लाख एल.पी.एल. की अधिक आपूर्ति की गयी। अतः उपरोक्त प्रावधानों के अनुरूप, अधिक आपूर्ति के लिए जे.एस.बी.सी.एल से अनुज्ञा शुल्क के रूप में ₹ 11.49 लाख की वसूली नहीं किया गया।

हमने मामलें को मई 2016 में सरकार को प्रतिवेदित किया, आ.उ. ने बताया (अगस्त 2016) कि कंपनी के सुरक्षित जमा से शुल्क समायोजित कर लिया जायगा। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2016)।

[12] चाईबासा, देवघर, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला-सह-सिमडेगा, लोहरदगा, पलामू-सह-लातेहार एवं सरायकेला-खरसांवा ।

[13] चाईबासा, देवघर, दुमका, गिरिडीह, लातेहार, पलामू, राँची एवं सरायकेला।

अध्याय - IV
वाहनों पर कर

अध्याय-IV: वाहनों पर कर

4.1 कर प्रशासन

राज्य में मोटर वाहन कर एवं शुल्क का आरोपण एवं संग्रहण झारखण्ड मोटर वाहन करारोपण (झा.मो.वा.क.) अधिनियम, 2001 उसके अंतर्गत निर्मित नियमावलियों (झारखण्ड मोटर वाहन करारोपण (झा.मो.वा.क.) नियमावली, 2001), मोटर वाहन (मो.वा.) अधिनियम, 1988 एवं बिहार वित्तीय नियमावली (झारखण्ड सरकार द्वारा यथा अंगीकृत) के द्वारा शासित होता है।

शीर्ष स्तर पर, परिवहन आयुक्त (प.आ.), झारखण्ड परिवहन विभाग में अधिनियमों एवं नियमों के प्रशासन के लिए उत्तरदायी हैं। मुख्यालय में एक संयुक्त परिवहन आयुक्त (सं.प.आ.) द्वारा उनकी सहायता की जाती है। राज्य को चार क्षेत्रों[1] एवं 24 परिवहन जिलों[2] में बाँटा गया है, जो क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारियों (क्षे.प.प्रा.) तथा जिला परिवहन पदाधिकारियों (जि.प.प.) से नियंत्रित होते हैं। उनकी सहायता मोटर वाहन निरीक्षकों, प्रवर्तन स्कंध और नौ चेक पोस्ट[3] द्वारा की जाती है।

विभाग की संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है :

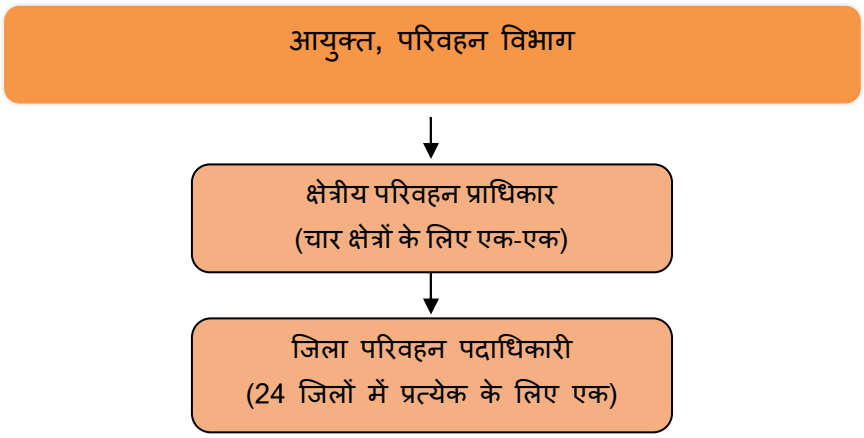

4.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

हमने वर्ष 2015-16 के दौरान परिवहन विभाग के कुल 29 इकाइयों में से 12 वार्षिकी, पाँच द्विवार्षिक तथा दो त्रैवार्षिक इकाइयों के लेखे की नमूना जाँच के लिये

---

1 दुमका, हजारीबाग, पलामू एवं राँची।

2 बोकारो, चाईबासा, चतरा, देवघर, धनबाद, दुमका, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, हजारीबाग, जमशेदपुर, जामताड़ा, खूँटी (मार्च 2015 में अधिसूचित), कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, पलामू, पाकुड़, रामगढ़ (अप्रैल 2015 में अधिसूचित), राँची, साहिबगंज, सरायकेला-खरसावाँ एवं सिमडेगा।

3 बहरागोड़ा (पूर्वी सिंहभूम), बाँसजोर (सिमडेगा), चास मोड़ (बोकारो), चौपारण (हजारीबाग), चिरकुंडा (धनबाद), धुलियान (पाकुड़), माँझाटोली (गुमला), मेघातरी (कोडरमा), एवं मुरीसेमर (गढ़वा)।

योजना बनाई एवं उपरोक्त सभी नियोजित इकाइयों[4] की नमूना जाँच की, जिनकी 'वाहनों पर करों' से सम्बन्धित कुल राजस्व संग्रहण ₹ 445.09 करोड थी। हमारी लेखापरीक्षा से करों का कम/नहीं आरोपण, बैठान क्षमता के गलत निर्धारण से कम कर का आरोपण, ट्रेलरों से कर का उदग्रहण नहीं होना आदि से सम्बन्धित कुल ₹ 37.50 करोड़ के 34,550 मामले उद्घटित हुए जो **तालिका-4.1** दर्शाया गया है।

तालिका-4.1

(₹ करोड़ में)

क्र. सं	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि
1	कर का आरोपण नहीं/कम होना	2,053	12.06
2	ट्रेलरों से कर का उदग्रहण नहीं होना	4,596	4.54
3	बैठान क्षमता के गलत निर्धारण से कम कर का उदग्रहण	141	0.32
4	अन्य मामले	27,760	20.58
कुल		**34,550**	**37.50**

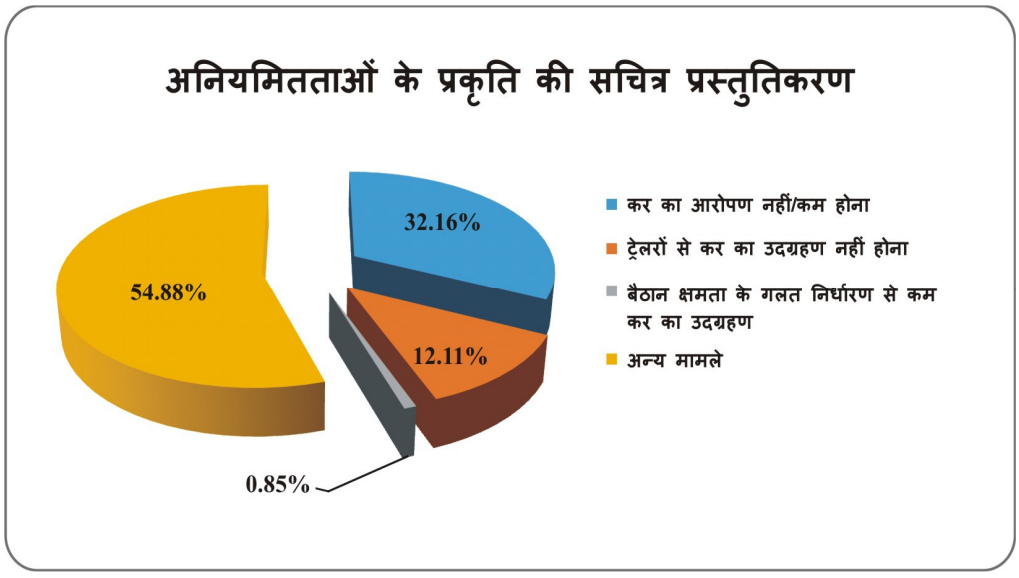

वर्ष के दौरान, विभाग ने मोटर वाहन कर, शुल्क, अर्थ-दण्ड आदि के अनारोपण/कम आरोपण में सन्निहित ₹ 37.49 करोड़ के 36,626 मामले जो 2015-16 में लेखापरीक्षा के द्वारा उद्घटित किये गए, को स्वीकार किया।

इस अध्याय में हम दृष्टांतस्वरूप ₹ 20.35 करोड की वित्तीय प्रभाव के कुछ मामले प्रस्तुत करते हैं। इनकी चर्चा अनुवर्ती कण्डिकाओं में की गयी है।

[4] जि.प.अ. का कार्यालय, बोकारो, चाईबासा, चतरा, देवघर, धनबाद, दुमका, गढ़वा, गिरिडीह, गुमला, हजारीबाग, जमशेदपुर, कोडरमा, लातेहार, पलामू, राँची एवं सिमडेगा, राज्य परिवहन आयुक्त, रांची और क्षे.प.प्रा., दुमका एवं पलामू।

4.3 अधिनियमों/नियमावलियों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं होना

झा.मो.वा.क. अधिनियम, 2001 एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियमावलियों, मोटर वाहन अधिनियम, 1988, बिहार वित्तीय नियमावली (झारखण्ड सरकार द्वारा यथा अंगीकृत) में प्रावधान है:

(i) वाहन मालिकों द्वारा विनिर्दिष्ट दर पर मोटर वाहन कर का भुगतान;

(ii) संगृहीत राजस्व को सरकारी खाते में ससमय जमा करना;

(iii) विनिर्दिष्ट दर से निबंधन शुल्क का भुगतान;

(iv) राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र के प्राधिकार का निर्गमन एवं नवीनीकरण; और

(v) ड्राइविंग लाइसेंस का निर्गमन एवं नवीनीकरण।

परिवहन विभाग ने अनुवर्ती कंडिकाओं में उल्लिखित मामलों में अधिनियमों/ नियमावलियों, के प्रावधानों का पालन नहीं किया।

4.4 प्रमादी वाहन मालिकों से करों का संग्रहण नहीं होना

प्रमादी वाहन मालिकों से ₹ 16.23 करोड़ के कर एवं अर्थदंड की वसूली नहीं की गयी।

झा.मो.वा.क. अधिनियम, 2001 की धारा 5 एवं 9 तथा झा.मो.वा.क. नियमावली 2001 के नियम 4 के प्रावधानों के अंतर्गत निबंधित वाहन का स्वामी (व्यक्तिगत वाहनों से भिन्न) करारोपण पदाधिकारी जिसके क्षेत्राधिकार में वाहन निबंधित है को जिस अवधि के लिये कर का भुगतान किया जा चुका था, उसकी समाप्ति के पश्चात कर भुगतान करने का उत्तरदायी है। निवास/व्यवसाय में परिवर्त्तन के मामलों में पूर्ववर्ती करारोपण पदाधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (अ.प्र.प.) प्रस्तुत करने की शर्त पर वाहन स्वामी नये करारोपण प्राधिकारी को कर का भुगतान कर सकता है। निर्धारित अवधि में कर का भुगतान नहीं करने के मामले में करारोपण प्राधिकारी निर्धारित दरों से अर्थदण्ड लगा सकते है। यदि कर के भुगतान में विलंब 90 दिनों से अधिक है, तो देय करों की राशि का दोगुना अर्थदण्ड आरोपित किया जा सकता है। तदन्तर, नियम 23 प्रावधान करता है कि प्रत्येक करारोपण पदाधिकारी को माँग, वसूली और बकाया (माँ.व.ब.) पंजी संधारित करना है जिसे करों के नियमित और समय पर उद्ग्रहण पर प्रभावी नियंत्रण रखने हेतु प्रत्येक वर्ष अक्टूबर और मार्च में अद्यतन करना है। जि.प.प. को प्रमादियों को माँग पत्र निर्गत करना है।

हमने 16 जि.प.प.[5] में करारोपण पंजी, मां.व.ब. पंजियों, अभ्यर्पण पंजियों एवं कंप्यूटरीकृत आँकड़ों के नमूना जाँच (अगस्त 2015 एवं मार्च 2016 के मध्य) में पाया कि नमूना जाँच किये गये 18,322 वाहनों में से 5,417 वाहनों के मालिकों ने अक्टूबर 2011 एवं मार्च 2016 के बीच बकाये कर का भुगतान नहीं किया। तदन्तर, हमने पाया की इन मामलों में वाहन मालिकों के पते में परिवर्तन या कर के भुगतान से छूट प्राप्ति हेतु दस्तावेजों का अभ्यर्पण अभिलेख में नहीं पाया गया। इस प्रकार वे कर एवं अर्थदण्ड भुगतान के उत्तरदायी थे। जि.प.प. ने झा.मो.वा.क. नियमावली, 2001 के नियम 23 में यथा वर्णित प्रावधानों के अनुसार मां.व.ब. पंजी को आवधिक रूप से अद्यतन नहीं किया, इसलिए उनके पास प्रमादी वाहन मालिकों की संख्या एवं उनसे उद्गृहीत किये जाने वाले करों का विवरण नहीं था। जि.प.प. ने प्रमादी वाहन मालिकों के विरूद्ध कर एवं अर्थदंड की माँग सृजित नहीं की, जिसके परिणास्वरूप ₹ 10.82 करोड़ के अर्थदंड सहित ₹ 16.23 करोड़ कर का संग्रहण नहीं हुआ।

हमारे द्वारा (मई 2016) मामले को बताये जाने पर सरकार/विभाग ने कहा (सितम्बर 2016) कि संबन्धित जि.प.प. ने 4,718 मामलों में माँग पत्र निर्गत किये गये है और 11 जि.प.प.[6] द्वारा 327 मामलों में सन्निहित ₹ 1.24 करोड़ की वसूली की गयी। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2016)।

सदृश मामला 31 मार्च 2015 को समाप्ते हुए वर्ष के लिये लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) के कंडिका संख्या 4.5 में इंगित किया गया था। इसके उत्तर में परिवहन सचिव ने जि.प.प. को बड़े प्रमादियों की पहचान करने और बकाये कर के उद्ग्रहण के लिए गहन अभियान शुरू करने का निर्देश दिया (अगस्त 2015)। उन्होंने आगे कहा कि ट्रेलरों पर 5/10 वर्षों के एकमुश्त कर का प्रस्ताव रखा जाएगा। हलाँकि, इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही की कोई सूचना नहीं दी गई (अक्टूबर 2016)।

---

[5] बोकारो, चाईबासा, चतरा, देवघर,धनबाद, दुमका, गढवा, गिरिडीह, गुमला, हजारीबाग, जमशेदपुर, कोडरमा, लातेहार, पलामू,राँची, और सिमडेगा।

[6] बोकारो, चाईबासा, चतरा, धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, जमशेदपुर, कोडरमा, पलामु, राँची और सिमडेगा।

4.5 वैयक्तिक वाहनों पर एकमुश्त कर का आरोपण नहीं होना

छः से 10 बैठान क्षमता वाले प्रमादी वैयक्तिक वाहनों से उद्ग्रहनीय एकमुश्त कर व अर्थदंड ₹ 1.12 करोड़ का आरोपण नहीं किया गया।

झा.मो.वा.क. (संशोधन) अधिनियम, 2011 की धारा 2(जी) के प्रावधानों के अंतर्गत मोटर कार, ओमनी बस या स्टेशन वैगन जिनकी बैठान क्षमता चालक सहित चार से अधिक किन्तु 10 से अधिक न हो, जो सिर्फ व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है, वैयक्तिक वाहन की श्रेणी में लाया गया। अधिनियम के स्थानापन्न अनुसूची I भाग (ए) के अनुसार एक मुश्त कर की संशोधित दर वाहन की बैठान क्षमता एवं आयु पर आधारित वाहन के मूल्य पर आरोप्य था। तदंतर, झा.मो.वा.क. अधिनियम, 2001 की धारा 7(1) में एक मुश्त कर के विलंब से भुगतान करने पर दो प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज का प्रावधान था। संशोधन के पूर्व (22 मई 2011 तक) धारा 7(3) के अंतर्गत 5 से 10 सीटों के बैठान क्षमता वाले वाहनों पर कर वार्षिक दर से आरोप्य था एवं कर के नहीं/विलंब से भुगतान पर अर्थदण्ड भी आरोप्य था। तदन्तर झा.मो.वा.क. नियमावली, 2001 के अनुसार प्रत्येक करारोपण पदाधिकारी को माँ.व.ब. पंजी का संधारण करना है जिसे करों के नियमित और समय पर उद्ग्रहण पर नियंत्रण रखने के लिये प्रत्येक वर्ष अक्टूबर और मार्च में आवधिक अद्यतन किया जायेगा।

हमने छः जिला परिवहन कार्यालयों[7] में करारोपण पंजी एवं कंप्यूटरीकृत आँकड़े की नमूना जाँच किया (नवंबर 2015 एवं मार्च 2016 के मध्य) और पाया कि छः से 10 बैठान क्षमता वाले 1,089 वैयक्तिक वाहनों में से 428 मामले में, जिनकी कर वैधता अक्टूबर 2005 और अक्टूबर 2015 के बीच समाप्त हो गयी थी, के विरुद्ध ₹ 1.12 करोड के कर बकाये थे। चूंकि जि.प.प. ने माँ.व.ब. पंजियों की आवधिक समीक्षा नहीं किया, जिसके परिणामस्वरुप ₹ 45.77 लाख के ब्याज सहित कुल ₹ 88.40 लाख के एकमुश्त कर का आरोपण नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त, एक मुश्त कर लागू होने के पूर्व ₹ 15.46 लाख के अर्थदंड सहित ₹ 23.19 लाख का कर भी आरोप्य था।

हमारे द्वारा (मई 2016) मामले को बताये जाने पर सरकार/विभाग ने कहा (सितम्बर 2016) कि संबन्धित जि.प.प. द्वारा माँग पत्र निर्गत किये गये है और जि.प.प., गिरिडीह द्वारा एक मामले में ₹ 10,400 की वसूली की गयी। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ हैं (अक्टूबर 2016)।

सदृश मामला 31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिये लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) के कंडिका संख्या 4.6 में इंगित किया गया। इसके उत्तर में परिवहन सचिव ने जि.प.प. को बड़े प्रमादियों की पहचान करने और बकाये कर के उद्ग्रहण के लिए गहन अभियान शुरू करने का निर्देश दिया (अगस्त 2015)। हलाँकि त्रुटियाँ अभी भी कायम है।

[7] चतरा, गढ़वा, गिरिडीह, गुमला, जमशेदपुर एवं लातेहार।

4.6 वाहनों का स्वामित्व लेने की तिथि से कर आरोपण नहीं होना

वाहनों के स्वामित्व और निबन्धन की तिथि के मध्य की अवधि का कर ₹ 1.09 करोड का आरोपण नहीं हुआ।

झा.मो.वा.क. नियमावली, 2001 के नियम 4(1) के प्रावधानों के अंतर्गत ऐसे मामलों में जहाँ पूर्व में कर का कोई भुगतान नहीं किया गया हो, वहाँ वाहन की प्राप्ति की तिथि या विधि द्वारा ऐसा कर आरोपित किये जाने की तिथि, कर भुगतान हेतु देय तिथि होगी। तदंतर के.मो.वा. नियमावली, 1989 का नियम 42 एवं 47 प्रावधान करता है कि व्यापार प्रमाणपत्र का धारक किसी भी क्रेता को स्थायी या अस्थायी निबंधन के बिना मोटर वाहन की सुपुर्दगी नहीं करेगा एवं वाहन की सुपुर्दगी के सात दिनों के अंदर निबंधन हेतु आवेदन करना है। समय पर करों का भुगतान नहीं किया जाना निर्धारित दरों पर अर्थदंड आकृष्ट करता है जिसकी सीमा विलंब की अवधि के अनुसार देय कर के 25 से 200 प्रतिशत तक है।

हमने सात जिला परिवहन कार्यालयों[8] के करारोपण पंजी एवं कम्प्यूटरीकृत आँकड़ों के नमूना जाँच किया (नवंबर 2015 एवं मार्च 2016 के मध्य) और पाया कि 2,625 वाहनों में से 576 वाहनों के स्वामियों ने अपने वाहनों को तीन महीने से सात वर्षों के विलंब से अपने वाहनों के निबंधन हेतु आवेदन किया। निबंधन प्राधिकारी ने वाहन के स्वामित्व लेने की तिथि के बजाय निबंधन की तिथि से कर का आरोपण किया। हमने पाया कि लेखापरीक्षा की तिथि तक (नवम्बर 2015 और मार्च 2016 के बीच) वाहनों के स्वामियों ने न तो कर का भुगतान किया और न ही निबंधन प्राधिकारी ने प्रमादी वाहनों पर वाहनों के स्वामित्व की तिथि से निबंधन की तिथि तक के मध्यवर्ती अवधि का कर एवं अर्थदण्ड आरोपित किया। इस तरह, नियम के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किये जाने के परिणामस्वारूप ₹ 72.56 लाख के अर्थदण्ड सहित कुल ₹ 1.09 करोड की राशि के राजस्व का आरोपण नहीं हुआ।

हमारे द्वारा (मई 2016) मामले को बताये जाने पर सरकार/विभाग ने कहा (सितम्बर 2016) कि संबन्धित जि.प.प. द्वारा माँग पत्र निर्गत किये गये है। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2016)।

सदृश मामला 31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिये लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) के कंडिका सं. 4.11 में इंगित किया गया। विभाग ने तब कहा था कि इस अनियमितता को रोकने के लिये डीलर प्वाइंट निबंधन प्रणाली आरम्भ किये जाने का प्रस्ताव किया गया है। तथापि, इस तरह की चूक/अनियमितताएं अभी भी कायम है (अक्टूबर 2016)।

---

[8] बोकारो, देवघर, दुमका, हजारीबाग, जमशेदपुर, लातेहार एवं सिमडेगा।

4.7 राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र के वार्षिक प्राधिकार का नवीकरण नहीं होना

परिवहन वाहनों के राष्ट्रीय अनुज्ञापत्रों की आवधिकता के दौरान अनुवर्ती प्राधिकार का नवीकरण नहीं किया गया जिसके फलस्वरुप ₹ 98.35 लाख के समेकित शुल्क एवं प्राधिकार शुल्क की वसूली नहीं हुई।

मो.वा. अधिनियम, 1988 की धारा 81 के साथ पठित केंद्रीय मोटर वाहन (कें.मो.वा.) नियमावली 1989 के नियम 87 के प्रावधानों के अंतर्गत अस्थायी या विशेष परमिट से भिन्न एक परमिट पाँच साल की अवधि के लिए निर्गत किया जायगा और एक प्राधिकार की वैधता की अवधि एक बार में एक वर्ष से अधिक नहीं होगी। यह प्राधिकार एक सतत प्रक्रिया है जब तक कि परमिट कालातीत न हो गया हो या परमिटधारक द्वारा अभ्यर्पित न कर दिया जाय। तदन्तर, राष्ट्रीय परमिट स्कीम के तहत परमिट धारकों को निर्धारित वार्षिक शुल्क का अग्रिम भुगतान करना है। भारत सरकार द्वारा आरम्भ की गयी राष्ट्रीय परमिट की नई प्रणाली झारखण्ड में सितम्बर 2010 में क्रियान्वित हुई। नई प्रणाली के अंतर्गत समेकित शुल्क ₹ 15,000 प्रतिवर्ष के अतिरिक्त एक हजार रुपये प्राधिकार शुल्क प्रतिवर्ष का आरोपण किया जाएगा। पथ परिवहन एवं उच्चपथ मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अप्रैल 2012 से प्रभावी समेकित शुल्क को बढा कर ₹ 16,500 किया गया। नई प्रणाली के अंतर्गत जारी किये गये राष्ट्रीय परमिट भारत के सभी प्रदेशों और संघराज्य क्षेत्रों में मान्य होगी। यदि देय तिथि तक समेकित शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है तो परमिट जारी करने वाले प्राधिकारी को निर्धारित दर से अर्थ दण्ड आरोपित करना हैं।

हमने क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी, दुमका एवं पलामू के कार्यालयों में 6,013 मामलों की नमूना जाँच किया (फरवरी एवं मार्च 2016) और पाया कि 273 मामले में राष्ट्रीय परमिट प्राधिकार पत्र की वैध्यता दिसम्बर 2011 और मार्च 2015 के बीच समाप्त हो गई थी । इनमे से किसी भी मामले में अनुज्ञापत्रों को अभ्यर्पित किए जाने का आवेदन अभिलेखों में उल्लिखित नहीं था। हमने यह भी देखा कि परमिटों के आवधिकता के दौरान अनुवर्ती प्राधिकार के अनुश्रवण हेतु विभाग में तंत्र का अभाव था। इसके परिणामस्वरुप ₹ 98.35 लाख के समेकित शुल्क एवं प्राधिकार शुल्क (समेकित शुल्क ₹ 92.73 लाख और प्राधिकरण शुल्क ₹ 5.62 लाख) की वसूली नहीं हुई।

हमारे द्वारा (मई 2016) मामले को बताये जाने पर सरकार/विभाग ने कहा (सितम्बर 2016) कि क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी, पलामू द्वारा 12 मामलों में माँग पत्र निर्गत किये गये है। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्तूबर 2016)।

सदृश मामला 31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) की कंडिका सं. 4.3.18 में इंगित किया गया। जवाब में विभाग ने कहा था कि

संबंधित क्षे.प.प्र. को बकाये की वसूली के लिये माँग-पत्र निर्गत किये जाने का निर्देश दिया जायेगा। तथापि, इस तरह की चूक/अनियमितताएं अभी भी कायम है।

4.8 निबंधन प्रमाणपत्रों को स्मार्ट कार्ड में निर्गत नहीं किया जाना

निबन्धन प्रमाणपत्रों को स्मार्ट कार्ड में निर्गत नहीं करने के कारण सरकार ₹ 49.11 लाख राजस्व से वंचित हुई।

के.मो.वा. नियमावली, 1989 के नियम 48 के प्रावधानों के अन्तर्गत निबंधन प्राधिकारी मोटर वाहनों के स्वामी को निबंधन प्रमाणपत्र प्रपत्र 23 या 23 ए (स्मार्ट कार्ड) में निर्गत करेंगे। तदंतर, नियम 81 प्रावधान करता है कि मई 2002 से निबंधन प्रमाणपत्र को स्मार्ट कार्ड में निर्गत करने के लिए शुल्क के रूप में दो सौ रूपये की अतिरिक्ति राशि देय होगा। झारखण्ड सरकार ने मेसर्स ए.के.एस. स्मार्ट कार्ड लिमिटेड के साथ अक्तूबर 2004 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किया और फर्म को 18 जिलों में स्मार्ट कार्ड में वाहन निबंधन प्रमाणपत्र निर्गत करने के लिए ₹ 99 के सेवा शुल्क की वसूली की अनुमति दी। स्मार्ट कार्ड आधारित निबंधन प्रमाणपत्र जारी करने की शुरूआत मोटर वाहनों के संबंध में नकली एवं जाली कागजातों का उपयोग रोकने के लिए किया गया।

हमने फरवरी एवं मार्च 2016 के बीच चार जिला परिवहन कार्यालयों[9] निबंधन पंजी के नमूना जाँच किया और पाया कि 2013-14 एवं 2014-15 की अवधि के दौरान 24,557 निबंधन प्रमाण पत्र स्मार्ट कार्ड में निर्गत नहीं किये गये यद्यपि वाहन[10] पैकेज कार्यालयों में अधिष्ठापित था। इस प्रकार जिस उद्देश्य हेतु सॉफ्ट्वेयर को लागू किया गया, पूरा नहीं हुआ। इस प्रकार, स्मार्ट कार्ड आधारित निबंधन प्रमाणपत्र जारी करने के कार्यान्वयन में सरकार की ओर से चूक ने उसे ₹ 49.11 लाख के राजस्व से वंचित किया।

हमारे द्वारा (मई 2016) मामले को बताये जाने पर सरकार/विभाग ने कहा(सितम्बर 2016) कि निबन्धन प्रमाण पत्र को स्मार्ट कार्ड में जारी करने की स्कीम जि प का, चतरा, गढवा एवं लातेहार में आरम्भ कर दिया गया है जबकि सिमडेगा में कार्य प्रक्रियाधीन है। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2016)।

सदृश मामला 31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिये लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) की कंडिका संख्या 4.3.23.2 में इंगित किया गया था। उत्तर में परिवहन सचिव ने कहा था कि सभी जिलों को आच्छादित करते हुए ई-टेंडरिंग की प्रक्रिया दिसंबर 2015 तक पूरी कर ली जाएगी। तथापि, उनके आश्वासन के बावजूद इस तरह की चूक/अनियमितताएं अभी भी सतत रुप से कायम है (अक्टूबर 2016)।

---

9 चतरा, गढवा, लातेहार एवं सिमडेगा।

10 **वाहन** सॉफ्टवेयर वाहनो के निबंधन एवं कराधान को संपादित करता है।

4.9 बैठान क्षमता का गलत निर्धारण

लोक सेवा वाहनों के बैठान क्षमता का निर्धारण उनके व्हीलबेस के अनुसार नहीं होने के परिणामस्वरुप ₹ 31.51 लाख के कर का कम आरोपण हुआ।

झा.मो.वा.क. (संशोधन) अधिनियम, 2011 की धारा 7(3) के प्रावधानों के अंतर्गत परिवहन वाहन के स्वामियों को व्हीलबेस के आधार पर निर्धारित बैठान क्षमता पर करों का भुगतान करना है। यह प्रावधान 23 मई 2011 से प्रभावी था। तदंतर अधिनियम की धारा 5 में प्रावधान है कि प्रत्येक परिवहन वाहन के स्वामी को पथ कर एवं अतिरिक्त मोटर वाहन कर का भुगतान उसमें उल्लेखित दरों से करना है।

हमने जिला परिवहन कार्यालयों, गुमला और राँची के कम्प्यूटरीकृत डाटा के सत्यापन सहित निबंधन/कर पंजी के नमूना जाँच किया (अगस्त एवं नवंबर 2015) और पाया कि 406 परिवहन वाहनों की नमूना जांच में से 141 वाहनों ने मई 2011 से अप्रैल 2016 की अवधि के लिए उनके व्हीलबेस के अनुसार निर्धारित बैठान क्षमता से कम बैठान क्षमता निर्धारित कर करों का भुगतान किया। यह इंगित करता है कि जि.प.प. ने लोक सेवा वाहनों से कर की वसूली के दौरान अधिनियम के नये प्रावधान को लागू नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 31.51 लाख राशि के करों की कम वसूली हुई।

हमारे द्वारा (मई 2016) मामले को बताये जाने पर सरकार/विभाग ने कहा (सितम्बर 2016) कि जि.प.प., राँची ने मामले को मोटर यान निरीक्षक, राँची को निरीक्षण तथा वास्तविक बैठान क्षमता निर्धारित करने के लिये अग्रसारित कर दिया जबकि जि.प.प., गुमला ने माँग पत्र निर्गत किया। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2016)।

सदृश मामला 31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिये लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) की कंडिका 4.3.11 में इंगित किया गया। सम्बन्धित जि.प.प. ने कहा था कि अंतरीय कर के लिये माँग पत्र निर्गत किया गया तथा नौ मामलों में ₹ 0.42 लाख की वसूली कर ली गई है। तथापि, इस तरह की चूक/अनियमितताएं अभी भी सतत रुप से कायम है ।

4.10 बैंकों द्वारा संग्रहित राजस्व को जमा करने में विलंब के कारण भुगतेय ब्याज का उद्ग्रहण नहीं होना

संग्रहित राजस्व को सरकारी खाते में विलंब से स्थानांतरण पर संग्राहक बैंकों ने देय ब्याज की राशि ₹ 12.32 लाख का जमा नहीं किया।

बिहार वित्तीय नियमावली (झारखण्ड सरकार द्वारा अंगीकृत) के नियम 37 के प्रावधानों के अंतर्गत सरकारी देय के रूप में प्राप्त सभी राशियों को सरकारी लेखे में जमा करना चाहिए। राज्य परिवहन आयुक्त, झारखण्ड के अनुदेशों के अनुसार (जनवरी 2001) अप्रैल से फरवरी के दौरान बैंकों द्वारा संग्रहित राशि को भारतीय

स्टेट बैंक (एस.बी.आई.), डोरण्डां शाखा, राँची में इस प्रकार अंतरित करना चाहिए कि एक निश्चित माह की सभी प्राप्तियां अगले माह के प्रथम सप्ताह में अंतरित हो जाए। मार्च महीने में जमा की गई राशि 31 मार्च तक निश्चित रूप से अंतरित करनी है ताकि वित्तीय वर्ष में जमा सभी राशियां उसी वित्तीय वर्ष में सरकारी लेखे में अंतरित हो जाय। भारतीय रिजर्व बैंक (भा.रि.बैं.) द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार एक लाख रुपए से अधिक शेष पर बैंकों द्वारा विलंब से सरकारी लेखा में प्रेषण करने पर बैंक द्वारा समय-समय पर अधिसूचित दर से दाण्डिक ब्यांज भुगतेय है।

हमने चार जिला परिवहन कार्यालयों[11] में संग्रहित राजस्व के प्रेषणों की बैंक विवरणी से नमूना जाँच किया (अगस्त 2015 और मार्च 2016 के मध्य) और पाया कि संग्राहक बैंक यथा बैंक ऑफ इंडिया एवं भारतीय स्टेट बैंक ने वर्ष 2013-14 से 2014-15 के लिए ₹ 12.43 करोड़ की राशि को निर्धारित समय के अंदर सरकारी खाते में क्रेडिट हेतु भारतीय स्टेट बैंक, डोरण्डा शाखा, राँची में क्रेडिट नहीं किया। संग्राहक बैंकों ने भारतीय स्टेट बैंक, डोरण्डा राँची में सरकारी राजस्व को विलंब से अंतरण के फलस्वरूप संग्रहीत ₹ 12.32 लाख का ब्याज भी जमा नहीं किया। यह दर्शाता है कि विभाग ने मामले का अनुश्रवण नहीं किया एवं ब्याज के भुगतान के विषय को भी संग्राहक बैंक के साथ प्रभावी रूप से नहीं उठाया।

हमारे द्वारा (मई 2016) मामले को बताये जाने पर सरकार/विभाग ने कहा (सितम्बर 2016) कि विलम्ब से राजस्व के अंतरण के कारण संग्रहित ब्याज को जमा करने का निर्देश देते हुए बैंक प्राधिकारियों से पत्राचार किया गया है। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2016)।

सदृश मामला 31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिये लेखापरीक्षा प्रतिवेदन(राजस्व क्षेत्र) की कंडिका 4.7 में इंगित किया गया। परिवहन सचिव ने कहा था कि जि.प.प. को सरकारी राजस्व का बैंकों द्वारा शासकीय खाते में अंतरण पर आवधिक रुप से नजर रखने का निर्देश दे दिया गया। तथापि, इस तरह की चूक/अनियमितताएं अभी भी सतत रुप से कायम है (अक्टूबर 2016)।

[11] चतरा, दुमका, राँची एवम सिमडेगा

अध्याय - V
अन्य कर प्राप्तियाँ

अध्याय – V: अन्य कर प्राप्तियाँ

अ. भू-राजस्व

5.1 कर प्रशासन

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार[1] विभाग का कानूनी ढाँचा सचिव/आयुक्त द्वारा प्रशासित होता है। बंदोबस्ती के सभी महत्वपूर्ण मामले, नीतियों का निर्माण, सरकारी भूमि के हस्तांतरण की संस्वीकृति का निर्णय सरकार के स्तर पर किया जाता है। राज्य पाँच प्रमंडलों[2] में विभाजित है, प्रत्येक के प्रमुख प्रमंडलीय आयुक्त होते हैं और 24 जिलों[3], प्रत्येक के प्रमुख उपायुक्त, में विभाजित है। जिला स्तर पर उपायुक्त को अपर समाहर्त्ता/अपर उपायुक्त (अ.स./अ.उ॰) द्वारा सहायता की जाती है। जिलों को अनुमंडल, जिसके प्रमुख अनुमंडल पदाधिकारी होते हैं, में विभाजित किया गया है, जिनकी सहायता भूमि सुधार उप समाहर्त्ता (भू.सु.उ.स.) द्वारा की जाती है। अनुमंडल अंचलों में विभाजित किये गये हैं जिसके प्रमुख अंचल अधिकारी (अं.अ.) होते हैं।

'भू-राजस्व' के अधीन भू-लगान, सलामी[4], व्यावसायिक/आवासीय लगान, उपकर[5], सैरात[6] इत्यादि विभिन्न प्राप्तियाँ हैं।

5.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

हमने राजस्व, निबंधन और भूमि सुधार विभाग के 'भू-राजस्व' से संबंधित 2015-16 के दौरान कुल 341 इकाइयों में से चार वार्षिक इकाइयों, एक द्विवार्षिक इकाई और 25 त्रैवार्षिक इकाइयों की अभिलेखों के नमूना जाँच का योजना बनाया और इन 30 इकाइयों जिसमें ₹ 2.79 करोड़ राजस्व का संग्रह किया, में से 23[7] का नमूना जाँच किया। हमारे लेखा परीक्षा ने ₹ 8,892.97 करोड़ सन्निहित 95 मामलों

---

1 बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908, संथाल परगना अधिनियम, 1949, बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950, बिहार भूमि सुधार (सीलिंग क्षेत्र का निर्धारण एवं अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण) अधिनियम, 1961, बिहार भूदान अधिनियम, 1954, बिहार सरकार संपदा (खासमहल) हस्तक, 1953, बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956, बंगाल उपकर अधिनियम, 1880 और राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा निर्गत कार्यकारी आदेश।

2 दक्षिणी छोटानागपुर (राँची), उत्तरी छोटानागपुर (हजारीबाग), संथालपरगना (दुमका), पलामू (मेदिनीनगर) और कोल्हान (चाईबासा)।

3 बोकारो, चतरा, धनबाद, दुमका, देवघर, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, गोड्डा, गिरिडीह, गुमला, हजारीबाग, जामताड़ा, कोडरमा, खूँटी, लातेहार, लोहरदगा, पाकुड़, पलामू, रामगढ़, राँची, साहिबगंज, सरायकेला खरसाँवा, सिमडेगा, और पश्चिमी सिंहभूम।

4 सलामी जमीन का बाजार मूल्य है।

5 लगान का, शिक्षा उपकर: 50 प्रतिशत, स्वास्थ्य उपकर: 50 प्रतिशत, कृषि विकास उपकर: 20 प्रतिशत और पथ उपकर: 25 प्रतिशत (कुल 145 प्रतिशत)।

6 राजस्व अर्जित करने वाले हाट, बाजार, मेला, पेड़, फेरी, तालाब के संबंध में अधिकार एवं हित।

7 अंचल अधिकारी, बलियापुर, बेरमो, चंदनक्यारी, चंद्रपुरा, चास, धनबाद, पूर्वी टुंडी, गोमिया, झरिया, निरसा, पेटरवार, तोपचाची और टुंडी का कार्यालय, भू.सु.उ.स., बेरमो, बोकारो और धनबाद, अपर समाहर्त्ता, बोकारो, धनबाद और जमशेदपुर, बंदोबस्ती कार्यालय, धनबाद, जिला भूमि अधिग्रहण, बोकारो, विशेष भूमि अधिग्रहण, बोकारो और सचिव, राजस्व, निबंधन और भूमि सुधार विभाग, राँची।

में उपकर का आरोपित नहीं किया जाना/कम आरोपित किया जाना और उपकर के बकाये पर ब्याज, सलामी एवं व्यावसायिक लगान का निर्धारित नहीं किया जाना/कम निर्धारित किया जाना, निहित भूमियों की बंदोबस्ती नहीं किया जाना इत्यादि उद्घटित किया जैसा कि **तालिका 5.1** में वर्णित है।

तालिका-5.1

(₹ करोड़ में)

क्र.सं	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	राशि
1	**"झारखण्ड में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में पट्टा प्रबंधन"** – एक निष्पादन लेखापरीक्षा	1	8,846.91
2	निहित भूमियों एवं सैरातों की बंदोबस्ती नहीं की गयी	4	1.10
3	अन्य मामले	90	44.96
कुल		**95**	**8,892.97**

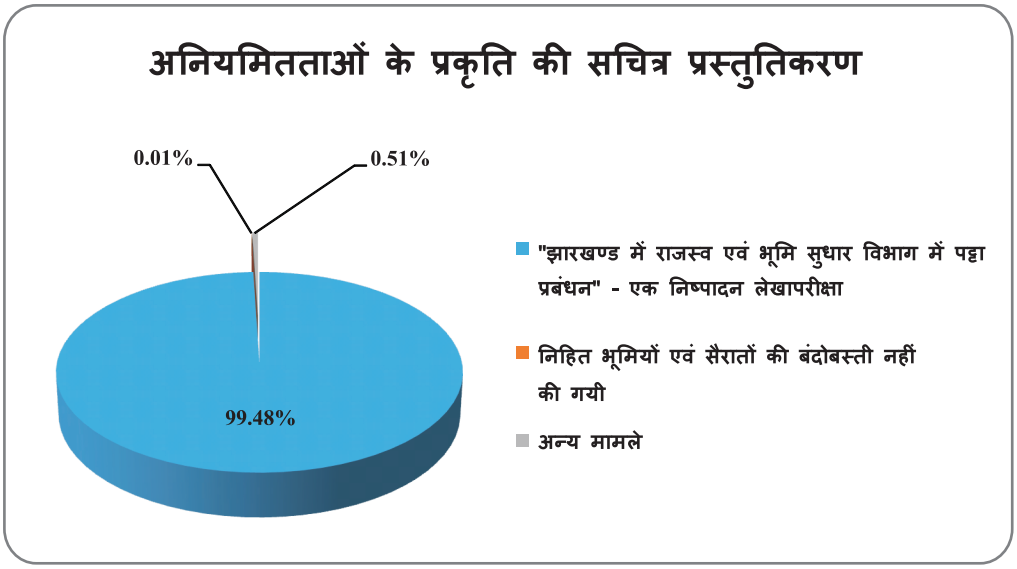

इस अध्याय में हम ₹ 8,846.91 करोड़ के वित्तीय प्रभाव वाले "**झारखण्ड में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में पट्टा प्रबंधन**" पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा प्रस्तुत करते हैं। विभाग ने सभी लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया जिनकी चर्चा अनुवर्ती कंडिकाओं में की गयी है।

5.3 झारखण्ड में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में पट्टा प्रबंधन

विशिष्टताएँ

उप-पट्टे की भूमि का अनियमित आवंटन/हस्तांतरण

- सरकार 469.38 एकड़ सन्निहित 1,279 उप-पट्टों के मामले में 1971-72 से 2014-15 की अवधि हेतु सलामी, लगान एवं उपकर के रूप में ₹ 3,376.24 करोड़ के राजस्व से वंचित हुई।

(कंडिका 5.3.9.1)

- 1999 से 2015 की अवधि हेतु सरकार ₹ 974.48 करोड़ के राजस्व से वंचित हुई चूँकि टाटा स्टील लिमिटेड, जमशेदपुर को दी गयी 122.82 एकड़ भूमि के संयंत्र क्षेत्र का पट्टा अधिकार अनियमित तरीके से अन्य कंपनी को हस्तांतरित किया गया। नियमावली पट्टाधारकों द्वारा पट्टा अधिकारों के हस्तांतरण की परिकल्पना नहीं करता।

(कंडिका 5.3.9.2)

- सरकार ₹ 26.76 करोड़ के राजस्व से वंचित हुई चूँकि 2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान 4.31 एकड़ भूमि सन्निहित 23 बिक्री दस्तावेज निबंधित हुए यद्यपि उप-पट्टाधारक इन भूमि/फ्लैटों की बिक्री के लिये अधिकृत नहीं था।

(कंडिका 5.3.9.3)

अतिचारियों और पट्टों के नवीनीकरण के विरूद्ध सुरक्षा

- विभाग ₹ 3,964.94 करोड़ के लगान और ब्याज के संग्रह में विफल रहा चूँकि 1934-35 से 2014-15 के बीच की अवधि हेतु 2,547.42 एकड़ खासमहल भूमि सन्निहित 10,425 पट्टाधारकों में से 7,862 पट्टाधारकों ने पट्टे का नवीनीकरण नहीं कराया। विभाग ने न तो पट्टे के नवीनीकरण के लिये पट्टाधारकों को नोटिस निर्गत किया और न ही उन्हें निष्कासित करने के लिये कदम उठाया।

(कंडिका 5.3.10.1)

- सरकार 1996-97 से 2014-15 की अवधि हेतु ₹ 248.77 करोड़ के राजस्व से वंचित हुई क्योंकि विभाग अतिक्रमण के अधीन 1,859.68 एकड़ भूमि को खाली कराने व इससे राजस्व अर्जित करने में विफल रहा और टाटा स्टील लिमिटेड, जमशेदपुर को पट्टे पर दी गयी 69.43 एकड़ भूमि की अवस्थिति का पता नहीं लगा सका।

(कंडिका 5.3.10.3)

राजस्व की वसूली नहीं की गयी

- सरकार ₹ 216.59 करोड़ के राजस्व से वंचित हुई क्योंकि विभाग 2006-07 से 2014-15 के दौरान 78 पट्टाधारकों के मामले में पट्टा लगान, उपकर, ब्याज, सलामी और भूमि के पूंजीकृत मूल्य की वसूली में विफल रहा।

(कंडिका 5.3.11)

आंतरिक नियंत्रण

- प्रवर्तन के छः वर्ष के पश्चात भी किसी जिले में राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम पूर्ण नहीं हुआ। अभिलेखों के अनियमित संधारण के कारण 12,098.25 एकड़ खासमहल भूमि के क्षेत्र की विसंगतियाँ थीं।

(कंडिका 5.3.12.2 व कंडिका 5.3.12.3)

5.3.1 परिचय

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड में पट्टा[8] प्रबंधन बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 के साथ पठित छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908, संथालपरगना काश्तकारी अधिनियम, 1949, बिहार लोकभूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956, बिहार भू-लगान (भुगतान से छूट) अधिनियम, 1982, बिहार सरकार संपदा (खासमहल[9]) हस्तक, 1953, बिहार भू अर्जन हस्तक (समय समय पर संशोधित) और उसके अधीन बनाये गये नियमावलियों व निर्गत निर्देशों से आच्छादित होता है। इन अधिनियमों का उद्देश्य, झारखण्ड सरकार द्वारा यथा अंगीकृत, विद्यमान काश्तकारी कानूनों के अनुसार सरकार द्वारा सीधे लगान का आरोपण एवं संग्रहण हेतु समर्थ बनाना था और बिचौलियों जैसे जमींदारों के माध्यम से नहीं करना था जो उस समय तक का तरीका था। इस प्रकार, अधिनियम काश्तकारों और राज्य के बीच एक सीधा संपर्क उपलब्ध कराता है और भू-राजस्व के मूल्यांकन और संग्रहण को राज्य के सीधे नियंत्रण के अधीन लाया।

इसके अतिरिक्त, बंगाल उपकर अधिनियम, 1880, झारखण्ड सरकार द्वारा यथा अंगीकृत, के प्रावधानों के अधीन सलामी[10], भू लगान व ब्याज[11], उपकर भी आरोप्य है।

5.3.1.1 सरकारी भूमि पर पट्टों के प्रबंधन हेतु प्रक्रिया

संक्षेप में पट्टों के आवंटन एवं समाप्ति की प्रक्रिया निम्न वर्णित है :

निजी व्यक्तियों को भूमि के पट्टे की स्वीकृति हेतु प्रमण्डलीय आयुक्त का प्रस्ताव सरकार बिहार सरकार संपदा (खासमहल) हस्तक, 1953 के नियम 171 के अनुच्छेद (अ) जो प्रस्तावित हस्तांतरण के प्रयोजन, शर्तें व विवरण, क्षेत्र का विवरण, बाजार मूल्य, वर्ष की अवधि और भूमि का अनुमानित वार्षिक लगान स्पष्ट रूप से उल्लिखित करता है, में निर्दिष्ट ब्यौरे के साथ सरकार को समर्पित किया जाना चाहिये। तदंतर, खासमहल हस्तक, 1953 के परिशिष्ट ए-18 बी की अनुसूची II में निहित नियम व शर्तों के अनुसार कंडिका 6 (v) में, पट्टाधारी भूमि या उसके किसी

---

8 हस्तांतरण प्राप्तकर्ता द्वारा हस्तांतरित करने वाले को भुगतान या वादा किये गये मूल्य के बदले में, एक निश्चित समय हेतु बनायी गयी, व्यक्त की गयी या अंतर्निहित या शाश्वतता में, ऐसी संपत्ति के उपभोग करने के अधिकार का एक हस्तांतरण।

9 सरकार के सीधे अधिकार/प्रबंधन के अधीन संपदा।

10 सलामी भूमि का वर्तमान बाजार मूल्य है। यह पट्टे की अवधि के दौरान मूल्य में प्रतीक्षित वृद्धि में हिस्सा है।

11 ब्याज 14.04.1999 तक 6.25 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से और उसके पश्चात 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से।

हिस्से को किसी अन्य पक्ष को बेचते या सौंपते समय राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से ऐसा करेगा। किसी भी नियम और शर्तों के उल्लंघन के मामले में जैसे अनियमित उप-पट्टा/पट्टा अधिकारों का हस्तांतरण/पट्टाधारक द्वारा अनाधिकृत बिक्री, पट्टादाता[12] को उक्त पूरी भूमि को वापस लेने का अधिकार होगा।

बिहार सरकार संपदा (खासमहल) हस्तक एवं उसके अधीन बनाए गए नियमावलियों के अनुसार, समाहर्त्ता/उपायुक्त को पट्टे की समाप्ति के छः माह पूर्व पट्टेधारकों को ऐसे पट्टों के नवीनीकरण हेतु आवेदन देने के लिये नोटिस निर्गत करना है। अग्रेतर संबंधित पट्टाधारक[13] को अवधि समाप्ति के तीन माह पूर्व पट्टे के नवीनीकरण हेतु आवेदन करना है। पट्टाधारक जिसने पट्टे के नवीनीकरण और लगान के भुगतान के बिना पट्टे की संपत्ति को लगातार अपने अधिकार में रखा, को अतिचारी माना जाना है और पूर्व नियम व शर्तों के आधार पर नवीनीकरण हेतु उसका कोई दावा नहीं है। आवासीय/व्यावसायिक उद्देश्यों हेतु नये पट्टे पर, भूमि के वर्तमान बाजार मूल्य पर सलामी के अलावा आवासीय उद्देश्य हेतु ऐसे सलामी के दो प्रतिशत और व्यावसायिक उद्देश्य हेतु पाँच प्रतिशत की दर से वार्षिक लगान आरोप्य है।

बिहार भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956 झारखण्ड सरकार द्वारा यथा अंगीकृत, के अधीन यदि किसी व्यक्ति ने पट्टे पर दी गयी भूमि या खासमहल भूमि के खाली हिस्से पर अतिक्रमण किया, तो उसे बिहार संपदा (खासमहल) हस्तक, 1953 में दिये गये नियम के अनुसार लगान के भुगतान पर ऐसी भूमि की बंदोबस्ती या अतिक्रमण को मुक्त करने का नोटिस दिया जा सकता है और तद्नुसार ऐसा व्यक्ति सलामी के दो या पाँच प्रतिशत की दर से आवासीय/व्यावसायिक लगान सहित ऐसी भूमि के वर्तमान बाजार मूल्य पर सलामी भुगतान करने का उत्तरदायी है।

5.3.1.2 टाटा आयरन व स्टील कंपनी को पट्टे पर दी गयी भूमि के संबंध में विशेष प्रावधान

झारखण्ड सरकार, राजस्व व भूमि सुधार विभाग ने टाटा आयरन व स्टील कंपनी (टिस्को) को अतिक्रमण मुक्त 12,708.59 एकड़ भूमि 40 वर्षों की अवधि के लिये पट्टे पर दिया (जनवरी 1956) जो दिसंबर 1995 में समाप्त हुआ। पट्टे की समाप्ति के पूर्व, टिस्को ने आगामी 30 वर्षों की अवधि के लिये मात्र 10,852.27 एकड़ क्षेत्र हेतु पट्टे के नवीनीकरण हेतु आवेदन दिया (अगस्त 1995) और पूर्व के पट्टे से 1,786.89 एकड़ क्षेत्र को अलग करने का आग्रह किया।

सरकार व टिस्को के बीच अगस्त 1984 के पट्टा समझौते के अनुसार जो कि जनवरी 1956 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी हुआ, भूमि सुधार अधिनियम, 1950 (1972 का संशोधन कंडिका 7 डी व 7 ई) के अधीन 22 जून 1970 के बाद उप-पट्टों के नियमितीकरण हेतु प्रावधान बनाये गये हैं। यह जनवरी 1956 के बाद दिये गये पट्टे

[12] पट्टे पर संपत्ति का हस्तांतरणकर्ता।

[13] पट्टे पर हस्तांतरित संपत्ति का प्राप्तकर्ता।

हेतु कंपनी द्वारा वसूली किये गये सभी लगानों और प्रीमियम या सलामी का राज्य सरकार को भुगतान हेतु प्रावधान भी करता है। बिहार राज्य संपदा (खासमहल) हस्तक के परिशिष्ट ए-18 बी के अंतर्गत अनुसूची II के भाग II के अनुच्छेद 6 (i) के अनुसार पट्टादाता या उसके नामनिर्दिष्ट की पूर्व सहमति के बिना पट्टाधारक भूमि पर अपना दखल या उसमें अथवा उसके संबंध में किसी अधिकार या हित को सौंपने, बंधक रखने किराये पर देने या छोड़ने का पात्र नहीं है।

5.3.2 संगठनात्मक ढाँचा

भू-राजस्व को शासित करने वाले कानून राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, जिसके शीर्ष पर सचिव/आयुक्त होते हैं, द्वारा प्रशासित होते हैं। उन्हें आगे प्रमंडल स्तर पर प्रमंडलीय आयुक्त, जिला स्तर पर उपायुक्त, अनुमंडलीय स्तर पर अपर समाहर्त्ता/अपर उपायुक्त (अ.उ.), अनुमंडल पदाधिकारी (अ.प.)/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता (भू.सु.उ.स.) द्वारा समर्थित और अंचल स्तर पर अंचल अधिकारी (अ.अ.) द्वारा सहायता की जाती है। राज्य पाँच प्रमंडलों, 24 जिलों, 35 अनुमंडलों और 247 अंचलों में उप विभाजित है। पट्टों के निष्पादन के सभी महत्वपूर्ण मामले, नीतियों का सृजन और सरकारी भूमि के हस्तांतरण की संस्वीकृति सरकार के स्तर पर निर्धारित किये जाते हैं।

विभाग का संगठनात्मक सारणी निम्नानुसार है:

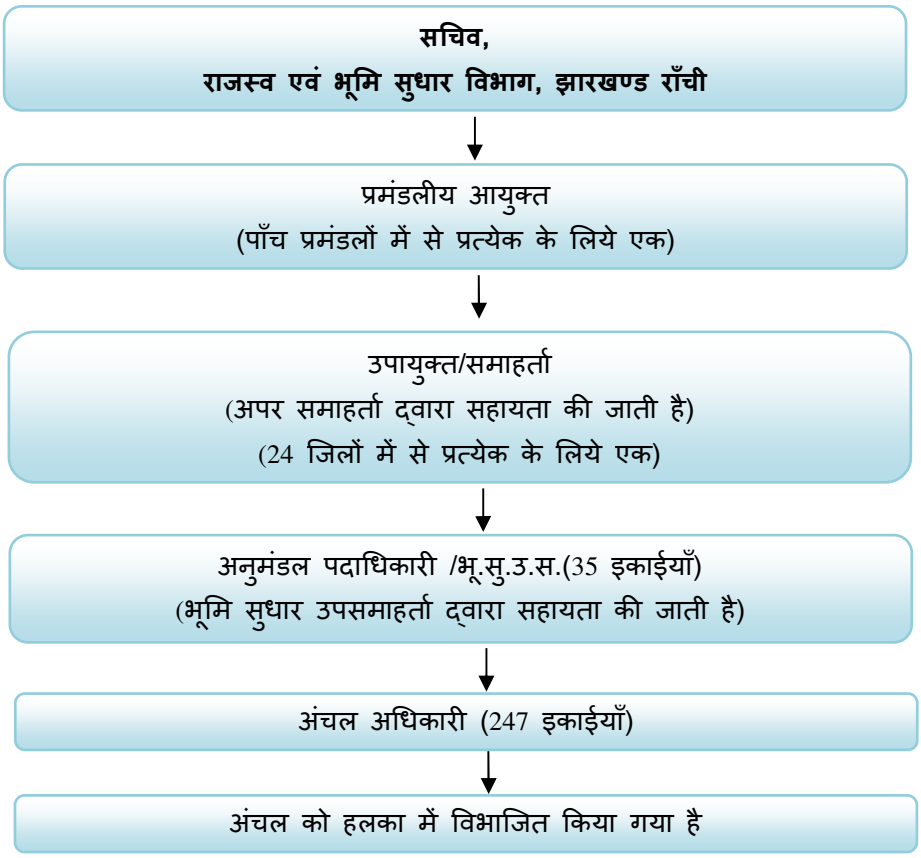

5.3.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

हमने यह सुनिश्चित करने के लिये निष्पादन लेखापरीक्षा संचालित किया कि :

- सरकारी भूमि का पट्टे पर अनुदान संबंधित अधिनियमों, नियमावलियों एवं विनियमों के विद्यमान प्रावधानों के अनुसार था;
- यह सुनिश्चित करने के लिये उचित अनुश्रवण/आंतरिक नियंत्रण तंत्र मौजूद था कि आवंटन प्रक्रिया पारदर्शी था, पट्टे के नियम व शर्तों का पालन किया जा रहा था और पट्टों का नवीनीकरण उचित था;
- पट्टे पर दिये गये क्षेत्रों पर अतिक्रमण को खाली कराने हेतु संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथासमय कार्रवाई की गयी; एवं
- उपयोग में नहीं लायी गयी पट्टे पर आवंटित भूमि को वापस लेने हेतु और पट्टा समझौते की शर्तों के उल्लंघन पर कार्रवाई यथासमय एवं उचित था।

5.3.4 लेखापरीक्षा सिद्धांत

हमने निम्न अधिनियमों और नियमावलियों[14] के अधीन बनाये गये प्रावधानों के संदर्भ में निष्पादन लेखापरीक्षा संचालित किया :

1. बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950;
2. बिहार सरकार संपदा (खासमहल) अधिनियम, 1953;
3. बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956;
4. बिहार एवं उड़ीसा लोक माँग एवं वसूली अधिनियम, 1914;
5. बंगाल उपकर अधिनियम, 1880; और
6. समय-समय पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्गत कार्यकारी आदेश।

5.3.5 लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं सीमा

2010-11 से 2014-15 अवधि हेतु "झारखण्ड में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में पट्टा प्रबंधन" पर निष्पादन लेखापरीक्षा जुलाई 2015 और मई 2016 के बीच संचालित किया गया। हमने राज्य के सभी 24 जिलों[15] के सृजित माँग एवं संग्रहित राजस्व का आँकड़ा संगृहीत किया। जोखिम विश्लेषण[16] के आधार पर आँकड़ों को अधिक, मध्यम और निम्न स्तरबद्ध करने के पश्चात बगैर प्रतिस्थापन यादृच्छिक

---

[14] झारखण्ड सरकार द्वारा यथा अंगीकृत।

[15] बोकारो, चतरा, देवघर, धनबाद, दुमका, पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर) गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, हजारीबाग, जामताड़ा, खूँटी, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, पलामू, पाकुड़ रामगढ़, राँची, साहिबगंज, सरायकेला-खरसाँवा, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम (चाईबासा)।

[16] जोखिम विश्लेषण सृजित माँग एवं वास्तविक संग्रहण के आधार पर आधारित। हमने न सिर्फ उन जिलों को चुना जिनमें माँग व संग्रहण अधिकतम थे बल्कि उन जिलों को भी चुना जहाँ उपलब्धियाँ कम थीं।

प्रतिचयन विधि के माध्यम से हमने लेखापरीक्षा हेतु 14 जिलों[17] का चयन किया। तदन्तर, हमने ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों, खनन क्षेत्रों, आद्योगिक क्षेत्रों, खास महल और गैरमजरूआ (गै.म.) भूमि [18] इत्यादि का एक संयोजन सुनिश्चित करते हुए आगे विस्तृत लेखापरीक्षा हेतु टाटा लीज कार्यालय सहित चयनित जिलों से 29 अंचल कार्यालयों[19] को चुना।

5.3.6 लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली

सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के साथ 4 फरवरी 2016 को प्रवेश सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्य, लेखापरीक्षा का क्षेत्र, लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली और मार्गदर्शन अध्ययन के प्रारंभिक निष्कर्षों पर विस्तार से चर्चा की गयी। पट्टों के नवीनीकरण, गैरमजरूआ भूमि का स्थानांतरण, पट्टाधारकों द्वारा उप-पट्टे पर दिया जाना और सरकारी राजस्व की वसूली में अनियमितताओं का पता करने के लिये चयनित जिलों/अंचल कार्यालयों में पट्टा अभिलेखों/विवरणियों और विवरणों का एक नमूना जाँच किया गया।

हमने सरकार एवं विभाग के साथ बहिर्गमन सम्मेलन दिनांक 5 अगस्त 2016 को आयोजित किया जिसमें सचिव और संयुक्त सचिव के साथ निष्कर्षों पर चर्चा की गयी और उनकी प्रतिक्रिया को संबद्ध कंडिकाओं में समाविष्ट किया गया है।

5.3.7 आभारोक्ति

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग आवश्यक सूचना और लेखापरीक्षा हेतु अभिलेखों को उपलब्ध कराने में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सहयोग का आभार व्यक्त करता है।

5.3.8 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

बिहार वित्तीय नियमावली, भाग I (झारखण्ड सरकार द्वारा यथा अंगीकृत) के प्रावधानों के अनुसार राजस्व प्राप्तियों के बजट अनुमान (ब.अ.) तैयार करने का दायित्व वित्त विभाग में निहित है। तथापि, बजट अनुमानों के लिये सामग्री संबंधित प्रशासनिक विभाग से प्राप्त किया जाता है जो आँकड़ों की शुद्धता के लिये उत्तरदायी होता है। अस्थिर राजस्व के मामले में, अनुमान पिछले तीन वर्षों की प्राप्तियों की तुलना पर आधारित होना चाहिये।

---

17 बोकारो, चतरा, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, गिरिडीह, हजारीबाग, कोडरमा, लातेहार, पलामू, राँची, साहिबगंज, सरायकेला-खरसाँवा, और पश्चिमी सिंहभूम।

18 गैर कृषि व अबंदोबस्त सरकारी भूमि। इसे रैयत/काश्तकारों को नियानुसार बंदोबस्त किया जा सकता है।

19 अनगड़ा, बड़कागाँव, बेंगाबाद, चतरा (सदर), चास (बोकारो), चायबासा (सदर), चक्रधरपुर, धनबाद (सदर), धनवार, गढ़वा (सदर), गिरिडीह (सदर), गम्हरिया, हजारीबाग (सदर), जगन्नाथपुर, जमुआ, जुगसलाई-सह-गोलमुरी, कोडरमा (सदर), लातेहार (सदर), नामकुम, नोआमुंडी, मेदिनीनगर पलामू (सदर), पोटका, राँची (सदर), रातू, सिमरिया, साहिबगंज (सदर), सरायकेला (सदर), टंडवा और टाटा लीज कार्यालय, जमशेदपुर।

बजट अनुमानों का सृजन सरकार की वित्तीय योजना का महत्वपूर्ण भाग है। इसलिये यह आवश्यक है कि बजट अनुमान यथासंभव वास्तविकता के करीब होना चाहिये। तथापि, 2010-11 से 2014-15 की अवधि हेतु भू-राजस्व के बजट अनुमान और वास्तविक संग्रहण के एक विश्लेषण ने व्यापक विविधताओं को इंगित किया जैसा कि **तालिका-5.2** में वर्णित है।

तालिका-5.2

(₹ करोड़ में)

वर्ष	संशोधित अनुमान	संग्रहित भू राजस्व (संग्रहित)	विचरण वृद्धि (+) / कमी (-)	विविधता का प्रतिशत
1	2	3	4	5
2010-11	66.00	130.65	(+)64.65	(+)197.95
2011-12	96.00	53.94	(-)42.06	(-)56.18
2012-13	83.49	96.38	(+)12.89	(+)115.43
2013-14	95.00	229.84	(+)134.84	(+)241.93
2014-15	210.12	83.54	(-)126.58	(-)39.75

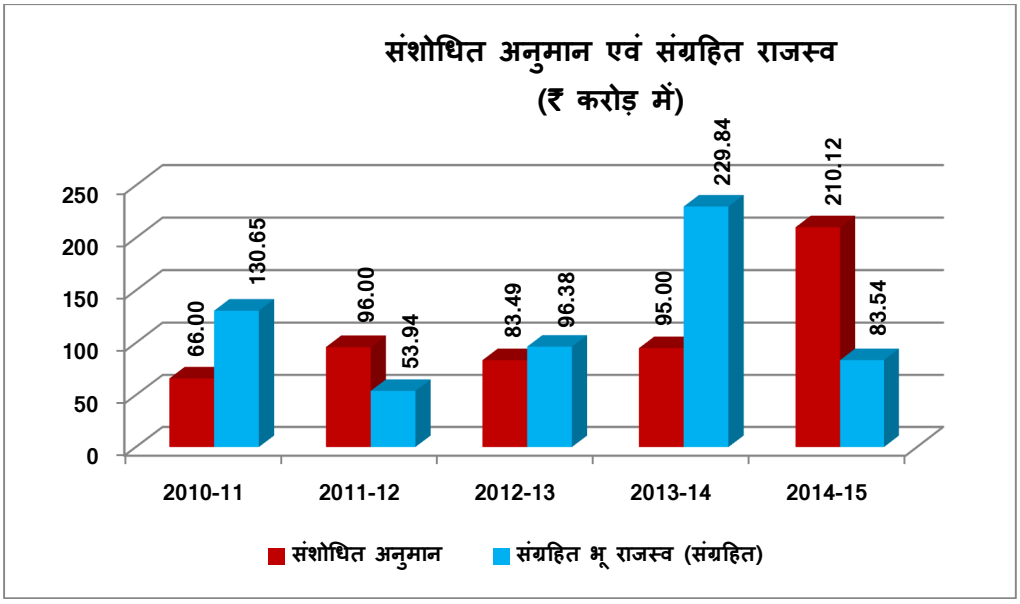

2011-12 और 2014-15 के दौरान राजस्व का संग्रह ब.अ. की तुलना में 56 और 40 प्रतिशत कम था, जबकि बजट अनुमान के उपर अन्य वर्षों में वृद्धि 100 प्रतिशत से अधिक था। राजस्व के संग्रहों में व्यापक विचरण और उतार-चढ़ाव इंगित करता है कि ब.अ./सं. अनु. यथार्थवादी नहीं थे। विभाग द्वारा पिछले वर्ष की तुलना में 2013-14 में भू-राजस्व में 241.93 प्रतिशत की वृद्धि का कारण पिछले वर्षों का ₹ 129 करोड़ के देय राशि का जमा होना बताया गया।

मामले को हमारे प्रतिवेदित किये जाने के बाद (जुलाई 2016), विभाग/सरकार ने बहिर्गमन सम्मेलन में कहा कि ब.अ. आंतरिक संसाधनों के आधार पर वित्त विभाग द्वारा नियत किया जाता है। अग्रेतर, विभाग ने बताया कि पुराने देय और पट्टाधारकों

से भूमि के पूँजीकृत मूल्य के जमा होने के परिणामस्वरूप पिछले वर्षों की तुलना में व्यापक विचरण हुई।

हम अनुशंसा करते है कि सरकार यथार्थवादी और वैज्ञानिक आधार पर ब.अ. तैयार करने हेतु राजस्व और भूमि सुधार विभाग को उपयुक्त निर्देश निर्गत कर सकती है और यह सुनिश्चित करे कि इसे व्यर्थ का अभ्यास बनने से रोकने के लिये ये वास्तविक प्राप्तियों के समीप हों।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

3,10,620.82 एकड़ गै.म. खास भूमि के बंदोबस्ती अभिलेखों, और निजी कंपनियों को अनुदानित 4,649.94 एकड़ क्षेत्र सन्निहित उप-पट्टों में 2,549.85 एकड़ खासमहल भूमि के संबंध में 10,452 पट्टों में से 7,862 पट्टे में ₹ 8,846.91 करोड़ सन्निहित बड़ी अनियमितताएँ पायी गयी जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :

₹ 8,846.91 करोड़ से आवेष्टित अनियमितताओं का सचित्र आरेख
(₹ करोड़ में)

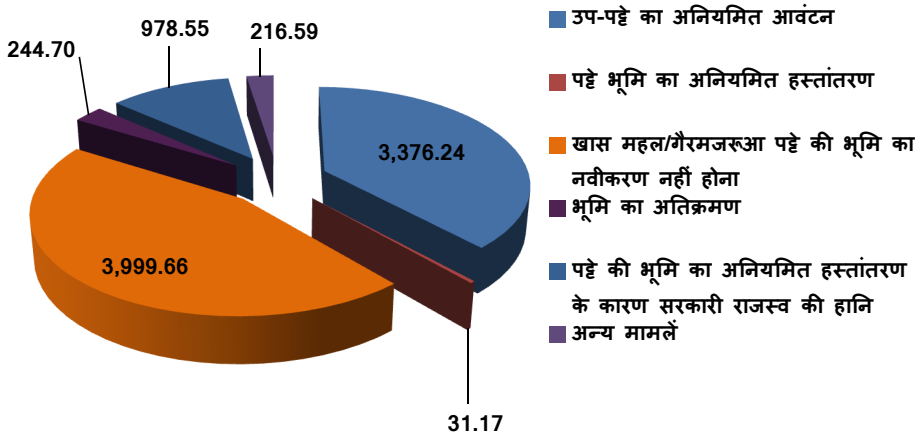

इन कमियों की चर्चा अनुवर्ती कंडिकाओं में की गयी है।

5.3.9 पट्टों को शासित करने वाले कानूनों के साथ समरूपता

बिहार सरकार संपदा (खासमहल) हस्तक, के परिशिष्ट-18 बी के अंतर्गत अनुसूची के भाग II के अनुच्छेद 6 (i) व (v) के प्रावधानों के अनुसार पट्टादाता या उसके नामनिर्दिष्ट की पूर्व सहमति के बगैर पट्टाधारक भूमि को नहीं सौंपेगा, बंधक रखेगा, अधीन देगा या उस पर अपना दखल या उसमें अथवा उसके संबंध में किसी अधिकार या हित को नहीं छोड़ेगा। लीज डीड के नियमों व शर्तों के उल्लंघन के मामले में, सरकार को उक्त संपूर्ण भूमि या उसके हिस्से को वापस लेने का अधिकार होगा। सरकार एवं टाटा स्टील लिमिटेड के बीच पट्टा समझौता (अगस्त 1984) के अनुच्छेद

(8) के अनुसार, यदि पट्टाधारक भविष्य में खाली भूमि के किसी हिस्से को किसी व्यक्ति के पक्ष में उप-पट्टे पर देना आवश्यक समझता है, तो ऐसा आवंटन सरकार के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा। अनुच्छेद 8 (कंडिका 7 डी व 7 ई) भी बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 के अंतर्गत 1972 में लाये गये संशोधन को संदर्भित करता है जिसने उप-पट्टों के नियमितीकरण हेतु 22 जून, 1970 का कट-ऑफ तिथि निर्धारित किया। अग्रेतर, जनवरी 2011 का संकल्प संख्या 241 का अनुच्छेद 2 भूमि के वर्तमान बाजार मूल्य के बराबर सलामी का प्रावधान करता है।

हमारे लेखापरीक्षा निष्कर्ष से उद्घटित हुआ कि पट्टे पर 598.94 एकड़ भूमि के क्षेत्र की स्वीकृति अधिनियमों, नियमावलियों और विनियमों के विद्यमान प्रावधानों के अनुरूप नहीं था। अनुवर्ती कंडिकाओं ने उद्घटित किया कि सरकार सलामी, लगान और उपकर के रूप में ₹ 4,381.89 करोड़ के राजस्व से वंचित हुई।

5.3.9.1 उप-पट्टे की भूमि का अनियमित आवंटन

सरकार ₹ 3,376.24 करोड़ के राजस्व से वंचित हुई क्योंकि 1,279 उप-पट्टे सरकार के पूर्व अनुमोदन के बगैर प्रदान किये गये। उप-पट्टे की भूमि की वापसी या सरकारी राजस्व की वसूली हेतु कार्रवाई नहीं की गयी।

अनियमित उप-पट्टे की भूमि पर बिस्टूपुर बाज़ार, जमशेदपुर

हमने तीन कार्यालयों[20] के पट्टा समझौते की संचिका और उनके संबंधित अभिलेखों का नमूना जाँच किया और पाया कि टाटा स्टील और दामोदर घाटी निगम (दा.घा.नि., एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम) ने 469.38 एकड़ भूमि को 1,279 व्यक्तियों/उद्योगों इत्यादि को 25 जून 1970 और अक्टूबर 2009 के बीच सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उप-पट्टे पर दिया था। हमने आगे पाया कि इन अनियमित उप-पट्टे के संबंध में सूचनाएँ उप समाहर्त्ता टाटा लीज कार्यालय, और सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के कार्यालय में उपलब्ध थीं पर प्रावधानों के अनुसार उप-पट्टे की भूमि की वापसी या सरकारी राजस्व की वसूली हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गयी। इस तरह, सरकार 1971-72 से 2014-15 तक सलामी, लगान और

[20] अंचल कार्यालय, निरसा, सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का कार्यालय और टाटा लीज कार्यालय, जमशेदपुर।

उपकर के रूप में परिगणित ₹ 3,376.24 करोड़ के राजस्व से वंचित हुई **(परिशिष्ट-VIII)**।

मामले को हमारे प्रतिवेदित करने के बाद (जुलाई 2016) बहिर्गमन सम्मेलन में विभाग/सरकार ने टाटा स्टील और दा.घा.नि. द्वारा दिये गये उप-पट्टे के संबंध में लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया। विभाग ने आगे कहा कि सरकारी राजस्व की हानि की गणना करने के लिये एक समिति का गठन किया गया था। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2016)।

हम अनुशंसा करते हैं कि सरकार नियमों व शर्तों के उल्लंघन का पता करने और यह सुनिश्चित करने हेतु कि सभी पट्टाधारक पट्टाकृत भूमि के उद्देश्य में परिवर्तन/उप-पट्टे पर देने/बिक्री करने हेतु सरकार से पूर्व अनुमति प्राप्त करें एक समीक्षा समिति का गठन कर सकती है। हम यह भी अनुशंसा करते हैं कि उप-पट्टे पर उद्ग्रहणीय राजस्व की वसूली हेतु सरकार तत्काल कदम उठाए।

5.3.9.2 पट्टा अधिकारों का अनियमित हस्तांतरण

सरकार पट्टाकृत भूमि के पट्टा अधिकारों के अनियमित हस्तांतरण के कारण ₹ 974.48 करोड़ के राजस्व से वंचित हुई क्योंकि नियमावलियाँ पट्टा अधिकारों को अन्यों को हस्तांतरण की अनुमति नहीं देती। जिला अवर निबंधक, पूर्वी सिंहभूम ने दस्तावेज को निबंधित किया और नये पट्टे के लिये जोर देने में विफल रहे।

बिहार सरकार संपदा (खासमहल) हस्तक और झारखण्ड सरकार एवं टिस्को (अब टाटा स्टील लिमिटेड से ज्ञात) के बीच अगस्त 1984 में संपादित और अगस्त 2005 में नवीकृत पट्टा समझौता पट्टा अधिकारों को अन्यों को हस्तांतरण की परिकल्पना नहीं करता।

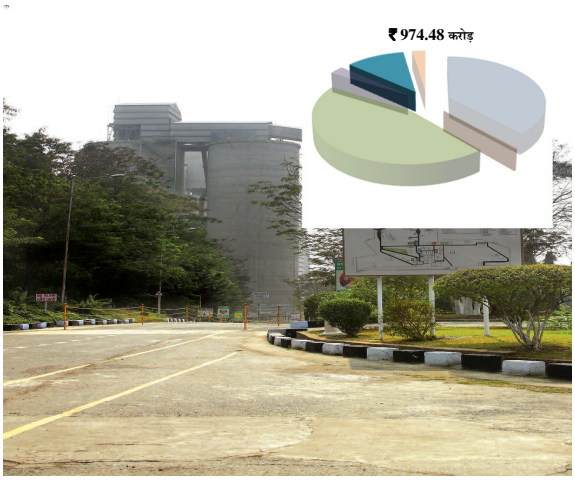

जोजोबेरा सीमेंट सयन्त्र, जमशेदपुर

हमने टाटा लीज कार्यालय के अभिलेखों का नमूना जाँच किया (मार्च 2016) जिसने उद्घटित किया कि टाटा स्टील ने पट्टे वाले क्षेत्र में एक सीमेंट प्लांट स्थापित किया था पर इसके बाद नवंबर 1999 में 122.82 एकड़ भूमि के माप वाले प्लांट क्षेत्र का पट्टा

लाफ़ार्ज सीमेंट फैक्ट्री

अधिकार लाफार्ज इंडिया प्रा. लिमिटेड को हस्तांतरित कर दिया गया। यह उस व्यवसाय अंतरण समझौते (व्य.अं.स.) के अनुरूप था जो विक्रेता (टाटा स्टील) और क्रेता (लाफार्ज इंडिया प्रा. लिमिटेड) के बीच मार्च 1999 में संपादित हुआ जिसमें विक्रेता अन्य बातों के साथ ₹ 550 करोड़ के भुगतान पर क्रेता के साथ अवरोध मुक्त अचल संपत्ति की पूर्ण बिक्री हेतु सहमत हुआ। हमने आगे जिला अवर निबंधक (जि.अ.नि.), पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर में पाया कि पट्टा अधिकारों का हस्तांतरण नवंबर 1999 में डीड संख्या 3913 द्वारा लाफार्ज इंडिया प्रा. लिमिटेड के पक्ष में निबंधित हुआ।

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि टाटा स्टील ने सरकार से जोजोबेड़ा में भूमि के प्रस्तावित उपयोग पर जोजोबेड़ा साइट अनुज्ञप्ति समझौते हेतु पूर्व अनुमोदन प्राप्त नहीं किया। उपायुक्त, जमशेदपुर ने लाफार्ज इंडिया प्रा. लिमिटेड को अक्टूबर 2015 में यह कहते हुए एक पत्र निर्गत किया कि टाटा स्टील को पट्टा समझौते के प्रावधान के अधीन या बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 के अधीन कोई अनुज्ञप्ति का अधिकार नहीं है।

लाफ़ार्ज सीमेंट सयन्त्र का मुख्य द्वार

इस तरह, पट्टाधारक ने पट्टा समझौते और बिहार सरकार संपदा (खासमहल) हस्तक के प्रावधानों के विपरीत भूमि पर पट्टा अधिकार हस्तांतरित किया जो अनियमित था और 1999 से 2015 अवधि हेतु लगान व उपकर सहित सलामी के रूप में सरकार को, झारखण्ड सरकार के संकल्प (जनवरी 2011) के अनुच्छेद 2 के आधार पर परिगणित, ₹ 974.48 करोड़ के राजस्व से वंचित किया **(परिशिष्ट- IX)**। ये यह भी इंगित करता है कि सरकारी भूमि के पट्टा अधिकार के अनियमित हस्तांतरण को रोकने हेतु अंतर्विभागीय जाँच का अभाव था चूँकि जि.अ.नि. ने सरकार व क्रेता के बीच नए लीज, जो इस पर देय राजस्व की वसूली करता पर जोर दिये बिना इस लेन देन की अनुमति दी।

मामले को हमारे प्रतिवेदित किये जाने के बाद (जुलाई 2016) विभाग/सरकार ने बहिर्गमन सम्मेलन में लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया कि उक्त भूमि के उपयोग के हस्तांतरण के पूर्व राज्य सरकार की सहमति लेना अपेक्षित है और कहा कि मामले की जाँच हेतु आयुक्त, कोल्हान, चाईबासा को अगस्त 2016 में एक पत्र निर्गत किया गया है। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2016)

हम अनुशंसा करते हैं कि सरकार राशि की वसूली कर सकती है और समाहरणालयों को उनके अधिकार क्षेत्र में सक्रिय सभी पट्टों का विवरण वेबसाईट पर दर्शाने का निर्देश दे सकती है ताकि सुनिश्चित हो कि भूखंडों की अनाधिकृत रूप से बिक्री/हस्तांतरित न हो।

5.3.9.3 टाटा लीज़ क्षेत्र के भूमि की अनाधिकृत बिक्री

2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान 4.31 एकड़ भूमि सन्निहित भूमि के कुल 23 बिक्री डीड निबंधित हुए हालांकि उप-पट्टाधारक इन भूमियों/फ्लैटों की बिक्री के लिये अधिकृत नहीं थे।

पट्टा क्षेत्र पर अपार्टमेंट

हमने 2010-11 से 2014-15 के बीच निबंधित भूमि में 250 बिक्री डीड का नमूना जाँच किया और पाया कि टाटा लीज क्षेत्र के 4.31 एकड़ सन्निहित 23 बिक्री डीड निबंधित हुए। हमने आगे पाया कि ये बिक्री दस्तावेज टाटा स्टील के उप-पट्टाधारकों द्वारा संपादित किये गये थे, जो मात्र एक उप-पट्टाधारक था और इसलिये बिक्री द्वारा भूमि हस्तांतरण के लिये अधिकृत नहीं था। तथापि, जि.अ.नि. ने तथ्यों का सत्यापन किये बगैर अनाधिकृत बिक्री डीडों को निबंधित किया। इस तरह, विद्यमान तंत्र की पट्टाकृत क्षेत्र के अनाधिकृत बिक्री के अनुश्रवण में विफलता ने सलामी और लगान के रूप में ₹ 26.76 करोड़ के राजस्व से वंचित किया।

मामले को हमारे प्रतिवेदित करने के बाद (जुलाई 2016) विभाग/सरकार ने बहिर्गमन सम्मेलन में लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया और कहा कि विधि विभाग की राय माँगी गयी है जिस आधार पर अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2016)।

5.3.9.4 पट्टा भूमि का अनियमित बिक्री/हस्तांतरण

सरकार खासमहल पट्टा भूमि के अनियमित बिक्री/हस्तांतरण के कारण ₹ 4.41 करोड़ राशि के राजस्व से वंचित हुई। विभाग पट्टा दस्तावेज के नियम व शर्तों के उल्लंघन पर भूमि/भवन को वापस लेने में विफल रही।

सर्क्युलर रोड, राँची के खास महल भूमि पर सुरभि अपार्टमेंट

हमने भू.सु.उ.स., राँची और खासमहल अधिकारी, साहिबगंज के अभिलेखों का नमूना जाँच किया (अक्टूबर 2015 और मई 2016) और पाया कि 1910.73 एकड़ में से 2.43 एकड़ खासमहल भूमि उपरोक्त प्रावधानों के विपरीत बिक्री दस्तावेज, इकरारनामा[21] और पावर ऑफ अटॉर्नी द्वारा सुरभि अपार्टमेंट, सर्कुलर रोड, राँची और साहिबगंज में 38 अन्य मामलों में हस्तांतरित किये गये। बिहार राज्य खासमहल हस्तक के नियम 38 से 40 के प्रावधानों के अनुसार हलका कर्मचारी/तहसीलदार को मामलों की जाँच करनी चाहिये थी और खासमहल अधिकारी/अंचल अधिकारी के ध्यान में लाना चाहिये था। इस तरह, खासमहल भूमि के अनियमित हस्तांतरण के अनुश्रवण करने वाले तंत्र के कर्तव्यानुरूप कार्य नहीं करने के कारण सलामी और लगान के रूप में ₹ 4.41 करोड़ के राजस्व से सरकार वंचित हुई।

मामले को हमारे प्रतिवेदित किये जाने के बाद (जुलाई 2016) विभाग/सरकार ने बहिर्गमन सम्मेलन में लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया और कहा कि खासमहल भूमि, जहाँ पट्टे के नियम व शर्तों का उल्लंघन हुआ हो, की बेदखली या नियमितीकरण के संबंध में मार्च 2016 में एक संकल्प निर्गत किया गया है। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2016)।

हम अनुशंसा करते हैं कि पट्टा समझौते की शर्तों के उल्लंघन पर सरकार को पट्टे पर आवंटित खासमहल भूमि की वापसी हेतु कार्रवाई करना चाहिये।

5.3.10 अतिचारियों से सुरक्षा और पट्टों का नवीनीकरण

हमारे निष्कर्षों ने उद्घटित किया कि पट्टों के नियम व शर्तों का पालन नहीं किया गया चूँकि 8,026 पट्टाधारक सन्निहित 5,308.97 एकड़ भूमि के संबंध में बेदखली या नवीनीकरण हेतु ससमय कार्रवाई नहीं की गयी, परिणामत: ₹ 4,248.43 करोड़ का सरकारी राजस्व वंचित हुआ जैसा कि निम्न कडिकाओं में दर्शाया गया है :

[21] पारस्परिक समझ पर भूमि का हस्तांतरण।

5.3.10.1 खासमहल पट्टे नवीनीकृत नहीं किये गये

2,547.42 एकड़ माप के एक क्षेत्र के कुल 7,862 खासमहल भूमि पट्टे जो 1934-35 और 2013-14 के बीच समाप्त हुए, का नवीनीकृत नहीं किया गया जिस कारण ₹ 3,964.94 करोड़ के लगान और ब्याज की वसूली नहीं हुई। विभाग ने न तो पट्टाधारकों को पट्टे के नवीनीकरण हेतु नोटिस निर्गत किया और न ही उन्हें निष्कासित करने के लिये कदम उठाया।

बिहार सरकार संपदा (खासमहल) हस्तक और पट्टा प्रदान करने हेतु उसके अधीन बनाये गये नियमावली के अनुसार, समाहर्त्ता/उपायुक्त से ऐसे पट्टों के नवीनीकरण हेतु पट्टे की समाप्ति के छ: माह पूर्व पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करना अपेक्षित है। आगे, पट्टाधारक से उसके पट्टा समाप्ति के तीन माह पूर्व नवीनीकरण हेतु आवेदन करना अपेक्षित है। पट्टाधारक जो पट्टे के नवीनीकरण और लगान के भुगतान के बगैर पट्टाकृत संपत्ति पर अपना अधिकार जारी रखता है को अतिचारी माना जाना है और पूर्व नियम व शर्तों के आधार पर नवीनीकरण हेतु कोई दावा नहीं होगा। आवासीय या व्यावसायिक उद्देश्यों हेतु नए लीज पर, पट्टाधारक पर भूमि के वर्तमान बाजार मूल्य पर सलामी, साथ ही ऐसी सलामी के दो प्रतिशत और पाँच प्रतिशत क्रमश: की दर से वार्षिक लगान आरोप्य है। सरकार ने जुलाई 2004 और अप्रैल 2011 में सभी उपायुक्तों को लंबित मामलों के नवीनीकरण हेतु तीन माह के अंदर कार्रवाई करने का निर्देश निर्गत किया।

हमने चार अंचल कार्यालयों[22], अपर समाहर्त्ता, चाईबासा और सात खासमहल/भू.सु.उ.स. कार्यालयों[23] के अभिलेखों का नमूना जाँच किया और पाया कि 5,019.58 एकड़ क्षेत्र आच्छादित (10,413 पट्टाधारकों में से) 7,862 पट्टाधारकों द्वारा धारित 2,547.42 एकड़ खासमहल भूमि हेतु पट्टे 1934-35 से 2013-14 के बीच समाप्त हो गये। पट्टाधारक या उनके उत्तराधिकारियों ने लगान के भुगतान और पट्टे के नवीनीकरण के बगैर पट्टाकृत संपत्ति पर अपना अधिकार जारी रखा। न तो पट्टाधारकों ने नए पट्टे हेतु आवेदन दिया और न ही विभाग ने पट्टाधारकों को पट्टा डीडों के संपादन हेतु नोटिस निर्गत किया या उन्हें बेदखल करने के लिये कदम उठाया। इस तरह, 1934-35 से 2014-15 की अवधि हेतु ₹ 3,964.94 करोड़ राशि के लगान और ब्याज की वसूली नहीं हुई **(परिशिष्ट - X)**।

लेखापरीक्षा के ध्यानाकर्षण पर आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, राँची और उपायुक्त, पलामू ने निर्धारित समय सीमा के अंदर खासमहल पट्टा भूमि के नवीनीकरण हेतु क्रमश: मार्च और मई 2016 में संकल्प निर्गत किया।

मामले को हमारे प्रतिवेदित किये जाने के बाद (जुलाई 2016) सरकार ने बहिर्गमन सम्मेलन में लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया और कहा कि निर्धारित समय

[22] चक्रधरपुर, जगन्नाथपुर, गोलमुरी सह जुगसलाई और नोआमुंडी।

[23] गढ़वा, हजारीबाग, कोडरमा, लातेहार, मेदिनीनगर, राँची और साहिबगंज।

सीमा के भीतर पट्टे का नवीनीकरण सुनिश्चित करने हेतु निर्देश निर्गत किये गये थे और बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956 के अधीन अतिचारियों को बेदखल करने हेतु कदम भी उठाये जायेंगे। सरकार ने भी इस संबंध में मार्च 2016 में एक संकल्प पारित किया था।

सरकारी खासमहल भूमि के पट्टों के नवीनीकरण न होने के कारण राजस्व की हानि के संबंध में सदृश कंडिकायें मार्च 2000, 2003, 2005, 2006, 2008, 2010, 2012, और 2014 को समाप्त वर्ष से संबंधित भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) में दर्शाये गये थे पर पट्टों के नवीनीकरण हेतु कोई कदम नहीं उठाये गये (अक्टूबर 2016)।

5.3.10.2 गै.म. खास भूमि के समाप्त पट्टे नवीकृत नहीं किये गये

सरकार ₹ 34.72 करोड़ की राशि के राजस्व से वंचित हुई चूँकि पट्टा नवीकृत नहीं किया गया।

बिहार लगान निर्धारण अधिनियम कहता है कि व्यावसायिक उद्देश्य हेतु पट्टाकृत संपत्ति का उपयोग करने वाला पट्टाधारक भूमि के बाजार मूल्य के पाँच प्रतिशत की दर से व्यावसायिक लगान भुगतान करने हेतु उत्तरदायी है।

हमने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के चार कार्यालयों[24] के अभिलेखों का नमूना जाँच किया और पाया कि 1948 से 1967 के बीच 30 वर्षों के लिये 161 पट्टाधारकों को 820.44 एकड़ गै.म. खास भूमि पट्टे पर दिया गया। पट्टे की समाप्ति के बाद इसे नवीनीकृत नहीं किया गया जबकि दखल पट्टाधारकों के पास था। इसने ब्याज सहित पट्टा लगान के रूप में ₹ 34.72 करोड़ के भू राजस्व के आरोपण और वसूली को रोका **{परिशिष्ट-XI(i) और XI(ii)}**।

मामले को हमारे प्रतिवेदित किये जाने के बाद (जुलाई 2016) सरकार ने बहिर्गमन सम्मेलन में लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया और कहा कि अग्रेतर कार्रवाई प्रारंभ करने हेतु संबंधित जिलों से सूचना प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

सदृश मुद्दा 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) की कंडिका 5.2.7.8 में इंगित किया गया था लेकिन पट्टों के नवीनीकरण हेतु कोई कदम नहीं उठाया गया (अक्टूबर 2016)।

[24] अपर समाहर्त्ता, चाईबासा और अंचल कार्यालय, चाईबासा, नोआमुंडी और गोलमुरी-सह-जुगसलाई, जमशेदपुर।

5.3.10.3 सरकारी भूमि का अतिक्रमण

सरकार 1996-97 से 2014-15 की अवधि हेतु ₹ 248.77 करोड़ के राजस्व से वंचित हुई क्योंकि विभाग अतिक्रमण के कारण 1859.68 एकड़ भूमि को खाली कराने और राजस्व अर्जित करने में विफल रहा और टाटा आयरन व स्टील कंपनी जमशेदपुर को पट्टे पर दी गयी 69.43 एकड़ भूमि की गणना नहीं कर सका।

बिहार लोक भूमि अतिक्रमण (बि.लो.भू.अ.) अधिनियम के अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति ने सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण किया है तो बिहार सरकार भू-संपदा (खासमहल) नियमावली में उल्लिखित नियमों के अनुसार उसे बेदखल किया जा सकता है या भूमि के उपयोग से हुई क्षति और लगान के भुगतान करने के बाद उस व्यक्ति को सार्वजनिक भूमि की बंदोबस्ती की जा सकती है। तदन्तर, आवासीय/व्यावसायिक प्रयोजनों के लिये सार्वजनिक भूमि की बंदोबस्ती के मामलों में ऐसी भूमि के प्रचलित बाजार मूल्य के बराबर सलामी सहित सलामी के दो/पाँच प्रतिशत की दर से वार्षिक आवासीय/व्यावसायिक लगान भुगतेय है।

86 बस्ती में भूमि का अतिक्रमण

टाटा लीज कार्यालय के भू अभिलेखों/अनुसूची और बंदोबस्ती कार्यालय, जमशेदपुर द्वारा दिये गये विवरणियों के नमूना जाँच से उद्घटित हुआ कि सरकार ने टिस्को को अतिक्रमण मुक्त 12,708.59 एकड़ भूमि 40 वर्षों के लिये पट्टे पर दिया (जनवरी 1956) जो दिसंबर 1995 में समाप्त हुआ। पट्टा समाप्ति के पूर्व, टिस्को ने आगामी 30 वर्षों की अवधि के लिये मात्र 10,852.27 एकड़ के पट्टे के नवीनीकरण हेतु आवेदन दिया और पूर्व के पट्टे से 1,786.89 एकड़ (86 बस्ती) के क्षेत्र को अलग करने का आग्रह किया। यह 1,786.89 एकड़ भूमि विभिन्न तरह के लोगों द्वारा पूर्णतया अतिक्रमित था जिसमें से 1,111.04 एकड़ भूमि में 17,986 भवन बने हुए थे और शेष 675.85 एकड़ सड़कों, गलियों, परनाला, बंजर भूमि, सामुदायिक हॉल, मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, विद्यालयों, कब्रिस्तान, खेल के मैदान इत्यादि से आच्छादित था। हमने अभिलेखों में इंगित करता हुआ ऐसा कुछ नहीं पाया कि अतिक्रमणकारियों को बेदखल करने के लिये कदम उठाये गये थे। तदंतर, शेष 69.43 एकड़ भूमि का विवरण जिसे गणना में नहीं लिया गया था, विभाग ने नहीं दिया। यह इंगित किया कि विभाग पट्टाकृत भूमि के अनुश्रवण में लापरवाह था परिणामत: 1996-97 से 2014-15 की अवधि हेतु सलामी व लगान के रूप में ₹ 220.04 करोड़ के राजस्व की हानि हुई **(परिशिष्ट - XII)**।

रेल्वे द्वारा अतिक्रमित भूमि

अपर समाहर्त्ता, चाईबासा के अभिलेखों के नमूना जाँच (दिसम्बर 2015) से उद्घटित हुआ कि सरकार ने अप्रैल 1979 में 30 वर्षों की अवधि के लिये अतिक्रमण मुक्त 463.69 एकड़ भूमि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) को पट्टे पर दिया। पट्टा समाप्ति के पूर्व, सरकार ने अप्रैल 2009 में पूर्व के पट्टे से 84.79 एकड़ के क्षेत्र को अलग करते हुए मात्र 378.90 एकड़ के क्षेत्र हेतु पट्टे को आगामी 30 वर्षों की अवधि के लिये नवीनीकृत किया। हमने आगे पाया कि 72.79 एकड़ का गै॰ म॰ क्षेत्र रेलवे द्वारा अधिकृत था और शेष 12 एकड़ रेलवे साइडिंग के निर्माण हेतु जिंदल स्टील प्लांट लिमिटेड (जेएसपीएल) के कब्ज़े में था। इन मामलों में नए पट्टे का अनुदान अभिलेखों में नहीं पाया गया। विभाग ने अतिक्रमण हटाने के लिये कार्रवाई आरंभ नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप 2009-10 से 2014-15 की अवधि हेतु सलामी, लगान व उपकर के रूप में भूमि के वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार ₹ 28.73 करोड़ के राजस्व की हानि हुई **(परिशिष्ट- XIII)**।

मामले को हमारे प्रतिवेदित किये जाने के बाद (जुलाई 2016), सरकार ने बहिर्गमन सम्मेलन में लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया और कहा कि 12.00 एकड़ भूमि जून 2016 में सरकार द्वारा वापस ले ली गयी और शेष 72.79 एकड़ भूमि के सत्यापन हेतु रेलवे के साथ जिला स्तर पर कार्रवाई की जा रही थी। विभाग ने आगे बताया कि टाटा लीज के छोड़े गये क्षेत्र/भूमि को सम्मिलित करने हेतु विकास आयुक्त, झारखण्ड सरकार की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। 86 बस्ती का मामला उक्त समिति के समक्ष विचाराधीन है।

सदृश मामला 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) की कंडिका 5.2.7.7 में इंगित किया गया था पर अवैध कब्जाधारियों को बेदखल करने हेतु कोई कदम नहीं उठाया गया।

हम अनुशंसा करते हैं कि सरकार को अतिक्रमण को खाली कराने और इसके नियमितीकरण पर एक स्पष्ट नीति विकसित करनी चाहिये। सरकार को पट्टाकृत भूमि के शुद्ध एवं अद्यतन आँकड़े का संधारण सुनिश्चित करना चाहिये। लंबित पट्टा समझौतों को एक समयबद्ध कार्यक्रम में निष्पादन किया जाना चाहिये। अवैध अतिक्रमण की बेदखली के अनुसरण के लिये प्रभावी कार्रवाई की जानी चाहिये।

5.3.11 पट्टा लगान, उपकर, ब्याज, सलामी और भूमि के पूँजीकृत मूल्य की वसूली

हमारे लेखापरीक्षा निष्कर्षों ने यह उद्घटित किया कि 1,291.88 एकड़ भूमि के संबंध में पट्टा लगान, उपकर, ब्याज, सलामी और भूमि के पूँजीकृत मूल्य की वसूली हेतु समय पर कार्रवाई नहीं की गयी जिसने 2006-07 से 2014-15 की अवधि के दौरान सरकार को ₹ 216.59 करोड़ के राजस्व से वंचित किया जिसे अनुवर्ती कंडिकाओं में वर्णित किया गया है:

5.3.11.1 राजस्व की वसूली नहीं की गयी

सरकार पट्टा समझौते के नियम व शर्तों के उल्लंघन के कारण ₹ 195.31 करोड़ की राशि के राजस्व से वंचित हुई।

टाटा पट्टा दस्तावेज की अनुछेद 6 नियत करता है कि पट्टाधारी द्वारा खाली भूमि का उपयोग कारखाना, उत्पादन प्रक्रियाएँ, शहर को नागरिक सुख सुविधाएं एवं पट्टाधारी

फॉर्च्यून होटल सेंट्रल पॉइंट

टाटा रॉबिन्स फ्रेजर (टी। आर.एफ.) कंपनी

के कर्मचारियों को आवासीय सुविधाएँ उपलब्ध कराने में किया जा सकता है। यदि खाली भूमि का ऐसा किसी तरह का उपयोग किया जाता है तो ऐसे उपयोग के लिये इस पट्टा में निर्धारित दर के अनुसार पट्टाकर्ता को पट्टा किराया का भुगतान किया जायेगा। तदंतर, पट्टा दस्तावेज के इकरारनामे की धारा 8 नियत करता है कि यदि पट्टाधारक भविष्य में खाली भूमि के किसी अंश को किसी व्यक्ति के साथ उप-पट्टे पर देना अनिवार्य समझता है तो ऐसा आवंटन पट्टादाता के बंदोबस्त करने की शर्तों के पूर्व अनुमोदन पर किया जा सकेगा। पट्टादाता द्वारा ऐसे उप-पट्टे के शीघ्र निष्पादन के लिये पट्टाधारक के विचार विमर्श से एक उपयुक्त तंत्र समिति की स्थापना की गयी है (6.12.2005)।

टाटा ब्लू स्कोप स्टील भवन सोल्युशन प्रा. लिमिटेड

एक्स. एल. आर. आई. जमशेदपुर

हमने टाटा लीज कार्यालय के अभिलेखों का नमूना जाँच किया और पाया कि 2006-07 से 2010-11 के दौरान टाटा लीज क्षेत्र के 10,852.27 एकड़ में से 144.33 एकड़ भूमि उपयुक्त तंत्र समिति (21.09.2012) और सरकार के अनुमोदन से 59 तत्वों को उप-पट्टे पर दिया गया। तद्नुसार सरकार ने ऐसे उप-पट्टे की भूमि पर सलामी व लगान के आरोपण के एक राज्यादेश निर्गत किया। उप-पट्टाधारकों को अधिकार हस्तगत कर दिया गया और टाटा स्टील द्वारा सुपुर्दगी का प्रमाणपत्र निर्गत कर दिया गया। तथापि, सलामी, लगान और उपकर के रूप में ₹ 195.31 करोड़ के राजस्व की वसूली नहीं की गयी **(परिशिष्ट-XIV)**। यह भी पाया गया कि पट्टा समझौते का अनुच्छेद 6 एवं 8 व्यावसायिक गतिविधियों हेतु अनुसूची 'ई' के अंतर्गत खाली भूमि के वर्गीकरण की परिकल्पना करता है पर पट्टा समझौते का उल्लंघन करते हुए उप-पट्टा अनुसूची 'ए' के अंतर्गत दिया गया (कंपनी द्वारा कारखाना, मिल या गोदामों के उद्देश्य से उपयोग में लाया गया)। दूसरे, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 की धारा 107 और निबंधन अधिनियम, 1908 की धारा 17 के अनुसार उप-पट्टे का निबंधन नियत समय सीमा के भीतर संपादित नहीं किया गया।

मामले को हमारे प्रतिवेदित करने के बाद (जुलाई 2016) विभाग/सरकार ने बहिर्गमन सम्मेलन में लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया और कहा कि आयुक्त, कोल्हान प्रमण्डल, चाईबासा की अध्यक्षता में समिति ने अपना निरीक्षण प्रतिवेदन सरकार को समर्पित कर दिया है और सरकार के समक्ष विचाराधीन है। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2016)

हम अनुशंसा करते हैं कि सरकार मामले के समय पर निपटान हेतु उचित कार्रवाई कर सकती है और ₹ 195.31 करोड़ के राजस्व की वसूली कर सकती है।

5.3.11.2 गै. म. भूमि पर व्यावसायिक लगान और उपकर सृजित नहीं किया गया

गै.म. भूमि के तीन पट्टाधारकों से ₹ 14.65 करोड़ राशि के व्यावसायिक लगान और उपकर की वसूली नहीं की गयी।

जनवरी 2011 के संकल्प संख्या 241 के कंडिका संख्या (i)(ए) एवं (ii) (ए) के अनुसार, यदि आवासीय/व्यावसायिक उद्देश्यों हेतु गैर मजरूआ भूमि की पट्टे पर बंदोबस्ती की जाती है, सलामी का दो/पाँच प्रतिशत की दर से वार्षिक आवासीय/व्यावसायिक लगान 7.5 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि सहित भुगतेय है। तदन्तर, पट्टा लगान पर उपकर भी वसूलनीय है ।

- अंचल कार्यालय, गम्हरिया (पूर्वी सिंहभूम) और बड़कागाँव (हजारीबाग) के अभिलेखों के नमूना जाँच से उद्घटित हुआ कि राज्यादेश के माध्यम से 107.54 और 995.11 एकड़ गै॰ म॰ भूमि आधुनिक पावर एण्ड नैचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड और नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन (एन.टी.पी.सी.) को औद्योगिक/व्यावसायिक उद्देश्यों हेतु संस्वीकृत किया गया। पर विभाग ने 2013-14 से 2014-15 की अवधि हेतु लगान की माँग सृजित नहीं किया। इस तरह ₹ 14.31 करोड़ राशि के व्यावसायिक लगान और उपकर की वसूली नहीं हुई ।
- अंचल कार्यालय, बड़कागाँव (हजारीबाग) के अभिलेखों के नमूना जाँच ने उद्घटित किया कि एनटीपीसी को 13.44 एकड़ गैरमजरूआ खास भूमि 30 वर्षों के लिये बंदोबस्त किया गया। अंचल अधिकारी ने लगान का निर्धारण करते समय बिना किसी कारण पट्टाकृत क्षेत्र को 8.48 एकड़ कम कर दिया। इसका परिणाम 2013-14 और 2014-15 की अवधि हेतु सलामी, व्यावसायिक लगान और उपकर के रूप में ₹ 34.17 लाख की कम वसूली के रूप में हुआ।

मामले को हमारे प्रतिवेदित करने के बाद (जुलाई 2016), विभाग/सरकार ने बहिर्गमन सम्मेलन में लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया और कहा कि लगान एवं उपकर की वसूली की कार्रवाई की गयी। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2016)।

5.3.11.3 व्यावसायिक पट्टा लगान की वसूली नहीं हुई

23 पट्टाधारकों में से 15 पट्टाधारकों ने 2009-10 से 2014-15 की अवधि हेतु पट्टा लगान व ब्याज के रूप में ₹ 2.32 करोड़ की सन्निहित राशि के पट्टा लगान का भुगतान नहीं किया।

खासमहल हस्तक में सम्मिलित परिशिष्ट ए-17 और राज्य सरकार के परिपत्रों व आदेशों के अनुसार, भुगतान हेतु निर्धारित तिथि या उसके पूर्व पट्टाधारक के भुगतान में विफल रहने की स्थिति में, ऐसे बकाये पर पट्टादाता के किसी अन्य अधिकार या प्रतिकार के पूर्वाग्रह के बिना 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज भुगतेय होगा।

हमने 14 चयनित जिलों के गै॰म॰ भूमि के अभिलेखों और विवरण का नमूना जाँच किया और अंचल कार्यालय, नोआमुंडी में पाया कि क्रशर व्यवसाय के लिये 23 पट्टाधारकों को पट्टा प्रदान किया गया जिसके लिये व्यावसायिक लगान और ब्याज निर्धारित किया गया, पर अभिलेखों की जाँच से उद्घटित हुआ कि 23 पट्टाधारकों में से, 15 पट्टाधारक 2009-10 से 2014-15 की अवधि हेतु पट्टा लगान का भुगतान नहीं कर रहे थे जिसकी राशि ₹ 2.11 करोड़ थी। इसके अतिरिक्त, ₹ 21 लाख का ब्याज भी आरोप्य था। इस तरह, ₹ 2.32 करोड़ के पट्टा लगान और ब्याज की वसूली नहीं हुई।

मामले को हमारे प्रतिवेदित करने के बाद (जुलाई 2016), विभाग/सरकार ने बहिर्गमन सम्मेलन में लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया और कि पूर्वोक्त मामलों में की गयी विशिष्ट कार्रवाई के संबंध में सूचना संबंधित जिलों/अंचलों से एकत्रित की जा रही थीं। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2016)

5.3.11.4 औद्योगिक भूमि का कृषि भूमि के रूप में गलत वर्गीकरण

सलामी की गणना करने हेतु औद्योगिक दर के बजाय कृषि दर के अनुप्रयोग के कारण ₹ 2.27 करोड़ की राशि के राजस्व से सरकार वंचित हुई।

जनवरी 2011 के संकल्प के साथ पठित बिहार खासमहल हस्तक के प्रावधानों के अनुसार किसी कंपनी को सरकारी भूमि (गै॰म॰ खास एवं आम) पट्टा आधार पर व्यावसायिक या औद्योगिक उद्देश्य हेतु 30 वर्षों की अवधि के लिये भूमि के प्रचलित बाजार मूल्य, जो निबंधन विभाग के मूल्य सूची में निर्दिष्ट हो, के आधार पर परिगणित सलामी की वसूली पर हस्तांतरित किया जा सकता है।

हमने चयनित जिलों के सरकारी भूमि के हस्तांतरण से संबंधित अभिलेखों का नमूना जाँच किया और अंचल कार्यालय, गम्हरिया में पाया कि राज्यादेश द्वारा मार्च एवं अप्रैल 2013 के बीच 38.94 एकड़ भूमि औद्योगिक उद्देश्य हेतु मेसर्स आधुनिक पावर एण्ड नैचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड को संस्वीकृत और हस्तांतरित किया गया। प्रावधान के अनुसार औद्योगिक उद्देश्य हेतु लागू दर पर सलामी की गणना और वसूली किया जाना अपेक्षित था। पर यह पाया गया कि औद्योगिक की जगह कृषि भूमि हेतु लागू दर पर सलामी की वसूली की गयी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.27 करोड़ के सरकारी राजस्व की कम वसूली हुई।

मामले को हमारे प्रतिवेदित किये जाने के बाद (जुलाई 2016), विभाग सरकार ने बहिर्गमन सम्मेलन में लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया और कहा कि संबंधित जिलों/अंचलों से प्रत्येक मामले में की गयी विशिष्ट कार्रवाई के संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही थी। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2016)

5.3.11.5 भूमि के पूँजीकृत मूल्य की वसूली नहीं की गयी

सरकार ₹ 1.62 करोड़ राशि के राजस्व से वंचित हुई चूँकि भूमि के पूंजीकृत मल्य की वसली नहीं की गयी।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा कार्यकारी आदेश (जून 2004) के साथ पठित बिहार खासमहल हस्तक के प्रावधानों के अंतर्गत, सक्षम प्राधिकारी समय सूची के भीतर प्रक्रिया पूरी करने और आवेदक द्वारा अस्वीकृति से बचने के लिये हस्तांतरित गै.म./सरकारी भूमि के महानिरीक्षक (आई॰जी॰), निबंधन द्वारा अनुमोदित मूल्यांकन सूची के आधार पर पूँजीकृत मूल्य निर्धारित करने और भूमि के अपवर्तन/हस्तांतरण के प्रस्ताव को अग्रसारित करने के पूर्व पूँजीकृत मूल्य के 80 प्रतिशत की वसूली के लिये उत्तरदायी हैं।

हमने चयनित जिलों में सरकारी भूमि के हस्तांतरण से संबंधित अभिलेखों का नमूना जाँच किया और अंचल कार्यालय, धनबाद में पाया कि जून 2007 में शाखा कार्यालयों के निर्माण हेतु भारतीय जीवन बीमा निगम (भा.जी.बी.नि.) द्वारा 30 वर्ष के पट्टे पर एक एकड़ भूमि के एक माँग का प्रस्ताव उपायुक्त धनबाद को दिया गया पर अंचल अधिकारी ने प्रावधानों के विपरीत प्रस्ताव को अग्रसारित करते समय पूँजीकृत मूल्य के 80 प्रतिशत की वसूली नहीं किया। इस तरह, ₹ 1.62 करोड के राजस्व की वसूली नहीं हुई।

मामले को हमारे प्रतिवेदित किये जाने के बाद (जुलाई 2016) विभाग/सरकार ने बहिर्गमन सम्मेलन में लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया और कहा कि भूमि के मूल्य के 80 प्रतिशत के भुगतान के बिना पट्टों के आवेदन स्वीकार नहीं किये जा रहे हैं। तथापि, पूँजीकृत मूल्य न तो विभाग द्वारा सृजित किया गया और न ही पट्टाधारक द्वारा अद्यतन तिथि तक जमा किया गया। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2016)

5.3.11.6 व्यावसायिक पट्टा लगान के बकाये पर ब्याज की वसूली नहीं की गयी

विभाग ने पट्टा लगान के बकाये पर ब्याज आरोपित नहीं किया।

परिशिष्ट ए-17 और राज्य सरकार परिपत्रों और खासमहल हस्तक में संधारित आदेशों के अनुसार, पट्टाधारक के लगान भुगतान में ऐसे भुगतानों हेतु निर्धारित तिथि या उसके पूर्व भुगतान में विफल रहने की स्थिति में, ऐसा बकाया पट्टादाता के किसी अन्य अधिकार या प्रतिकार के पूर्वाग्रह के बिना, दस प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज वहन करेगा।

हमने 14 चयनित जिलों के अभिलेखों का नमूना जाँच किया और अपर समाहर्त्ता, चाईबासा के कार्यालय में पाया कि सेल को दिये गये पट्टे के एक मामले में ₹ 4.16

करोड़ की सलामी और ₹ 4.52 लाख का उपकर सहित पट्टा लगान का भुगतान पट्टा अवधि की समाप्ति के पश्चात किया गया। हालाँकि, विभाग द्वारा ब्याज आरोपित नहीं किया गया जिसका परिणाम ₹ 42.07 लाख के राजस्व की कम वसूली में हुआ।

मामले को हमारे प्रतिवेदित किये जाने के बाद (जुलाई 2016) सरकार/विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन में लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया और कहा कि संबंधित जिलों/अंचलों से प्रत्येक मामलों में की गयी विशिष्ट कार्रवाई के संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही थी। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2016)

5.3.12 आंतरिक नियंत्रण

5.3.12.1 टाटा लीज क्षेत्र के संबंध में भू राजस्व का बकाया

राजस्व के बकाये का डाटाबेस संधारित नहीं किया जा रहा था और पिछले वर्षों के बकाये के बावजूद, भू-राजस्व के पुराने बकायों की वसूली हेतु नीलामपत्रवाद दायर नहीं किया गया।

बिहार काश्तकारी अधिनियम (झारखण्ड सरकार द्वारा यथा अंगीकृत) के अनुसार, एक काश्तकार द्वारा भुगतेय भू-लगान जो कृषि वर्ष[25] के प्रत्येक तिमाही के अंतिम दिन को देय होता है का भुगतान चार बराबर किस्तों में किया जाना है। समय पर भुगतान नहीं किया गया लगान कृषि वर्ष के अंत में भू-राजस्व का बकाया माना जाता है और बिहार एवं उड़ीसा लोक माँग वसूली (लो॰ माँ॰ व॰) अधिनियम, 1914 के अंतर्गत नीलामपत्रवाद प्रक्रियाओं के माध्यम से वसूलनीय है।

हमने रिटर्न-I[26] का जाँच किया जिसने उद्घटित हुआ कि टाटा लीज कार्यालय द्वारा कृषि वर्ष की समाप्ति पर भू राजस्व के बकायों की कुल राशि सुनिश्चित करने के लिये विवरणियों को न तो एकीकृत/संकलित किया गया न ही समाधान किया।

हमने कार्यालय द्वारा प्रस्तुत रिटर्न-I के आधार पर राजस्व के बकायों की गणना की जिसकी राशि 31 मार्च 2015 को ₹ 223.30 करोड़ थी जैसा कि **तालिका-5.3** में उल्लिखित है।

[25] अर्थात जहाँ बँगाली वर्ष प्रचलित है, बैसाख के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाला वर्ष जहाँ फसली या अमली वर्ष प्रचलित हो, आश्विन के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाला वर्ष जहाँ कृषि उद्देश्यों हेतु कोई अन्य वर्ष प्रचलित हो, वह वर्ष।

[26] रिटर्न- I में सरकार के सीधे प्रबंधन वाली संपदा के माँग, संग्रहण, प्रेषण और लगान, उपकर का शेष होता है।

तालिका-5.3

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आरंभिक शेष	जोड़	कुल बकाया	समाशोधन	अंत शेष	कुल बकाये से बकायों के समाशोधन की प्रतिशतता	अभ्युक्तियाँ
2010-11	177.46	12.07	189.53	3.96	185.57	2.08	2011-12 से 2014-15 के आरंभिक शेष पूर्ववर्ती वर्षों के अंतशेष से अधिक दर्शाये गये हैं।
2011-12	186.23	12.20	198.43	3.19	195.24	1.60	
2012-13	196.18	12.24	208.41	4.11	204.30	1.97	
2013-14	204.93	12.24	217.17	3.32	213.85	1.53	
2014-15	214.27	12.25	226.52	3.22	223.30	1.42	

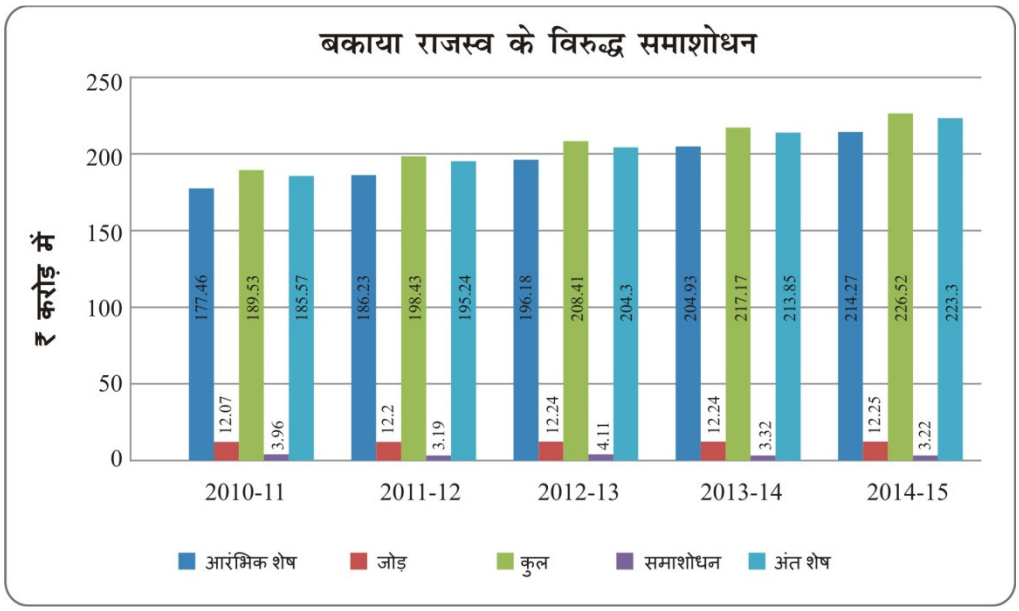

पूर्व के वर्षों में बकाया लंबित होने के बावजूद, भू-राजस्व के पुराने बकायों की वसूली हेतु नीलामपत्रवाद दायर नहीं किये गये। मामले को हमारे प्रतिवेदित करने के बाद (जुलाई 2016) विभाग/सरकार ने बहिर्गमन सम्मेलन में लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया और कहा कि विधि विभाग से मंतव्य माँगा गया है जिस आधार पर अग्रेत्तर कार्रवाई की जायेगी। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2016)।

हम अनुशंसा करते हैं कि सरकार भूमि अभिलेखों के डिजिटाइजेशन हेतु कर्नाटक के भूमि परियोजना की तर्ज पर राजस्व के बकायों के एक इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस के संधारण पर विचार कर सकती है जो भू-राजस्व के लंबित बकायों पर नजर रखने में उपयोगी साबित हो सकता है और इसकी शीघ्र वसूली सुनिश्चित कर सकता है।

5.3.12.2 भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण

रा॰ भू॰ अ॰ आ॰ का॰ के अंतर्गत भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण किसी जिले में छः वर्षों की समाप्ति के बाद भी पूर्ण नहीं किया गया।

देश में भूमि अभिलेख प्रणाली के आधुनिकीकरण हेतु, भूमि अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण और राजस्व प्रशासन को मजबूत बनाने और भूमि अभिलेखों को अद्यतन करने के लिये एक संशोधित कार्यक्रम राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (रा.भू.अ.आ.का.) का प्रतिपादन किया गया है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण, अभिलेखों का सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती, निबंधन, आधुनिक अभिलेख कक्ष का निर्माण और उद्देश्य प्राप्ति हेतु प्रशिक्षण था।

हमने पाया कि भारत सरकार द्वारा भूमि अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण हेतु ₹ 41.79 करोड़ की राशि संस्वीकृत की गयी जिसमें से ₹ 25.03 करोड़ झारखण्ड सरकार को दिया गया और 2010-11 और 2015-16 के बीच राज्य के 24 जिलों के सभी उपायुक्तों को विमुक्त किया गया। ₹ 15.97 करोड़ की उपयोगिता अभिलेखों पर था, उपायुक्तों के पास पड़े शेष ₹ 9.06 करोड़ की शेष राशि का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया। हमने आगे पाया कि कंप्यूटरीकरण की प्रगति का किसी स्तर पर अनुश्रवण नहीं किया गया, इस संबंध में प्रतिवेदन/विवरणियाँ अभिलेखों में नहीं पाया गया। इस तरह, कंप्यूटरीकरण की धीमी प्रगति और अनुश्रवण के अभाव के कारण राज्य में किसी भी जिले ने छः वर्षों की समाप्ति के बाद भी भूमि अभिलेखों को कंप्यूटरीकृत नहीं किया है। खासमहल भूमि के संबंध में कमियों जैसा कि कंडिका 5.3.12.3 में उल्लिखित है को सुधारा नहीं जा सका चूँकि भूमि अभिलेख कंप्यूटरीकृत नहीं हैं।

मामले को हमारे प्रतिवेदित किये जाने के बाद (जुलाई 2016) सरकार/विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन में लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया और कहा कि इस संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र तद्नुसार प्रस्तुत किया जायेगा।

हम अनुशंसा करते हैं कि सरकार अन्य राज्यों यथा कर्नाटक के भूमि परियोजना की तर्ज पर (भूमि और मोजिनी परियोजना) भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण पूर्ण कर सकती है। प्रणाली को एक निर्धारित समय सूची के भीतर विभिन्न स्तरों पर आँकड़ा संग्रहण के एकीकरण द्वारा प्रभावी राजस्व प्रशासन, भूमि सुधारों और विकास योजना आयोजन के लिये सटीक भूमि अभिलेखों के सृजन, संधारण और निर्गमन हेतु नियत किया जाना चाहिये।

5.3.12.3 अधिसूचित खास महल भूमि में विसंगति

अभिलेखों के अनुपयुक्त संधारण के कारण 12,098.25 एकड़ क्षेत्र खास महल भूमि की विसंगति थी।

बिहार संपदा (खासमहल) हस्तक का नियम 78 कहता है कि प्रत्येक जिला कार्यालय में सरकारी संपदा की एक सूची निर्धारित प्रारूप में संधारित की जानी चाहिये। ऐसी सूची प्रत्येक अनुमंडल के सरकारी संपदा हेतु अनुमंडल कार्यालय में भी पृथक रूप से संधारित की जानी चाहिये। सूची को आवधिक रूप से संशोधित और अद्यतन किया जाना चाहिये।

हमने मार्च 2011 से अप्रैल 2015 की अवधि हेतु खासमहल भूमि से संबंधित आँकड़ों का नमूना जाँच किया जिसने उद्घटित किया कि खास महल भूमि का पिछला सर्वेक्षण वर्ष 2008 तक संचालित किया गया जिसने 47,803.60 एकड़ खासमहल भूमि की पहचान हुई, पर वर्ष 2015 हेतु भू-राजस्व विभाग द्वारा प्रस्तुत विवरण ने 59,901.85 एकड़ का क्षेत्र दर्शाया। हालाँकि, खास महल आँकड़ों से संबंधित विविध माँगों की पंजी संधारित नहीं थी। इस तरह, सर्वे प्रतिवेदन की तुलना में खास महल भूमि 12,098.25 एकड़ ज्यादा थी और इसका कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया। इस तरह, पंजियों और विवरणियों के अपूर्ण संधारण के कारण 12,098.25 एकड़ के क्षेत्र की विसंगति थी जैसा कि **तालिका-5.4** में वर्णित है।

तालिका-5.4

क्र.सं.	जिला का नाम	3/2011 को खास महल क्षेत्र (एकड़ में)	4/2015 को खास महल क्षेत्र (एकड़ में)	क्षेत्र में अंतर (एकड़ में)
1	राँची	287.25	489.73	202.48
2	सिमडेगा	88.57	88.57	-
3	पूर्वी सिंहभूम	373.89	373.89	-
4	पश्चिमी सिंहभूम	767.30	775.75	18.45
5	हजारीबाग	796.17	796.17	-
6	कोडरमा	331.55	333.97	2.42
7	गिरिडीह	42,908.77	54,793.70	11,884.93
8	साहिबगंज	1,421.00	1,421.00	-
9	पलामू	622.45	622.42	(-) 0.03
10	गढ़वा	43.96	43.96	-
11	लातेहार	162.69	162.69	-
कुल		**47,803.60**	**59,901.85**	**12,098.25**

गिरिडीह के मामले में अपर समाहर्त्ता द्वारा प्रस्तुत अभिलेख खासमहल भूमि की चर्चा नहीं करता जबकि विभाग ने अप्रैल 2015 में 54,793.70 एकड़ का खासमहल क्षेत्र दर्शाया है। यह स्पष्टत: इंगित करता है कि खासमहल भूमि के अभिलेखों के संधारण के संबंध में प्रणाली की कमी भूमि के अवसूलनीय हस्तांतरण सहित वैध सरकारी राजस्व के रिसाव की ओर जा सकता है।

हमने मामले को विभाग को फरवरी 2016 में प्रतिवेदित किया; तदंतर विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन में लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया और कहा कि

संबंधित जिलों/अंचलों से प्रत्येक मामले में विशिष्ट कार्रवाई के संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही हे और राजस्व की वृद्धि के लिये कार्रवाई की जायेगी।

5.3.12.4 आंतरिक लेखापरीक्षा

इसके विभिन्न कार्यालयों सहित राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का आंतरिक लेखापरीक्षा करने हेतु वित्त विभाग उत्तरदायी है। हमने अवलोकित किया कि नमूना जाँच किये गये चयनित 29 इकाइयों/कार्यालयों में से किसी में भी 2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान कोई आंतरिक लेखापरीक्षा संचालित नहीं किया गया।

पंजियों और विवरणियों का संधारण

आंतरिक नियंत्रण, अधिनियमों, नियमावलियों, विभागों/कार्यकारी आदेशों के यथोचित क्रियान्वयन का उचित आश्वासन प्रदान करने हेतु अभिप्रेत है। आंतरिक नियंत्रण का एक आवश्यक अव्यव प्रबंधन को आश्वस्त करता है कि विहित प्रणाली उचित ढंग से क्रियाशील है।

बिहार सरकार संपदा (खासमहल) हस्तक, पट्टाकृत भूमि के योग्य प्रबंधन और भू राजस्व के संग्रहण एवं अन्य भू-सुधारों के लिये समाहर्त्ता और अं.अ. द्वारा निम्नलिखित पंजियों/विवरणियों के संधारण का प्रावधान करता है :

पंजी-IXA (परती भूमि का विवरण): यह पंजी परती भूमियों के बंदोबस्ती का विवरण अंकित करने हेतु है। यह पंजी चयनित किसी भी इकाई द्वारा संधारित नहीं पाया गया।

रिटर्न-III (**प्रमादियों की सूची**)**:** पंजी-**II** के आधार पर प्रमादियों, जो देय बकायों का भुगतान नहीं कर रहे, की विस्तृत सूची वाला यह रिटर्न अंचल स्तर पर संधारित किया जाता है। यह रिटर्न प्रमादियों के विरूद्ध नीलामपत्रवाद प्रक्रिया आरंभ करने हेतु उपायुक्त को समर्पित किया जाना अपेक्षित है।

हमने लेखापरीक्षा हेतु चयनित इकाइयों के अभिलेखों का नमूना जाँच किया और अवलोकित किया कि अं.अ. द्वारा रिटर्न-**III** संधारित नहीं किया जा रहा था।

सरकारी भूमि के हस्तांतरण को दर्शाने वाली वार्षिक विवरणी संधारित नहीं किया गया:

खासमहल हस्तक में संधारित नियम 173 के अनुसार सरकारी भूमि, जब बंदोबस्त हो, का हस्तांतरण संबंधित पंजी में खासमहल हस्तक के परिशिष्ट "**सी** (12)" में दिये गये प्रारूप में प्रविष्ट किया जाना चाहिये।

हमने चयनित इकाइयों के अभिलेखों का नमूना जाँच किया और अवलोकित किया कि सरकारी भूमि के हस्तांतरण हेतु उक्त पंजी लेखापरीक्षा हेतु चयनित इकाइयों द्वारा संधारित नहीं किये जा रहे थे।

"विविध माँग की पंजी" संधारित नहीं किया गया:

खासमहल हस्तक के नियम 89 के अनुसार प्रत्येक जिले में अंचल कार्यालयों द्वारा "विविध माँग की पंजी" संधारित किया जाना है। पंजी-32 के अभ्युक्ति कॉलम में इन माँगों का सिर्फ स्थिति अंकित किया जायेगा, उदाहरणार्थ शहर खासमहल में सलामी से आय। अग्रेतर, ऐसे मामलों में सलामी की वसूली जहाँ यह देय हो सुनिश्चित करने के लिये, शहर खासमहल के पंजी-1 की "विविध माँग की पंजी" के साथ वार्षिक परीक्षण अवश्य की जानी चाहिये। इस पंजी में, पंजी-1 का जमाबंदी संख्या जो सलामी के भुगतान के पश्चात नई काश्तकारी को दिया जायेगा, अंकित कर तिर्यक संदर्भ दिया जायेगा। लेखापरीक्षा हेतु चयनित किन्हीं इकाइयों द्वारा यह पंजी संधारित नहीं किया गया।

पंजी-IX न तो तैयार किया गया और न ही संधारित किया गया

खासमहल हस्तक के नियम 97 के अनुसार प्रमाणपत्र बनाने के लिये तहसीलदार को अंचल अधिकारी द्वारा परामर्श अवश्य दिया जाना चाहिये और उसे भेजे गये प्रपत्र में काश्तकार का नाम, रेंट रोल की संख्या, वर्ष और राशि जिस हेतु प्रमाण पत्र बनाया गया है और प्रमाणपत्र जमा करने की तिथि दर्शाना चाहिये। खासमहल विभाग बिहार एवं उड़ीसा लोक माँग वसूली अधिनियम, 1914 की अनुसूची II के प्रपत्र सं. I में प्रारूप नीलामपत्र तैयार करेगा और इसे हस्ताक्षर और हेतु नीलामपत्रवाद अधिकारी को भेजेगा।

हमने अभिलेखों का नमूना जाँच किया और अवलोकित किया कि लेखापरीक्षा हेतु चयनित किन्हीं इकाइयों द्वारा पंजी-IX में "बकायों के भुगतान नहीं किये जाने के कारण नीलामपत्रवाद" की सूची संधारित नहीं की जा रही थी।

हमने आगे पाया कि चयनित अंचलों में भूमि अधिकारों, भूमि अधिकारों का हस्तांतरण, वसूलनीय राजस्व, परती भूमि का विवरण और पट्टा/बंदोबस्त हेतु अतिरिक्त भूमि का स्थायी अभिलेख रखने के लिये हस्तक में निर्धारित उपरोक्त पंजियाँ/विवरणियाँ न तो संधारित की गयी थीं और न ही नियमित रूप से अद्यतन की जा रही थी। ऐसे विवरणों की अनुपस्थिति में, राजस्व और भूमि सुधारों से संबंधित विभिन्न गतिविधियों का उच्च स्तर पर अनुश्रवण और नियंत्रण संभव नहीं था जिससे भू-राजस्व के संग्रहण का प्रभावित होना संभावित था। विभाग में आंतरिक नियंत्रण पर्याप्त नहीं था और इसे मजबूत किये जाने की जरूरत थी।

उपरोक्त के अलावा, हमने अधिनियमों और नियमावलियों[27] में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार अंचल अधिकरी या अन्य उच्चाधिकारियों द्वारा निरीक्षण के संबंध में भी कोडरमा, गम्हरिया, सरायकेला और लातेहार के अतिरिक्त निष्पादन लेखापरीक्षा हेतु चयनित किन्हीं इकाइयों में कोई अभिलेख नहीं पाया।

[27] बिहार सरकार संपदा (खासमहल) हस्तक, 1953 का नियम-47।

हम अनुशंसा करते हैं कि सरकार भूमि अधिकारों, भूमि के हस्तांतरण, वसूलनीय राजस्व और परती भूमि/अतिरक्त भूमि के विवरणों का स्थायी अभिलेख रखने के लिये भू-राजस्व से संबंधित आँकड़ों के संधारण हेतु प्रक्रिया को मजबूत करने के लिये कदम उठा सकती है।

5.3.13 परिणाम

निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान हमने निम्न अवलोकित किया:

विभाग में पट्टाकृत भूमि का आँकड़ा उपलब्ध नहीं था। विभाग ने पट्टे पर दी गयी भूमि का आवधिक निरीक्षण संचालित करने के लिये कोई प्रणाली विकसित नहीं किया था। विभाग पट्टा के अनुदान को शासित करने वाली परिस्थिति का अनुश्रवण नहीं कर रहा था। हालाँकि कई पट्टाधारक पट्टे के नियम व शर्तों के गंभीर उल्लंघन में शमिल थे, कठिनाई को सुधारने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गयी। टाटा स्टील लिमिटेड द्वारा उप-पट्टे के मामले में पट्टा समझौता संपादित और निबंधित नहीं किया गया। भू-राजस्व के आधार को विस्तृत करने और भू-राजस्व की वृद्धि हेतु पट्टे की बंदोबस्ती/सरकारी भूमि (खास महल और गै.म.खास)पर उचित नियंत्रण रखने में विभाग विफल रहा। ₹ 8,846.91 करोड़ राजस्व की कम वसूली हुई। भू-राजस्व के बकायों का आँकड़ा पूर्ण नहीं था जिस कारण पट्टा लगान, उपकर और ब्याज के वसूली हेतु प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा सकी। आंतरिक नियंत्रण तंत्र कमजोर था जो इस तथ्य से स्पष्ट था कि कोडरमा, गम्हरिया, सरायकेला और लातेहार के अतिरिक्त निष्पादन लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान कोई आंतरिक लेखापरीक्षा या निरीक्षण संचालित नहीं किया गया। तदंतर, अपेक्षित पंजियाँ, जैसा कि राजस्व विभाग के विभिन्न हस्तकों में निर्धारित था, भी संधारित नहीं थे। इन वर्षों में राजस्व में कमी, यदि विशेष ड्राइव में संग्रहित किया जाता तो राज्य के अपने राजस्व संग्रहण का 80 प्रतिशत का योगदान होता और परिणामत: पूँजीगत निवेश करने हेतु पर्याप्त निधि उपलब्ध होता जिसकी राज्य में कमी है।

5.3.14 अनुशंसाओं का सारांश

सरकार कर सकती है

- पट्टा समझौते की शर्तों के उल्लंघन पर पट्टे पर आवंटित खासमहल भूमि की वापसी हेतु कार्रवाई;
- नियम एवं शर्तों के उल्लंघन का पता करने हेतु एक समीक्षा समिति का गठन करना और ये सुनिश्चित करना कि सभी पट्टाधारक पट्टाकृत भूमि के उद्देश्य में परिवर्तन/उप-पट्टा/वापसी हेतु सरकार से पूर्व अनुमति प्राप्त करें और छोड़ दिये गये राजस्व की वसूली के लिये कार्यवाहियाँ प्रारंभ करना;
- कलेक्ट्रेट में विद्यमान पट्टों को वेबसाइट में प्रमुखता से दर्शाना;

- अतिक्रमण को खाली कराने/नियमितिकरण पर स्पष्ट नीति विकसित करने जो प्रशासकीय रूप से आवश्यक समझा गया है तथा प्रभावी कारवाई के लिए प्रक्रिया को सरल एवं कारगर बनाना;
- भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण पूर्ण करना जैसा कि अन्य राज्यों में किया गया है। यह पट्टाकृत भूमि के सटीक आँकड़ों के संधारण व अद्यतन किये जाने के मामले में राज्य में सुशासन को सुनिश्चित करेगा और लंबित पट्टा समझौतों का समयबद्ध तरीके से संपादन में समर्थ बनायेगा एवं
- प्रभावी कार्रवाई के माध्यम से मुक्त किये गये अवैध अतिक्रमण पर अनुगामी कार्रवाई।

विभाग/सरकार ने बहिर्गमन सम्मेलन में हमारी सभी अनुशंसाओं को स्वीकार किया और सराहा (अगस्त 2016)।

ब. मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क

5.4 कर प्रशासन

भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 एवं उसके अंतर्गत निर्मित नियमावलियों तथा निबंधन अधिनियम, 1908 के द्वारा झारखण्ड राज्य में मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन शुल्क का आरोपण एवं संग्रहण शासित होता है। 15 नवम्बर 2000 को झारखण्ड राज्य की स्थापना होने पर, बिहार राज्य में विद्यमान अधिनियम, नियमावली एवं कार्यकारी आदेशों को झारखण्ड राज्य द्वारा अंगीकृत किया गया।

5.5 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2015-16 के दौरान हमने राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के 'मुद्रांक एवं निबंधन फीस' से संबंधित 56 इकाइयों में से पाँच वार्षिक इकाइयों तथा 15 द्विवार्षिक इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जांच की योजना बनायी और उक्त सभी योजनाकृत इकाइयों[28] की नमूना की जिनके द्वारा ₹ 2.79 करोड़ के राजस्व का संग्रहण किया गया था। हमारे लेखापरीक्षा में दस्तावेजों के गलत वर्गीकरण, मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस आदि के अल्पारोपण के 2,242 मामले में सन्निहित ₹ 7.88 करोड़ का पता चला जैसा कि **तालिका-5.5** में वर्णित है।

तालिका-5.5

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	श्रेणी	मामले की संख्या	राशि
1	दस्तावेजों का गलत वर्गीकरण	16	1.62
2	मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस का कम आरोपण	42	0.49
3	अन्य मामले	2,184	5.77
कुल		**2,242**	**7.88**

[28] जिला अवर निबंधक/अवर निबंधक, बेरमो, बोकारो, चाईबासा, देवघर, धनबाद, धनवार, गिरीडीह, गोला, गुमला, जमशेदपुर, जामतारा, लोहरदगा, पाकुड़, पलामू, राजमहल, ग्रामीण रांची, शहरी रांची (कांके), शहरी रांची (डोरण्डा) तथा रांची एवं निबंधन के महानिरीक्षक, रांची का कार्यालय

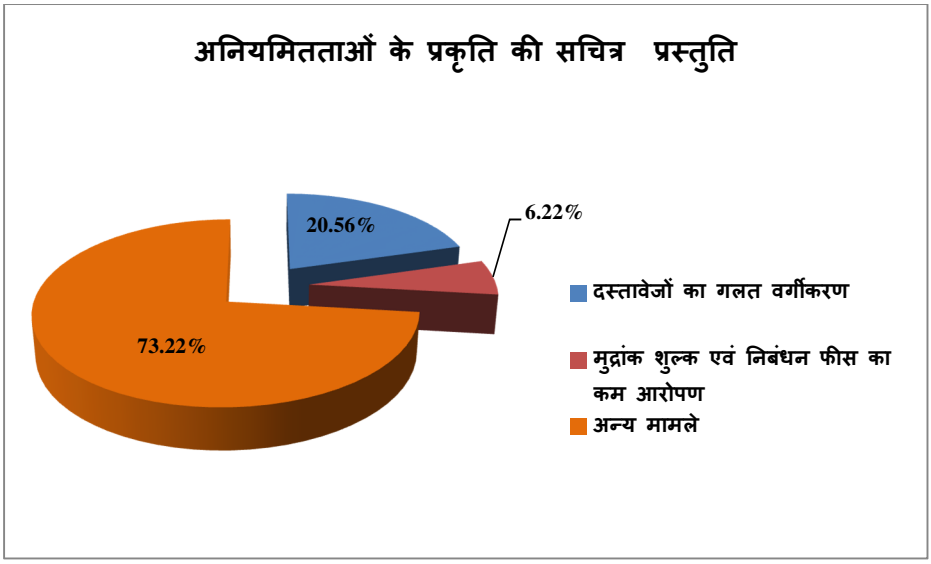

वर्ष 2015-16 के दौरान विभाग ने हमारे द्वारा इंगित 106 मामलों में ₹ 29.48 लाख के मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीसस के कम आरोपण को स्वीकार किया।

इस अध्याय में हम ₹ 29.48 लाख के वित्तीय प्रभाव के दृष्टांतसतस्वरूप एक मामला प्रस्तुत करते हैं, जिसकी चर्चा अनुवर्त्ती कंडिका में की गई है।

5.6 अधिनियमों/नियमावलियों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं होना

भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899, (भा.मु.अधिनियम), निबंधन अधिनियम, 1908 तथा बिहार निबंधन नियमावली 1937, बिहार निबंधन हस्तक, 1946 और बिहार मुद्रांक (दस्तावेजों के अवमूल्यन की रोकथाम) नियमावली, 1995 (झारखण्ड सरकार द्वारा यथा अंगीकृत) के अधीन प्रावधान है :

(i) विनिर्दिष्ट दर से पंजीयन शुल्क का भुगतान; और

(ii) निष्पादक द्वारा विनिर्दिष्ट दर से मुद्रांक शुल्क का भुगतान।

हमने देखा कि निम्नांकित मामलों में राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने अधिनियमों/नियमावलियों के प्रावधानों का पालन नहीं किया :

5.7 पट्टों पर मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस का आरोपण नहीं किया जाना

अंचल कार्यालयों, नगर परिषद, अधिसूचित क्षेत्र समिति आदि के द्वारा 2011-12 और 2014-15 के मध्य निष्पादित पट्टों के आंकड़ों और संबंधित छः जिला अवर निबंधक कार्यालयों के अभिलेखों के तिर्यक-जांच से पता चला कि इन दस्तावेजों का निबंधन नहीं किया गया, परिणामतः ₹ 29.48 लाख का मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस का आरोपण नहीं हुआ।

निबंधन अधिनियम की धारा 17(1) (डी) के प्रावधानों के अंतर्गत, वर्ष प्रति वर्ष या एक वर्ष से अधिक किसी अवधि के लिए या वार्षिक रक्षित किराये वाले अचल सम्पत्ति के पट्टों का निबंधन कराया जाना अनिवार्य है। भा0 मु0 अधिनियम के

अनुसूची I-ए के अनुच्छेद 35 के अनुसार, पट्टे की अवधि के अनुरूप मुद्रांक शुल्क प्रभार्य है तथा जिस मूल्य पर मुद्रांक शुल्क प्रभारित है उस पर निबंधन फीस भी आरोप्य है।

हमने आठ कार्यालयों[29] से सैरात, जो कि राजस्व अर्जित करने वाले हाट, बाजार, मेला, वृक्ष, नावघाट, तालाब आदि के संबंध में अधिकार एवं हित हैं, की बंदोबस्ती से संबंधित सूचना (जुलाई 2015 और जनवरी 2016 के मध्य) प्राप्त किया। हमने संबंधित छ: जिला अवर निबंधक[30] के अभिलेखों से तिर्यक-जांच किया जिससे उद्घटित हुआ कि नमूना जांच किए गये 156 सैरातों, में से 106 सैरातों की बंदोबस्ती 2011-12 और 2014-15 के मध्य विभिन्न डाकवक्ताओं के साथ एक वर्ष से अधिक या वर्ष प्रति वर्ष के आधार पर किया गया। परन्तु निबंधन अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत इनका निबंधन नहीं किया गया। इस प्रकार ₹ 14.77 लाख का निबंधन फीस सहित ₹ 29.48 लाख का मुद्रांक शुल्क एवंननिबंधन फीस का आरोपण नहीं हुआ।

विभाग ने बताया (जुलाई 2016) कि बारम्बार पत्राचार किये जाने के बावजूद अन्य विभागों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। तथापि, भविष्य में राजस्व के क्षरण को रोकने हेतु, निरन्तर अनियमितताओं के मामले को गम्भीरतापूर्वक लिये जाने का आश्वासन दिया गया।

31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष का (राजस्व क्षेत्र) लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के कंडिका संख्या 5.9 में सदृश मामला बताया गया था, विभाग ने बताया था कि अन्य संबंधित विभागों से पत्राचार किया जायेगा और तदनुसार कार्रवाई की जायेगी। तथापि चूंके अभी भी बरकरार है।

---

[29] अचंल कार्यालय, चास (बोकारो), जिला मत्स्य कार्यालय, जमशेदपुर एवं रांची, नगर परिषद, गिरिडीह, नगर निगम, देवघर, धनबाद तथा रांची और अधिसूचित क्षेत्र समिति, जमशेदपुर।

[30] बोकारो देवघर, धनबाद, गिरिडीह, जमशेदपुर और रांची।

स. विद्युत पर कर एवं शुल्क

5.8 कर प्रशासन

झारखण्ड विद्युत शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 2011 के प्रावधानों के अंतर्गत वाणिज्यकर विभाग विद्युत शुल्क के आरोपण एवं संग्रहण के लिए उत्तरदायी है। सचिव-सह-आयुक्त वाणिज्यकर विभाग जिनको एक अपर आयुक्त, तीन वाणिज्यकर संयुक्त आयुक्त (वा.क.सं.आ.), तीन वाणिज्यकर उपायुक्त (वा.क.उ.) एवं दो वाणिज्यकर सहायक आयुक्त (वा.क.स.आ.) द्वारा सहयोग किया जाता है, अधिनियम एवं नियमावली के प्रशासन हेतु उत्तरदायी हैं। राज्य पाँच वाणिज्यकर प्रमण्डलों[31], प्रत्येक के प्रभारी एक वा.क.स.आ. (प्रशासन) एवं 28 अंचलों, प्रत्येक के प्रभारी एक वा.क.आ/वा.क.स.आ में विभाजित है। वा.क.उ./वा.क.स.आ. विद्युत शुल्क के आरोपण एवं संग्रहण के लिए उत्तरदायी हैं जिन्हें वाणिज्यकर पदाधिकारियों द्वारा सहयोग किया जाता है।

5.9 लेखापरीक्षा के परिणाम

2015-16 की अवधि में विद्युत शुल्क (वि.शु.) का संग्रहण ₹ 125.68 करोड़ था। 2015-16 में विद्युत शुल्क से संबंधित 28 वाणिज्यकर अंचलों[32] में से तीन वाणिज्यकर अंचलों के अभिलेखों के हमारे नमूना जाँच से पांच मामलों में ₹ 1.19 करोड़ के शुल्क और अधिभार के नहीं/कम आरोपण का पता चला जैसा कि **तालिका - 5.6** में वर्णित है।

तालिका - 5.6

(₹ करोड़ में)

क्र .सं.	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि
1	गलत दर के अनुप्रयोग के कारण विद्युत शुल्क का कम आरोपण	2	0.24
2	विद्युत शुल्क के कम भुगतान पर ब्याज का आरोपण नहीं किया गया	2	0.01
3	अन्य मामले	1	0.94
कुल		**5**	**1.19**

[31] धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर, रॉची एवं संथालपरगना (दुमका)।

[32] हजारीबाग, झरिया एवं तेनूघाट।

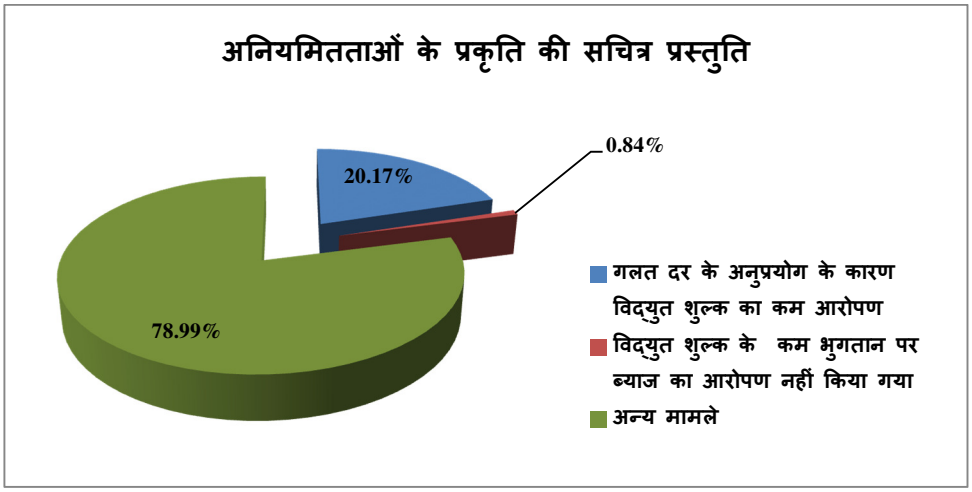

वर्ष के दौरान विभाग ने 2015-16 में हमारे द्वारा बताये गये दो मामले में ₹ 24.34 लाख का गलत दर के अनुप्रयोग के कारण विद्युत शुल्क के कम आरोपण को स्वीकार किया।

अध्याय के इस भाग में हम ₹ 24.34 लाख के वित्तीय प्रभाव का दृष्टांतस्वरूप एक मामला प्रस्तुत करते हैं, जिसकी चर्चा अनुवर्ती कंडिका में की गई है।

5.10 अधिनियमों/नियमावालियों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं होना

बिहार विद्युत शुल्क (बि.वि.शु.) अधिनियम, 1948 एवं उसके अधीन बनाये गये नियम, झारखण्ड सरकार द्वारा यथा अंगीकृत, के प्रावधानों के अंतर्गत खनन प्रयोजनों के लिए विद्युत शुल्क की दर 15 पैसे प्रति इकाई और अधिभार विद्युत उर्जा के उपयोग या खपत का 2 पैसा प्रति इकाई की दर से भुगतेय होगा। जून 2011 से दर को संशोधित किया गया, यथा खनन प्रयोजनों के लिए विद्युत शुल्क 20 पैसा प्रति इकाई की दर पर एवं (बि.वि.शु.) अधिनियम, 1948, की धारा 3(ए) के अनुसार विद्युत उर्जा के उपयोग या खपत पर 2 पैसा प्रति इकाई की दर से आरोप्य अधिभार को झारखण्ड विद्युत शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 2011 द्वारा समाप्त कर दिया गया। बि.वि.शु. अधिनियम, 1948 एवं बिहार विद्युत शुल्क (बि.वि.शु.) नियमावली, 1949, झारखण्ड सरकार द्वारा यथा अंगीकृत, ने करनिर्धारण पर अंतिम निर्णय लेने हेतु समय सीमा विहित नहीं किया। तथापि, झारखण्ड विद्युत शुल्क (संशोधन) नियमावली, 2012 के नियम 12 (यथा संशोधित), 18 जून 2012 से प्रभावी, वार्षिक विवरणी दाखिल करने के 18 महीने के अन्दर निर्धारितियों के करनिर्धारण को पूर्ण करने का प्रावधान करता है।

हमने पाया कि वाणिज्यकर विभाग ने अनुवर्ती कंडिका में वर्णित मामले में अधिनियमों/नियमावलियों के प्रावधानों का पालन नहीं किया।

5.11 विद्युत शुल्क का कम आरोपण

विद्युत शुल्क का आरोपण खनन प्रयोजन के लिए लागू दरों के बजाय पूर्व संशोधित दरों पर या औद्योगिक प्रयोजन के लिए लागू दरों पर किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 24.34 लाख के विद्युत शुल्क का कम आरोपण हुआ।

बि.बि.शु. अधिनियम के प्रावधानों के तहत, सभी परिसरों, जहां कुल भार 100 ब्रिटिश अश्व शक्ति (बीएचपी) से अधिक है, में खनन प्रयोजनों के लिए बिद्युत शुल्क की दर 24 जून 2011 से ऊर्जा की बिक्री या खपत पर 20 पैसे प्रति यूनिट है। औद्योगिक उद्देश्यों के लिए विद्युत ऊर्जा की बिक्री पर शुल्क की दर 24 जून 2011 से पांच पैसे प्रति यूनिट है। यह न्यायिक निर्णय है कि जब खान से अयस्क उत्सर्जित होकर, धोकर, छनकर, संवार कर, ढेर कर, खननस्थल पर रखा जाता है तब खनन प्रक्रिया का अंत होता है।

हमने हजारीबाग वाणिज्यकर अंचल में दो निर्धारितियों के कर निर्धारण आदेशो की जाँच कि (अक्टूबर 2015) और पाया कि उन्होने 2011-12 के दौरान खनन प्रयोजनों के लिए 2.39 करोड़ इकाई विद्युत ऊर्जा की खपत की। कर निर्धारण प्राधिकारी(क.नि.प.) ने कर निर्धारण सम्पन्न करते समय एक मामला में विद्युत ऊर्जा के 1.10 करोड़ इकाई पर पूर्व संशोधित दरों पर विद्युत शुल्क का आरोपण किया (अक्टूबर 2014)। एक अन्य मामले में 1.29 करोड़ इकाई विद्युत ऊर्जा की खपत पर विद्युत शुल्क, खनन प्रयोजनों के लिए लागू दर के बजाय औद्योगिक उद्देश्यों के लिए लागू दर पर आरोपित किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 24.34 लाख के विद्युत शुल्क का कम आरोपण हुआ।

हमने जून 2016 में विभाग को मामले की सूचना दी; सरकार/विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन इस तथ्य के साथ सहमति व्यक्त की और कहा कि उचित कार्रवाई की जाएगी (अगस्त 2016)। तदन्तर उत्तर अप्राप्त है (अक्टूबर 2016)।

हम अनुशंसा करते हैं कि विभाग सभी कर निर्धारण के मामलों कि जाँच करे क्योकि सिर्फ दो मामलों में नमूना जांच से ₹ 24.34 लाख के राजस्व की कम वसूली का पता चला।

अध्याय - VI
खनन प्राप्तियाँ

अध्याय-VI: खनन प्राप्तियाँ

6.1 कर प्रशासन

राज्य में स्वामिस्व का आरोपण एवं संग्रहण खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957, खनिज समानुदान नियमावली, 1960 तथा झारखण्ड लघु खनिज समानुदान (झा.ल.ख.स.) नियमावली, 2004 के द्वारा शासित होता है।

अधिनियमों एवं नियमों के प्रशासन के लिए सरकार के स्तर पर, सचिव, उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग तथा निदेशालय स्तर पर, खान निदेशक उत्तरदायी हैं। मुख्यालय स्तर पर खान निदेशक को एक अपर खान निदेशक (अ.खा.नि.) और एक उप निदेशक खान (उ.नि.खा.) द्वारा सहायता प्रदान किया जाता है। राज्य को छः अंचलों[1] में विभक्त किया गया है, प्रत्येक एक उ.नि.खा. के प्रभार में होते है। अंचलों को पुनः 24 जिला खनन कार्यालयों[2] में विभक्त किया गया है, प्रत्येक के प्रभारी एक जिला खनन पदाधिकारी (जि.ख.प.)/सहायक खनन पदाधिकारी (स.ख.प.) होते हैं। जि.ख.प./स.ख.प. स्वामिस्व एवं अन्य खनन बकाये के आरोपण एवं संग्रहण के लिए उत्तरदायी होते हैं। उन्हें खान निरीक्षकों (खा.नि.) द्वारा सहायता प्रदान किया जाता है। जि.ख.प. तथा खा.नि. खनन पट्टा क्षेत्रों के निरीक्षण और खनिजों के उत्पादन एवं प्रेषण की समीक्षा के लिए प्राधिकृत होते हैं।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्न है:

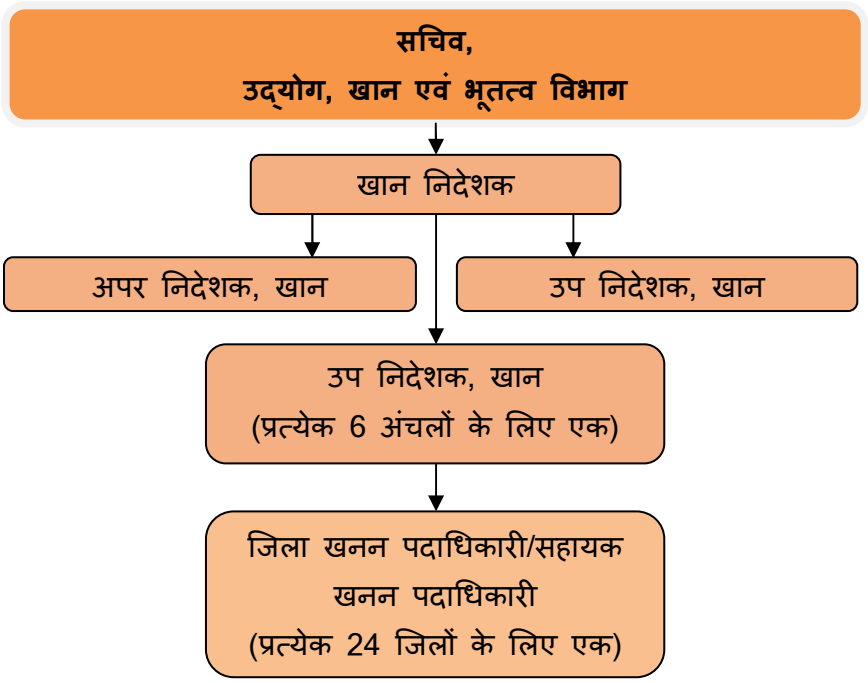

[1] चाईबासा, डाल्टनगंज, धनबाद, दुमका, हजारीबाग एवं राँची।

[2] बोकारो, चतरा, चाईबासा, डाल्टनगंज, देवघर, धनबाद, दूमका, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, हजारीबाग, जमशेदपुर, जामताड़ा, खूंटी, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, पाकुड़, रामगढ़, राँची, साहिबगंज, सरायकेला-खरसाँवा एवं सिमडेगा।

6.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2015-16 के दौरान हमने खान एवं भूतत्व विभाग के 51 इकाइयों में से 14 वार्षिक इकाइयों एवं चार द्विवार्षिक इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जाँच की योजना बनायी और 'खनन प्राप्तियों' से संबन्धित ₹ 3,205.04 करोड़ के राजस्व संग्रहण वाले 18 इकाइयों में से 17[3], इकाइयों की नमूना जाँच की। हमारी लेखापरीक्षा ने 352 मामलों में सन्निहित ₹ 753.16 करोड़ के स्वामिस्व, नियत लगान, दण्ड के अनारोपण/अल्पारोपण एवं अन्य अनियमितताएँ उद्घटित किया जैसा कि **तालिका-6.1** में उल्लिखित है।

तालिका-6.1

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वर्ग	मामलों की संख्या	राशि
1	स्वामिस्व का नहीं आरोपण/कम आरोपण	22	708.09
2	नियत लगान का नहीं आरोपण/कम आरोपण	48	2.72
3	कोयले की निम्न श्रेणीकरण के कारण स्वामिस्व का अल्पारोपण	3	0.31
4	दण्ड का नहीं अनारोपण	35	0.26
5	नीलामवाद प्रक्रिया शुरू नहीं किया जाना	36	12.41
6	अन्य मामले	208	29.37
कुल		**352**	**753.16**

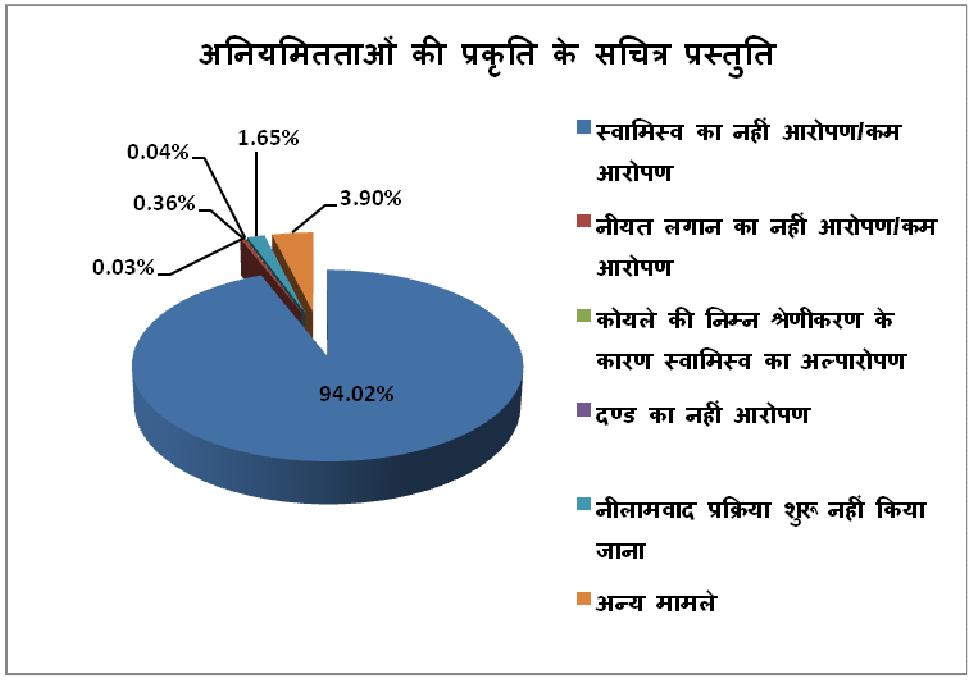

[3] कार्यालय जि.ख.प, बोकारो, चतरा, चाईबासा, देवघर, धनबाद, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, हजारीबाग, जमशेदपुर, खूंटी, पाकुड़, रामगढ़, राँची, एवं सरायकेला-खरसाँवा, सचिव, खान एवं निदेशक, खान रांची ।

वर्ष के दौरान, विभाग ने 178 मामलों में ₹ 1,020.11 करोड़ के अल्प निर्धारण एवं अन्य खामियों को स्वीकार किया, जिनमे से 128 मामलों में ₹ 674.25 करोड़ हमारे द्वारा 2015-16 में और शेष पूर्ववर्ती वर्षों में बताए गए थे।

2015-16 के दौरान, विभाग ने प्रारूप कंडिकाओं में हमारे द्वारा इंगित किए गये चार मामले में अंतर्ग्रस्त ₹ 6.76 करोड़ सहित 12 मामलों में कुल ₹ 352.96 करोड़ की वसूली की।

इस अध्याय में ₹ 593.67 करोड़ के वसूली योग्य वित्तीय प्रभाव के दृष्टांतस्वरूप कुछ मामले की चर्चा की गयी है।

6.3 अधिनियमों/नियमावलियों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं होना

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) (खा.ख.वि.वि.) अधिनियम, 1957 तथा खनिज समानुदान (ख.स.) नियमावली, 1960, पट्टा क्षेत्र से हटाए गये एवं उपभोग किये गये खनिज पर निर्धारित दर से देय, तिथि के भीतर स्वामिस्व के भुगतान का प्रावधान करता है।

खान एवं भूतत्व विभाग ने कंडिका 6.4 से 6.10 में उल्लिखित मामलों में स्वामिस्व के सही दर के अनुप्रयोग, मासिक विवरणियों आदि की जाँच एवं सत्यापन संबंधी अधिनियमों/नियमावलियों के प्रावधानों का पालन नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 593.67 करोड़ का नहीं/कम आरोपण हुआ।

6.4 धुले हुए कोयले पर स्वामिस्व का अल्पारोपण[4]

कोलियरी द्वारा समर्पित विवरणियों में मिडलिंग, टेलिंग एवं अस्वीकृत कोयले के मूल विक्रय मूल्य के अल्प-मूल्यांकन के कारण स्वामिस्व का अल्पारोपण।

खा.ख.वि.वि. अधिनियम, 1957 की धारा 9 के प्रावधानों के अंतर्गत किसी खनन पट्टा के धारक को, पट्टा क्षेत्र से हटाए गये या उपभोग किये गये खनिज पर द्वितीय अनुसूची में उस समय, उस खनिज पर निर्धारित दर पर रॉयल्टी का भुगतान करना है। ख॰स॰ नियमावली, 1960 का नियम 64 बी. (1) प्रावधान करता है की यदि खनिज का संसाधन पट्टा क्षेत्र में किया जाता है तो पट्टा क्षेत्र से हटाये गये संसाधित खनिज पर स्वामिस्व प्रभारित होगा। केंद्र सरकार ने स्वामिस्व की दर के लिए सूत्र = ए+बी.पी. निर्धारित किया है, जहां 'ए' एक निश्चित घटक है और 'बी.पी.' = विक्रय बिलों में करों, अधिभारों एवं अन्य प्रभारों को छोड़कर दर्शाये गये कोयले के मूल्य का 5 प्रतिशत है। स्वामिस्व की यह दर 10 मई 2012 के प्रभाव से, कोयले के मूल्य पर 14 प्रतिशत यथामूल्य संशोधित किया गया था। तदंतर, ख.स. नियमावली, 1960 का नियम 64 ए प्रावधान करता है की राज्य सरकार, भुगतान के लिए निर्धारित तिथि के 60 दिन के बाद लगान, स्वामिस्व, या शुल्क या अन्य किसी बकाये पर इसके भुगतान हेतु नियत तिथि की समाप्ति से 16 वें दिन से 24 *प्रतिशत* वार्षिक की दर से सामान्य ब्याज प्रभारित करने के लिए प्राधिकृत है। जि.ख.प./स.ख.प. को मांग पंजी के साथ मासिक विवरणियों के आवर्ती जाँच करनी है और वह लगान एवं स्वामिस्व के वसूली के लिए भी उत्तरदायी हैं।

[4] कोल हैंडलिंग एवं प्रिपरेसन प्लांट/कोल वाशरी में आरओएम कोयले के संसाधन से प्राप्त उत्पाद।

कोल वाशरी

हमने जिला खनन कार्यालय, रामगढ़ में, सर्वश्री टाटा स्टील के वेस्ट बोकारो क़ोलियरी के 2008-09 से 2014-15 की अवधि के मासिक विवरणियों की कोलियरी द्वारा वाणिज्य कर विभाग में समर्पित व्यापार लेखे/झा.मू.व.क. 409 के साथ तिर्यक-जाँच की (मार्च 2016) और पाया कि 220.98 लाख मी.ट. मिडलिंग, टेलिंग एवं अस्वीकृत कोयले के प्रेषण पर व्यापार लेखे/झा.मू.व.क. 409 में प्रदर्शित विक्रय मूल्य से समय-समय पर लागू सभी अधिभारों एवं करों को घटाने के बाद प्राप्त मूल विक्रय मूल्य ₹ 5,189.59 करोड़ के आधार पर संगणित आरोप्य स्वामिस्व ₹ 602.04 करोड़ के बदले ₹ 324.64 करोड़ स्वामिस्व का आरोपण किया गया था। इस प्रकार, मूल विक्रय मूल्य के अल्पमूल्यांकन का पता लगाने और वास्तविक मूल विक्रय मूल्य के आधार पर स्वामिस्व के आरोपण में जि.ख.प. की विफलता के कारण, जि.ख.प. ने पट्टेधारी को ₹ 277.40 करोड़ और उस पर देय ब्याज ₹ 168.81 करोड़ का अनुचित वित्तीय लाभ पहुंचाया गया जैसा कि **तालिका-6.2** में उल्लिखित है।

तालिका-6.2

(₹ करोड़ में)

संसाधित कोयले का वर्ग	अवधि प्रेषित मात्रा (लाख मै. ट. में)	मूल विक्रय मूल्य	आरोप्य स्वामिस्व आरोपित	अल्प आरोपण	ब्याज (मार्च 2016 तक)	कुल
मिडलिंग	2008-15 152.65	3,175.27	384.97 171.76	213.21	123.91	337.12
टेलिंग	2008-15 53.84	1,952.38	208.40 144.80	63.60	44.76	108.36
अस्वीकृत	2014-15 14.49	61.94	8.67 8.08	0.59	0.14	0.73
कुल	**220.98**	**5,189.59**	**602.04 324.64**	**277.40**	**168.81**	**446.21**

हमारे द्वारा मामले को इंगित करने पर (मार्च 2016) स.ख.प. ने सूचित किया (अगस्त 2016) कि ₹ 446.21 करोड़ का मांग जुन 2016 में किया गया है। तदंतर, मांग की वसूली की सूचना अप्राप्त है (अक्टूबर 2016)।

हमने मामले को मई 2016 में सरकार को प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2016)।

6.5 गलत दर के अनुप्रयोग के कारण स्वामिस्व का अल्पारोपण

स्वामिस्व के सही दर के अनुप्रयोग संबंधी अधिनियम/नियमों एवं कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के प्रावधानों को पालन नहीं किये जाने के परिणामस्वरूप ₹ 143.52 करोड़ के स्वामिस्व का अल्पारोपण हुआ।

खा.ख.वि.वि. अधिनियम, 1957 की धारा 9 के प्रावधानों के अंतर्गत खनन पट्टा धारक को, पट्टा क्षेत्र से हटाए गये या उपभोग किये गये खनिज पर द्वितीय अनुसूची में उस समय उस खनिज के लिये निर्धारित दर पर रॉयल्टी का भुगतान करना है। तदंतर, कोयले के विभिन्न श्रेणियों पर स्वामिस्व कि दर रन ऑफ माइन्स (आरओएम) कोयले के बेसिक पीट हेड मूल्य पर आधारित है जबकि फेल्सपार, लौह अयस्क, सोपस्टोन, अभ्रक एवम् क्वार्ट्ज़ के लिए स्वामिस्व कि दर, भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) द्वारा प्रकाशित राज्यवार औसत विक्रय मूल्य जो कि ख.स. नियमावली, 1960 के नियम 64 डी के अंतर्गत उस राज्य में उत्पादित खनिज के संदर्भ में स्वामिस्व कि संगणना के लिए मूल्य पर आधारित है। नियम पुनः प्रावधान करता है कि यदि किसी विशेष खनिज के लिए किसी राज्य के लिए सूचना आईबीएम द्वारा प्रकाशित नहीं किया गया हो तो उस खनिज के लिए अखिल भारतीय सूचना को निर्दिष्ट किया जाएगा।

झारखण्ड के कोयला खदान

6.5.1 हमने तीन खनन कार्यालयों[5] में कोयले के 58 पट्टों की मासिक विवरणियों की नमूना जाँच की (नवम्बर 2015 एवं मार्च 2016 के बीच) और पाया कि तीन पट्टेधारियों ने 2007-08 से 2008-09 तथा 2014-15 की अवधि के दौरान 93.91 लाख मी.ट. कोयले का प्रेषण किया था। इस प्रेषण पर ₹ 316.72 करोड़ जो कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) द्वारा अधिसूचित आर॰ओ॰एम कोयले के मूल पीट हेड मूल्य के आधार पर आरोपित किया जाना चाहिए था, के बदले ₹ 173.41 करोड़ का स्वामिस्व आरोपित किया गया। जि.ख.प./स.ख.प. उपरोक्त प्रावधानों के आधार पर स्वामिस्व की संगणना करने में विफल हुए और पट्टेधारियों को अनुचित लाभ दिया फलस्वरूप ₹ 143.31 करोड़ के स्वामिस्व का अल्पारोपण हुआ जैसा कि **तालिका-6.3** में उल्लिखित है।

[5] धनबाद, पाकुड़ तथा रामगढ़।

तालिका-6.3

(₹ लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय का नाम पट्टों की संख्या	खनिज का नाम अवधि	प्रेषित मात्रा (लाख मैट्रिक टन में)	आरोप्य स्वामिस्व आरोपित स्वामिस्व	कम आरोपण	टिप्पणी
1	धनबाद 1	कोयला 2014-15	0.31	57.76 53.15	4.61	स्वामिस्व के दर की गणना की सीआईएल द्वारा अधिससूचित आर॰ओ॰एम कोयले के मूल पीट हेड मूल्य के आधार पर नहीं की गई थी।
2	पाकुड़ 1	कोयला 2014-15	39.70	7,873.58 5,402.49	2,471.09	
3	रामगढ 1	कोयला 2007-08, 2008-09 एवम् 2014-15	53.90	23,740.22 11,885.23	11,854.99	
कुल	**3**		**93.91**	**31,671.56 17,340.87**	**14,330.69**	

हमारे द्वारा मामले को नवम्बर 2015 एवं मार्च 2016 के बीच इंगित करने पर स.ख.प., धनबाद ने कहा कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी जबकि स.ख.प., पाकुड़ एवं रामगढ़ ने सूचित किया (अगस्त 2016) कि ₹ 143.26 करोड़ का मांग अप्रैल एवं जुन 2016 के बीच किया गया है। तदंतर, मांग की वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2016)।

6.5.2 हमने जिला खनन कार्यालय, गिरिडीह में वृहद खनिज के सात पट्टों की मासिक विवरणियों कि नमूना जाँच किया (सितम्बर 2015) और पाया कि 2013-14 के दौरान तीन पट्टेधारियों ने 9,710 मी.ट. विभिन्न खनिजों का प्रेषण किया जिस पर आईबीएम द्वारा प्रकाशित औसत मासिक विक्रय मूल्य पर आधारित आरोप्य ₹ 26.28 लाख के बदले ₹ 4.52 लाख का स्वामिस्व आरोपित किया गया। जि.ख.प. ने अनुचित लाभ दिया और स्वामिस्व के सही दर के अनुप्रयोग संबंधी नियमों के प्रावधानों को लागू नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 21.76 लाख के स्वामिस्व का अल्पारोपण हुआ जैसाकि **तालिका-6.4** में उल्लिखित है।

तालिका-6.4

(₹ लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय का नाम पट्टों की संख्या	खनिज का नाम अवधि	प्रेषित मात्रा (लाख एमटी में)	आरोप्य स्वामिस्व आरोपित स्वामिस्व	कम आरोपण
1	फेल्सपार 1	2013-14	1,390	0.90 0.53	0.37
2	माईका 1	2013-14	2,035	21.66 1.63	20.03
3	क्वार्ट्ज 2	2013-14	4,985	2.64 1.87	0.77
4	सोपस्टोन 1	2013-14	1,300	1.08 0.49	0.59
कुल			**9,710**	**26.28** **4.52**	**21.76**

हमारे द्वारा मामले को सितम्बर 2015 में इंगित करने पर स.ख.प. ने कहा (सितम्बर 2015) कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। तदंतर, जवाब प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2016)।

हमने मामले को मई 2016 में सरकार को प्रतिवेदित किया; उनका जवाब प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2016)।

6.6 नियत लगान का नहीं आरोपण/कम आरोपण

खा.ख.वि.वि. अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के अंतर्गत पट्टेधारियों पर ₹ 2.42 करोड़ के नियत लगान का नहीं/कम आरोपण किया गया

खा.ख.वि.वि. अधिनियम, 1957 की धारा 9 ए के प्रावधानों के अंतर्गत, खनन पट्टा के धारक को प्रत्येक वर्ष राज्य सरकार को तृतीय अनुसूची में उस समय निर्धारित दर पर पट्टा दस्तावेजों में शामिल सम्पूर्ण क्षेत्र के लिए नियत लगान का भुगतान करना है। बशर्ते कि जहाँ पट्टाधारी ऐसे पट्टा क्षेत्र से हटाये गए अथवा उपयुक्त खनिज के लिए धारा 9 के अंतर्गत स्वामिस्व भुगतान करने का उत्तरदायी है, वह उस क्षेत्र का स्वामिस्व अथवा लगान, जो भी अधिक हो, भुगतान करने का दायी होगा।

हमने चार खनन कार्यालयों[6] में 85 पट्टेधारियों के मासिक विवरणियों के साथ माँग, संग्रहण एवं बकाया (डी.सी.बी.) पंजी की नमूना जाँच किया (अक्टुबर 2015 एवं मार्च 2016 के बीच) और पाया कि 3,560.608 हेक्टेयर से आच्छादित 37 पट्टों के मामले में, पट्टेधारियों ने 2008-09 से 2014-15 के दौरान खनिजों का निष्कर्षण नहीं किया था और वे अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत नियत लगान के भुगतान के लिए उत्तरदायी थे। जि.ख.प. असावधान थे और उन्होने डी.सी.बी. पंजी की आवधिक जाँच नहीं की, फलतः अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों के अंतर्गत आरोप्य

[6] चाईबासा, जमशेदपुर, राँची एवं सरायकेला-खरसाँवा।

₹ 2.45 करोड़ के बदले 10 मामलों में केवल ₹ 3.29 लाख के नियत लगान के आंशिक माँग का सृजन किया जा सका। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.42 करोड़ के नियत लगान का नहीं/कम आरोपण हुआ।

हमारे द्वारा मामले को इंगित किये जाने के बाद (अक्टुबर 2015 एवं मार्च 2016 के बीच) जि.ख.प./स.ख.प., जमशेदपुर एवं राँची ने कहा (मार्च 2016) कि सत्यापन के बाद कार्रवाई की जायेगी, जबकि स.ख.प., चाईबासा एवम् सरायकेला-खरसाँवा ने सूचित किया (जुलाई 2016) कि ₹ 26.26 लाख के मांग का सृजन किया गया है जिसमें से सरायकेला-खरसाँवा में दो पट्टेधारियों से ₹ 78,600 वसूला गया है। तदंतर जवाब प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2016)।

हमने मामले को मई 2016 में सरकार को प्रतिवेदित किया; उनका जवाब प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2016)।

सदृश्य मामला 31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन(राजस्व क्षेत्र) की कंडिका संख्या 6.7 में उठाये गये थे। तथापि, त्रुटियों/अनियमितताओं की प्रकृति अभी भी जारी है जो राजस्व के आवर्ती रिसाव को रोकने में विभाग के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के अप्रभावशीलता को दर्शाती है।

6.7 प्रेषण के छिपाव के कारण स्वामिस्व का अल्पारोपण

मासिक विवरणियों में कोयले के प्रेषित मात्रा के छिपाव के फलस्वरूप ₹ 1.02 करोड़ के स्वामिस्व का अल्पारोपण हुआ।

खा.ख.वि.वि. अधिनियम, 1957 की धारा 9 के प्रावधानों के अंतर्गत, किसी खनन पट्टा के धारक को, पट्टा क्षेत्र से हटाए गये या उपभोग किये गये खनिज पर द्वितीय अनुसूची में उस समय उस खनिज के लिये निर्धारित दर पर रॉयल्टी का भुगतान करना है। तदंतर, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार सरकार द्वारा जुन 1970 में निर्गत आदेश के अनुसार, जि.ख.प./स.ख.प. को डीसीबी पंजी के साथ मासिक विवरणियों की जाँच करनी है।

कोयले का प्रेषण् के लिये रेलवे साईडिंग

हमने जि॰ ख॰ प॰, चतरा में कोयले के आठ पट्टों के मासिक विवरणियों की नमूना जाँच की (सितम्बर 2015) और पाया कि दो कोलियरियों[7] ने अप्रैल एवं सितम्बर 2014 के बीच श्रेणी-9 कोयले का 14.65 लाख मी.ट. प्रारम्भिक शेष दिखलाया जबकि संबन्धित पूर्ववर्ती महीने में अंतशेष 15.20 लाख मी.ट. था। इस प्रकार,

[7] पिपरवार एवं पुरणाडीह।

पट्टेधारियों ने 55,598.42 मी.ट. श्रेणी-9 कोयले के प्रेषण का छिपाव किया। जि.ख.प. द्वारा मासिक विवरणियों को पूर्व के विवरणियों के साथ ही डी.सी.बी. पंजी तथा मांग, समाहरण एवम् शेष पंजी के साथ जाँच करना था जो नहीं किया गया। इसके चलते विसंगतियाँ बनी रही और परिणामस्वारुप ₹ 1.02 करोड़ के स्वामिस्व का अल्पारोपण हुआ।

हमारे द्वारा मामले को सितम्बर 2015 में इंगित किये जाने के बाद स.ख.प. ने कहा (सितम्बर 2015) कि सत्यापन के बाद कार्रवाई की जायेगी। तदंतर जवाब प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2016)।

हमने मामले को मई 2016 में सरकार को प्रतिवेदित किया; उनका जवाब प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2016)।

6.8 कोयले की श्रेणी को निम्न करने के कारण स्वामिस्व का अल्पारोपण

कोलियरी कन्ट्रोल नियमावली, 2004 के प्रावधानों के अन्तर्गत घोषित श्रेणियों का मासिक विवरणियों में दर्शाये गए श्रेणियों से सत्यापन नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 23.73 लाख के स्वामिस्व का अल्पारोपण हुआ।

खा.ख.वि.वि. अधिनियम, 1957 की धारा 9 के प्रावधानों के अंतर्गत किसी खनन पट्टा के धारक को, पट्टा क्षेत्र से हटाए गये या उपभोग किये गये खनिज पर द्वितीय अनुसूची में उस समय उस खनिज के लिये निर्धारित दर पर रॉयल्टी का भुगतान करना है। कोलियरी कन्ट्रोल नियमावली, 2004 के नियम 4(2) के प्रावधानों के अन्तर्गत, किसी कोलियरी के स्वामी को अपने कोयले के श्रेणी[8] की घोषणा करनी होगी और निर्धारित दर पर स्वामिस्व का भुगतान करना होगा।

हमने जिला खनन कार्यालय, धनबाद में 50 कोलियरियों द्वारा समर्पित मासिक विवरणियों के साथ डी.सी.बी. पंजी की नमूना जाँच की (नवम्बर 2015) और पाया कि भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) ने वर्ष 2014-15 के लिए धनसार कोलियरी के स्टीम कोयले के लिए जी॰-1 तथा आर॰ओ॰एम॰ कोयले को जी॰-2 श्रेणी के रूप में घोषित किया था। जबकि उस वर्ष के दौरान कोलियरी ने अपने मासिक विवरणियों में 1.13 लाख मी.ट. स्टीम कोयले (जी॰-1 श्रेणी) को जी.-2 में निम्न श्रेणीकृत किया जिस पर ₹ 7.94. करोड़ के बदले ₹ 7.70 करोड़ का स्वामिस्व आरोपित किया गया। कोयले की श्रेणियों का कोलियरियों द्वारा घोषित श्रेणी से सत्यापन करने में जि.ख.प. विफल रहे और मासिक विवरणियों में दर्शाये गए श्रेणी पर स्वामिस्व का आरोपण किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 23.73 लाख स्वामिस्व का अल्पारोपण हुआ।

[8] कोयले की श्रेणी कोयले की गुणवत्ता को निर्दिष्ट करता है जो स्थिर कार्बन, उड़नशील पदार्थ, छाई,और सन्निहित आद्रता तथा/या ऊष्मीय धारिता पर आधारित है।

हमारे द्वारा नवम्बर 2015 में मामले को इंगित किये जाने के बाद स.ख.प. ने कहा कि श्रेणी अधिसूचना के अनुसार लेखापरीक्षा आपत्ति सही प्रतीत नहीं होता है, तथापि, जाँच के बाद कार्रवाई की जायेगी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अवलोकन श्रेणी अधिसूचना के अनुसार स्टीम कोयले की श्रेणी पर आधारित है। तदन्तर, जवाब प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2016)।

हमने मामले को मई 2016 में सरकार को प्रतिवेदित किया; उनका जवाब प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2016)।

6.9 अवैध खनन के लिए दण्ड का आरोपण नहीं किया जाना

पट्टा समाप्ति के बाद खनिज के निष्कर्षण के लिए झा.ल.ख.स. नियमावली, 2004 के प्रावधानों के अन्तर्गत ₹ 13.66 लाख के अर्थदण्ड का आरोपण नहीं हुआ।

झा.ल.ख.स.नि. 2004 के नियम 23(2)(ई) के प्रावधानों के अन्तर्गत, यदि एक लघु खनिज पट्टे के पट्टा नवीनीकरण आवेदन का निष्पादन पट्टा समाप्ति के पूर्व या निर्धारित समयावधि के भीतर समाहर्ता द्वारा नहीं किया जाता है तो पट्टावधि अगले 90 दिनों अथवा स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश, जो भी पहले हो, तक विस्तारित समझा जाएगा। यदि पट्टा आवेदन इस समयावधि के भीतर निष्पादित नहीं होता है तो उसे अस्वीकृत माना जाएगा। तदंतर, नियम 54(8) प्रावधान करता है कि कोई व्यक्ति जिसके पास वैध खनन पट्टा/अनुज्ञप्ति नहीं है, यदि वह या उसकी ओर से कोई अभिकर्ता, प्रबन्धक या संवेदक लघु खनिज का निष्कर्षण करता है तो वह व्यक्ति अवैध खनन का भागीदार होगा और उससे खनिज का मूल्य वसूल किया जायेगा।

- हमने जिला खनन कार्यालयों, हजारीबाग एवं पाकुड़ में लघु खनिज के 26 पट्टेधारियों की पट्टा संचिका, नवीनीकरण आवेदन संचिका, मांग संचिका, के साथ मासिक विवरणियों, डीसीबी पंजी की नमूना जाँच की (फरवरी एवं मार्च 2016) और पाया कि तीन पट्टों जिसका पट्टा अगस्त 2012 तथा नवम्बर 2013 के बीच समाप्त हो गया था, के नवीनीकरण आवेदन का निष्पादन 90 दिनों कि विस्तारित अवधि के भीतर नहीं किया गया था। लेकिन भूतपूर्व पट्टेधारियों ने 90 दिनों कि विस्तारित अवधि के बाद जनवरी 2013 और अप्रैल 2014 के बीच 2,296.51 घ॰मी॰ पत्थर का प्रेषण किया, जिस पर ₹ 1.38 लाख स्वामिस्व आरोपित

पत्थर खदान साईट

किया गया। जि.ख.प. पट्टा पंजी तथा मांग संचिका के अनुश्रवण में विफल रहे और ₹ 6.97 लाख के अर्थदण्ड के बदले ₹ 1.38 लाख स्वामिस्व आरोपित किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 5.59 लाख के अर्थदंड का अल्पारोपण हुआ।

- हमने जिला खनन कार्यालयों, गुमला एवं हजारीबाग में लघु खनिज के 31 पट्टेधारियों की पट्टा संचिका, मांग संचिका के साथ मासिक विवरणियों, डीसीबी पंजी की नमूना जाँच की (मार्च 2016) और पाया कि दो मामलों में, संबन्धित खनन निरीक्षकों ने स्थल की भौतिक जाँच के बाद प्रतिवेदित किया कि पट्टा क्षेत्र से बाहर 2,463.57 घनमीटर पत्थर का निष्कर्षण किया गया था जो अवैध था। जि.ख.प. भी अवैध खनन के लिए नियमों के प्रावधानों को लागू करने में विफल रहे। इस प्रकार, ₹ 8.07 लाख खनिज के मूल्य के समतुल्य, अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया।

हमारे द्वारा फरवरी और मार्च 2016 के बीच मामले को इंगित किये जाने के बाद, स.ख.प., गुमला एवं हजारीबाग ने कहा (मार्च 2016) कि सत्यापन के बाद कार्रवाई की जायेगी जबकि, स.ख.प., पाकुड़ ने सूचित किया (अगस्त 2016) कि ₹ 4.44 लाख का मांग किया गया है जिसे पट्टेधारी द्वारा स्वीकार कर ₹ 1 लाख का भुगतान किया गया है और शेष किस्तों में भुगतान करने के लिए आश्वस्त किया है। तदन्तर जवाब प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2016)।

हमने मामले को मई 2016 में सरकार को प्रतिवेदित किया; उनका जवाब प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2016)।

6.10 अर्थदण्ड का नहीं लगाया जाना

लघु खनिज के पट्टेधारियों द्वारा मासिक विवरणियाँ समर्पित नहीं की गयी जिसके लिए ₹ 12.33 लाख का दण्ड यद्यपि आरोप्य था, आरोपित नहीं किया गया।

झा.ल.ख.स. नियमावली, 2004 के नियम 41(3) के प्रावधानों के अंतर्गत, यदि कोई पट्टाधारी या अनुज्ञप्तिधारी अगले महीने कि 15 वीं तारीख़ तक मासिक विवरणी दाखिल करने में विफल रहता है तो पट्टाधारी या अनुज्ञप्तिधारी को ₹ 20 प्रति विवरणी प्रतिदिन की दर से, अधिकतम ₹ 2,500 प्रति विवरणी, अर्थदण्ड का भुगतान करना अपेक्षित है।

हमने तीन खनन कार्यालयों[9] में लघु खनिज के 55 पट्टेधारियों के मासिक विवरणियों के साथ उत्पादन एवं प्रेषण पंजी तथा डीसीबी पंजी की नमूना जाँच की (मार्च 2016) और पाया कि 19 पट्टेधारियों ने 2009-10 से 2014-15 की अवधि के 493 मासिक विवरणियाँ जमा नहीं किया था। तथापि, जि.ख.प. नियमावली के प्रावधानों के अंतगर्त ₹ 12.33 लाख के दण्ड को आरोपित करने में विफल रहे।

[9] चाईबासा, गुमला एवं राँची।

हमारे द्वारा मामले को इंगित किये जाने (मार्च 2016) के बाद, स.ख.प., गुमला एवं राँची ने कहा (मार्च एवं अप्रैल 2016 के बीच) कि सत्यापन के बाद कार्रवाई की जायेगी जबकि स.ख.प., चाईबासा ने सूचित किया (जुलाई 2016) कि संबन्धित पट्टेधारियों को नोटिस दिया गया है। तदन्तर जवाब प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2016)।

हमने मामले को मई 2016 में सरकार को प्रतिवेदित किया; उनका जवाब प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2016)।

(एस. रमण)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
झारखण्ड

राँची
दिनांक

प्रतिहस्ताक्षरित

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक

परिशिष्ट

परिशिष्ट-I (प्रतिवेदन की कंडिका संख्या 2.3.6.1 में उल्लिखित)

खनन गतिविधियों में संलिप्त व्यवसायी निबंधित नहीं थे

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	अंचल का नाम	अवधि	अनिबंधित व्यवसायियों की संख्या	सामग्री	प्रेषित मात्रा लाख घन मीटर में	आवर्त	कर की दर (%)	देय कर	धारा 38 (5) के तहत देय अर्थदण्ड	कुल देय कर और अर्थदण्ड	अभियुक्ति
1	रामगढ़	2010-11 to 2013-14	25	स्टोन चिप्स / पत्थर	3.28	853.64	12.5 & 14	118.31	118.31	236.62	हमने जिला खनन पदाधिकारी, रामगढ़ से स्टोन बोल्ड्र्स के निष्कासन और प्रेषण के आंकड़ों को प्राप्त किया और पाया कि 25 पट्टाधारीयों ने वास्तव में 3.28 लाख घन मीटर स्टोन बौल्ड़र्स, जिसका मूल्य ₹ 8.54 करोड़ (₹ 230 , ₹ 260 और ₹ 354 प्रति घन मीटर की न्यूनतम सरकारी दर पर क्रमश: : 2010-11, 2011-12 और 2012-13 एवं 2013-14 के लिए परिकलित) था, का प्रेषण किया था। हालांकि, यह पाया गया कि व्यवसायी वाणिज्य कर विभाग में निबंधित नहीं थे। इस तरह, व्यवसायी कर और अर्थदण्ड अदा करने के उत्तरदायी थे।
2	गिरिडीह	2010-11	136	स्टोन बोल्डर	3.91	365.01	12.5	45.63	45.63	91.26	हमने जिला खनन पदाधिकारी, गिरिडीह से स्टोन बोल्ड्र्स के निष्कासन और प्रेषण के आंकड़ों को प्राप्त किया और पाया कि 136 पट्टाधारीयों ने 2010-11 और 2011-12 के बीच वास्तव में 3.91 लाख घन मीटर स्टोन बौल्ड़र्स, जिसका मूल्य ₹ 9.68 करोड़ (₹ 230 और ₹ 260 प्रति घन मीटर की न्यूनतम सरकारी दर पर क्रमश: : 2010-11 और , 2011-12 के लिए परिकलित) था, का प्रेषण किया था। लेकिन हमने पाया कि व्यवसायी वाणिज्य कर विभाग में निबंधित नहीं थे। इस तरह, व्यवसायी कर और अर्थदण्ड अदा करने के उत्तरदायी थे।
		2011-12				602.90	14	84.40	84.40	168.80	
3	गुमला	2010-11	42	स्टोन	0.64	146.32	12.5	18.29	18.29	36.58	हमने जिला खनन पदाधिकारी, गुमला से स्टोन बोल्ड्र्स के निष्कासन और प्रेषण के आंकड़ों को प्राप्त किया और पाया कि 42 पट्टाधारीयों ने

परिशिष्ट-I (प्रतिवेदन की कंडिका संख्या 2.3.6.1 में उल्लिखित)

खनन गतिविधियों में संलिप्त व्यवसायी निबंधित नहीं थे

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	अंचल का नाम	अवधि	अनिबंधित व्यवसायियों की संख्या	सामग्री	प्रेषित मात्रा लाख घन मीटर में	आवर्त	कर की दर (%)	देय कर	धारा 38 (5) के तहत देय अर्थदण्ड	कुल देय कर और अर्थदण्ड	अभियुक्ति
		2011-12 to 2014-15		बोल्डर	1.47	351.34	14	49.19	49.19	98.38	वास्तव में 2.11 लाख घन मीटर स्टोन बौल्ड्र्स, जिसका मूल्य ₹ 4.98 करोड़ (₹ 230 , ₹ 260 और ₹ 354 प्रति घन मीटर की न्यूनतम सरकारी दर पर क्रमश: 2010-11, 2011-12 और 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के लिए परिकलित) था, का प्रेषण किया था। लेकिन हमने पाया कि व्यवसायी वाणिज्य कर विभाग में निबंधित नहीं थे। इस तरह, व्यवसायी कर और अर्थदण्ड अदा करने के उत्तरदायी थे।
		कुल	**203**		**9.30**	**2,319.21**		**315.82**	**315.82**	**631.64**	
4	पाकुड़	2010-11	1	पत्थर गिट्टी	अप्राप्त	160.03	12.5	20.00	20.00	40.00	म.रे.प्र., आद्रा से प्राप्त स्टोन बालास्ट के आपूर्ति संबंधित आंकड़ों कि तिर्यक जांच से यह पता चला कि व्यवसायी ने 2010-11 के दौरान स्टोन बालास्ट की आपूर्ति के लिए ₹ 1.60 करोड़ का भुगतान प्राप्त किया था, हालांकि मू.व.क. अभिलेखों से यह देखा गया कि व्यवसायी की करदेयता की तारीख 01/11/2011 तय की गई थी और इसलिए वर्ष 2010-11 के लिए कोई कर निर्धारण संपन्न नहीं किया गया। इस तरह, व्यवसायी कर और अर्थदण्ड अदा करने का उत्तरदायी था।
		कुल	**1**			**160.03**		**20.00**	**20.00**	**40.00**	
		कुल योग	**204**			**2,479.24**		**335.82**	**335.82**	**671.64**	

परिशिष्ट-II (प्रतिवेदन की कंडिका संख्या 2.3.7.1 में उल्लिखित)

वाणिज्यकर विभाग में संचालित तिर्यक-जांच के परिणाम

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	अंचल का नाम	व्यवसायी कानाम (मेसर्स)/टीन	अवधि	वास्तविक आवर्त	लेखापित आवर्त	छिपाव	कर की दर (%)	देय कर	धारा 37(6) के अधीन भुगतेय अर्थदंड	कुल आरोप्य कर और अर्थदंड	अभ्युक्ति
1	गिरिडीह	मोंगिया स्टील लिमिटेड/ 20062300337	2012-13	6,522.87	4,129.35	2,393.52	5	119.68	239.36	359.04	एक अन्य व्यवसायी **मेसर्स संतपुरिया एलौयज प्राइवेट लिमिटेड**, (उसी अंचल मे निबंधित) के अभिलेखों, वार्षिक प्रतिवेदन की तिर्यक जांच से पता चला कि व्यवसायी ने वास्तव में मेसर्स मोंगिया स्टील लिमिटेड को ₹ 65.23 करोड़ का स्पंज आयरन बेचा था लेकिन व्यवसायी ने उसे केवल ₹ 41.29 करोड़ कि खरीद ही लेखबद्ध किया था ।
2	गिरिडीह	संतपुरिया एलौयज प्राइवेट लिमिटेड/ 20692300621	2011-12	4,152.39	3,508.64	643.75	5	32.19	64.38	96.57	समीक्षा से पता चला कि वर्ष 2011-12 के दौरान व्यवसायी ने ₹ 67.41 करोड़ की बिक्री आवर्त दिखाया था। ऊपरोक्त में से स्पंज आयरन (राज्य के भीतर) की बिक्री ₹ 35.08 करोड़ (कर सहित) दिखाया गया था। हालांकि, हमने एक व्यवसायी **मेसर्स मोंगिया स्टील लिमिटेड (टिन 20062300337),** जो उसी अंचल में निबंधित है, के द्वारा खरीद आवर्त के आंकड़े का तिर्यक जांच किया और पाया कि मेसर्स मोंगिया स्टील लिमिटेड ने वास्तव में 2011-12 के दौरान मेसर्स संतपुरिया एलौयज प्राइवेट लिमिटेड से ₹ 41.52 करोड़ का स्पंज आयरन खरीदा था।
3	गिरिडीह	वेंकटेश्वर स्पंज आयरन एंड कंपनी प्रा लिमिटेड/ 20372305303	2011-12	1,413.70	1,194.69	219.01	5	10.95	21.90	32.85	उसी अंचल में निबंधित एक व्यवसायी (**मेसर्स सलूजा स्टील एंड पावर लिमिटेड)** के अभिलेखों के तिर्यक जांच से पता चला कि ऊपरोक्त व्यवसायी ने ₹ 2.19 करोड़ का लौह अयस्क फाइंस का बिक्री किया लेकिन लौह अयस्क फाइंस की खरीद को लेखबद्ध नहीं किया गया ।

परिशिष्ट-II (प्रतिवेदन की कंडिका संख्या 2.3.7.1 में उल्लिखित)

वाणिज्यकर विभाग में संचालित तिर्यक-जांच के परिणाम

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	अंचल का नाम	व्यवसायी कानाम (मेसर्स)/टीन	अवधि	वास्तविक आवर्त	लेखापित आवर्त	छिपाव	कर की दर (%)	देय कर	धारा 37(6) के अधीन भुगतेय अर्थदंड	कुल आरोप्य कर और अर्थदंड	अभ्युक्ति
4	रांची पूर्वी	एस्सार पावर (झारखंड) लिमिटेड/ 20490206087	2010-11	4,486.43	2,968.22	1,518.21	4	60.73	121.46	182.19	माल (**विद्युत)** कि ई-1 खरीद को उसी अंचल में निबंधित मेसर्स एस्सार प्रोजेक्ट (आई) लिमिटेड के कर निर्धारण अभिलेख के साथ तिर्यक जांच से पता चला कि व्यवसायी ने वास्तव में मेसर्स एस्सार प्रोजेक्ट (आई) लिमिटेड से ₹ 44.86 करोड़ रुपये का माल खरीदा था, लेकिन ₹ 29.68 करोड़ रुपए का लेखाबद्ध किया जिस पर कर निर्धारण सम्पन्न किया गया।
5	रांची पाश्चिमी	तक्षशिला प्रोजेक्ट्स (प्रा) लिमिटेड/ 20660308294	2011-12	197.24	73.90	123.34	14	17.27	34.54	51.81	हमने रांची दक्षिणी अंचल में निबंधित एक व्यवसायी (**मेसर्स एन पी सी सी)** के अभिलेखों से प्राप्त आंकड़ों कि तिर्यक जांच से पाया कि उपरोक्त व्यवसायी ने वास्तव में कार्य संविदा के निष्पादन के लिए ₹1.97 करोड़ का भुगतान किया था लेकिन रांची पश्चिमी अंचल के व्यवसायी ने ₹73.90 लाख की प्राप्ति को ही लेखाबद्ध किया था जिस पर कर निर्धारण सम्पन्न किया गया था।
6	रांची पाश्चिमी	चुरूवाला हॉस्पिटैलिटीज एंड एस्टेट प्रा लिमिटेड./ 20920306609	2011-12	50.92	0.00	50.92	14	7.13	14.26	21.39	हमने उसी अंचल में निबंधित एक व्यवसायी (**मेसर्स दीपांशु प्रोमोटर्स एंड बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड।)** के अभिलेख से तिर्यक जांच किया और पाया कि उपरोक्त व्यवसायी ने वास्तव में कार्य संविदा के निष्पादन के लिए ₹50.92 लाख का भुगतान किया था लेकिन व्यवसायी ने शून्य विवरणी दाखिल किया था जिस पर कर निर्धारण सम्पन्न किया गया ।

परिशिष्ट-II (प्रतिवेदन की कंडिका संख्या 2.3.7.1 में उल्लिखित)

वाणिज्यकर विभाग में संचालित तिर्यक-जांच के परिणाम

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	अंचल का नाम	व्यवसायी कानाम (मेसर्स)/टीन	अवधि	वास्तविक आवर्त	लेखापित आवर्त	छिपाव	कर की दर (%)	देय कर	धारा 37(6) के अधीन भुगतेय अर्थदंड	कुल आरोप्य कर और अर्थदंड	अभ्युक्ति
7	रांची पाश्चिमी	नारायण कंस्ट्रक्सन / 20870306601	2011-12	421.63	0.00	421.63	14	59.03	118.06	177.09	हमने क्रमश: रांची दक्षिणी अंचल और रांची पूर्वी अंचल में निबंधित दो व्यवसायी **(मेसर्स एन.पी.सी.सी. और एन.बी.सी.सी.)** के अभिलेख से तिर्यक जांच किया और पाया कि उपरोक्त व्यवसायियों ने कार्य संविदा के निष्पादन के लिए वास्तव में ₹2.57 करोड़ (एनबीसीसी और ₹1.65 करोड़ (एनपीसीसी) का भुगतान किया था लेकिन व्यवसायी ने अपने रिटर्न में शून्य दर्शाया था और नि. प्रा. ने. सर्वोतम विवेक से ₹ 2 लाख का सकल आवर्त निर्धारित करके कर निर्धारण अन्तिम रूप से संपन्न किया।
8	रांची पाश्चिमी	मोहम्मद अनवर / 20200306358	2011-12	124.86	0.00	124.86	14	17.48	34.96	52.44	हमने रांची पूर्वी अंचल में निबंधित एक व्यवसायी (मेसर्स एनबीसीसी) के अभिलेख से तिर्यक जांच किया और पाया कि उपरोक्त व्यवसायी ने वास्तव में कार्य संविदा के निष्पादन के लिए ₹1.25 करोड़ का भुगतान किया था लेकिन रांची पश्चिमी अंचल के व्यवसायी ने शून्य प्राप्ति लेखापित किया था जिस पर कर निर्धारण अन्तिम रूप से सम्पन्न किया गया था।
9	रांची पाश्चिमी	किसलय इंटरप्राइजेज/ 209005981	2011-12	258.33	0.00	258.33	14	36.17	72.34	108.51	हमने रांची पूर्वी अंचल में निबंधित एक व्यवसायी (मेसर्स एनबीसीसी) के अभिलेख से तिर्यक जांच किया और पाया कि उपरोक्त व्यवसायी ने वास्तव में कार्य संविदा के निष्पादन के लिए ₹ 2.58 करोड़ का भुगतान किया था लेकिन रांची पश्चिमी अंचल के व्यवसायी ने शून्य प्राप्ति लेखापित किया था जिस पर कर निर्धारण अन्तिम रूप से सम्पन्न किया गया था।

परिशिष्ट-II (प्रतिवेदन की कंडिका संख्या 2.3.7.1 में उल्लिखित)

वाणिज्यकर विभाग में संचालित तिर्यक-जांच के परिणाम

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	अंचल का नाम	व्यवसायी कानाम (मेसर्स)/टीन	अवधि	वास्तविक आवर्त	लेखापित आवर्त	छिपाव	कर की दर (%)	देय कर	धारा 37(6) के अधीन भुगतेय अर्थदंड	कुल आरोप्य कर और अर्थदंड	अभ्युक्ति
10	रांची पाश्चिमी	गोदावरी कमोडिटीज / 20020305786	2011-12	697.89	0.00	697.89	4	27.92	55.84	83.76	हमने रांची दक्षिणी अंचल में निबंधित एक व्यवसायी **मेसर्स हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड रांची** के अभिलेख से तिर्यक जांच किया और पाया कि व्यवसायी ने वास्तव में अप्रैल 2011 में ₹ 6.98 करोड़ का कोयला खरीदा था (झा.मू.व.क.-404 के माध्यम से पता चला) लेकिन रांची पश्चिमी अंचल के व्यवसायी ने अप्रैल 2011 के दौरान कोयला के किसी भी बिक्री को नहीं दिखाया था।
11	रांची पूर्वी	पाठक टेलिकॉम कंपनी प्रा. लि./ 20750200344	2011-12	145.96	0.00	145.96	14	20.43	40.86	61.29	हमने रांची पश्चिमी अंचल में निबंधित एक व्यवसायी **(मेसर्स दीपांशु प्रोमोटर्स एंड बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड**) के अभिलेख से तिर्यक जांच किया और पाया कि उपरोक्त व्यवसायी ने वर्ष 2011-12 के दौरान वास्तव में कार्य संविदा के निष्पादन के लिए ₹ 1.46 करोड़ का भुगतान किया था और उपसंवेदक को किए गए भुगतान के लिए कर की वसूली से छूट का लाभ उठाया था लेकिन व्यवसायी (मेसर्स पाठक टेलीकॉम) ने अपने विवरणी के माध्यम से शून्य आवर्त दर्शाया था जिस पर कर निर्धारण अन्तिम रूप से सम्पन्न किया गया।
12	रांची पाश्चिमी	स्वाति कंस्ट्रक्शन प्रा. लि../ 20980301631	2011-12	7.48	0.00	7.48	14	1.05	2.10	3.15	हमने रांची दक्षिणी अंचल में निबंधित एक व्यवसायी (**मेसर्स एन.पी.सी.सी.**) के अभिलेख से तिर्यक जांच किया और पाया कि उपरोक्त व्यवसायी ने 2011-12 के दौरान वास्तव में कार्य संविदा के निष्पादन के लिए ₹ 7.48 लाख का भुगतान किया था लेकिन रांची पश्चिमी अंचल के

परिशिष्ट-II (प्रतिवेदन की कंडिका संख्या 2.3.7.1 में उल्लिखित)

वाणिज्यकर विभाग में संचालित तिर्यक-जांच के परिणाम

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	अंचल का नाम	व्यवसायी कानाम (मेसर्स)/टीन	अवधि	वास्तविक आवर्त	लेखापित आवर्त	छिपाव	कर की दर (%)	देय कर	धारा 37(6) के अधीन भुगतेय अर्थदंड	कुल आरोप्य कर और अर्थदंड	अभ्युक्ति
											व्यवसायी ने शून्य प्राप्ति दर्शाया था जिस पर कर निर्धारण अन्तिम रूप से सम्पन्न किया गया था।
13	रांची दक्षिणी	जय बाबा कंस्ट्रक्शन / 20460106405	2011-12	54.40	0.00	54.40	14	7.62	15.24	22.86	हमने रांची दक्षिणी अंचल में निबंधित **मेसर्स एच.एस.सी.एल.** के अभिलेखों से तिर्यक जांच किया और पाया कि उपरोक्त व्यवसायी ने 2011-12 के दौरान वास्तव में कार्य संविदा के निष्पादन के लिए मेसर्स जय बाबा कंस्ट्रक्सन को ₹ 54.40 लाख का भुगतान किया था लेकिन संवेदक ने अपने विवरणी में शून्य आवर्त दर्शाया था जिस पर कर निर्धारण सम्पन्न किया गया था।
14	रांची दक्षिणी	एच के. सिंह / 20540101568	2011-12	32.04	0.00	32.04	14	4.49	8.98	13.47	हमने रांची दक्षिणी अंचल में निबंधित **मेसर्स एच.एस.सी.एल.** के अभिलेखों से तिर्यक जांच किया और पाया कि उपरोक्त व्यवसायी ने 2011-12 के दौरान वास्तव में कार्य संविदा के निष्पादन के लिए मेसर्स एच के सिंह को ₹ 32.04 लाख का भुगतान किया था लेकिन संवेदक ने अपने विवरणी में शून्य आवर्त दर्शाया था जिस पर कर निर्धारण सम्पन्न किया गया था।
15	रांची दक्षिणी	रांची डेवलपर्स (प्रा.) लि./ 20510105637	2011-12	21.55	0.00	21.55	14	3.02	6.04	9.06	हमने रांची दक्षिणी अंचल में निबंधित **मेसर्स एच.एस.सी.एल.** के अभिलेखों से तिर्यक जांच किया और पाया कि उपरोक्त व्यवसायी ने 2011-12 के दौरान वास्तव में कार्य संविदा के निष्पादन के लिए मेसर्स रांची डेभलपर्स

परिशिष्ट-II (प्रतिवेदन की कंडिका संख्या 2.3.7.1 में उल्लिखित)

वाणिज्यकर विभाग में संचालित तिर्यक-जांच के परिणाम

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	अंचल का नाम	व्यवसायी कानाम (मेसर्स)/टीन	अवधि	वास्तविक आवर्त	लेखापित आवर्त	छिपाव	कर की दर (%)	देय कर	धारा 37(6) के अधीन भुगतेय अर्थदंड	कुल आरोप्य कर और अर्थदंड	अभ्युक्ति
											प्रा लिमिटेड को ₹ 21.55 लाख का भुगतान किया था लेकिन संवेदक ने अपने विवरणी में शून्य आवर्त दर्शाया था जिस पर कर सम्पन्न किया गया था।
16	रांची दक्षिणी	अनामिका इंजीनियर्स / 20490105789	2011-12	96.67	0.00	96.67	14	13.53	27.06	40.59	हमने रांची दक्षिणी अंचल में निबंधित **मेसर्स एचएससीएल** के अभिलेखों से तिर्यक जांच किया और पाया कि उपरोक्त व्यवसायी ने 2011-12 के दौरान वास्तव में कार्य संविदा के निष्पादन के लिए मेसर्स अनामिका इंजीनियर्स को ₹ 96.67 लाख का भुगतान किया था लेकिन संवेदक ने अपने विवरणी में शून्य आवर्त दर्शाया था जिस पर कर सम्पन्न किया गया था।
17	रांची दक्षिणी	कृष्णा कंस्ट्रक्शन / 20030105308	2011-12	12.17	0.00	12.17	14	1.70	3.40	5.10	हमने रांची दक्षिणी अंचल में निबंधित एक व्यवसायी **मेसर्स एचएससीएल** के अभिलेख से तिर्यक जांच किया और पाया कि व्यवसायी ने 2011-12 के दौरान वास्तव में कार्य संविदा के निष्पादन के लिए मेसर्स कृष्णा कंस्ट्रक्सन को ₹12.17 लाख का भुगतान किया था लेकिन संवेदक ने अपने विवरणी में शून्य आवर्त दर्शाया था जिस पर कर निर्धारण सम्पन्न किया गया था।
18	रांची दक्षिणी	क्रीसेंट कंस्ट्रक्शन कं./ 20450105317	2011-12	85.32	0.00	85.32	14	11.94	23.88	35.82	हमने रांची दक्षिणी अंचल में निबंधित **मेसर्स एच.एस.सी.एल.** के अभिलेखों से तिर्यक जांच किया और पाया कि व्यवसायी ने 2011-12 के दौरान

परिशिष्ट-II (प्रतिवेदन की कंडिका संख्या 2.3.7.1 में उल्लिखित)

वाणिज्यकर विभाग में संचालित तिर्यक-जांच के परिणाम

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	अंचल का नाम	व्यवसायी कानाम (मेसर्स)/टीन	अवधि	वास्तविक आवर्त	लेखापित आवर्त	छिपाव	कर की दर (%)	देय कर	धारा 37(6) के अधीन भुगतेय अर्थदंड	कुल आरोप्य कर और अर्थदंड	अभ्युक्ति
											वास्तव में कार्य संविदा के निष्पादन के लिए मेसर्स क्रेसेंट कंस्ट्रक्सन कंपनी को ₹ 85.32 लाख का भुगतान किया था लेकिन संवेदक ने अपने विवरणी में शून्य आवर्त दर्शाया था जिस पर कर निर्धारण सम्पन्न किया गया था।
19	रांची दक्षिणी	सर्वोदय कंस्ट्रक्सन / 20170105311	2011-12	9.59	0.00	9.59	14	1.34	2.68	4.02	हमने रांची दक्षिणी अंचल में निबंधित एक व्यवसायी **मेसर्स एच.एस.सी.एल.** के अभिलेखों से तिर्यक जांच किया और पाया कि व्यवसायी ने 2011-12 के दौरान वास्तव में कार्य संविदा के निष्पादन के लिए मेसर्स सर्वोदय कंस्ट्रक्सन को ₹9.59 लाख का भुगतान किया था लेकिन संवेदक ने अपने विवरणी में शून्य आवर्त दर्शाया था जिस पर कर निर्धारण सम्पन्न किया गया था।।
20	रांची दक्षिणी	एसोसिएटेड ट्रांसरेल स्ट्रक्चर्स लिमिटेड./ 20510101439	2010-11	2,261.27	0.00	2,261.27	12.5	282.66	565.32	847.98	हमने रांची दक्षिणी अंचल में निबंधित **मेसर्स आर.जी.जी.वी.वाई.-डी.वी.सी.-जे.एस.ई.बी.** के अभिलेखों से तिर्यक जांच किया और पाया कि व्यवसायी ने 2010-11 के दौरान वास्तव में कार्य संविदा के निष्पादन के लिए मेसर्स एसोसिएटेड ट्रांसरेल स्ट्रक्चर्स लिमिटेड को ₹22.61 करोड़ का भुगतान किया था लेकिन संवेदक ने अपने विवरणी में शून्य आवर्त दर्शाया था जिस पर कर निर्धारण सम्पन्न किया गया।
21	रांची दक्षिणी	उर्मिला इन्टरप्राइजेज/ 20350100460	2011-12	154.19	129.64	24.55	14	3.44	6.88	10.32	हमने कर निर्धारण अभिलेख से यह पाया कि व्यवसायी ने कार्य संविदा के निष्पादन के लिए **मेसर्स एन.पी.सी.सी. और एन.बी.सी.सी.** से ₹ 1.30 करोड़ कि प्राप्ति दर्शायी थी जिस पर कर निर्धारण को सम्पन्न किया

परिशिष्ट-II (प्रतिवेदन की कंडिका संख्या 2.3.7.1 में उल्लिखित)

वाणिज्यकर विभाग में संचालित तिर्यक-जांच के परिणाम

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	अंचल का नाम	व्यवसायी कानाम (मेसर्स)/टीन	अवधि	वास्तविक आवर्त	लेखापित आवर्त	छिपाव	कर की दर (%)	देय कर	धारा 37(6) के अधीन भुगतेय अर्थदंड	कुल आरोप्य कर और अर्थदंड	अभ्युक्ति
											गया था। हालांकि, हमारे तिर्यक जांच से यह पता चला कि व्यवसायी ने वास्तव में मेसर्स एनबीसीसी (₹1.41 करोड़) और मेसर्स एन.पी.सी.सी. (₹ 12.71 लाख) से ₹ 1.54 करोड़ का भुगतान प्राप्त किया था।
22	रांची दक्षिणी	सतचंडी कंस्ट्रक्सन प्रा लिमिटेड/ 20910100152	2011-12	126.35	0.00	126.35	14	17.69	35.38	53.07	हमने रांची दक्षिणी अंचल में निबंधित **मेसर्स एन.पी.सी.सी.** के अभिलेखों से तिर्यक जांच किया और पाया कि व्यवसायी ने 2011-12 के दौरान वास्तव में कार्य संविदा के निष्पादन के लिए मेसर्स सतचंडी कंस्ट्रक्सन (प्रा) लिमिटेड को ₹ 1.26 करोड़ का भुगतान किया था लेकिन संवेदक ने अपने विवरणी में शून्य आवर्त दर्शाया था जिस पर कर सम्पन्न किया गया।
23	रांची दक्षिणी	संदीप सिविल इंजीनियरिंग/ 20660105758	2011-12	69.23	0.00	69.23	14	9.69	19.38	29.07	हमने रांची पूर्वी अंचल में निबंधित **मेसर्स एन.बी.सी.सी.** के अभिलेखों से तिर्यक जांच किया और पाया कि व्यवसायी ने 2011-12 के दौरान वास्तव में कार्य संविदा के निष्पादन के लिए मेसर्स संदीप सिविल इंजीनियरिंग को ₹ 69.23 लाख का भुगतान किया था लेकिन संवेदक ने अपने विवरणी में शून्य आवर्त दर्शाया था जिस पर कर निर्धारण सम्पन्न किया गया।
24	रांची दक्षिणी	के इ सि इंटरनेशनल लिमिटेड/ 20870105908	2011-12	1,628.11	1,376.14	251.97	14	35.28	70.56	105.84	कर निर्धारण अभिलेखों के तिर्यक जांच से पता चला कि व्यवसायी ने वास्तव में कार्य संविदा के निष्पादन के लिए **मेसर्स जे.एस.ई.बी.** से ₹ 12.52 करोड़ और **मेसर्स पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया** से ₹ 3.76

परिशिष्ट-II (प्रतिवेदन की कंडिका संख्या 2.3.7.1 में उल्लिखित)

वाणिज्यकर विभाग में संचालित तिर्यक-जांच के परिणाम

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	अंचल का नाम	व्यवसायी कानाम (मेसर्स)/टीन	अवधि	वास्तविक आवर्त	लेखापित आवर्त	छिपाव	कर की दर (%)	देय कर	धारा 37(6) के अधीन भुगतेय अर्थदंड	कुल आरोप्य कर और अर्थदंड	अभ्युक्ति
											करोड़ का भुगतान प्राप्त किया था, लेकिन व्यवसायी ने कार्य संविदा का आवर्त केवल ₹ 13.76 करोड़ दिखाया था जिस पर कर निर्धारण सम्पन्न किया गया।
25	रांची दक्षिणी	संजीव कुमार / 20180106690	2011-12	35.65	0.00	35.65	14	4.99	9.98	14.97	कर निर्धारण अभिलेखों के तिर्यक जांच से पता चला कि व्यवसायी ने वास्तव में कार्य संविदा के निष्पादन के लिए **मेसर्स एन.पी.सी.सी.** से ₹ 35.65 लाख का भुगतान प्राप्त किया था, लेकिन व्यवसायी ने कार्य संविदा का आवर्त शून्य दिखाया था जिस पर कर निर्धारण सम्पन्न किया गया।
26	झरिया	बीसीसीएल, ईजे, सुदामडीह/ 20821800757	2011-12	16,322.39	14,372.16	1,950.23	5	97.51	195.02	292.53	कर निर्धारण अभिलेखों का तिर्यक जांच से पता चला कि व्यवसायी ने वास्तव में **मेसर्स बी.सी.सी.एल., ईजे एरिया, भोवरा और मेसर्स बी.सी.सी.एल., बस्ताकोला एरिया-IX** से झा.मू.व.क.- 506 के छह घोषणाओं के बल पर ₹ 163.22 करोड़ का माल (कोयला) प्राप्त किया था, लेकिन व्यवसायी ने केवल ₹ 143.72 करोड़ के स्टॉक प्राप्ति को ही लेखाबद्ध किया था जिस पर कर निर्धारण संपन्न किया गया था।
27	धनबाद नागरीय	बीसीसीएल, पाथरडीह कोल वाशरी / 20741601951	2011-12	3,703.25	2,775.78	927.47	5	46.37	92.74	139.11	अभिलेखों के तिर्यक जांच से पता चला कि व्यवसायी नें वास्तव में झा.मू.व.क.- 506 में दो घोषणाओं के बल पर **मेसर्स बी.सी.सी.एल., लोदना क्षेत्र-X और मेसर्स बी.सी.सी.एल., बस्ताकोला क्षेत्र-IX** से ₹ 37.03 करोड़ मूल्य

परिशिष्ट-II (प्रतिवेदन की कंडिका संख्या 2.3.7.1 में उल्लिखित)

वाणिज्यकर विभाग में संचालित तिर्यक-जांच के परिणाम

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	अंचल का नाम	व्यवसायी कानाम (मेसर्स)/टीन	अवधि	वास्तविक आवर्त	लेखापित आवर्त	छिपाव	कर की दर (%)	देय कर	धारा 37(6) के अधीन भुगतेय अर्थदंड	कुल आरोप्य कर और अर्थदंड	अभ्युक्ति
											के माल (कोयला) प्राप्त किया था लेकिन व्यवसायी नें केवल ₹ 27.76 करोड़ रुपये के स्टॉक प्राप्ति को लेखाबद्ध किया था जिस पर कर निर्धारण संपन्न किया गया।
28	जमशेदपुर	भारतीय स्टील एंड वायर प्रॉडक्ट लिमिटेड/ 20670802758	2010-11	41.76	0.00	41.76	4	1.67	3.34	5.01	अभिलेखों के तिर्यक जांच से पता चला कि व्यवसायी नें वास्तव में उसी अंचल में निबंधित **मेसर्स जेमको** से झा.मू.व.क.- 506 के बल पर ₹ 41.76 लाख रु का माल (लौह और इस्पात) प्राप्त किया था लेकिन व्यवसायी नें अपने व्यापार और विनिर्माण लेखा, में उस राशि को लेखाबद्ध नहीं किया, जिस पर कर निर्धारण संपन्न किया गया।
29	पलामू	राम कमल कंस्ट्रक्सन प्रा लिमिटेड/ 20490505623	2011-12	86.10	11.84	74.26	14	10.40	20.80	31.20	संवेदक नें वास्तव में कार्य संविदा के निष्पादन के लिए **मेसर्स एन.बी.सी.सी.** रांची से ₹ 74.26 लाख और जि.शि.अ. सह जि.प.प., सर्व शिक्षा अभियान गढ़वा से ₹ 11.84 लाख का सकल भुगतान प्राप्त किया था, लेकिन व्यवसायी नें केवल ₹ 11.84 लाख सकल आवर्त दिखाया था जिस पर कर निर्धारण संपन्न किया गया था ।
30	पलामू	अजय कुमार / 20390505898	2011-12	12.93	0.00	12.93	14	1.81	3.62	5.43	संवेदक नें वास्तव में कार्य संविदा के निष्पादन के लिए **मेसर्स एन.पी.सी.सी.** रांची से ₹ 12.93 लाख का सकल भुगतान प्राप्त किया था, लेकिन व्यवसायी नें अपना सकल आवर्त शून्य दाखिल किया था जिस पर कर निर्धारण संपन्न किया गया था ।

परिशिष्ट-II (प्रतिवेदन की कंडिका संख्या 2.3.7.1 में उल्लिखित)

वाणिज्यकर विभाग में संचालित तिर्यक-जांच के परिणाम

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	अंचल का नाम	व्यवसायी कानाम (मेसर्स)/टीन	अवधि	वास्तविक आवर्त	लेखापित आवर्त	छिपाव	कर की दर (%)	देय कर	धारा 37(6) के अधीन भुगतेय अर्थदंड	कुल आरोप्य कर और अर्थदंड	अभ्युक्ति
31	आदित्यपुर	पुष्कर टेक्नो प्रा लिमिटेड/ 20930900585	2011-12	995.31	769.31	226.00	12.5	28.25	56.50	84.75	अभिलेखों के तिर्यक जांच से यह पता चला कि व्यवसायी नें 12.5% की दर से कर योग्य, ₹ 9.95 करोड़ का माल (मोटर्स पार्ट्स) **मेसर्स टाटा मोटर्स (टिन -20480800001)** को बिक्री की जिस पर मेसर्स टाटा मोटर्स को आईटीसी की स्वीकृति प्रदान की गयी, लेकिन व्यवसायी नें अपने खातें में बिक्री आवर्त ₹ 7.69 करोड़ (12.5% की दर से कर योग्य) ही दिखाया था जिस पर कर निर्धारण संपन्न किया गया ।
32	धनबाद	स्टर्लिंग और विल्सन इलैक्ट्रिकल लिमिटेड/20561705175	2011-12	141.16	55.45	85.71	14	12.00	24.00	36.00	व्यवसायी ने रांची दक्षिणी वाणिज्य कर अंचल में निबंधित **मेसर्स डी.वी.सी.**, से कार्य संविदा के निष्पादन के लिए ₹ 1.41 करोड़ का भुगतान प्राप्त किया था लेकिन ₹55.45 लाख को ही लेखाबद्ध किया जिस पर कर निर्धारण संपन्न किया गया था।
33	कतरास	बीसीसीएल वेस्टर्न वाशरी जोन महुदा / 20811500790	2011-12	8,386.19	0.00	8,386.19	5	419.31	838.62	1,257.93	व्यवसायी नें माल (कोयला) कि कोई स्टॉक प्राप्ति नहीं दर्शाया था जिसपर कर निर्धारण संपन्न किया गया था । हालांकि, **मेसर्स बी.सी.सी.एल., एरिया- III, गोविंदपुर और बी.सी.सी.एल., एरिया-IV कतरास** के अभिलेखों कि तिर्यक जाँच से पता चला कि ऊपरोक्त दो व्यवसायियों नें बी.सी.सी.एल., डब्लू.डब्लू.जेड. महुदा कोल वाशरी द्वारा जारी किए गए "प्रपत्र झा.मू.व.क.-506" के दो घोषणाओं के बल पर ₹ 83.86 करोड़ मूल्य के सामान का भण्डार अन्तरण दिखाया था।

परिशिष्ट-II (प्रतिवेदन की कंडिका संख्या 2.3.7.1 में उल्लिखित)

वाणिज्यकर विभाग में संचालित तिर्यक-जांच के परिणाम

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	अंचल का नाम	व्यवसायी कानाम (मेसर्स)/टीन	अवधि	वास्तविक आवर्त	लेखापित आवर्त	छिपाव	कर की दर (%)	देय कर	धारा 37(6) के अधीन भुगतेय अर्थदंड	कुल आरोप्य कर और अर्थदंड	अभ्युक्ति
34	कतरास	बीसीसीएल मधुबन कोल वाशरी / 20401500773	2011-12	13,046.27	11,654.93	1,391.34	5	69.57	139.14	208.71	तीन व्यावसायियों अर्थात् **मेसर्स बी.सी.सी.एल., एरिया-I, बरोरा, मेसर्स बी.सी.सी.एल., एरिया-II, कतरास और मेसर्स बी.सी.सी.एल., एरिया -IV, कतरास** के कर निर्धारण अभिलेखों से यह देखा गया कि उपरोक्त व्यावसायियों ने तीन नग घोषणा प्रपत्रों झा.मू.व.क.-506 के बल पर **मेसर्स बी.सी.सी.एल., मधुबन कोल वाशरी** को ₹ 130.46 करोड़ के माल (कोयला) का भण्डार अंतरण दिखाया था । हालांकि, हमारे तिर्यक जाँच से पता चला कि व्यवसायी (मेसर्स बीसीसीएल, मधुबन कोल वाशरी) ने केवल ₹ 116.55 करोड़ कि भण्डार प्राप्ति ही दिखाया था।
35	तेनूघाट	बीएचईएल, बोकारो थर्मल पावर स्टेशन / 20352205642	2011-12	1,560.02	1,158.53	401.49	14	56.21	112.42	168.63	मेसर्स प्रसाद एंड कंपनी के अभिलेखों कि तिर्यक जाँच उसी अंचल में निबंधित व्यवसायी (**मेसर्स भेल, बी.टी.पी.एस.**) के अभिलेखों के साथ करने पर पता चला कि व्यवसायी ने 2011-12 के दौरान कार्य संविदा के निष्पादन हेतु व्यवसायी मेसर्स प्रसाद एंड कंपनी को ₹ 11.58 करोड़ का भुगतान दिखाया गया था जिस पर कर निर्धारण को संपन्न किया गया । हालांकि, मेसर्स प्रसाद एंड कंपनी नें व्यवसायी से ₹ 15.60 करोड़ की प्राप्ति दिखाई थी।

परिशिष्ट-II (प्रतिवेदन की कंडिका संख्या 2.3.7.1 में उल्लिखित)

वाणिज्यकर विभाग में संचालित तिर्यक-जांच के परिणाम

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	अंचल का नाम	व्यवसायी कानाम (मेसर्स)/टीन	अवधि	वास्तविक आवर्त	लेखापित आवर्त	छिपाव	कर की दर (%)	देय कर	धारा 37(6) के अधीन भुगतेय अर्थदंड	कुल आरोप्य कर और अर्थदंड	अभ्युक्ति
36	तेनूघाट	जैन इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड / 20812205347	2011-12	376.86	0.00	376.86	14	52.76	105.52	158.28	हमनें रांची पूर्वी अंचल में निबंधित **मेसर्स एन.बी.सी.सी.** के अभिलेखों से तिर्यक जाँच किया और पाया कि संवेदक नें 2011-12 के दौरान मेसर्स जैन इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड को कार्य संविदा के निष्पादन हेतु ₹ 3.77 करोड़ का भुगतान किया था, लेकिन संवेदक ने अपनी विवरणी में आवर्त शून्य दर्शाया था जिस पर कर निर्धारण संपन्न किया गया था।
37	तेनूघाट	एसएनसी पावर कारपोरेशन / 20432200757	2011-12	257.63	0.00	257.63	14	36.07	72.14	108.21	हमनें रांची पूर्वी अंचल में निबंधित **मेसर्स एन.बी.सी.सी.** के अभिलेखों से तिर्यक जाँच किया और पाया कि संवेदक नें 2011-12 के दौरान मेसर्स एस एन सी पावर कारपोरेशन को कार्य संविदा के निष्पादन हेतु ₹ 2.58 करोड़ का भुगतान किया था, लेकिन संवेदक ने अपनी विवरणी में अपना आवर्त शून्य दर्शाया था जिस पर कर निर्धारण संपन्न किया गया था।
38	तेनूघाट	हरजी इंजीनियरिंग वर्क्स प्रा लिमिटेड / 20072200761	2011-12	187.91	0.00	187.91	14	26.31	52.62	78.93	हमनें रांची पूर्वी अंचल में निबंधित **मेसर्स एन.बी.सी.सी.** के अभिलेखों से तिर्यक जाँच किया और पाया कि संवेदक नें 2011-12 के दौरान मेसर्स हरजि इंजीनियरिंग प्रा. लिमिटेड को कार्य संविदा के निष्पादन हेतु ₹ 1.88 करोड़ का भुगतान किया था, लेकिन संवेदक ने अपनी विवरणी में आवर्त शून्य दर्शाया था जिस पर कर निर्धारण संपन्न किया गया था।
39	रांची विशेष	अभय टेली इंजीनियरिंग प्रा	2011-12	321.73	266.11	55.62	14	7.79	15.58	23.37	हमनें **मेसर्स एन.बी.सी.सी. और मेसर्स एन.पी.सी.सी.** के अभिलेखों से तिर्यक जाँच किया और पाया कि संवेदकों नें 2011-12 के दौरान मेसर्स

परिशिष्ट-II (प्रतिवेदन की कंडिका संख्या 2.3.7.1 में उल्लिखित)

वाणिज्यकर विभाग में संचालित तिर्यक-जांच के परिणाम

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	अंचल का नाम	व्यवसायी कानाम (मेसर्स)/टीन	अवधि	वास्तविक आवर्त	लेखापित आवर्त	छिपाव	कर की दर (%)	देय कर	धारा 37(6) के अधीन भुगतेय अर्थदंड	कुल आरोप्य कर और अर्थदंड	अभ्युक्ति
		लिमिटेड/ 20900405216									अभय टेली इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड को कार्य संविदा के निष्पादन हेतु ₹ 3.22 करोड़ का भुगतान किया था, लेकिन संवेदक ने सकल आवर्त केवल ₹ 2.66 करोड़ रुपये दर्शाया।
40	रांची विशेष	बिजय नारायण कंस्ट्रक्सन / 20500405346	2011-12	35.20	0.00	35.20	14	4.93	9.86	14.79	हमनें रांची दक्षिणी अंचल में निबंधित **मेसर्स एन.पी.सी.सी.** के अभिलेखों से तिर्यक जाँच किया और पाया कि संवेदक नें 2011-12 के दौरान मेसर्स बिजय नारायण कंस्ट्रक्सन को कार्य संविदा के निष्पादन हेतु ₹ 35.20 लाख का भुगतान किया था, लेकिन संवेदक ने 2011-12 में सकल आवर्त शून्य दर्शाया।
41	रांची विशेष	साई अनंत इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड/ 20010406548	2011-12	91.77	83.43	8.34	14	1.17	2.34	3.51	हमनें रांची दक्षिणी वाणिज्य कर अंचल में निबंधित **मेसर्स एन.पी.सी.सी.** के अभिलेखों का तिर्यक जांच किया और पाया कि संवेदक नें 2011-12 के दौरान कार्य संविदा के सम्पादन के लिए साई अनंत इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड को ₹ 91.77 लाख का भुगतान किया था, लेकिन संवेदक नें 2011-12 के दौरान केवल ₹ 83.43 लाख ही सकल आवर्त दिखाया था।

परिशिष्ट-II (प्रतिवेदन की कंडिका संख्या 2.3.7.1 में उल्लिखित)

वाणिज्यकर विभाग में संचालित तिर्यक-जांच के परिणाम

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	अंचल का नाम	व्यवसायी कानाम (मेसर्स)/टीन	अवधि	वास्तविक आवर्त	लेखापित आवर्त	छिपाव	कर की दर (%)	देय कर	धारा 37(6) के अधीन भुगतेय अर्थदंड	कुल आरोप्य कर और अर्थदंड	अभ्युक्ति
42	रांची विशेष	श्री अनंत इन्फ्रास्ट्रक्चर / 20240406546	2011-12	716.21	529.77	186.44	14	26.10	52.20	78.30	हमने रांची दक्षिणी अंचल मे निबंधित **मेसर्स एन.पी.सी.सी.** के अभिलेखों का तिर्यक जांच किया और पाया कि व्यवसायी ने 2011-12 के दौरान वास्तव में कार्य संविदा के निष्पादन के लिए मेसर्स अनंत इन्फ्रास्ट्रक्चर को ₹ 7.16 करोड़ का भुगतान किया था, लेकिन व्यवसायी ने सकल आवर्त केवल ₹ 5.30 करोड़ दिखाया था।
	कुल			**69,348.93**	**45,057.89**	**24,291.04**		**1,705.65**	**3,411.30**	**5,116.95**	

परिशिष्ट-III (प्रतिवेदन की कंडिका संख्या 2.3.7.2 में उल्लिखित)

झारखंड सरकार के अन्य विभागों से संचालित तिर्यक जांच के परिणाम

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	अंचल का नाम	व्यवसायी कानाम (मेसर्स)/टीन	अवधि	वास्तविक आवर्त	लेखापित आवर्त	छिपाव	कर की दर (%)	देय कर	धारा 37(6) के अधीन भुगतेय अर्थदंड	कुल आरोप्य कर और अर्थदंड	अभ्युक्ति
1	गुमला	अम्बर कंस्ट्रक्शन/ 20410605268	2010-11	60.69	0.00	60.69	12.5	7.59	15.18	22.77	हमनें ग्रा.वि.वि.प्र. गुमला से कार्य संविदा के निष्पादन हेतु भुगतान के आंकड़ों को प्राप्त किया और पाया कि संवेदक नें 2010-11 के दौरान कार्य संविदा के निष्पादन हेतु ₹ 60.69 लाख का भुगतान प्राप्त किया था, लेकिन संवेदक ने अपनी विवरणी में आवर्त शून्य दर्शाया था जिस पर कर निर्धारण संपन्न किया गया था।
2	गुमला	अम्बर कंस्ट्रक्शन/ 20410605268	2011-12	10.23	0.00	10.23	14	1.43	2.86	4.29	हमनें प.नि.वि./ग्रा.वि.वि.प्र. गुमला से कार्य संविदा के निष्पादन के लिए भुगतान के आंकड़ों को प्राप्त किया और पाया कि संवेदक ने 2011-12 के दौरान ₹10.23 लाख का भुगतान प्राप्त किया था लेकिन संवेदक ने अपनी विवरणी में आवर्त शून्य दर्शाया था जिस पर कर निर्धारण संपन्न किया गया था।
3	गुमला	अशोक कुमार सिंह/ 20520600256	2010-11	14.33	0.00	14.33	12.5	1.79	3.58	5.37	हमनें प.नि.वि./ग्रा.अ.सं. गुमला से कार्य संविदा के निष्पादन के लिए भुगतान के आंकड़ों को प्राप्त किया और पाया कि संवेदक 2010-11 के दौरान ₹14.33 लाख का भुगतान प्राप्त किया था लेकिन संवेदक द्वारा प्रस्तुत विवरणी में आवर्त शून्य दर्शाया था जिस पर कर निर्धारण संपन्न किया गया था।
4	गुमला	अशोक कुमार सिंह/	2011-12	62.67	0.00	62.67	14	8.77	17.54	26.31	हमनें प.नि.वि./ग्रा.अ.सं. गुमला से कार्य संविदा के निष्पादन के लिए भुगतान के आंकड़ों को प्राप्त किया और पाया कि संवेदक

परिशिष्ट-III (प्रतिवेदन की कंडिका संख्या 2.3.7.2 में उल्लिखित)

झारखंड सरकार के अन्य विभागों से संचालित तिर्यक जांच के परिणाम

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	अंचल का नाम	व्यवसायी कानाम (मेसर्स)/टीन	अवधि	वास्तविक आवर्त	लेखापित आवर्त	छिपाव	कर की दर (%)	देय कर	धारा 37(6) के अधीन भुगतेय अर्थदंड	कुल आरोप्य कर और अर्थदंड	अभ्युक्ति
		20520600256									2011-12 के दौरान ₹62.67 लाख का भुगतान प्राप्त किया था लेकिन संवेदक द्वारा प्रस्तुत विवरणी में आवर्त शून्य दर्शाया था जिस पर कर निर्धारण संपन्न किया गया था।
5	गुमला	देवदत्त भारती / 20750605594	2011-12	18.09	0.00	18.09	14	2.53	5.06	7.59	हमनें प.नि.वि./ग्रा.अ.सं. गुमला से कार्य संविदा के निष्पादन के लिए भुगतान के आंकड़ों को प्राप्त किया और पाया कि संवेदक 2011-12 के दौरान ₹18.09 लाख का भुगतान प्राप्त किया था लेकिन संवेदक द्वारा प्रस्तुत विवरणी में आवर्त शून्य दर्शाया था जिस पर कर निर्धारण संपन्न किया गया था।
6	गुमला	धीरेंद्र कुमार / 20050605288	2011-12	8.99	0.00	8.99	14	1.26	2.52	3.78	हमनें प.नि.वि. गुमला से कार्य संविदा के निष्पादन के लिए भुगतान के आंकड़ों को प्राप्त किया और पाया कि संवेदक 2011-12 के दौरान ₹ 8.99 लाख का भुगतान प्राप्त किया था लेकिन संवेदक द्वारा प्रस्तुत विवरणी में आवर्त शून्य दर्शाया था जिस पर कर निर्धारण संपन्न किया गया था।

परिशिष्ट-III (प्रतिवेदन की कंडिका संख्या 2.3.7.2 में उल्लिखित)

झारखंड सरकार के अन्य विभागों से संचालित तिर्यक जांच के परिणाम

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	अंचल का नाम	व्यवसायी कानाम (मेसर्स)/टीन	अवधि	वास्तविक आवर्त	लेखापित आवर्त	छिपाव	कर की दर (%)	देय कर	धारा 37(6) के अधीन भुगतेय अर्थदंड	कुल आरोप्य कर और अर्थदंड	अभ्युक्ति
7	गुमला	सौरव कंस्ट्रक्शन / 20430605601	2011-12	36.13	0.00	36.13	14	5.06	10.12	15.18	हमनें प.नि.वि. गुमला से कार्य संविदा के निष्पादन के लिए भुगतान के आंकड़ों को प्राप्त किया और पाया कि संवेदक 2011-12 के दौरान ₹36.13 लाख का भुगतान प्राप्त किया था लेकिन संवेदक द्वारा प्रस्तुत विवरणी में आवर्त शून्य दर्शाया था जिस पर कर निर्धारण संपन्न किया गया था।
8	गुमला	यमुना प्रसाद साहू / 20350605627	2011-12	4.11	1.79	2.32	12.5	0.29	0.58	0.87	हमने ग्रा.वि.वि.प्र. गुमला से कार्य संविदा के निष्पादन के लिए भुगतान के आंकड़ों को प्राप्त किया और पाया कि संवेदक ने 2011-12 के दौरान ₹4.11 लाख का भुगतान प्राप्त किया था लेकिन संवेदक द्वारा प्रस्तुत विवरणी में आवर्त ₹1.79 लाख दर्शाया था जिस पर कर निर्धारण संपन्न किया गया था।
9	गुमला	आरएम कंस्ट्रक्शन / 20140605574	2010-11	59.02	0.00	59.02	12.5	7.38	14.76	22.14	हमने ग्रा.वि.वि.प्र.गुमला/एनबीसीसी, रांची से कार्य संविदा के निष्पादन के विरुद्ध भुगतान के आंकड़ों को प्राप्त किया और पाया कि संवेदक ने 2010-11 के दौरान ₹ 59.02 लाख का भुगतान प्राप्त किया था लेकिन संवेदक द्वारा प्रस्तुत विवरणी में आवर्त शून्य दर्शाया था जिस पर कर निर्धारण संपन्न किया गया था।
10	गुमला	आरएम कंस्ट्रक्शन / 20140605574	2011-12	141.38	0.00	141.38	14	19.79	39.58	59.37	हमने ग्रा.वि.वि.प्र.गुमला/एनबीसीसी, रांची से कार्य संविदा के निष्पादन के विरुद्ध भुगतान के आंकड़ों को प्राप्त किया और पाया कि संवेदक ने 2011-12 के दौरान ₹ 1.41 करोड़ का भुगतान प्राप्त

परिशिष्ट-III (प्रतिवेदन की कंडिका संख्या 2.3.7.2 में उल्लिखित)

झारखंड सरकार के अन्य विभागों से संचालित तिर्यक जांच के परिणाम

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	अंचल का नाम	व्यवसायी कानाम (मेसर्स)/टीन	अवधि	वास्तविक आवर्त	लेखापित आवर्त	छिपाव	कर की दर (%)	देय कर	धारा 37(6) के अधीन भुगतेय अर्थदंड	कुल आरोप्य कर और अर्थदंड	अभ्युक्ति
											किया था लेकिन संवेदक द्वारा प्रस्तुत विवरणी में आवर्त शून्य दर्शाया था जिस पर कर निर्धारण अन्तिम रूप से संपन्न किया गया था।
11	गुमला	नागेशर ओहदार / 20120608407	2010-11	7.01	0.00	7.01	14	0.98	1.96	2.94	हमने ग्रा.वि.वि.प्र. गुमला से कार्य संविदा के निष्पादन के विरुद्ध भुगतान के आंकड़ों को प्राप्त किया और पाया कि संवेदक ने 2010-11 के दौरान ₹ 7.01 लाख का भुगतान प्राप्त किया था लेकिन संवेदक द्वारा प्रस्तुत विवरणी में आवर्त शून्य दर्शाया था जिस पर कर निर्धारण संपन्न किया गया था।
12	रांची दक्षिणी	जेएसईबी / 20330105162	2010-11	14,767.13	3,301.21	11,465.92	12.5	1,433.24	2,866.48	4,299.72	हमने जेबीवीएनएल से कार्य संविदा के निष्पादन के विरुद्ध भुगतान के आंकड़ों को प्राप्त किया और पाया कि संवेदक ने 2010-11 के दौरान ₹147.67 करोड़ का भुगतान प्राप्त किया था लेकिन संवेदक द्वारा प्रस्तुत विवरणी मे अपना आवर्त ₹33.01 करोड़ दर्शाया जिस पर कर निर्धारण संपन्न किया गया था।

परिशिष्ट-III (प्रतिवेदन की कंडिका संख्या 2.3.7.2 में उल्लिखित)

झारखंड सरकार के अन्य विभागों से संचालित तिर्यक जांच के परिणाम

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	अंचल का नाम	व्यवसायी कानाम (मेसर्स)/टीन	अवधि	वास्तविक आवर्त	लेखापित आवर्त	छिपाव	कर की दर (%)	देय कर	धारा 37(6) के अधीन भुगतेय अर्थदंड	कुल आरोप्य कर और अर्थदंड	अभ्युक्ति
13	रांची दक्षिणी	जेएसईबी / 20330105162	2011-12	10,101.24	0.00	10,101.24	14	1,414.17	2,828.34	4,242.51	हमने जेबीवीएनएल से कार्य संविदा के निष्पादन के विरुद्ध भुगतान के आंकड़ों को प्राप्त किया और पाया कि संवेदक ने 2011-12 के दौरान ₹101.01 करोड़ का भुगतान प्राप्त किया था लेकिन संवेदक द्वारा प्रस्तुत विवरणी में आवर्त शून्य दर्शाया था जिस पर कर निर्धारण संपन्न किया गया था।
14	रांची दक्षिणी	कार्ल्सबर्ग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड/ 20610106526	2011-12	912.29	659.18	253.11	50	126.55	253.10	379.65	**उत्पाद एवं मध निषेध विभाग, झारखंड** के द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, भण्डार प्राप्ति + आयात शुल्क + उत्पाद शुल्क + लाइसेंस शुल्क ₹ 9.12 करोड़ था लेकिन व्यवसायी नें केवल ₹ 6.59 करोड़ लेखाबद्ध किया जिस पर कर निर्धारण सम्पन्न हुआ।
15	रांची पूर्वी	बकार्डी मार्टिनी इण्डिया लिमिटेड/ 20590200238	2010-11	35.67	3.64	32.03	50	16.02	32.04	48.06	**उत्पाद एवं मध निषेध विभाग, झारखंड** से प्राप्त जानकारी से पता चला कि व्यवसायी नें ₹35.67 लाख का उत्पाद शुल्क, आयात शुल्क और लाइसेंस शुल्क का भुगतान किया था लेकिन व्यवसायी नें उपरोक्त भुगतान को केवल ₹ 3.64 लाख दर्शाया था जिस पर कर निर्धारण सम्पन्न हुआ।
16	रांची पूर्वी	बकार्डी मार्टिनी इण्डिया लिमिटेड/ 20590200238	2011-12	26.51	22.47	4.04	50	2.02	4.04	6.06	**उत्पाद एवं मध निषेध विभाग, झारखंड** से प्राप्त जानकारी से पता चला कि व्यवसायी नें ₹26.51 लाख का उत्पाद शुल्क, आयात शुल्क और लाइसेंस शुल्क का भुगतान किया था लेकिन

परिशिष्ट-III (प्रतिवेदन की कंडिका संख्या 2.3.7.2 में उल्लिखित)

झारखंड सरकार के अन्य विभागों से संचालित तिर्यक जांच के परिणाम

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	अंचल का नाम	व्यवसायी कानाम (मेसर्स)/टीन	अवधि	वास्तविक आवर्त	लेखापित आवर्त	छिपाव	कर की दर (%)	देय कर	धारा 37(6) के अधीन भुगतेय अर्थदंड	कुल आरोप्य कर और अर्थदंड	अभ्युक्ति
											व्यवसायी नें ऊपरोक्त भुगतान को केवल ₹22.47 लाख दर्शाया था जिस पर कर निर्धारण सम्पन्न हुआ।
17	रांची पूर्वी	बकार्डी मार्टिनी इण्डिया लिमिटेड/ 20590200238	2012-13	73.30	0.00	73.30	50	36.65	73.30	109.95	**उत्पाद एवं मध निषेध विभाग, झारखंड** से प्राप्त जानकारी से पता चला कि व्यवसायी नें ₹ 73.30 लाख का उत्पाद शुल्क, आयात शुल्क और लाइसेंस शुल्क का भुगतान किया था लेकिन व्यवसायी नें ऊपरोक्त भुगतान को शून्य दर्शाया था जिस पर कर निर्धारण सम्पन्न हुआ।
18	रांची विशेष	कंचन कुमारी / 20410405933	2011-12	6.50	5.33	1.17	14	0.16	0.32	0.48	हमनें भवन निर्माण विभाग, रांची द्वारा कार्य संविदा के निष्पादन के लिए संवेदकों को किए गए भुगतान के आंकड़ों को एकत्र किया जिससे पता चला कि संवेदक (मेसर्स कंचन कुमारी) नें ₹ 6.50 लाख का भुगतान प्राप्त किया था, तथापि, संवेदक नें आवधिक विवरणी के माध्यम से सकल आवर्त ₹ 5.33 लाख दिखाया था।

परिशिष्ट-III (प्रतिवेदन की कंडिका संख्या 2.3.7.2 में उल्लिखित)

झारखंड सरकार के अन्य विभागों से संचालित तिर्यक जांच के परिणाम

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	अंचल का नाम	व्यवसायी कानाम (मेसर्स)/टीन	अवधि	वास्तविक आवर्त	लेखापित आवर्त	छिपाव	कर की दर (%)	देय कर	धारा 37(6) के अधीन भुगतेय अर्थदंड	कुल आरोप्य कर और अर्थदंड	अभ्युक्ति
19	रांची विशेष	विनोद कंस्ट्रक्शन / 20390402011	2011-12	9.79	0.00	9.79	14	1.37	2.74	4.11	हमनें **भवन निर्माण विभाग, रांची** द्वारा कार्य संविदा के निष्पादन के लिए संवेदकों को किए गए भुगतान के आंकड़ों को एकत्र किया जिससे पता चला कि संवेदक (मेसर्स विनोद कंस्ट्रक्सन) नें ₹ 9.79 लाख का भुगतान प्राप्त किया था, तथापि, संवेदक नें 2011-12 के दौरान आवधिक विवरणी के माध्यम से सकल आवर्त शून्य दिखाया था।
20	रांची विशेष	मधुसूदन प्रसाद / 20790405276	2011-12	8.04	0.00	8.04	14	1.13	2.26	3.39	हमनें **भवन निर्माण विभाग, रांची** द्वारा कार्य संविदा के निष्पादन के लिए संवेदकों को किए गए भुगतान के आंकड़ों को एकत्र किया जिससे पता चला कि संवेदक (मेसर्स मधुसूदन प्रसाद) नें ₹ 8.04 लाख का भुगतान प्राप्त किया था, तथापि, संवेदक नें 2011-12 के दौरान आवधिक विवरणी के माध्यम से सकल आवर्त शून्य दिखाया था।
21	रांची विशेष	सत्य नारायण सिंह / 20880402081	2011-12	4.66	0.00	4.66	14	0.65	1.30	1.95	हमनें **भवन निर्माण विभाग, रांची** द्वारा कार्य संविदा के निष्पादन के लिए संवेदकों को किए गए भुगतान के आंकड़ों को एकत्र किया जिससे पता चला कि संवेदक (मेसर्स सत्य नारायण सिंह) नें ₹ 4.66 लाख का भुगतान प्राप्त किया था, तथापि, संवेदक नें 2011-12 के दौरान आवधिक विवरणी के माध्यम से सकल आवर्त शून्य दिखाया था।

परिशिष्ट-III (प्रतिवेदन की कंडिका संख्या 2.3.7.2 में उल्लिखित)

झारखंड सरकार के अन्य विभागों से संचालित तिर्यक जांच के परिणाम

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	अंचल का नाम	व्यवसायी कानाम (मेसर्स)/टीन	अवधि	वास्तविक आवर्त	लेखापित आवर्त	छिपाव	कर की दर (%)	देय कर	धारा 37(6) के अधीन भुगतेय अर्थदंड	कुल आरोप्य कर और अर्थदंड	अभ्युक्ति
22	रांची विशेष	तपन कुमार साहा / 20940405300	2011-12	7.17	0.00	7.17	14	1.00	2.00	3.00	हमनें **भवन निर्माण विभाग, रांची** द्वारा कार्य संविदा के निष्पादन के लिए संवेदकों को किए गए भुगतान के आंकड़ों को एकत्र किया जिससे पता चला कि संवेदक (मेसर्स तपन कुमार साहा) नें ₹ 7.17 लाख का भुगतान प्राप्त किया था, तथापि, संवेदक नें 2011-12 के दौरान आवधिक विवरणी के माध्यम से सकल आवर्त शून्य दिखाया था।
23	रांची विशेष	विक्रांत कुमार / 20340405883	2011-12	18.78	7.58	11.20	14	1.57	3.14	4.71	हमनें **भवन निर्माण विभाग, रांची** द्वारा कार्य संविदा के निष्पादन के लिए संवेदकों को किए गए भुगतान के आंकड़ों को एकत्र किया जिससे पता चला कि संवेदक (मेसर्स विक्रांत कुमार) नें ₹ 18.78 लाख का भुगतान प्राप्त किया था, तथापि, संवेदक नें 2011-12 के दौरान आवधिक विवरणी के माध्यम से सकल आवर्त ₹ 7.58 लाख दिखाया था।
24	रांची विशेष	पंकज कुमार सिंह / 20730401339	2011-12	125.20	0.00	125.20	14	17.53	35.06	52.59	हमनें **ग्रामीण कार्य विभाग, रांची** द्वारा कार्य संविदा के निष्पादन के लिए संवेदकों को किए गए भुगतान के आंकड़ों को एकत्र किया जिससे पता चला कि संवेदक (मेसर्स पंकज कुमार सिंह) नें ₹ 1.25 करोड़ का भुगतान प्राप्त किया था, तथापि, संवेदक नें 2011-12 के दौरान तथापि, संवेदक नें आवधिक विवरणी के माध्यम से सकल आवर्त शून्य दिखाया था।

परिशिष्ट-III (प्रतिवेदन की कंडिका संख्या 2.3.7.2 में उल्लिखित)

झारखंड सरकार के अन्य विभागों से संचालित तिर्यक जांच के परिणाम

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	अंचल का नाम	व्यवसायी कानाम (मेसर्स)/टीन	अवधि	वास्तविक आवर्त	लेखापित आवर्त	छिपाव	कर की दर (%)	देय कर	धारा 37(6) के अधीन भुगतेय अर्थदंड	कुल आरोप्य कर और अर्थदंड	अभ्युक्ति
25	रांची विशेष	शंभू सिंह / 20230406234	2011-12	148.60	0.00	148.60	14	20.80	41.60	62.40	हमनें **ग्रामीण कार्य विभाग, रांची और भवन निर्माण विभाग, रांची** द्वारा कार्य संविदा के निष्पादन के लिए संवेदकों को किए गए भुगतान के आंकड़ों को एकत्र किया जिससे पता चला कि संवेदक (मेसर्स शंभू सिंह) नें ₹ 1.49 करोड़ का भुगतान प्राप्त किया था, तथापि, संवेदक नें 2011-12 के दौरान आवधिक विवरणी के माध्यम से सकल आवर्त शून्य दिखाया था।
26	रांची विशेष	मनीष कंस्ट्रक्शन / 20550400953	2011-12	75.35	0.00	75.35	14	10.55	21.10	31.65	हमनें **ग्रामीण कार्य विभाग, रांची** द्वारा कार्य संविदा के निष्पादन के लिए संवेदकों को किए गए भुगतान के आंकड़ों को एकत्र किया जिससे पता चला कि संवेदक (मेसर्स मनीष कंस्ट्रक्शन) नें ₹ 75.35 लाख का भुगतान प्राप्त किया था, तथापि, संवेदक नें 2011-12 के दौरान आवधिक विवरणी के माध्यम से सकल आवर्त शून्य दिखाया था।
27	रांची विशेष	देवकी कंस्ट्रक्शन / 20240405479	2011-11	2.24	0.00	2.24	14	0.31	0.62	0.93	हमनें **भवन निर्माण विभाग, रांची** द्वारा कार्य संविदा के निष्पादन के लिए संवेदकों को किए गए भुगतान के आंकड़ों को एकत्र किया जिससे पता चला कि संवेदक (मेसर्स देवकी कंस्ट्रक्शन) नें ₹ 2.24 लाख का भुगतान प्राप्त किया था, तथापि, संवेदक नें 2011-12 के दौरान आवधिक विवरणी के माध्यम से सकल आवर्त शून्य दिखाया था।

परिशिष्ट-III (प्रतिवेदन की कंडिका संख्या 2.3.7.2 में उल्लिखित)

झारखंड सरकार के अन्य विभागों से संचालित तिर्यक जांच के परिणाम

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	अंचल का नाम	व्यवसायी कानाम (मेसर्स)/टीन	अवधि	वास्तविक आवर्त	लेखापित आवर्त	छिपाव	कर की दर (%)	देय कर	धारा 37(6) के अधीन भुगतेय अर्थदंड	कुल आरोप्य कर और अर्थदंड	अभ्युक्ति
28	रांची विशेष	राम प्रसाद सनेही / 20090402079	2011-12	13.47	0.00	13.47	14	1.89	3.78	5.67	हमनें **भवन निर्माण विभाग, रांची** द्वारा कार्य संविदा के निष्पादन के लिए संवेदकों को किए गए भुगतान के आंकड़ों को एकत्र किया जिससे पता चला कि संवेदक (मेसर्स राम सनेही प्रसाद) नें ₹ 13.47 लाख का भुगतान प्राप्त किया था, तथापि, संवेदक नें 2011-12 के दौरान आवधिक विवरणी के माध्यम से सकल आवर्त शून्य दिखाया था।
29	रांची विशेष	सुनील कुमार पांडेय / 20760405892	2011-12	8.56	0.00	8.56	14	1.20	2.40	3.60	हमनें **भवन निर्माण विभाग, रांची** द्वारा कार्य संविदा के निष्पादन के लिए संवेदकों को किए गए भुगतान के आंकड़ों एकत्र किए जिससे पता चला कि संवेदक (मेसर्स सुनील कुमार पांडेय) नें ₹ 8.56 लाख का भुगतान प्राप्त किया था, तथापि, संवेदक नें 2011-12 के दौरान आवधिक विवरणी के माध्यम से सकल आवर्त शून्य दिखाया था।
30	रांची दक्षिणी	परणोड रेकार्ड इंडिया प्रा लिमिटेड / 20590201014	2011-12	6,538.20	6,468.51	69.69	50	34.84	69.68	104.52	**उत्पाद एवं मध निषेध विभाग, झारखंड**, रांची द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, वास्तविक बिक्रय आवर्त ₹ 65.38 करोड़ (₹5.00 लाख का लाइसेंस शुल्क सहित) था, तथापि, व्यवसायी नें मू.व.क. विवरणी में बिक्रय आवर्त केवल ₹64.68 करोड़ (लाइसेंस शुल्क को छोड़कर) प्रतिबिंबित किया जिस पर कर निर्धारण सम्पन्न हुआ।
31	रांची दक्षिणी	परणोड रेकार्ड इंडिया प्रा लिमिटेड	2012-13	5.00	0.00	5.00	50	2.50	5.00	7.50	**उत्पाद एवं मध निषेध विभाग, झारखंड**, रांची द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, वास्तविक भुगतान की गयी लाइसेंस शुल्क ₹5.00 लाख था, तथापि, व्यवसायी नें झा.मू.व.क.-409 में लाइसेंस

परिशिष्ट-III (प्रतिवेदन की कंडिका संख्या 2.3.7.2 में उल्लिखित)

झारखंड सरकार के अन्य विभागों से संचालित तिर्यक जांच के परिणाम

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	अंचल का नाम	व्यवसायी कानाम (मेसर्स)/टीन	अवधि	वास्तविक आवर्त	लेखापित आवर्त	छिपाव	कर की दर (%)	देय कर	धारा 37(6) के अधीन भुगतेय अर्थदंड	कुल आरोप्य कर और अर्थदंड	अभ्युक्ति
		/ 20590201014									शुल्क प्रतिबिंबित नहीं किया जिस पर कर निर्धारण सम्पन्न किया गया ।
32	रांची दक्षिणी	माउंट शिवालिक ब्रेवरीज लिमिटेड/ 20090206508	2011-12	5.00	0.00	5.00	50	2.50	5.00	7.50	**उत्पाद एवं मध निषेध विभाग, झारखंड**, रांची द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, वास्तविक भुगतान की गयी लाइसेंस शुल्क ₹ 5.00 लाख था, तथापि, व्यवसायी नें झा.मू.व.क. विवरणी (व्यापार खाते) में लाइसेंस शुल्क प्रतिबिंबित नहीं किया जिस पर कर निर्धारण सम्पन्न किया गया ।
33	रांची दक्षिणी	माउंट शिवालिक ब्रेवरीज लिमिटेड/ 20090206508	2012-13	5.00	0.00	5.00	50	2.50	5.00	7.50	**उत्पाद एवं मध निषेध विभाग, झारखंड**, रांची द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, वास्तविक लाइसेंस शुल्क ₹ 5.00 लाख था, तथापि, व्यवसायी नें झा.मू.व.क. विवरणी (व्यापार खाते) में लाइसेंस शुल्क प्रतिबिंबित नहीं किया जिस पर कर निर्धारण सम्पन्न किया गया ।
	कुल			**33,320.35**	**10,469.71**	**22,850.64**		**3,186.02**	**6,372.04**	**9558.06**	

परिशिष्ट-IV (प्रतिवेदन की कंडिका संख्या 2.3.7.3- बुलेट -I में उल्लिखित)

भारत सरकार के विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संचालित त्रियक- जाँच के परिणाम

(₹लाख में)

क्रम सं	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम (मेस्सेर्स) / टिन	अवधि	वस्तु	वास्तविक आवर्त	लेखापित आवर्त	छिपाव	कर की दर(प्रतिशत)	करदेय	अर्थदंड	करारोप्य कुल कर और अर्थदंड	अभ्युक्तियां
1	तेनुघाट	सीसीएल, ढोरी क्षेत्र / 20312205364	2011-12	कोयला	1,28,916.69	1,21,139.92	7,776.77	5	388.84	777.68	1,166.52	सी.सी.एल. (मुख्यालय), रांची से संग्रहित आंकड़ों/ सूचनाओं (लाभ और हानि खाते और उसके साथ संलग्न अनुसूची) का व्यवसायी (मेस्सेर्स सीसीएल, ढोरी क्षेत्र) के कर निर्धारण अभिलेखों के साथ त्रियक जाँच से पता चला कि व्यवसायी ने वास्तव में ₹1289.17 करोड़ मूल्य के माल की बिक्री की थी, लेकिन व्यवसायी ने अपने मू.व.क. विवरणी में केवल ₹ 1211.39 करोड़ मूल्य की वस्तुओं की बिक्री दिखाया था जिस पर करनिर्धारण सम्पन किया गया।
2	तेनुघाट	सी.सी.एल.,कथारा क्षेत्र, / 20042205379	2011-12	कोयला	68,299.26	24,559.54	43,739.72	5	2,186.99	4,373.98	6,560.97	सी.सी.एल. (मुख्यालय), रांची से संग्रहित आंकड़ों/ सूचनाओं

परिशिष्ट-IV (प्रतिवेदन की कंडिका संख्या 2.3.7.3- बुलेट -I में उल्लिखित)

भारत सरकार के विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संचालित त्रियक- जाँच के परिणाम

(₹लाख में)

क्रम सं	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम (मेस्सेर्स) / टिन	अवधि	वस्तु	वास्तविक आवर्त	लेखापित आवर्त	छिपाव	कर की दर(प्रतिशत)	करदेय	अर्थदंड	करारोप्य कुल कर और अर्थदंड	अभ्युक्तियां
												(लाभ और हानि खाते और उसके साथ संलग्न अनुसूची) का व्यवसायी (मेस्सेर्स सीसीएल, कथारा क्षेत्र) के कर निर्धारण अभिलेखों के साथ त्रियक जाँच से पता चला कि व्यवसायी ने वास्तव में ₹ 682.99 करोड़ मूल्य के माल की बिक्री की थी, लेकिन व्यवसायी ने अपने मू.व.क. विवरणी में केवल ₹ 245.59 करोड़ मूल्य की वस्तुओं की बिक्री दिखाया था जिस पर करनिर्धारण सम्पन किया गया।

परिशिष्ट-IV (प्रतिवेदन की कंडिका संख्या 2.3.7.3- बुलेट -I में उल्लिखित)

भारत सरकार के विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संचालित त्रियक- जाँच के परिणाम

(₹लाख में)

क्रम सं	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम (मेस्सेर्स) / टिन	अवधि	वस्तु	वास्तविक आवर्त	लेखापित आवर्त	छिपाव	कर की दर(प्रतिशत)	करदेय	अर्थदंड	करारोप्य कुल कर और अर्थदंड	अभ्युक्तियां
3	तेनुघाट	सी.सी.एल.,कथारा क्षेत्र, / 20042205379	2012-13	कोयला	79,064.30	47,755.05	31,309.25	5	1,565.46	3,130.92	4,696.38	सी.सी.एल. (मुख्यालय), रांची से संग्रहित आंकड़ों/ सूचनाओं (लाभ और हानि खाते और उसके साथ संलग्न अनुसूची) का व्यवसायी (मेस्सेर्स सीसीएल, कथारा क्षेत्र) के कर निर्धारण अभिलेखों के साथ त्रियक जाँच से पता चला कि व्यवसायी ने वास्तव में ₹790.64 करोड़ मूल्य के माल की बिक्री की थी, लेकिन व्यवसायी ने अपने मू.व.क. विवरणी में केवल ₹ 477.55 करोड़ मूल्य की वस्तुओं की बिक्री दिखाया था जिस पर करनिर्धारण सम्पन किया गया।
4	पलामू	आदित्य बिड़ला केमिकल्स (आई)लि./	2012-13	रसायन	39,201.00	38,667.00	534.00	5	26.70	53.40	80.10	व्यवसायी ने अपने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विवरणी (ई आर

परिशिष्ट-IV (प्रतिवेदन की कंडिका संख्या 2.3.7.3- बुलेट -I में उल्लिखित)

भारत सरकार के विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संचालित त्रियक- जाँच के परिणाम

(₹लाख में)

क्रम सं	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम (मेस्सेर्स) / टिन	अवधि	वस्तु	वास्तविक आवर्त	लेखापित आवर्त	छिपाव	कर की दर(प्रतिशत)	करदेय	अर्थदंड	करारोप्य कुल कर और अर्थदंड	अभ्युक्तियां
		20830501485										-4) में ₹392.01 करोड़ की तैयार माल की बिक्री दिखाया था जबकि, कर निर्धारण अभिलेखों के अनुसार सकल आवर्त केवल ₹ 386.68 करोड़ दिखाया गया था जिस पर करनिर्धारण सम्पन किया गया।
5	रांची पश्चिमी	सीसीएल, एनके एरिया / 20790305657	2011-12	कोयला	1,34,672.95	1,15,213.62	19,459.33	5	972.97	1,945.94	2,918.91	सी.सी.एल. (मुख्यालय), रांची से संग्रहित आंकड़ों/ सूचनाओं का मेस्सेर्स सीसीएल, एन.के. एरिया के कर निर्धारण अभिलेखों के साथ त्रियक जाँच से पता चला कि व्यवसायी ने वास्तव में ₹ 1,346.73 करोड़ के माल की भंडारअंतरण/बिक्री की थी, लेकिन वाणिज्यकर विभाग में में केवल ₹ 1,152.14 करोड़

परिशिष्ट-IV (प्रतिवेदन की कंडिका संख्या 2.3.7.3- बुलेट -I में उल्लिखित)

भारत सरकार के विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संचालित त्रियक- जाँच के परिणाम

(₹लाख में)

क्रम सं	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम (मेस्सेर्स) / टिन	अवधि	वस्तु	वास्तविक आवर्त	लेखापित आवर्त	छिपाव	कर की दर(प्रतिशत)	करदेय	अर्थदंड	करारोप्य कुल कर और अर्थदंड	अभ्युक्तियां
												की बिक्री आवर्त दिखाया गया था जिस पर करनिर्धारण सम्पन किया गया।
6	आदित्यपुर	उत्कल -ऑटोमोबाइल प्रा.लि./ 20980900024	2012-13	बस / ट्रक शरीर	8,454.63	5,817.82	2,636.81	14	369.15	738.30	1,107.45	व्यवसायी ने अपने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विवरणी (ई आर -4) में ₹ 84.55 करोड़ की तैयार माल का उत्पादन दिखाया था जबकि, कर निर्धारण अभिलेखों (विनिर्माण खाता) के अनुसार उत्पादित माल की लागत (खपत सामग्री + विनिर्माण खर्च) केवल ₹ 58.18 करोड़ ही दिखाया गया था जिस पर करनिर्धारण सम्पन किया गया।
7	आदित्यपुर	ब्लू स्टार मल्लेअब्लेस प्रा.लि./ 20480901172	2012-13	आयरन कास्टिंग	7,122.53	6,423.69	698.84	5	34.94	69.88	104.82	व्यवसायी ने अपने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विवरणी (ई आर -4) में ₹ 71.23 करोड़ की

परिशिष्ट-IV (प्रतिवेदन की कंडिका संख्या 2.3.7.3- बुलेट -I में उल्लिखित)

भारत सरकार के विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संचालित त्रियक- जाँच के परिणाम

(₹लाख में)

क्रम सं	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम (मेस्सेर्स) / टिन	अवधि	वस्तु	वास्तविक आवर्त	लेखापित आवर्त	छिपाव	कर की दर(प्रतिशत)	करदेय	अर्थदंड	करारोप्य कुल कर और अर्थदंड	अभ्युक्तियां
												तैयार माल की उत्पादन दिखाया था जबकि, कर निर्धारण अभिलेखों (विनिर्माण खाता) के अनुसार उत्पादित माल की लागत(खपत सामग्री + विनिर्माण खर्च) केवल ₹ 64.24 करोड़ ही दिखाया गया था जिस पर करनिर्धारण सम्पन किया गया।

परिशिष्ट-IV (प्रतिवेदन की कंडिका संख्या 2.3.7.3- बुलेट -I में उल्लिखित)

भारत सरकार के विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संचालित त्रियक- जाँच के परिणाम

(₹लाख में)

क्रम सं	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम (मेस्सेर्स) / टिन	अवधि	वस्तु	वास्तविक आवर्त	लेखापित आवर्त	छिपाव	कर की दर(प्रतिशत)	करदेय	अर्थदंड	करारोप्य कुल कर और अर्थदंड	अभ्युक्तियां
8	आदित्यपुर	दोराबजी ऑटो / 20660900685	2012-13	वाहन के कलपुर्जे	2,584.94	2,398.07	186.87	10	18.69	37.38	56.07	व्यवसायी ने अपने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विवरणी (ईआर -4) में ₹ 25.85 करोड़ की तैयार माल की उत्पादन दिखाया था जबकि, कर निर्धारण अभिलेखों (विनिर्माण खाता) के अनुसार उत्पादित माल की लागत(खपत सामग्री + विनिर्माण खर्च) केवल ₹ 23.98 करोड़ ही दिखाया गया था जिस पर करनिर्धारण सम्पन किया गया।
9	आदित्यपुर	गुप्ता पोलीटूबस प्रा.लि./ 20630905266	2011-12	पीवीसी पाइप	1,456.79	1,279.25	177.54	5	8.88	17.76	26.64	व्यवसायी ने अपने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विवरणी (ई आर -4) में ₹ 14.57 करोड़ की तैयार माल की उत्पादन दिखाया था जबकि, कर निर्धारण अभिलेखों (विनिर्माण खाता) के अनुसार उत्पादित

परिशिष्ट-IV (प्रतिवेदन की कंडिका संख्या 2.3.7.3- बुलेट -I में उल्लिखित)

भारत सरकार के विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संचालित त्रियक- जाँच के परिणाम

(₹लाख में)

क्रम सं	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम (मेस्सेर्स) / टिन	अवधि	वस्तु	वास्तविक आवर्त	लेखापित आवर्त	छिपाव	कर की दर(प्रतिशत)	करदेय	अर्थदंड	करारोप्य कुल कर और अर्थदंड	अभ्युक्तियां
												माल की लागत(खपत सामग्री + विनिर्माण खर्च) केवल ₹ 12.79 करोड़ ही दिखाया गया था जिस पर करनिर्धारण सम्पन किया गया।
10	आदित्यपुर	गुप्ता पोलीटूबस प्रा.लि./ 20630905266	2012-13	पीवीसी पाइप	1,519.41	1,290.88	228.53	5	11.43	22.86	34.29	व्यवसायी ने अपने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विवरणी (ईआर -4) में ₹ 15.19 करोड़ की तैयार माल की उत्पादन दिखाया था जबकि, कर निर्धारण अभिलेखों (विनिर्माण खाता) के अनुसार उत्पादित माल की लागत(खपत सामग्री + विनिर्माण खर्च) केवल ₹ 12.91 करोड़ ही दिखाया गया था जिस पर करनिर्धारण सम्पन किया गया।
11	हजारीबाग	अनिंदिता ट्रेड्स एंड इन्वेस्टमेंट लि./	2010-11	लौह इस्पात	3,940.60	3,357.52	583.08	4	23.32	46.64	69.96	व्यवसायी ने अपने कर निर्धारण अभिलेखों

परिशिष्ट-IV (प्रतिवेदन की कंडिका संख्या 2.3.7.3- बुलेट -I में उल्लिखित)

भारत सरकार के विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संचालित त्रियक- जाँच के परिणाम

(₹लाख में)

क्रम सं	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम (मेस्सेर्स) / टिन	अवधि	वस्तु	वास्तविक आवर्त	लेखापित आवर्त	छिपाव	कर की दर(प्रतिशत)	करदेय	अर्थदंड	करारोप्य कुल कर और अर्थदंड	अभ्युक्तियां
		20052103675										(झा.मू.व.क.-409 में प्रस्तुत व्यापार खाते) में किसी भी विनिर्माण खर्च को नहीं दिखाया था, हालांकि, केन्द्रीय **उत्पाद शुल्क विवरणी (ई आर -4)** में प्रदर्शित विनिर्माण खर्च को लेने के बाद, वास्तविक बिक्री आवर्त ₹ 39.41 करोड़ आकलित किया गया जबकि व्यवसायी ने ₹ 33.57 करोड़ की बिक्री आवर्त दिखाया था जिस पर करनिर्धारण सम्पन किया गया।

परिशिष्ट-IV (प्रतिवेदन की कंडिका संख्या 2.3.7.3- बुलेट -I में उल्लिखित)

भारत सरकार के विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संचालित त्रियक- जाँच के परिणाम

(₹लाख में)

क्रम सं	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम (मेस्सेर्स) / टिन	अवधि	वस्तु	वास्तविक आवर्त	लेखापित आवर्त	छिपाव	कर की दर(प्रतिशत)	करदेय	अर्थदंड	करारोप्य कुल कर और अर्थदंड	अभ्युक्तियां
12	हजारीबाग	अनिंदिता ट्रेड्स एंड इन्वेस्टमेंट लि./ 20052103675	2011-12	लौह इस्पात	4,464.23	3,457.04	1,007.19	5	50.36	100.72	151.08	व्यवसायी ने अपने कर निर्धारण अभिलेखों (झा.मू.व.क.-409 में प्रस्तुत व्यापार खाते) में किसी भी विनिर्माण खर्च को नहीं दिखाया था, हालांकि, केन्द्रीय **उत्पाद शुल्क विवरणी (ई आर -4)** में प्रदर्शित निर्माण खर्च को लेने के बाद, वास्तविक बिक्री आवर्त ₹ 44.64 करोड़ आकलित किया गया जबकि व्यवसायी ने ₹ 34.57 करोड़ की बिक्री आवर्त दिखाया था जिस पर करनिर्धारण सम्पन किया गया।
13	हजारीबाग	अनिंदिता ट्रेड्स एंड इन्वेस्टमेंट लि./ 20052103675	2012-13	लौह इस्पात	4,741.67	4,257.75	483.92	5	24.20	48.40	72.60	व्यवसायी ने अपने कर निर्धारण अभिलेखों (झा.मू.व.क.-409 में प्रस्तुत व्यापार खाते) में किसी भी

परिशिष्ट-IV (प्रतिवेदन की कंडिका संख्या 2.3.7.3- बुलेट -I में उल्लिखित)

भारत सरकार के विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संचालित त्रियक- जाँच के परिणाम

(₹लाख में)

क्रम सं	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम (मेस्सेर्स) / टिन	अवधि	वस्तु	वास्तविक आवर्त	लेखापित आवर्त	छिपाव	कर की दर(प्रतिशत)	करदेय	अर्थदंड	करारोप्य कुल कर और अर्थदंड	अभ्युक्तियां
												विनिर्माण खर्च को नहीं दिखाया था, हालांकि, केन्द्रीय **उत्पाद शुल्क विवरणी (ई आर -4)** में प्रदर्शित विनिर्माण खर्च को लेने के बाद, वास्तविक बिक्री आवर्त ₹ 47.42 करोड़ आकलित किया गया जबकि व्यवसायी ने ₹ 42.58 करोड़ की बिक्री आवर्त दिखाया था जिस पर करनिर्धारण सम्पन किया गया।

परिशिष्ट-IV (प्रतिवेदन की कंडिका संख्या 2.3.7.3- बुलेट -I में उल्लिखित)

भारत सरकार के विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संचालित त्रियक- जाँच के परिणाम

(₹लाख में)

क्रम सं	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम (मेस्सेर्स) / टिन	अवधि	वस्तु	वास्तविक आवर्त	लेखापित आवर्त	छिपाव	कर की दर(प्रतिशत)	करदेय	अर्थदंड	करारोप्य कुल कर और अर्थदंड	अभ्युक्तियां
14	रांची दक्षिणी	उषा मार्टिन / 20650100392	2011-12	स्टील वायर रस्सी आदि	1,02,978.00	95,871.92	7,106.08	5	355.30	710.60	1,065.90	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विवरणी (ई आर -4) के अनुसार माल का वास्तविक उत्पादन ₹ 1,029.78 करोड़ था जबकि, बिक्री कर विवरणी (झा.मू.व.क.-409) के अनुसार उत्पादित माल केवल ₹ 958.72 करोड़ ही दिखाया गया था जिस पर करनिर्धारण सम्पन किया गया।
15	रांची दक्षिणी	उषा मार्टिन / 20650100392	2012-13	स्टील वायर रस्सी आदि	1,09,195.25	94,293.32	14,901.93	5	745.10	1,490.20	2,235.30	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विवरणी (ई आर -4) के अनुसार माल का वास्तविक उत्पादन ₹ 1,091.95 करोड़ था जबकि, बिक्री कर विवरणी में ये केवल ₹ 942.93 करोड़ ही दिखाये गये थे जिस पर करनिर्धारण सम्पन किया गया।

परिशिष्ट-IV (प्रतिवेदन की कंडिका संख्या 2.3.7.3- बुलेट -I में उल्लिखित)

भारत सरकार के विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संचालित त्रियक- जाँच के परिणाम

(₹लाख में)

क्रम सं	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम (मेस्सेर्स) / टिन	अवधि	वस्तु	वास्तविक आवर्त	लेखापित आवर्त	छिपाव	कर की दर(प्रतिशत)	करदेय	अर्थदंड	करारोप्य कुल कर और अर्थदंड	अभ्युक्तियां
16	रांची दक्षिणी	उषा मार्टिन / 20650100392	2013-14	स्टील वायर रस्सी आदि	1,16,135.69	94,879.48	21,256.21	5	1,062.81	2,125.62	3,188.43	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विवरणी (ईआर -4) के अनुसार माल का वास्तविक उत्पादन ₹1,161.35 करोड़ था जबकि, बिक्री कर विवरणी में ये केवल ₹ 948.79 करोड़ ही दिखाये गये थे जिस पर अंतिम रूप से करनिर्धारण सम्पन किया गया।
17	रांची दक्षिणी	राज सेरामिक्स / 20580302336	2010-11	अग्निसह ईंटों	1,438.94	1,168.45	270.49	5	13.52	27.04	40.56	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विवरणी (ईआर -4) के अनुसार माल का वास्तविक उत्पादन ₹ 14.39 करोड़ था जबकि बिक्री कर विवरणी में इसे ₹ 11.68 करोड़ ही दिखाया गया था।
18	रांची दक्षिणी	राज सेरामिक्स / 20580302336	2011-12	अग्निसह ईंटों	1,951.42	1,285.65	665.77	5	33.29	66.58	99.87	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विवरणी (ई आर -4) के अनुसार माल का वास्तविक उत्पादन

परिशिष्ट-IV (प्रतिवेदन की कंडिका संख्या 2.3.7.3- बुलेट -I में उल्लिखित)

भारत सरकार के विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संचालित त्रियक- जाँच के परिणाम

(₹लाख में)

क्रम सं	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम (मेस्सेर्स) / टिन	अवधि	वस्तु	वास्तविक आवर्त	लेखापित आवर्त	छिपाव	कर की दर(प्रतिशत)	करदेय	अर्थदंड	करारोप्य कुल कर और अर्थदंड	अभ्युक्तियां
												₹ 19.51 करोड़ था जबकि बिक्री कर विवरणी में इसे ₹ 12.86 करोड़ ही दिखाया गया था।
19	रांची दक्षिणी	राज सेरामिक्स / 20580302336	2012-13	अग्निसह ईंटों	1,695.96	1,305.63	390.33	5	19.52	39.04	58.56	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विवरणी (ई आर-4) के अनुसार माल का वास्तविक उत्पादन ₹ 16.96 करोड़ था जबकि बिक्री कर विवरणी में इसे ₹ 13.06 करोड़ ही दिखाया गया था जिस पर करनिर्धारण सम्पन किया गया।
20	रांची दक्षिणी	टी एंड टी मेटल प्राइवेट लिमिटेड / 20270100698	2012-13	एमएस पिंड	840.77	764.55	76.22	5	3.81	7.62	11.43	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विवरणी (ई आर -4) के अनुसार वास्तविक उत्पादन खर्च ₹ 8.41 करोड़ था जबकि बिक्री कर विवरणी झा.मू.व.क.-409 में इसे ₹ 7.65 करोड़ दिखाया गया था जिस पर करनिर्धारण

परिशिष्ट-IV (प्रतिवेदन की कंडिका संख्या 2.3.7.3- बुलेट -I में उल्लिखित)

भारत सरकार के विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संचालित त्रियक- जाँच के परिणाम

(₹लाख में)

क्रम सं	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम (मेस्सेर्स) / टिन	अवधि	वस्तु	वास्तविक आवर्त	लेखापित आवर्त	छिपाव	कर की दर(प्रतिशत)	करदेय	अर्थदंड	करारोप्य कुल कर और अर्थदंड	अभ्युक्तियां
												सम्पन किया गया।
21	रांची दक्षिणी	हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड / 20530101428	2011-12	कैलक्लाइंड अल्युमिना	70,653.35	53,633.93	17,019.42	5	850.97	1,701.94	2,552.91	**केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विवरणी (ई आर -4)** के अनुसार कैलक्लाइंड अल्युमिना का वास्तविक उत्पादन ₹ 706.53 करोड़ था जबकि बिक्री कर विवरणी में इसे ₹ 536.34 करोड़ दिखाया गया था जिस पर करनिर्धारण सम्पन किया गया।

परिशिष्ट-IV (प्रतिवेदन की कंडिका संख्या 2.3.7.3- बुलेट -I में उल्लिखित)

भारत सरकार के विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संचालित त्रियक- जाँच के परिणाम

(₹लाख में)

क्रम सं	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम (मेस्सेर्स) / टिन	अवधि	वस्तु	वास्तविक आवर्त	लेखापित आवर्त	छिपाव	कर की दर(प्रतिशत)	करदेय	अर्थदंड	करारोप्य कुल कर और अर्थदंड	अभ्युक्तियां
22	रांची दक्षिणी	हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड / 20530101428	2012-13	कैलक्लाइंड अल्युमिना	58,475.04	56,130.40	2,344.64	5	117.23	234.46	351.69	**केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विवरणी (ई आर -4)** के अनुसार तैयार माल (कैलक्लाइंड अल्युमिना) का वास्तविक उत्पादन ₹ 584.75 करोड़ था जबकि बिक्री कर विवरणी में इसे ₹ 561.30 करोड़ दिखाया गया था जिस पर करनिर्धारण सम्पन किया गया।
23	चाईबासा	स्टील अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया लि./20081200637	2010-11	लौह अयस्क	50,560.08	13,639.51	36,920.57	4	1,476.82	0.00	1,476.82	हमने **आई.बी.एम., कोलकाता** से झारखंड के पट्टेदारों द्वारा प्रेषित लौह अयस्क की मात्रा और औसत बिक्री मूल्य के आंकड़ों को संग्रहित किया और पाया कि स्थानांतरित माल का मूल्य आई.बी.एम. द्वारा निर्धारित औसत मूल्य से नीचे था। तदन्तर, बिक्री मूल्य की संशोधित (मई

परिशिष्ट-IV (प्रतिवेदन की कंडिका संख्या 2.3.7.3- बुलेट -I में उल्लिखित)

भारत सरकार के विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संचालित त्रियक- जाँच के परिणाम

(₹लाख में)

क्रम सं	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम (मेस्सेर्स) / टिन	अवधि	वस्तु	वास्तविक आवर्त	लेखापित आवर्त	छिपाव	कर की दर(प्रतिशत)	करदेय	अर्थदंड	करारोप्य कुल कर और अर्थदंड	अभ्युक्तियां
												2011) परिभाषा के अनुसार, माल के मूल्य का अर्थ माल का वास्तविक बिक्री मूल्य या माल का प्रचलित बाजार मूल्य, में जो भी अधिक हो वह उचित मूल्य है। इस प्रकार, वहाँ भंडार अंतरित मालों का अवमूल्यन हुआ।
24	चाईबासा	टाटा स्टील लि./ 20191200625	2012-13	लौह अयस्क	2,50,276.51	1,04,760.63	1,45,515.88	5	7,275.79	0.00	7,275.79	ऊपरोक्त अनुसार
25	चाईबासा	उषा मार्टिन लि./ 20481205166	2011-12	लौह अयस्क	27,747.20	9,452.81	18,294.39	5	914.72	0.00	914.72	ऊपरोक्त अनुसार
26	चाईबासा	स्टील अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया लि./ 20501200794	2011-12	लौह अयस्क	1,05,744.66	21,639.07	84,105.59	5	4,205.28	0.00	4,205.28	ऊपरोक्त अनुसार

परिशिष्ट-IV (प्रतिवेदन की कंडिका संख्या 2.3.7.3- बुलेट -I में उल्लिखित)

भारत सरकार के विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संचालित त्रियक- जाँच के परिणाम

(₹लाख में)

क्रम सं	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम (मेस्सेर्स) / टिन	अवधि	वस्तु	वास्तविक आवर्त	लेखापित आवर्त	छिपाव	कर की दर(प्रतिशत)	करदेय	अर्थदंड	करारोप्य कुल कर और अर्थदंड	अभ्युक्तियां
27	चाईबासा	स्टील अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया लि/ 20081200637	2011-12	लौह अयस्क	63,083.40	19,510.45	43,572.95	5	2,178.65	0.00	2,178.65	ऊपरोक्त अनुसार
28	चाईबासा	स्टील अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया लि./ 20501200794	2012-13	लौह अयस्क	1,10,937.70	22,718.28	88,219.42	5	4,410.97	0.00	4,410.97	ऊपरोक्त अनुसार
29	चाईबासा	उषा मार्टिन लि./ 20481205166	2012-13	लौह अयस्क	45,979.60	7,563.99	38,415.61	5	1,920.78	0.00	1,920.78	ऊपरोक्त अनुसार
30	पाकुड़	गीता इंफ्रा प्रोजेक्ट / 20281305723	2011-12	पत्थर गिट्टी	907.66	0.00	907.66	14	127.07	254.14	381.21	व्यवसायी ने 2011-12 के दौरान अंतर-राज्य बिक्री नहीं दिखाया था, हालांकि, म.रे.प्र. दक्षिण पूर्व रेलवे आद्रा के कार्यालय से प्राप्त आंकड़ों के हमारे त्रियक- जाँच से पता चला कि व्यवसायी ने वास्तव में उक्त अवधि के दौरान ₹ 9.08 करोड़ कि पत्थर गिट्टी की बिक्री की थी।

परिशिष्ट-IV (प्रतिवेदन की कंडिका संख्या 2.3.7.3- बुलेट -I में उल्लिखित)

भारत सरकार के विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संचालित त्रियक- जाँच के परिणाम

(₹लाख में)

क्रम सं	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम (मेस्सेर्स) / टिन	अवधि	वस्तु	वास्तविक आवर्त	लेखापित आवर्त	छिपाव	कर की दर(प्रतिशत)	करदेय	अर्थदंड	करारोप्य कुल कर और अर्थदंड	अभ्युक्तियां
31	पाकुड़	गीता इंफ्रा प्रोजेक्ट / 20281305723	2012-13	पत्थर गिट्टी	832.00	0.00	832.00	14	116.48	232.96	349.44	व्यवसायी ने 2012-13 के दौरान अंतर-राज्य बिक्री नहीं दिखाया था, हालांकि, म.रे.प्र. दक्षिण पूर्व रेलवे आद्रा के कार्यालय से प्राप्त आंकड़ों के हमारे त्रियक- जाँच से पता चला कि व्यवसायी ने वास्तव में उक्त अवधि के दौरान ₹ 8.32 करोड़ कि पत्थर गिट्टी की बिक्री की थी।

परिशिष्ट-IV (प्रतिवेदन की कंडिका संख्या 2.3.7.3- बुलेट -I में उल्लिखित)

भारत सरकार के विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संचालित त्रियक- जाँच के परिणाम

(₹लाख में)

क्रम सं	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम (मेस्सेर्स) / टिन	अवधि	वस्तु	वास्तविक आवर्त	लेखापित आवर्त	छिपाव	कर की दर(प्रतिशत)	करदेय	अर्थदंड	करारोप्य कुल कर और अर्थदंड	अभ्युक्तियां
32	पाकुड़	सिमेंटों/ 20941300171	2011-12	पत्थर गिट्टी	127.30	47.69	79.61	14	11.15	22.30	33.45	व्यवसायी ने ₹ 59.76 लाख का सकल आवर्त दिखाया था जिस पर करनिर्धारण सम्पन किया गया। उपरोक्त में राज्य के भीतर बिक्री केवल ₹ 47.69 लाख दिखाया गया था। हालांकि, म.रे.प्र. दक्षिण पूर्व रेलवे चक्रधरपुर से प्राप्त आंकड़ों के हमारे त्रियक जाँच, से पता चला कि व्यवसायी ने उक्त अवधि के दौरान वास्तव में ₹ 1.27 करोड़ की पत्थर गिट्टी की बिक्री की थी। इस प्रकार, व्यवसायी ने ₹ 79.61 लाख की बिक्री आवर्त को छुपाया था।
33	पाकुड़	सिमेंटों/ 20941300171	2012-13	पत्थर गिट्टी	61.93	48.76	13.17	14	1.84	3.68	5.52	व्यवसायी ने ₹ 48.76 लाख का सकल आवर्त दिखाया था जिस पर करनिर्धारण सम्पन

परिशिष्ट-IV (प्रतिवेदन की कंडिका संख्या 2.3.7.3- बुलेट -I में उल्लिखित)

भारत सरकार के विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संचालित त्रियक- जाँच के परिणाम

(₹लाख में)

क्रम सं	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम (मेस्सेर्स) / टिन	अवधि	वस्तु	वास्तविक आवर्त	लेखापित आवर्त	छिपाव	कर की दर(प्रतिशत)	करदेय	अर्थदंड	करारोप्य कुल कर और अर्थदंड	अभ्युक्तियां
												किया गया। सम्पूर्ण बिक्री राज्य के भीतर की बिक्री दिखायी गयी थी। हालांकि, म.रे.प्र. दक्षिण पूर्व रेलवे चक्रधरपुर से प्राप्त आंकड़ों के हमारे त्रियक जाँच, से पता चला कि व्यवसायी ने उक्त अवधि के दौरान वास्तव में ₹ 61.93 लाख की पत्थर गिट्टी की बिक्री की थी। इस प्रकार, व्यवसायी ने ₹ 13.17 लाख की बिक्री आवर्त को छुपाया था।

परिशिष्ट-IV (प्रतिवेदन की कंडिका संख्या 2.3.7.3- बुलेट -I में उल्लिखित)

भारत सरकार के विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संचालित त्रियक- जाँच के परिणाम

(₹लाख में)

क्रम सं	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम (मेस्सेर्स) / टिन	अवधि	वस्तु	वास्तविक आवर्त	लेखापित आवर्त	छिपाव	कर की दर(प्रतिशत)	करदेय	अर्थदंड	करारोप्य कुल कर और अर्थदंड	अभ्युक्तियां
34	पाकुड़	परमानंद आडवाणी / 20481305076	2011-12	पत्थर गिट्टी	12.23	0.00	12.23	14	1.71	3.42	5.13	व्यवसायी ने ₹ 5.87 करोड़ का सकल आवर्त दिखाया था जिस पर करनिर्धारण सम्पन किया गया। सम्पूर्ण बिक्री राज्य के भीतर की बिक्री दिखायी गयी थी। हालांकि, म.रे.प्र. पूर्व मध्य रेलवे, पटना से प्राप्त आंकड़ों के हमारे त्रियक जाँच, से पता चला कि व्यवसायी ने उक्त अवधि के दौरान वास्तव में ₹ 12.23 लाख की पत्थर गिट्टी की बिक्री (अंतरराज्यीय) की थी। इस प्रकार, व्यवसायी ने ₹ 12.23 लाख की बिक्री आवर्त को छुपाया था।
35	पाकुड़	परमानंद आडवाणी / 20481305076	2010-11	पत्थर गिट्टी	198.25	0.00	198.25	14	27.75	55.50	83.25	व्यवसायी ने सकल आवर्त ₹ 6.64 करोड़ दिखाया था जिस पर करनिर्धारण सम्पन

परिशिष्ट-IV (प्रतिवेदन की कंडिका संख्या 2.3.7.3- बुलेट -I में उल्लिखित)

भारत सरकार के विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संचालित त्रियक- जाँच के परिणाम

(₹लाख में)

क्रम सं	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम (मेस्सेर्स) / टिन	अवधि	वस्तु	वास्तविक आवर्त	लेखापित आवर्त	छिपाव	कर की दर(प्रतिशत)	करदेय	अर्थदंड	करारोप्य कुल कर और अर्थदंड	अभ्युक्तियां
												किया गया। सम्पूर्ण बिक्री राज्यान्तर्गत बिक्री दिखायी गयी थी। हालांकि, म.रे.प्र., पूर्व मध्य रेलवे पटना से प्राप्त आंकड़ों के हमारे त्रियक जाँच, से पता चला कि व्यवसायी ने उक्त अवधि के दौरान वास्तव में ₹ 1.98 करोड़ की पत्थर गिट्टी की बिक्री की थी। इस प्रकार, व्यवसायी ने ₹ 1.98 करोड़ की बिक्री आवर्त को छुपाया था।

परिशिष्ट-IV (प्रतिवेदन की कंडिका संख्या 2.3.7.3- बुलेट -I में उल्लिखित)

भारत सरकार के विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संचालित त्रियक- जाँच के परिणाम

(₹लाख में)

क्रम सं	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम (मेस्सेर्स) / टिन	अवधि	वस्तु	वास्तविक आवर्त	लेखापित आवर्त	छिपाव	कर की दर(प्रतिशत)	करदेय	अर्थदंड	करारोप्य कुल कर और अर्थदंड	अभ्युक्तियां
36	आदित्यपुर	एपेक्स ऑटो लिमिटेड / 20870900521	2012-13	मोटर पार्ट्स	9,449.00	284.52	9,164.48	10	916.45	1,832.90	2,749.35	**महानिदेशक, प्रणाली, केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क, नई दिल्ली,** द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार आयात का वास्तविक मूल्य (भाड़ा, बीमा और सीमा शुल्क सहित) ₹ 94.49 करोड़ था, जबकि बिक्री कर विवरणी में इसे ₹ 2.85 करोड़, दिखाया गया था जिस पर करनिर्धारण सम्पन किया गया।
37	रांची पश्चिमी	सुपर सेल्स / 20580300299	2012-13	आंतरिक सजावट सामग्री सहित फर्नीचर	3,040.00	122.14	2,917.86	14	408.50	817.00	1,225.50	**महानिदेशक, प्रणाली, केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क, नई दिल्ली,** द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार आयात के वास्तविक मूल्य (भाड़ा, बीमा और सीमा शुल्क सहित) ₹ 30.40 करोड़ था, जबकि बिक्री कर विवरणी में

परिशिष्ट-IV (प्रतिवेदन की कंडिका संख्या 2.3.7.3- बुलेट -I में उल्लिखित)

भारत सरकार के विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संचालित त्रियक- जाँच के परिणाम

(₹लाख में)

क्रम सं	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम (मेस्सेर्स) / टिन	अवधि	वस्तु	वास्तविक आवर्त	लेखापित आवर्त	छिपाव	कर की दर(प्रतिशत)	करदेय	अर्थदंड	करारोप्य कुल कर और अर्थदंड	अभ्युक्तियां
												इसे ₹ 1.22 करोड़, दिखाया गया था जिस पर करनिर्धारण सम्पन किया गया।
38	रामगढ़	बिहार फाउंड्री एंड कास्टिंग लिमिटेड / 20651903137	2011-12	मैंगनीज अयस्क	137.00	0.00	137.00	5	6.85	13.70	20.55	**महानिदेशक, प्रणाली, केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क, नई दिल्ली,** द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार आयात के वास्तविक मूल्य (भाड़ा, बीमा और सीमा शुल्क सहित) ₹ 1.37 करोड़ था, जबकि बिक्री कर विवरणी में इसे शून्य, दिखाया गया था जिस पर करनिर्धारण सम्पन किया गया।
39	रामगढ़	बिहार फाउंड्री एंड कास्टिंग लिमिटेड / 20651903137	2012-13	मैंगनीज अयस्क	960.00	378.00	582.00	5	29.10	58.20	87.30	**महानिदेशक, प्रणाली, केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क, नई दिल्ली,** द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार आयात के वास्तविक मूल्य

परिशिष्ट-IV (प्रतिवेदन की कंडिका संख्या 2.3.7.3- बुलेट -I में उल्लिखित)

भारत सरकार के विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संचालित त्रियक- जाँच के परिणाम

(₹लाख में)

क्रम सं	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम (मेस्सेर्स) / टिन	अवधि	वस्तु	वास्तविक आवर्त	लेखापित आवर्त	छिपाव	कर की दर(प्रतिशत)	करदेय	अर्थदंड	करारोप्य कुल कर और अर्थदंड	अभ्युक्तियां
												(भाड़ा, बीमा और सीमा शुल्क सहित) ₹ 9.60 करोड़ था, जबकि बिक्री कर विवरणी में इसे ₹ 3.78 करोड़ दिखाया गया था जिस पर करनिर्धारण सम्पन किया गया।
40	रांची पूर्वी	इंडिया टिम्बर एंड सीजनिंग प्लांट / 20060200675	2010-11	सागौन लॉग आदि	862.00	0.00	862.00	12.5	107.75	215.50	323.25	**महानिदेशक, प्रणाली, केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क, नई दिल्ली,** द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार आयात के वास्तविक मूल्य (भाड़ा, बीमा और सीमा शुल्क सहित) ₹ 8.62 करोड़ था, जबकि बिक्री कर विवरणी में इसे शून्य दिखाया गया था जिस पर करनिर्धारण सम्पन किया गया।
41	रांची पूर्वी	इंडिया टिम्बर एंड सीजनिंग प्लांट /	2011-12	सागौन लॉग	1,926.00	0.00	1,926.00	14	269.64	539.28	808.92	**महानिदेशक, प्रणाली, केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क, नई**

परिशिष्ट-IV (प्रतिवेदन की कंडिका संख्या 2.3.7.3- बुलेट -I में उल्लिखित)

भारत सरकार के विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संचालित त्रियक- जाँच के परिणाम

(₹लाख में)

क्रम सं	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम (मेस्सेर्स) / टिन	अवधि	वस्तु	वास्तविक आवर्त	लेखापित आवर्त	छिपाव	कर की दर(प्रतिशत)	करदेय	अर्थदंड	करारोप्य कुल कर और अर्थदंड	अभ्युक्तियां
		20060200675		आदि								**दिल्ली,** द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार आयात के वास्तविक मूल्य (भाड़ा, बीमा और सीमा शुल्क सहित) ₹ 19.26 करोड़ था, जबकि बिक्री कर विवरणी में इसे शून्य दिखाया गया था जिस पर करनिर्धारण सम्पन किया गया।
42	रांची पूर्वी	इंडिया टिम्बर एंड सीजनिंग प्लांट / 20060200675	2012-13	सागौन लॉग आदि	3,249.00	0.00	3,249.00	14	454.86	909.72	1,364.58	**महानिदेशक, प्रणाली, केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क, नई दिल्ली,** द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार आयात के वास्तविक मूल्य (भाड़ा, बीमा और सीमा शुल्क सहित) ₹ 32.49 करोड़ था, जबकि बिक्री कर विवरणी में इसे शून्य दिखाया गया था जिस पर करनिर्धारण सम्पन

परिशिष्ट-IV (प्रतिवेदन की कंडिका संख्या 2.3.7.3- बुलेट -I में उल्लिखित)

भारत सरकार के विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संचालित त्रियक- जाँच के परिणाम

(₹लाख में)

क्रम सं	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम (मेस्सेर्स) / टिन	अवधि	वस्तु	वास्तविक आवर्त	लेखापित आवर्त	छिपाव	कर की दर(प्रतिशत)	करदेय	अर्थदंड	करारोप्य कुल कर और अर्थदंड	अभ्युक्तियां
												किया गया।
43	रांची पूर्वी	इजेन स्टेशनरी सोलुसंस / 20140205546	2011-12	लेखन सामग्री	1,091.00	0.00	1,091.00	5	54.55	109.10	163.65	**महानिदेशक, प्रणाली, केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क, नई दिल्ली,** द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार आयात के वास्तविक मूल्य (भाड़ा, बीमा और सीमा शुल्क सहित) ₹ 10.91 करोड़ था, जबकि बिक्री कर विवरणी में इसे शून्य दिखाया गया था जिस पर करनिर्धारण सम्पन किया गया।
44	रांची पूर्वी	इजेन स्टेशनरी सोलुसंस / 20140205546	2012-13	लेखन सामग्री	757.00	0.00	757.00	5	37.85	75.70	113.55	**महानिदेशक, प्रणाली, केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क, नई दिल्ली,** द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार आयात के वास्तविक मूल्य (भाड़ा, बीमा और सीमा शुल्क सहित) ₹ 7.57 करोड़ था,

परिशिष्ट-IV (प्रतिवेदन की कंडिका संख्या 2.3.7.3- बुलेट -I में उल्लिखित)

भारत सरकार के विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संचालित त्रियक- जाँच के परिणाम

(₹लाख में)

क्रम सं	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम (मेस्सेर्स) / टिन	अवधि	वस्तु	वास्तविक आवर्त	लेखापित आवर्त	छिपाव	कर की दर(प्रतिशत)	करदेय	अर्थदंड	करारोप्य कुल कर और अर्थदंड	अभ्युक्तियां
												जबकि बिक्री कर विवरणी में इसे शून्य दिखाया गया था जिस पर करनिर्धारण सम्पन किया गया।
45	आदित्यपुर	भारत सेफ्टी ग्लास (प्रा.) लिमिटेड / टिन 20300900107	2011-12	औद्योगिक इनपुट	297.00	90.76	206.24	5	10.31	20.62	30.93	**महानिदेशक, प्रणाली, केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क, नई दिल्ली,** द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार आयात के वास्तविक मूल्य (भाड़ा, बीमा और सीमा शुल्क सहित) ₹ 2.97 करोड़ था, जबकि बिक्री कर विवरणी में इसे ₹ 90.76 लाख दिखाया गया था जिस पर करनिर्धारण सम्पन किया गया।

परिशिष्ट-IV (प्रतिवेदन की कंडिका संख्या 2.3.7.3- बुलेट -I में उल्लिखित)

भारत सरकार के विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संचालित त्रियक- जाँच के परिणाम

(₹लाख में)

क्रम सं	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम (मेस्सेर्स) / टिन	अवधि	वस्तु	वास्तविक आवर्त	लेखापित आवर्त	छिपाव	कर की दर(प्रतिशत)	करदेय	अर्थदंड	करारोप्य कुल कर और अर्थदंड	अभ्युक्तियां
46	आदित्यपुर	भारत सेफ्टी ग्लास (प्रा.) लिमिटेड / टिन 20300900107	2012-13	औद्योगिक इनपुट	179.00	67.61	111.39	5	5.57	11.14	16.71	**महानिदेशक, प्रणाली, केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क, नई दिल्ली,** द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार आयात के वास्तविक मूल्य (भाड़ा, बीमा और सीमा शुल्क सहित) ₹ 1.79 करोड़ था, जबकि बिक्री कर विवरणी में इसे ₹ 67.61 लाख दिखाया गया था जिस पर करनिर्धारण सम्पन किया गया।
47	आदित्यपुर	आस्था फेरो टेक प्राइवेट लिमिटेड / टिन 20330900527	2011-12	एल्युमिनियम स्क्रैप आदि	599.00	411.79	187.21	5	9.36	18.72	28.08	**महानिदेशक, प्रणाली, केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क, नई दिल्ली,** द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार आयात के वास्तविक मूल्य (भाड़ा, बीमा और सीमा शुल्क सहित) ₹ 5.99 करोड़ था, जबकि बिक्री कर विवरणी में

परिशिष्ट-IV (प्रतिवेदन की कंडिका संख्या 2.3.7.3- बुलेट -I में उल्लिखित)

भारत सरकार के विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संचालित त्रियक- जाँच के परिणाम

(₹लाख में)

क्रम सं	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम (मेस्सेर्स) / टिन	अवधि	वस्तु	वास्तविक आवर्त	लेखापित आवर्त	छिपाव	कर की दर(प्रतिशत)	करदेय	अर्थदंड	करारोप्य कुल कर और अर्थदंड	अभ्युक्तियां
												इसे ₹ 4.12 करोड़ दिखाया गया था जिस पर करनिर्धारण सम्पन किया गया।
48	आदित्यपुर	आस्था फेरो टेक प्राइवेट लिमिटेड / टिन 20330900527	2012-13	एल्युमिनियम स्क्रैप आदि	685.00	470.68	214.32	5	10.72	21.44	32.16	**महानिदेशक, प्रणाली, केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क, नई दिल्ली,** द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार आयात के वास्तविक मूल्य (भाड़ा, बीमा और सीमा शुल्क सहित) ₹ 6.85 करोड़ था, जबकि बिक्री कर विवरणी में इसे ₹ 4.71 करोड़ दिखाया गया था जिस पर करनिर्धारण सम्पन किया गया।

परिशिष्ट-IV (प्रतिवेदन की कंडिका संख्या 2.3.7.3- बुलेट -I में उल्लिखित)

भारत सरकार के विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संचालित त्रियक- जाँच के परिणाम

(₹लाख में)

क्रम सं	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम (मेस्सेर्स) / टिन	अवधि	वस्तु	वास्तविक आवर्त	लेखापित आवर्त	छिपाव	कर की दर(प्रतिशत)	करदेय	अर्थदंड	करारोप्य कुल कर और अर्थदंड	अभ्युक्तियां
49	धनबाद	डायनामिक हार्ड कोक मैन्युफैक्चरिंग क./TIN-20881700523	2012-13	कोकिंग कोल	166.00	107.60	58.40	5	2.92	5.84	8.76	**महानिदेशक, प्रणाली, केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क, नई दिल्ली,** द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार आयात के वास्तविक मूल्य (भाड़ा, बीमा और सीमा शुल्क सहित) ₹ 1.66 करोड़ था, जबकि बिक्री कर विवरणी में इसे ₹ 1.08 करोड़ दिखाया गया था जिस पर करनिर्धारण सम्पन किया गया।
50	धनबाद	गृह शोभा इंटीरियर प्रा. लि./ 20551706124	2011-12	फर्नीचर सहित आंतरिक सजावट सामग्री	355.00	12.31	342.69	14	47.98	95.96	143.94	**महानिदेशक, प्रणाली, केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क, नई दिल्ली,** द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार आयात के वास्तविक मूल्य (भाड़ा, बीमा और सीमा शुल्क सहित) ₹ 3.55 करोड़ था, जबकि बिक्री कर विवरणी में

परिशिष्ट-IV (प्रतिवेदन की कंडिका संख्या 2.3.7.3- बुलेट -I में उल्लिखित)

भारत सरकार के विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संचालित त्रियक- जाँच के परिणाम

(₹लाख में)

क्रम सं	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम (मेस्सेर्स) / टिन	अवधि	वस्तु	वास्तविक आवर्त	लेखापित आवर्त	छिपाव	कर की दर(प्रतिशत)	करदेय	अर्थदंड	करारोप्य कुल कर और अर्थदंड	अभ्युक्तियां
												इसे ₹ 12.31 लाख दिखाया गया था जिस पर करनिर्धारण सम्पन किया गया।
51	धनबाद	गृह शोभा इंटीरियर प्रा. लि./ 20551706124	2012-13/	फर्नीचर सहित आंतरिक सजावट सामग्री	6,224.00	261.82	5,962.18	14	834.71	1,669.42	2,504.13	**महानिदेशक, प्रणाली, केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क, नई दिल्ली,** द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार आयात के वास्तविक मूल्य (भाड़ा, बीमा और सीमा शुल्क सहित) ₹ 62.24 करोड़ था, जबकि बिक्री कर विवरणी में इसे ₹ 2.62 करोड़ दिखाया गया था जिस पर करनिर्धारण सम्पन किया गया।

परिशिष्ट-IV (प्रतिवेदन की कंडिका संख्या 2.3.7.3- बुलेट -I में उल्लिखित)

भारत सरकार के विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संचालित त्रियक- जाँच के परिणाम

(₹लाख में)

क्रम सं	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम (मेस्सेर्स) / टिन	अवधि	वस्तु	वास्तविक आवर्त	लेखापित आवर्त	छिपाव	कर की दर(प्रतिशत)	करदेय	अर्थदंड	करारोप्य कुल कर और अर्थदंड	अभ्युक्तियां
52	रामगढ़	मैहर एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड / 20841903178	2011-12	लौह इस्पात	1,379.57	1,249.04	130.53	5	6.53	13.06	19.59	**केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विवरणी (ई आर -4)** के अनुसार व्यवसायी ने विनिर्माण खर्च ₹ 13.79 करोड़ दिखाया था जबकि, झा.मू.व.क अभिलेख में विनिर्माण व्यय ₹ 12.49 करोड़ ही दिखाया गया था जिस पर करनिर्धारण सम्पन किया गया।
53	रामगढ़	मैहर एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड / 20841903178	2012-13	लौह इस्पात	1,504.79	1,181.22	323.57	5	16.18	32.36	48.54	**केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विवरणी (ई आर -4)** के अनुसार व्यवसायी ने विनिर्माण खर्च ₹ 15.05 करोड़ दिखाया था जबकि, झा.मू.व.क अभिलेख में विनिर्माण व्यय ₹ 11.81 करोड़ ही दिखाया गया था जिस पर करनिर्धारण सम्पन किया गया।

परिशिष्ट-IV (प्रतिवेदन की कंडिका संख्या 2.3.7.3- बुलेट -I में उल्लिखित)

भारत सरकार के विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संचालित त्रियक- जाँच के परिणाम

(₹लाख में)

क्रम सं	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम (मेस्सेर्स) / टिन	अवधि	वस्तु	वास्तविक आवर्त	लेखापित आवर्त	छिपाव	कर की दर(प्रतिशत)	करदेय	अर्थदंड	करारोप्य कुल कर और अर्थदंड	अभ्युक्तियां
54	रामगढ़	मैहर एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड / 20841903178	2010-11	लौह इस्पात	921.12	890.46	30.66	5	1.53	3.06	4.59	**केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विवरणी (ई आर -4)** के अनुसार व्यवसायी ने विनिर्माण खर्च ₹ 9.21 करोड़ दिखाया था जबकि, झा.मू.व.क अभिलेख में विनिर्माण व्यय ₹ 8.90 करोड़ ही दिखाया गया था जिस पर करनिर्धारण सम्पन किया गया।
55	रामगढ़	ग्लोब स्टील एंड अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड / 20091903639	2011-12	लौह इस्पात	849.56	706.21	143.35	5	7.17	14.34	21.51	**केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विवरणी (ई आर -4)** के अनुसार व्यवसायी ने विनिर्माण खर्च ₹ 8.49 करोड़ दिखाया था जबकि, झा.मू.व.क अभिलेख में विनिर्माण व्यय ₹ 7.06 करोड़ ही दिखाया गया था जिस पर करनिर्धारण सम्पन किया गया।

परिशिष्ट-IV (प्रतिवेदन की कंडिका संख्या 2.3.7.3- बुलेट -I में उल्लिखित)

भारत सरकार के विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संचालित त्रियक- जाँच के परिणाम

(₹लाख में)

क्रम सं	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम (मेस्सेर्स) / टिन	अवधि	वस्तु	वास्तविक आवर्त	लेखापित आवर्त	छिपाव	कर की दर(प्रतिशत)	करदेय	अर्थदंड	करारोप्य कुल कर और अर्थदंड	अभ्युक्तियां
56	रामगढ़	ग्लोब स्टील एंड अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड / 20091903639	2012-13	लौह इस्पात	3,002.21	2,950.72	51.49	5	2.57	5.14	7.71	**केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विवरणी (ई आर -4)** के अनुसार व्यवसायी ने विनिर्माण खर्च ₹ 30.02 करोड़ दिखाया था जबकि, झा.मू.व.क अभिलेख में विनिर्माण व्यय ₹ 29.51 करोड़ ही दिखाया गया था जिस पर करनिर्धारण सम्पन किया गया।
57	रामगढ़	वैष्णवी फेरो टेक / 20281906347	2012-13	गैर एलॉयज स्टील सिल्लियां	3,121.99	3,029.71	92.28	5	4.61	9.22	13.83	**केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विवरणी (ई आर -4)** के अनुसार माल की वास्तविक उत्पादन ₹ 31.22 करोड़ था जबकि, बिक्री कर विवरणी में इसे ₹ 30.30 करोड़ ही दिखाया गया था।
58	रामगढ़	राधा कास्टिंग एंड मेटलिक प्राइवेट लिमिटेड /	2012-13	कच्चा लोहा	903.95	644.77	259.18	5	12.96	25.92	38.88	**केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विवरणी (ई आर -4)** के अनुसार व्यवसायी ने विनिर्माण व्यय

परिशिष्ट-IV (प्रतिवेदन की कंडिका संख्या 2.3.7.3- बुलेट -I में उल्लिखित)

भारत सरकार के विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संचालित त्रियक- जाँच के परिणाम

(₹लाख में)

क्रम सं	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम (मेस्सेर्स) / टिन	अवधि	वस्तु	वास्तविक आवर्त	लेखापित आवर्त	छिपाव	कर की दर(प्रतिशत)	करदेय	अर्थदंड	करारोप्य कुल कर और अर्थदंड	अभ्युक्तियां
		20951905523										₹ 9.04 करोड़ दिखाया था जबकि, झा.मू.व.क. अभिलेख में विनिर्माण व्यय, ₹ 6.45 करोड़ ही दिखाया गया था जिस पर करनिर्धारण सम्पन किया गया।
59	रामगढ़	दयाल फेरो एलॉयज / 20491903128	2011-12	फेरो एलॉयज एंड सिलिको मैंगनीज	1,893.51	1,122.46	771.05	5	38.55	77.10	115.65	**केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विवरणी (ई आर -4)** के अनुसार व्यवसायी ने विनिर्माण व्यय ₹ 18.93 करोड़ दिखाया था जबकि, झा.मू.व.क. अभिलेख में विनिर्माण व्यय, ₹ 11.22 करोड़ ही दिखाया गया था जिस पर करनिर्धारण सम्पन किया गया।

परिशिष्ट-IV (प्रतिवेदन की कंडिका संख्या 2.3.7.3- बुलेट -I में उल्लिखित)

भारत सरकार के विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संचालित त्रियक- जाँच के परिणाम

(₹लाख में)

क्रम सं	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम (मेस्सेर्स) / टिन	अवधि	वस्तु	वास्तविक आवर्त	लेखापित आवर्त	छिपाव	कर की दर(प्रतिशत)	करदेय	अर्थदंड	करारोप्य कुल कर और अर्थदंड	अभ्युक्तियां
60	रामगढ़	दयाल फेरो एलॉयज / 20491903128	2012-13	फेरो एलॉयज एंड सिलिको मैंगनीज	4,280.61	4,176.13	104.48	5	5.22	10.44	15.66	**केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विवरणी (ई आर -4)** के अनुसार माल का वास्तविक उत्पादन ₹ 42.80 करोड़ था जबकि, बिक्रीकर विवरणी में इसे, ₹ 41.76 करोड़ ही दिखाया गया था ।
61	रामगढ़	दयाल फेरो एलॉयज / 20491903128	2012-13	एमएस इनगोट	7,917.21	7,700.95	216.26	5	10.81	21.62	32.43	**केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विवरणी (ई आर -4)** के अनुसार माल का वास्तविक उत्पादन ₹ 79.17 करोड़ था जबकि, बिक्रीकर विवरणी में इसे, ₹ 77.01 करोड़ ही दिखाया गया था ।
62	रामगढ़	यश एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड / 20521903645	2010-11	एमएस इनगोट	1,080.55	834.29	246.26	5	12.31	24.62	36.93	**केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विवरणी (ई आर -4)** के अनुसार व्यवसायी ने विनिर्माण व्यय, ₹ 10.81 करोड़ दिखाया था जबकि, झा.मू.व.क. अभिलेख

परिशिष्ट-IV (प्रतिवेदन की कंडिका संख्या 2.3.7.3- बुलेट -I में उल्लिखित)

भारत सरकार के विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संचालित त्रियक- जाँच के परिणाम

(₹लाख में)

क्रम सं	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम (मेस्सेर्स) / टिन	अवधि	वस्तु	वास्तविक आवर्त	लेखापित आवर्त	छिपाव	कर की दर(प्रतिशत)	करदेय	अर्थदंड	करारोप्य कुल कर और अर्थदंड	अभ्युक्तियां
												में विनिर्माण व्यय, ₹ 8.34 करोड़ ही दिखाया गया था जिस पर करनिर्धारण सम्पन किया गया।
63	रामगढ़	कामेश्वर अलॉयज एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड / 20901906873	2012-13	सिलिको मैंगनीज	2,528.60	2,149.67	378.93	5	18.95	37.90	56.85	**केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विवरणी (ई आर -4)** के अनुसार कच्चे माल का वास्तविक खरीद और विनिर्माण व्यय, ₹ 25.29 करोड़ दिखाया गया था जबकि, झा.मू.व.क. अभिलेख में इसे ₹ 21.50 करोड़ ही दिखाया गया था जिस पर करनिर्धारण सम्पन किया गया।

परिशिष्ट-IV (प्रतिवेदन की कंडिका संख्या 2.3.7.3- बुलेट -I में उल्लिखित)

भारत सरकार के विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संचालित त्रियक- जाँच के परिणाम

(₹लाख में)

क्रम सं	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम (मेस्सेर्स) / टिन	अवधि	वस्तु	वास्तविक आवर्त	लेखापित आवर्त	छिपाव	कर की दर(प्रतिशत)	करदेय	अर्थदंड	करारोप्य कुल कर और अर्थदंड	अभ्युक्तियां
64	रामगढ़	पंकज स्टील / 20581900411	2012-13	लोहे की छड़	280.51	201.25	79.26	5	3.96	7.92	11.88	**केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विवरणी (ई आर -4)** के अनुसार विनिर्माण व्यय, ₹ 2.80 करोड़ दिखाया गया था जबकि, झा.मू.व.क. अभिलेख में इसे ₹ 2.01 करोड़ ही दिखाया गया था जिस पर करनिर्धारण सम्पन किया गया।
65	रामगढ़	पंकज स्टील / 20581900411	2013-14	लोहे की छड़	340.91	243.18	97.73	5	4.89	9.78	14.67	**केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विवरणी (ई आर -4)** के अनुसार विनिर्माण व्यय, ₹ 3.41 करोड़ दिखाया गया था जबकि, झा.मू.व.क. अभिलेख के अनुसार इसे ₹ 2.43 करोड़ ही दिखाया गया था जिस पर करनिर्धारण सम्पन किया गया।
66	रामगढ़	मा छिन्मस्तिका स्पंज आयरन लिमिटेड /	2011-12	स्पंज आयरन	1,694.65	1,473.66	220.99	5	11.05	22.10	33.15	**केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विवरणी (ई आर -4)** के अनुसार कच्चे

परिशिष्ट-IV (प्रतिवेदन की कंडिका संख्या 2.3.7.3- बुलेट -I में उल्लिखित)

भारत सरकार के विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संचालित त्रियक- जाँच के परिणाम

(₹लाख में)

क्रम सं	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम (मेस्सेर्स) / टिन	अवधि	वस्तु	वास्तविक आवर्त	लेखापित आवर्त	छिपाव	कर की दर(प्रतिशत)	करदेय	अर्थदंड	करारोप्य कुल कर और अर्थदंड	अभ्युक्तियां
		20271903540										माल की वास्तविक खरीद, ₹ 16.95 करोड़ दिखाया गया था जबकि, झा.मू.व.क. अभिलेख में इसे ₹ 14.74 करोड़ ही दिखाया गया था जिस पर करनिर्धारण सम्पन किया गया।
67	रामगढ़	मा छिन्मस्तिका स्पंज आयरन लिमिटेड / 20271903540	2012-13	स्पंज आयरन	155.28	122.18	33.10	5	1.65	3.30	4.95	**केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विवरणी (ई आर -4)** के अनुसार कच्चे माल की वास्तविक खरीद, ₹ 1.55 करोड़ दिखाया गया था जबकि, झा.मू.व.क. अभिलेख में इसे ₹ 1.22 करोड़ ही दिखाया गया था जिस पर करनिर्धारण सम्पन किया गया।

परिशिष्ट-IV (प्रतिवेदन की कंडिका संख्या 2.3.7.3- बुलेट -I में उल्लिखित)

भारत सरकार के विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संचालित त्रियक- जाँच के परिणाम

(₹लाख में)

क्रम सं	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम (मेस्सेर्स) / टिन	अवधि	वस्तु	वास्तविक आवर्त	लेखापित आवर्त	छिपाव	कर की दर(प्रतिशत)	करदेय	अर्थदंड	करारोप्य कुल कर और अर्थदंड	अभ्युक्तियां
68	रामगढ़	सालासर वायर एंड मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड / 20251906575	2010-11	इस्पात तार	126.92	46.12	80.80	5	4.04	8.08	12.12	**केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विवरणी (ई आर -4)** के अनुसार विनिर्माण व्यय, ₹ 1.27 करोड़ दिखाया गया था जबकि, झा.मू.व.क. अभिलेख में इसे ₹ 46.12 लाख ही दिखाया गया था जिस पर करनिर्धारण सम्पन किया गया।
69	रामगढ़	सालासर वायर एंड मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड / 20251906575	2011-12	इस्पात तार	721.58	646.69	74.89	5	3.74	7.48	11.22	**केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विवरणी (ई आर -4)** के अनुसार कच्चे माल की वास्तविक खरीद, ₹ 7.22 करोड़ था जबकि, झा.मू.व.क. अभिलेख में इसे ₹ 6.47 करोड़ ही दिखाया गया था जिस पर करनिर्धारण सम्पन किया गया।
70	रामगढ़	सालासर वायर एंड मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड /	2012-13	इस्पात तार	186.78	111.06	75.72	5	3.79	7.58	11.37	**केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विवरणी (ई आर-4)** के अनुसार विनिर्माण खर्च, ₹ 1.87 करोड़

परिशिष्ट-IV (प्रतिवेदन की कंडिका संख्या 2.3.7.3- बुलेट -I में उल्लिखित)

भारत सरकार के विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संचालित त्रियक- जाँच के परिणाम

(₹लाख में)

क्रम सं	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम (मेस्सेर्स) / टिन	अवधि	वस्तु	वास्तविक आवर्त	लेखापित आवर्त	छिपाव	कर की दर(प्रतिशत)	करदेय	अर्थदंड	करारोप्य कुल कर और अर्थदंड	अभ्युक्तियां
		20251906575										दिखाया गया था जबकि, झा.मू.व.क. अभिलेख में इसे ₹ 1.11 करोड़ ही दिखाया गया था जिस पर करनिर्धारण सम्पन किया गया।
71	रामगढ़	जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड / 20021905607	2011-12	वायर रॉड और रीबार	1,27,874.00	1,22,032.78	5,841.22	5	292.06	584.12	876.18	**केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विवरणी (ई आर-4)** के अनुसार उत्पादन की लागत, ₹ 1278.74 करोड़ था जबकि, झा.मू.व.क. अभिलेख के अनुसार उत्पादन की लागत ₹ 1220.32 करोड़ ही दिखाया गया था जिस पर करनिर्धारण सम्पन किया गया।

परिशिष्ट-IV (प्रतिवेदन की कंडिका संख्या 2.3.7.3- बुलेट -I में उल्लिखित)

भारत सरकार के विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संचालित त्रियक- जाँच के परिणाम

(₹लाख में)

क्रम सं	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम (मेस्सेर्स) / टिन	अवधि	वस्तु	वास्तविक आवर्त	लेखापित आवर्त	छिपाव	कर की दर(प्रतिशत)	करदेय	अर्थदंड	करारोप्य कुल कर और अर्थदंड	अभ्युक्तियां
72	रामगढ़	जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड / 20021905607	2012-13	वायर रॉड और रीबार	34,653.30	8,358.19	26,295.11	5	1,314.76	2,629.52	3,944.28	**केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विवरणी (ई आर -4)** के अनुसार विनिर्माण व्यय, ₹ 346.53 करोड़ दिखाया गया था जबकि, झा.मू.व.क. अभिलेख के अनुसार इसे ₹ 83.58 करोड़ ही दिखाया गया था जिससे उत्पादन की लागत कम हुई जिस पर करनिर्धारण सम्पन किया गया।
73	रामगढ़	भुवानिया एसोसिएट्स / 20541903634	2010-11	एम एस पिंड	5,049.75	4,347.99	701.76	4	28.07	56.14	84.21	**केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विवरणी (ई आर -4)** के अनुसार कच्चे माल की खरीद और विनिर्माण व्यय, ₹ 50.50 करोड़ दिखाया गया था जबकि, झा.मू.व.क. अभिलेख के अनुसार इसे ₹ 43.48 करोड़ ही दिखाया गया था जिस पर करनिर्धारण सम्पन

परिशिष्ट-IV (प्रतिवेदन की कंडिका संख्या 2.3.7.3- बुलेट -I में उल्लिखित)

भारत सरकार के विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संचालित त्रियक- जाँच के परिणाम

(₹लाख में)

क्रम सं	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम (मेस्सेर्स) / टिन	अवधि	वस्तु	वास्तविक आवर्त	लेखापित आवर्त	छिपाव	कर की दर(प्रतिशत)	करदेय	अर्थदंड	करारोप्य कुल कर और अर्थदंड	अभ्युक्तियां
												किया गया।
74	रामगढ़	श्री वेंकटेश आयरन एंड एलॉयज (इंडिया) लिमिटेड / 20341903162	2012-13	स्पंज आयरन	3,470.40	2,810.06	660.34	5	33.02	66.04	99.06	**केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विवरणी (ई आर -4)** के अनुसार कच्चे माल की खरीद, ₹ 34.70 करोड़ दिखाया गया था जबकि, झा.मू.व.क. अभिलेख के अनुसार इसे ₹ 28.10 करोड़ ही दिखाया गया था जिस पर करनिर्धारण सम्पन किया गया।

परिशिष्ट-IV (प्रतिवेदन की कंडिका संख्या 2.3.7.3- बुलेट -I में उल्लिखित)

भारत सरकार के विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संचालित त्रियक- जाँच के परिणाम

(₹लाख में)

क्रम सं	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम (मेस्सेर्स) / टिन	अवधि	वस्तु	वास्तविक आवर्त	लेखापित आवर्त	छिपाव	कर की दर(प्रतिशत)	करदेय	अर्थदंड	करारोप्य कुल कर और अर्थदंड	अभ्युक्तियां
75	आदित्यपुर	आस्था फेरो टेक / 20330900527	2013-14	फेरो एलॉयज	471.00	323.94	147.06	5	7.35	14.70	22.05	**महानिदेशक, प्रणाली, केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क, नई दिल्ली,** द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार आयात के वास्तविक मूल्य (भाड़ा, बीमा और सीमा शुल्क सहित) ₹ 4.71 करोड़ था, जबकि बिक्री कर विवरणी में इसे ₹ 3.24 करोड़ दिखाया गया था।
		कुल			**18,38,656.69**	**11,43,891.63**	**6,94,765.06**		**36,605.38**	**28,444.74**	**65,050.12**	

परिशिष्ट-V (प्रतिवेदन की कंडिका संख्या 2.4.9 से सन्दर्भित)

निर्धारित कर के बकायों पर अर्थदंड नहीं लगाया जाना

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम (मेसर्स) / टीन	अवधि/ कर निर्धारण की तारीख	बकाया	माँग पत्र निर्गत करने की तारीख	माँग पत्र तामिल होने की तारीख	अर्थदंड आरोपण की अवधि	माह	अधिनियम 43(6) के अंतर्गत अर्थदंड
1	जमशेदपुर	ए लक्ष्मी प्रेस & फोर्ज वर्क्स/ 20340800369	2011-12/ 26.3.2015	10.93	30.03.2015	18.08.2015	09/2015 से 03/2016 तक	7	1.53
	योग			**10.93**					**1.53**
2	जमशेदपुर नागरीय	अवेरा टी & डी/ 20471001815	2008-09/ 31.3.2011 (ओ)/ 18.2.2015 (आर)	17.95	31.03.2011/ 28.02.2015	18.11.2011/ 27.05.2015	06/2015 से 03/2016 तक	10	3.59
				17.70	31.03.2011/ 28.02.2015	18.11.2011/ 27.05.2015	06/2015 से 03/2016 तक	10	3.54
3	जमशेदपुर नागरीय	पिंटु इंजीनियरिंग/ 20201005728	2010-11/ 15.3.2014	204.90	15.03.2014	09.07.2014	08/2014 से 03/2016 तक	20	81.96
	योग			**240.55**					**89.09**
4	आदित्यपुर	आटो प्रोफाइल/ 20860901642	2007-08/ 31.3.2010 (ओ) / 25.5.2015 (आर)	6.11	25.05.2015	16.07.2015	08/2015 से 03/2016 तक	8	0.98
				3.66	25.05.2015	16.07.2015	08/2015 से 03/2016 तक	8	0.59
5	आदित्यपुर	वल्लभ स्टील/ 20570901268	2007-08/ 25.3.2010	115.69	25.03.2010	27.07.2010	08/2010 से 03/2016 तक	68	157.34
				13.54	25.03.2010	27.07.2010	08/2010 से 03/2016 तक	68	18.41
			2008-09/ 20.3.2011	231.54	21.03.2011	30.09.2011	10/2011 से 03/2016 तक	54	250.06
	योग			**370.54**					**427.38**
6	सिंहभूम	अंशिता मिनीरल्स/ 20171105284	2010-11/ 7.8.2013	**14.83**	07.08.2013	23.08.2013	09/2013 से 03/2016 तक	31	**9.19**
	योग			**14.83**					**9.19**
7	राँची दक्षिणी	विनायक एजेंसी / 20640105037	2006-07/ 12.1.2009	2.03	11.02.2009	11.02.2009	03/2009 से 03/2016 तक	85	3.45
8	राँची दक्षिणी	मनोज स्टोर/ 20770105601	2009-10/ 30.3.2013	5.07	30.03.2013	08.07.2013	08/2013 से 03/2016 तक	32	3.25
	योग			**7.10**					**6.70**
9	राँची पूर्वी	आर. के. टिम्बर/ 20940200288	2008-09/ 28.2.2011	0.35	31.03.2011	04/2011	05/2011 से 03/2016 तक	59	0.41
			2009-10/ 21.3.2013	0.88	26.03.2013	1.08.2013	09/2013 से 03/2016 तक	31	0.55
			2010-11/ 28.3.2014	0.40	28.03.2014	20.09.2014	10/2014 से 03/2016 तक	18	0.14
10	राँची पूर्वी	स्टेच कंट्रोल & औटोमेसन / 20390205392	2009-10/ 4.3.2013	0.53	07.03.2013	07.03.2013	04/2013 से 03/2016 तक	36	0.38
11	राँची पूर्वी	श्रीराम खादी ग्रामोद्योग समिति/ 20920205050	2006-07/ 20.07.2009	0.52	25.07.2009 (के.वी.क.)	01.08.2009	09/2009 से 03/2016 तक	79	0.82
			2007-08/ 04.02.2010	0.97	18.02.2010	4.03.2010	04/2010 से 03/2016 तक	72	1.41
			2008-09/ 10.03.2011	1.23	10.03.2011	23.03.2011	04/2011 से 03/2016 तक	60	1.48
12	राँची पूर्वी	सिटैक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड / 20870905936	2009-10/ 20.03.2013	0.46	21.03.2013	11.04.2013	05/2013 से 03/2016 तक	35	0.32
13	राँची पूर्वी	यु. राज ऑटो इलेक्ट्रीक वर्क्स / 20290205376	2009-10/ 28.02.2013	3.33	09.03.2013	15.05.2013	06/2013 से 03/2016 तक	34	2.26
			2010-11/ 10.02.2014	0.24	14.03.2014	22.08.2014	09/2014 से 03/2016 तक	19	0.09
14	राँची पूर्वी	प्रकाश ट्रेडर्स / 20590205230	2007-08/ 25.03.2010	1.39	29.03.2010	12.04.2010	05/2010 से 03/2016 तक	71	1.97

परिशिष्ट-V (प्रतिवेदन की कंडिका संख्या 2.4.9 से सन्दर्भित)

निर्धारित कर के बकायों पर अर्थदंड नहीं लगाया जाना

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम (मेसर्स) / टीन	अवधि/ कर निर्धारण की तारीख	बकाया	माँग पत्र निर्गत करने की तारीख	माँग पत्र तामिल होने की तारीख	अर्थदंड आरोपण की अवधि	माह	अधिनियम 43(6) के अंतर्गत अर्थदंड
15	राँची पूर्वी	विद्युत मेटालिक्स प्रा. लिमिटेड /20350200855	2007-08/ 25.03.2010	0.85	29.03.2010 (वैट)	29.06.2010	07/2010 से 03/2016 तक	69	1.17
				1.46	29.03.2010 (के.वी.क.)	29.06.2010	07/2010 से 03/2016 तक	69	2.01
16	राँची पूर्वी	जेनेसीस इंटरप्राईजेज/ 20480201026	2008-09/ 30.03.2011	2.35	30.03.2011	27.05.2011	06/2011 से 03/2016 तक	58	2.72
17	राँची पूर्वी	गुड़िया फ्युल्स 20330205072	2009-10/ 14.12.2012	16.05	14.12.2012	09.01.2013	02/2013 से 03/2016 तक	38	12.20
18	राँची पूर्वी	एन सी आर कॉर्पोरेशन इंडिया प्रा. लिमिटेड/ 20260200953	2008-09/ 31.03.2011	7.11	31.03.2011	11.10.2011	11/2011 से 03/2016 तक	53	7.54
			2010-11/ 31.03.2014	7.48	19.04.2014	27.09.2014	10/2014 से 03/2016 तक	18	2.69
19	राँची पूर्वी	आरोहण बिल्डर्स / 20320201017	2010-11/ 22.03.2014	28.38	31.03.2014	31.03.2014	05/2014 से 03/2016 तक	23	13.06
	योग			**73.98**					**51.22**
20	रामगढ़	कृष्णा कोक एंड मिनरल्स / 20741900129	2007-08 / 31.03.2010	0.77	31.03.2010 (वैट)	31.03.2010	05/2010 से 03/2016 तक	71	1.09
				2.35	31.03.2010 (के.वी.क.)	31.03.2010	05/2010 से 03/2016 तक	71	3.34
21	रामगढ़	आइ ए जी कंपनी लिमिटेड / 20291903141	2010-11/ 25.03.2014	87.91	25.03.2014 (वैट)	29.03.2014	05/2014 से 03/2016 तक	23	40.44
				29.46	25.03.2014 (के.वी.क.)	29.03.2014	05/2014 से 03/2016 तक	23	13.55
22	रामगढ़	फार्मा क्रॉस प्रा. लिमिटेड/ 20211900663	2007-08/ 08.09.2012	3.03	08.09.2012	14.10.2012	11/2012 से 03/2016 तक	41	2.48
23	रामगढ़	छिन्नमस्तिका स्पंज आयरन/ 20271903540	2006-07/ 7.3.2009(ओ)/ 03.03.2015 (आर) (वैट)	25.95	09.03.2015	04/2015	05/2015 से 03/2016 तक	11	5.71
			(के.बि.क.)	17.04	09.03.2015	04/2015	05/2015 से 03/2016 तक	11	3.75
			2009-10/ 05.03.2013(ओ)/ 01.04.2015 (आर) (वैट)	39.15	01.04.2015	04/2015	05/2015 से 03/2016 तक	11	8.61
			के.बि.क.	2.09	01.04.2015	04/2015	05/2015 से 03/2016 तक	11	0.46
			2008-09/ 31.03.2011 (वैट)	6.39	31.03.2011	14.04.2011	05/2011 से 03/2016 तक	59	7.54
			के.बि.क.	0.71	31.03.2011	14.04.2011	05/2011 से 03/2016 तक	59	0.84
			2010-11/ 10.3.2014 (वैट)	140.05	10.03.2014	04/2014	05/2014 से 03/2016 तक	23	64.42
			के.बि.क.	100.00	10.03.2014	04/2014	05/2014 से 03/2016 तक	23	46.00
			2011-12/ 10.2.2015 (वैट)	64.63	13.02.2015	08.04.2015	05/2015 से 03/2016 तक	11	14.22
			के.बि.क.	0.07	13.02.2015	08.04.2015	05/2015 से 03/2016 तक	11	0.02
24	रामगढ़	छिन्नमस्तिका स्पंज आयरन हाई कोक ईकाई/ 20891905979	2008-09/ 31.03.2011(ओ)	198.75	31.03.2011	14.04.2011	05/2011 से 03/2016 तक	59	234.53
			के.बि.क.	1.37	31.03.2011	14.04.2011	05/2011 से 03/2016 तक	59	1.62
			2009-10/ 31.03.2013 (ओ) (वैट)	5.50	31.03.2013	05.04.2013	05/2013 से 03/2016 तक	35	3.84
			के.बि.क.	0.31	31.03.2013	05.04.2013	05/2013 से 03/2016 तक	35	0.22
			2010-11/ 03.03.2014 (ओ) (वैट)	8.51	03.03.2014	04/2014	05/2014 से 03/2016 तक	23	3.91
25	रामगढ़	ट्रैक्टर ईंडिया लिमिटेड / 20641906618	2010-11/ 28.03.2014 (वैट)	1.93	28.03.2014	29.05.2014	06/2014 से 03/2016 तक	22	0.85

परिशिष्ट-V (प्रतिवेदन की कंडिका संख्या 2.4.9 से सन्दर्भित)

निर्धारित कर के बकायों पर अर्थदंड नहीं लगाया जाना

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम (मेसर्स) / टीन	अवधि/ कर निर्धारण की तारीख	बकाया	माँग पत्र निर्गत करने की तारीख	माँग पत्र तामिल होने की तारीख	अर्थदंड आरोपण की अवधि	माह	अधिनियम 43(6) के अंतर्गत अर्थदंड
			के.बि.क.	0.48	28.03.2014	29.05.2014	06/2014 से 03/2016 तक	22	0.21
26	रामगढ़	आर. एम. आयरन एंड स्टील/ 20821906511	2010-11/ 27.03.2014	40.68	27.03.2014	05.05.2014	06/2014 से 03/2016 तक	22	17.90
	योग			**777.13**					**475.55**
27	धनबाद	बि. सी.सी. एल. डब्लु जे. एरिया / 20361700033	2008-09/ 04.07.2014 (आर)	3.46	04.07.2014	10.07.2014	08/2014 से 03/2016 तक	20	1.38
28	धनबाद	रुची सोया इंड. लिमिटेड / 20211700746	2008-09/ 16.06.2014	3.87	16.06.2014	1.08.2014	09/2014 से 03/2016 तक	19	1.47
29	धनबाद	सिंघल ट्रेडिंग को. / 20591700052	2011-12/ 03.11.2014	1.66	03.11.2014	02.02.2015	03/2015 से 03/2016 तक	13	0.43
30	धनबाद	जय माँ काली/ 20211700843	2011-12/ 16.02.2015	2.75	18.02.2015	26.03.2015	04/2015 से 03/2016 तक	12	0.66
			के.बि.क.	0.03	18.02.2015	26.03.2015			-
			2010-11/ 26.07.2013	0.54	31.07.2013	29.10.2013	11/2013 से 03/2016 तक	29	0.32
			के.बि.क.	0.17	31.07.2013	29.10.2013	11/2013 से 03/2016 तक	29	0.10
	योग			**12.48**					**4.36**
31	देवघर	बैद्धनाथ मोटर स्टोर्स / 20412600893	2010-11/ 24.03.2014	2.71	24.03.2014	24.03.2014	05/2014 से 03/2016 तक	23	1.25
32	देवघर	माँ काली ईंजीकोन प्राईवेट लिमिटेड / 20722601450	2010-11/ 29.03.2014	1.42	29.03.2014	29.03.2014	05/2014 से 03/2016 तक	23	0.65
	योग			**4.13**					**1.90**
33	धनबाद नागरीय	स्पार्क सौफ्टवेयर कंसल्टेंसी / 20051605067	2009-10/ 04.03.2013	2.93	04.03.2013	04/2014	05/2014 से 03/2016 तक	23	1.35
34	धनबाद नागरीय	सुरेन्दर कुमार एंड संस / 20441606662	2011-12/ 27.02.2015	9.19	09.03.2015	20.05.2015	06/2015 से 03/2016 तक	10	1.84
				12.12					**3.19**
	कुल योग			**1,523.79**					**1,070.11**

परिशिष्ट-VI (प्रतिवेदन की कंडिका संख्या 2.4.10.2 से सन्दर्भित)

नीलामपत्रवाद शुरू करने के पूर्व अर्थदंड का नहीं लगाया जाना

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम / टीन	नीलाम वाद दायर करने की तारीख	अवधि	बकाया	अर्थदंड के बिना बकाया	मांग पत्र निर्गत करने की तारीख	मांग पत्र तामिल होने की तारीख	मांग पत्र तामिल होने के 45 दिन बाद	5% की दर से प्रथम तीन माह का अर्थदंड	तीन माह के बाद 10% की दर से	5% की दर से प्रथम तीन माह का अर्थदंड	तीन माह के बाद 10% की दर से अर्थदंड	कुल
1	जमशेदपुर	सीमेंट सप्लाई एजेंसी/ 20670802176	15.01.2013	2000-01	6.73	0	0	0	0	0	0	0	0	
				2000-01	3.38	1.77	10.09.2007	06/2009	1.08.2009	30.10.2009 तक	01.11.2009 से 01.01.2013 (3 वर्ष 2माह)	0.27	6.73	6.99
				2001-02	0.54	0.54	01/ 2005	08/2005	1.10.2005	31.12.2005 तक	01.01.2006 से 01.01.2013 (7 वर्ष)	0.08	4.54	4.62
				2001-02	4.21	2.19	07/2010	01/2011	1.03.2011	31.05.2011 तक	01.06.2011 से 01.01.2013 (1 वर्ष 7 माह)	0.33	4.16	4.49
				2002-03	8.02	8.02	06/2006	07/2006	1.09.2006	30.11.2006 तक	01.12.2006 से 01.01.2013 (6 वर्ष 1 माह)	1.20	58.55	59.75
				2002-03	0.64	0.64	06/2006	07/2006	1.09.2006	30.11.2006 तक	01.12.2006 से 01.01.2013 (6 वर्ष 1 माह)	0.10	4.67	4.77
				2003-04	103.55	103.47	03/2008	08/2009	1.10.2009	31.12.2009 तक	1.01.2010 से 01.01.2013 (3 वर्ष)	15.52	372.49	388.01
				2003-04	8.87	8.87	08/2009	08/2009	1.10.2009	31.12.2009 तक	1.01.2010 से 01.01.2013 (3 वर्ष)	1.33	31.93	33.26
				2004-05	134.61	134.61	07/2008	08/2009	1.10.2009	31.12.2009 तक	1.01.2010 से 01.01.2013 (3 वर्ष)	20.19	484.60	504.79
				2004-05	0.17	0.17	07/2008	08/2009	1.10.2009	31.12.2009 तक	1.01.2010 से 01.01.2013 (3 वर्ष)	0.03	0.61	0.64
				2006-07	38.85	38.85	11/2009	11/2009	0	-	12/2009 से 01.01.2013 (3 वर्ष 1 माह)	-	0	28.74

परिशिष्ट-VI (प्रतिवेदन की कंडिका संख्या 2.4.10.2 से सन्दर्भित)

नीलामपत्रवाद शुरू करने के पूर्व अर्थदंड का नहीं लगाया जाना

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम / टीन	नीलाम वाद दायर करने की तारीख	अवधि	बकाया	अर्थदंड के बिना बकाया	मांग पत्र निर्गत करने की तारीख	मांग पत्र तामिल होने की तारीख	मांग पत्र तामिल होने के 45 दिन बाद	5% की दर से प्रथम तीन माह का अर्थदंड	तीन माह के बाद 10% की दर से	5% की दर से प्रथम तीन माह का अर्थदंड	तीन माह के बाद 10% की दर से अर्थदंड	कुल
				2007-08	3.50	3.50	02/2010	12/2010	0	-	01/2011 से 01.01.2013 (2 वर्ष)	-		1.68
				2008-09	0.01		0	0	0	-	0	-	0	0
					313.08	**302.63**								**1,037.74**
2	जमशेदपुर	सिटी गैस सर्विस/ 20250800952	25.05.2010	1992-93 से 2000-01	6.83	-	0	0	0	-	0	-	0	0
				2001-02	1.26	1.26	4.03.2007	07/2009	01.09.2009	30.11.2009 तक	1.12.2009 से 25.05.2010 (6 माह)	0.19	0.76	0.95
				2003-04	0.99	0.99	3.11.2006	12/2006	01.02.2007	30.04.2007 तक	1.05.2007 से 25.05.2010 (3 वर्ष 1 माह)	0.15	3.66	3.80
				2004-05	27.48	27.43	12.11.2008	08/2009	01.11.2009	31.01.2010 तक	01.02.2010 से 25.05.2010 (5माह)	4.11	13.72	17.83
				2005-06	16.99	-	0	0	0	-	0	-	-	0
				2006-07	9.75	9.75	14.02.2009	06/2009	0	-	07/2009 से 05/2010 (11माह)	-	0	2.15
					63.30	**39.43**								**24.73**
3		इस्टर्न ऑटोमोबाइल्स/ 20920805577	19.07.2012	2007-08	22.60	22.60	16.01.2010	10/2010	0	0	11/2010 से 07/2012 (1 वर्ष 9 माह)	-	0	9.49
					1.07	1.07	16.01.2010	10/2010	0	0	11/2010 से 07/2012 (1 वर्ष 9 माह)	-	0	0.46
				2008-09	43.19	43.19	22.01.2011	01/2011	0	0	03/2011 से 07/2012 (1 वर्ष 5 माह)	-	0	14.68
					0.60	0.60	22.01.2011	01/2011	0	0	03/2011 से 07/2012 (1 वर्ष 5 माह)	-	0	0.20
					67.46	**67.46**								**24.83**

परिशिष्ट-VI (प्रतिवेदन की कंडिका संख्या 2.4.10.2 से सन्दर्भित)

नीलामपत्रवाद शुरू करने के पूर्व अर्थदंड का नहीं लगाया जाना

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम / टीन	नीलाम वाद दायर करने की तारीख	अवधि	बकाया	अर्थदंड के बिना बकाया	मांग पत्र निर्गत करने की तारीख	मांग पत्र तामिल होने की तारीख	मांग पत्र तामिल होने के 45 दिन बाद	5% की दर से प्रथम तीन माह का अर्थदंड	तीन माह के बाद 10% की दर से	5% की दर से प्रथम तीन माह का अर्थदंड	तीन माह के बाद 10% की दर से अर्थदंड	कुल
4		सरगम/ 20220800338 / जे. आर. -638	24.05.2011	2001-02 से 2005-06	14.80	-	0	0	0	0	0	-	0	0
				2006-07	31.29	31.29	26.03.2009	09/2010	0	0	10/2010 से 05/2011 (08 माह)	0	0	5.01
				2007-08	28.77	28.77	31.03.2010	09/2010	0	0	10/2010 से 05/2011 (08 माह)	0	0	4.60
					74.86	**60.06**								**9.61**
5	सिंहभूम	जौहर स्टील / 20361101349	02/2015	2009-10	23.65	23.65	17.01.2013	05/2013	0	0	06/2013 से 02/2015 (1 वर्ष 9 माह)	0	0	9.93
					23.65	**23.65**								**9.93**
6	धनबाद नागरीय	एल.एम. एल/ डी. यु. - 3184 (आर)	28.01.2010	2003-04	189.08	187.45	02.04.2008	10/2008	12/2008	01/2009 to 03/2009	04/2009 से 01/2010 (10 माह)	28.12	187.45	**215.57**
					189.08	**187.45**								**215.57**
	कुल				**731.43**	**680.68**								**1322.41**

परिशिष्ट-VII (प्रतिवेदन की कंडिका संख्या 2.4.11.2 से सन्दर्भित)

विद्युत शुल्क की वसूली के लिये नीलामवाद आरंभ नहीं किया जाना

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम / निबंधन संख्या	अवधि/ आदेश की तारीख	बकाया	मांग पत्र निर्गत करने की तारीख	मांग पत्र तामिल होने की तारीख	मांग पत्र तामिल होने में हुई देरी	अर्थदंड उद्ग्रहण की अवधि		राशि	राशि
								प्रथम तीन माह 2.5% की दर से	तीन माह बाद 5% की दर से	प्रथम तीन माह 2.5% की दर से	तीन माह बाद 5% की दर से
1	राँची दक्षिणी	जे.एस.इ.बी./ इडी-25	2002-03 /15.03.2008(ओ), 25.03.2011 (आर)	36.82	31.03.2011	12.10.2011	6 माह	11/2011 से 01/2012 (3 माह)	02/2012 से 03/2016 (50माह)	2.76	92.05
			2003-04/ 10.04.2008 (ओ) /20.10.2011(आर)	1,301.40	08.11.2011	04.09.2012	10माह	10/2012 से 12/2012 (3 माह)	01/2013 से 03/2016 (39माह)	97.61	2,537.73
			2004-05/ 07.10.2013	1,349.05	07.10.2013	21.11.2013	1 माह	12/2013 से 02/2014 (3 माह)	03/2014 से 03/2016 (25माह)	101.18	1,686.30
			2005-06/ /07.10.2013	1,680.86	07.10.2013	21.11.2013	1 माह	12/2013 से 02/2014 (3 माह)	03/2014 से 03/2016 (25माह)	126.06	2,101.08
			2006-07/ 07.10.2013	213.66	07.10.2013	21.11.2013	1 माह	12/2013 से 02/2014 (3 माह)	03/2014 से 03/2016 (25 माह)	16.02	267.08
				4,581.79							
2		हिंडाल्को/ इडी-26	2009-10/04.10.2013	**37.84**	04.10.2013	1.11.2013	1 माह	12/2013 से 02/2014 (3 माह)	03/2014 से 03/2016 (25 माह)	2.84	47.30
										346.47	**6,731.54**
कुल				**4,619.63**							**7,078.01**
कुल योग											**11,697.64**

परिशिष्ट -VIII (कंडिका संख्या 5.3.9.1 को संदर्भित करें)

उप-पट्टे की भूमि का अनियमित आवंटन (₹ लाख में)

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	पट्टाधारकों की संख्या	उप-पट्टे का क्षेत्र (एकड़ में)	दर (प्रति एकड़)	सलामी	अवधि	20 वर्षों के लिये व्यावसायिक लगान सलामी के 5% की दर से	उपकर लगान के 145% की दर से	कुल
1	उपसमाहर्त्ता, टाटा लीज, जमशेदपुर	1	5	102.00	510.00	1996 से 2015 (19 वर्षों के लिये)	484.50	702.53	1,697.03
2	अंचल अधिकारी, निरसा	1	114.95	0.95 से 0.34	1872.21	2010-11 से 2014-15	468.05	678.68	3,018.94
3	उपसमाहर्त्ता, टाटा लीज, जमशेदपुर	14	86.899	290.40 से 1331	34170.46	1990 से 1997 (18 से 25 वर्षों के लिये)	38099.92	55244.88	127,515.26
4	उपसमाहर्त्ता, टाटा लीज, जमशेदपुर	3	143.28	279.62 से 306.24	41178.80	1991 से 2015 (22 से 44 वर्षों के लिये)	47490.76	68861.60	157531.16
5	उपसमाहर्त्ता, टाटा लीज, जमशेदपुर	1260	119.25	1.07 से 3.43	15984.54	1.4.71 से 31.3.2015 (22 से 44 वर्षों के लिये)	13693.76	18183.63	47861.94
कुल		**1279**	**469.3773**		**93716.01**		**100237.00**	**143671.32**	**337624.32**

परिशिष्ट-IX (कंडिका सं. 5.3.9.2 को संदर्भित करें)

पट्टा अधिकार के अनियमित बिक्री के कारण ₹ 97,448.06 लाख के राजस्व की हानि (₹ लाख में)

कार्यालय का नाम	उप-पट्टाधारक का नाम जिसे बेचा गया	बिक्री दस्तावेज सं./तिथि	मौजा/थाना सं.	उप-पट्टे का क्षेत्र (एकड़ में)	दर/डिसमिल	दर (प्रति एकड़)	सलामी	अवधि	लगान के गणना की अवधि	सलामी के 5% की दर से व्यावसायिक लगान	लगान के 145% की दर से उपकर	कुल
उपसमाहर्त्ता, टाटा लीज	लाफार्ज इंडिया लि.	3913/ 02.11.1999	जोजोबेड़ा/ 1196	122.82	2.80	279.62	34,342.93	1999-2015	15	25,757.20	37,347.93	97,448.06

परिशिष्ट-X (कंडिका सं. 5.3.10.1 को संदर्भित करें)

खासमहल भूमि का पट्टा नवीकृत नहीं किया गया **(₹ लाख में)**

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	पट्टाधारकों की सं.	क्षेत्र (एकड़ में)	उद्देश्य	पट्टे के समाप्ति की तिथि	दर/डिसमिल	सलामी	अवधि जिसके लिये लगान की गणना की गयी	आवासीय/व्यावसायिक लगान	ब्याज 6.25% एवं 10% की दर से	कुल (लगान + ब्याज)
1	अं.अ., चक्रधरपुर	38	15.24	आवासीय	1968-69 से 1988-89	0.78 से 1.38	1,726.40	1968-69 से 2014-15	1,307.45	102.43	1,409.89
2	भू.सु.उ.स., गढ़वा	96	4.59	आवासीय	1960-61 से 2008-09	3.4	1,560.60	1961-62 से 2014-15	219.98	21.17	241.15
3	अं.अ., जगन्नाथपुर	37	4.81	आवासीय	1950 से 2011	0.049	23.38	1950-51 से 2014-15	14.75	1.15	15.89
4	अं.अ., नोआमुंडी	180	25.85	आवासीय	1955-56 से 2012-13	0.09 से 0.37	900.83	1956-57 से 2014-15	425.20	34.86	460.06
5	अ.स. चाईबासा	325	90.37	आवासीय	1990-91 से 2013-14	0.62 से 1.47	8,284.06	1990-91 से 2014-15	2,785.92	260.68	3,046.59
6	भू.सु.उ.स./खास महल अधिकारी, हजारीबाग	1517	621.06	व्यावसायिक/ आवासीय	1977-78 से 2013-14	0.11 से 10.00	95,239.32	1978-79 से 2014-15	19,141.50	1,745.44	20,886.94
7	भू.सु.उ.स., राँची	1230	392.48	आवासीय	1958-59 से 1995-96	0.94 से 3.59	78,804.79	1958-59 से 2014-15	74,691.63	5,613.88	80,305.52

परिशिष्ट-X (कंडिका सं. 5.3.10.1 को संदर्भित करें)

खासमहल भूमि का पट्टा नवीकृत नहीं किया गया **(₹ लाख में)**

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	पट्टाधारकों की सं.	क्षेत्र (एकड़ में)	उद्देश्य	पट्टे के समाप्ति की तिथि	दर/डिसमिल	सलामी	अवधि जिसके लिये लगान की गणना की गयी	आवासीय/व्यावसायिक लगान	ब्याज 6.25% एवं 10% की दर से	कुल (लगान + ब्याज)
8	अं.अ., गोलमुरी सह जुगसलाई	59	29.59	आवासीय/ व्यावसायिक	1965-66 से 2005-06	1.0375	3,069.96	1965-66 से 2014-15	1,252.10	109.03	1,361.13
9	भू.सु.उ.स., लातेहार	91	12.07	आवासीय	1958-59 से 1999-2000	0.16 से 1.10	595.93	1958-59 से 2014-15	531.45	40.33	571.78
10	भू.सु.उ.स., खासमहल अधिकारी, कोडरमा	250	73.59	आवासीय	1979-80 से 2009-10	0.06 से 0.91	8,290.32	1980-81 से 2014-15	5,803.22	462.19	6,265.41
11	भू.सु.उ.स./खासमहल अधिकारी, साहिबगंज	2527	1021.62	आवासीय/ व्यावसायिक	1960-61	0.8	81,729.20	1960-61 से 2014-15	88,267.54	6,497.47	94,765.01
12	भू.सु.उ.स./ खासमहल अधिकारी, मेदिनीनगर डाल्टनगंज	1512	256.17	आवासीय/ व्यावसायिक	1934-35 से 2013-14	5.32	136,280.21	1935-36 से 2014-15	172,627.32	14,537.57	187,164.89
कुल		**7862**	**2547.42**				**416,505**		**367,068.06**	**29,426.21**	**396,494.27**

परिशिष्ट-XI (i) (कंडिका सं. को संदर्भित करें 5.3.10.2)

गैरमजरूआ भूमि **(₹ लाख में)**

गै.म. खासभूमि के समाप्त पट्टे नवीकृत नहीं किये गये

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	गै.म. भूमि की बंदोबस्ती हेतु पट्टाधारक का नाम	मौजा का नाम	क्षेत्र (एकड़ में)	पट्टा समाप्ति की तिथि	दर/डिसमिल	सलामी	सलामी के 5% की दर से 2010-11 से 2014-15 हेतु व्यावसायिक लगान	लगान पर 10% की दर से ब्याज	कुल
1	अ.स., चाईबासा	चिड़िया माइन्स, इस्को	12 विभिन्न मौजा	343.62	1/1982 से 6/2009	0.03 से 0.45	5,240.36	1,310.09	131.01	1,441.10
2	अं.अ., नोआमुंडी	टिस्को नोआमुंडी में	बालीजोर	450.80	31.12.1982	0.1059	4,773.97	1,193.49	119.35	1,312.84
कुल				**794.42**			**10,014.33**	**2,503.58**	**250.36**	**2,753.94**

परिशिष्ट-XI (ii) (कंडिका सं. को संदर्भित करें 5.3.10.2)

गै.म. खासभूमि के समाप्त पट्टे नवीकृत नहीं किये गये **(₹ लाख में)**

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	पट्टाधारकों की सं.	क्षेत्र (एकड़ में)	अवधि	पट्टा समाप्ति की तिथि	सलामी	सलामी के 2% की दर से आवासीय लगान	लगान के 145% की दर से उपकर	लगान और उपकर पर 10% की दर से ब्याज	कुल
1	अं.अ., चाईबासा	50	12.98	2010-11 से 2014-15	1978-79 से 2013-14 के बीच	1,306.45	130.64	189.43	32.01	352.09
2	अं.अ., गोलमुरी-सह-जुगसलाई, जमशेदपुर	109	13.44	2010-11 से 2014-15	1980 से 2011 के बीच	1,357.76	135.78	196.87	33.27	365.92
कुल		**159**	**26.42**			**2,664.20**	**266.42**	**386.31**	**65.27**	**718.00**

सार			
	क्षेत्र	पट्टाधारकों की सं.	राशि
परिशिष्ट XI (i)	794.42	2	2,753.94
परिशिष्ट XI (ii)	26.42	159	718.00
कुल	**820.84**	**161**	**3,471.94**

परिशिष्ट-XII (कंडिका सं. को संदर्भित करें 5.3.10.3)

भूमि के अतिक्रमण के कारण सरकार ₹ 220.04 करोड़ के राजस्व से वंचित हुई

(छोड़ी गयी भूमि जो 2014-15 तक नवीकृत नहीं हुआ का विवरण) **(₹ लाख में)**

क्र.सं.	वार्ड सं.	(क्षेत्र एकड़ में)	अतिक्रमण की अवधि	बाजार दर/डिसमिल	सलामी	1996-97 से 2014-15 की अवधि हेतु आवासीय लगान 2% की दर से	कुल
1	1,2,3 एवं 7 से 19	69.430	1996 से 2014-15	1.03	7,151.29	2,717.49	9,868.78
2	1	44.297	1996 से 2014-15	1.36	6,024.39	602.439	602.44
3	2	29.530	1996 से 2014-15	1.36	4,016.08	401.608	401.61
4	3	17.923	1996 से 2014-15	1.03	1,846.07	184.607	184.61
5	7	10.700	1996 से 2014-15	3.43	3,670.10	367.010	367.01
6	11	20.650	1996 से 2014-15	1.45	2,994.25	299.425	299.43
7	12	88.760	1996 से 2014-15	1.07	9,497.32	949.732	949.73
8	13	9.494	1996 से 2014-15	1.07	1,015.86	101.586	101.59
9	14	3.669	1996 से 2014-15	1.07	392.58	39.258	39.26
10	15	127.000	1996 से 2014-15	1.07	13,589.00	1,358.900	1,358.90
11	16	297.243	1996 से 2014-15	1.03	30,616.03	3,061.603	3,061.60
12	17	379.719	1996 से 2014-15			3,911.106	

परिशिष्ट-XII (कंडिका सं. को संदर्भित करें 5.3.10.3)

भूमि के अतिक्रमण के कारण सरकार ₹ 220.04 करोड़ के राजस्व से वंचित हुई

(छोड़ी गयी भूमि जो 2014-15 तक नवीकृत नहीं हुआ का विवरण) **(₹ लाख में)**

क्र.सं.	वार्ड सं.	(क्षेत्र एकड़ में)	अतिक्रमण की अवधि	बाजार दर/डिसमिल	सलामी	1996-97 से 2014-15 की अवधि हेतु आवासीय लगान 2% की दर से	कुल
				1.03	39,111.06		3,911.11
13	18	31.273	1996 से 2014-15	1.07	3,346.21	334.621	334.62
14	19	50.771	1996 से 2014-15	1.03	5,229.41	522.941	522.94
कुल		**1,111.029**			**1,21,348.362**	**12,134.8362**	**22,003.62**

परिशिष्ट-XIII (कंडिका सं. को संदर्भित करें 5.3.10.3)

भूमि के अतिक्रमण के कारण ₹ 28.73 करोड़ के राजस्व से सरकार वंचित हुई **(₹ लाख में)**

(तत्कालीन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गुआ, नोआमुंडी, पश्चिमी सिंहभूम)

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	अतिक्रमणकारी का नाम	भूमि के अतिक्रमण की तिथि	क्षेत्र (एकड़ में)	दर प्रति एकड़	सलामी	अवधि	वर्षों की संख्या	व्यावसायिक लगान 5% की दर से	लगान के 145% की दर से उपकर	कुल
1	अं.अ., नोआमुंडी	रेलवे	अप्रैल-09	72.79	19.53	1,422	2009-10 से 2014-15	6	426.48	618.39	2,466.46
2	अं.अ., नोआमुंडी	जेएसपीएल	अप्रैल-09	12.00	19.53	234	2009-10 से 2014-15	6	70.31	101.95	406.61
कुल				**84.79**		**1,656**			**496.78**	**720.34**	**2,873.07**

परिशिष्ट-XIV (कंडिका सं. को संदर्भित करें 5.3.11.1)

पट्टे की भूमि का अनियमित आवंटन (20.08.2005 के बाद उप-पट्टे के अनुमोदन को दर्शाती विवरणी) (₹ लाख में)

क्र.सं.	कपनी/संस्थान/विद्यालय का नाम व पता	भूमि की अवस्थिति/मौजा/ वार्ड सं.	उद्देश्य	उप-पट्टे का क्षेत्र (एकड़ में)	दर/डिसमिल	दर(प्रति एकड़)	सलामी	अधिकार की तिथि	लगान की गणना हेतु वर्ष	लगान की दर	सलामी पर लगान	सलामी के 145% की दर से उपकर	कुल
1	रूट्स कॉरपोरेशन लि.	जुगसलाई/4	व्यावसायिक	1.22	1.64	164	200.08	5.10.06	9	5%	90.04	130.55	420.67
2	स्टील स्ट्रिप्स व्हील लि.	19	व्यावसायिक	10.09	0.47	47	474.23	12.02.2007	8	5%	189.69	275.05	938.98
3	टाटा ब्लू स्कोप स्टील बिल्डिंग सोल्यूशन प्रा. लि.	बारा/11	व्यावसायिक	61.23	0.61	61	3,735.03	12.10.2006	9	5%	1,680.76	2,437.11	7,852.90
4	राज योग प्रशिक्षण केंद्र	सोनारी/1	आवासीय	0.40	0.61	61	24.40	17.7.06	9	2%	4.39	6.37	35.16
5	श्री शैलेंद्र कुमार	सोनारी/1	व्यावसायिक	0.38	0.61	61	22.88	16.3.2007	8	5%	9.15	13.27	45.29
6	श्री साई सेंटर, जमशेदपुर	बेलीडीह/6	आवासीय	0.75	0.78	78	58.50	23.3.2007	8	2%	9.36	13.57	81.43
7	एक्स एल आर आइ, जमशेदपुर	बेलीडीह/6	आवासीय	6.80	0.78	78	530.40	18.09.2006	9	2%	95.47	138.43	764.31
8	केरल समाजम, जमशेदपुर	साकची/7	व्यावसायिक	0.67	0.78	78	52.26	21.07.2008	7	2%	7.32	10.61	70.19
9	शम्सुद्दीन खान	खूँटाडीह/बिष्टुपुर/3	व्यावसायिक	0.12	0.61	61	7.32	16.02.2007	8	2%	1.17	1.70	10.19
10	राजस्थान मैत्री संघ	उलियान/2	व्यावसायिक	1.50	0.67	67	100.50	15.12.2008	7	2%	14.07	20.40	134.97
11	राम कृष्ण मिशन, विवेकानंद सोसायटी	खूँटाडीह/बिष्टुपुर/3	आवासीय	4.25	0.61	61	259.25	06.06.2007	8	2%	41.48	60.15	360.88
12	सिंहभूम होम्योपैथिक कॉलेज व	उलियान/2	आवासीय	1.50	0.67	67		21.01.2009	6	2%			

परिशिष्ट-XIV (कंडिका सं. को संदर्भित करें 5.3.11.1)

पट्टे की भूमि का अनियमित आवंटन (20.08.2005 के बाद उप-पट्टे के अनुमोदन को दर्शाती विवरणी) **(₹ लाख में)**

क्र.सं.	कपनी/संस्थान/विद्यालय का नाम व पता	भूमि की अवस्थिति/मौजा/ वार्ड सं.	उद्देश्य	उप-पट्टे का क्षेत्र (एकड़ में)	दर/डिसमिल	दर(प्रति एकड़)	सलामी	अधिकार की तिथि	लगान की गणना हेतु वर्ष	लगान की दर	सलामी पर लगान	सलामी के 145% की दर से उपकर	कुल
	अस्पताल						100.50				12.06	17.49	130.05
13	केंद्रीय जल आयोग, जमशेदपुर	सोनारी/1	आवासीय	0.77	0.61	61	46.97	19.01.2006	9	2%	8.45	12.26	67.68
14	दामोदर घाटी कॉरपोरेशन, जमशेदपुर	कालीमाटी/14	आवासीय	0.96	0.52	52	49.66	15.01.2009	6	2%	5.96	8.64	64.26
15	ऑर्थोडोक्स सिरिन चर्च, जमशेदपुर	बगतिया/2	आवासीय	0.46	0.67	67	30.82	9.12.2008	7	2%	4.31	6.26	41.39
16	रामकृष्ण मिशन, विवेकानंद सोसायटी	साकची/7	आवासीय	1.25	0.78	78	97.50	28.06.2011	4	2%	7.80	11.31	116.61
17	भारतीय रेड क्रॉस सोसायटी	साकची/7	आवासीय	0.36	0.78	78	28.24	24.12.2008	7	2%	3.95	5.73	37.92
18	पंजाबी समाज, जमशेदपुर	गोलमुरी/12	आवासीय	0.50	0.67	67	33.50	03.02.2009	6	2%	4.02	5.83	43.35
19	संध्या सम्मेलनी, जमशेदपुर	उलियान/2	आवासीय	0.09	0.61	61	5.49	24.12.2008	7	2%	0.77	1.11	7.37
20	आंध्र भक्त कोलाटा समाजम, जमशेदपुर	जुगसलाई/4	आवासीय	0.16	0.67	67	10.72	02.03.2009	5	2%	1.07	1.55	13.35
21	मे. डी.पी. बोधनवाला	जुगसलाई/4	आवासीय	0.83	0.67	67	55.61	21.12.2008	7	5%	19.46	28.22	103.30
22	भारत सेवाश्रम संघ	सोनारी/1	आवासीय	2.92	0.61	61	178.12	1,991	24	2%	85.50	123.97	387.59
23	टाटा रॉबिन्स फ्रेजर (टी.आर.एफ.) कं.	सुस्नीगढ़िया/13	व्यावसायिक	3.70	0.47	47	173.90	12.01.2009	6	5%	52.17	75.65	301.72

परिशिष्ट-XIV (कंडिका सं. को संदर्भित करें 5.3.11.1)

पट्टे की भूमि का अनियमित आवंटन (20.08.2005 के बाद उप-पट्टे के अनुमोदन को दर्शाती विवरणी) (₹ लाख में)

क्र.सं.	कपनी/संस्थान/विद्यालय का नाम व पता	भूमि की अवस्थिति/मौजा/ वार्ड सं.	उद्देश्य	उप-पट्टे का क्षेत्र (एकड़ में)	दर/डिसमिल	दर(प्रति एकड़)	सलामी	अधिकार की तिथि	लगान की गणना हेतु वर्ष	लगान की दर	सलामी पर लगान	सलामी के 145% की दर से उपकर	कुल
24	आय कर विभाग	बगतिया/2	आवासीय	1.00	0.61	61	61.00	19.07.2006	9	2%	10.98	15.92	87.90
25	आयकर विभाग (कर्मचारी गृह निर्माण)	सुस्नीगढ़िया/13	आवासीय	2.80	0.47	47	131.60	19.07.2006	9	2%	23.69	34.35	189.64
26	पी एंड एम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि.	जुगसलाई/4	व्यावसायिक	3.12	1.64	164	511.68	27.08.2007	8	5%	204.67	296.77	1,013.13
27	इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन	नीलडीह/18	व्यावसायिक	0.34	0.55	55	18.70	27.07.1996	19	5%	17.77	25.76	62.22
28	सेंटर फोर इनर रिसोर्स डेवलपमेंट	बेलीडीह/6	आवासीय	0.75	0.61	61	45.75	23.07.2008	7	2%	6.41	9.29	61.44
29	एक्स एल आर आई, जमशेदपुर	बेलीडीह/6	आवासीय	4.89	0.78	78	381.42	31.01.2009	6	2%	45.77	66.37	493.56
30	भारतीय रेड क्रॉस सोसायटी	साकची/7	आवासीय	0.37	0.85	85	31.71	24.12.2008	7	2%	4.44	6.44	42.58
31	मे. हाई-टेक हेरिटेज लिमिटेड	सोनारी/1	व्यावसायिक	2.00	0.61	61	122.00	10.03.2008	7	5%	42.70	61.92	226.62
32	मे.जमशेदपुर युटीलिटीज़ ऑफ सर्विस कं. लि.	जुगसलाई/4	व्यावसायिक	5.46	1.64	164	895.44	24.06.2008	7	5%	313.40	454.44	1,663.28
33	चिल्ड्रन ऑफ रामकृष्ण फोर फिलॅन्थ्रोपिक ऑर्गनाइज़ेशन	बारह/11	आवासीय	0.14	0.61	61	8.54	24.08.2008	7	2%	1.20	1.73	11.47
34	पर्यावरणीय प्रबंधन एवं अध्ययन संस्थान	खूँटाडीह/3	आवासीय	1.20	0.73	73	87.84	30.12.2008	7	2%	12.30	17.83	117.97
35	मे. अंबे इंडेन जमशेदपुर	सुस्नीगढ़िया/13	व्यावसायिक	0.28	0.61	61		11.04.2008	7	5%			

परिशिष्ट-XIV (कंडिका सं. को संदर्भित करें 5.3.11.1)

पट्टे की भूमि का अनियमित आवंटन (20.08.2005 के बाद उप-पट्टे के अनुमोदन को दर्शाती विवरणी) **(₹ लाख में)**

क्र.सं.	कपनी/संस्थान/विद्यालय का नाम व पता	भूमि की अवस्थिति/मौजा/ वार्ड सं.	उद्देश्य	उप-पट्टे का क्षेत्र (एकड़ में)	दर/डिसमिल	दर(प्रति एकड़)	सलामी	अधिकार की तिथि	लगान की गणना हेतु वर्ष	लगान की दर	सलामी पर लगान	सलामी के 145% की दर से उपकर	कुल
							16.84				5.89	8.54	31.27
36	जमशेदपुर कोल्ड स्टोरेज	सोनारी/1	व्यावसायिक	0.62	0.67	67	41.54	27.08.2008	7	5%	14.54	21.08	77.16
37	मे. प्रीमियम रेसिडेंसी प्रा. लि.	खूँटाडीह/3	व्यावसायिक	1.96	1.20	120	234.34	04.03.2008	7	5%	82.02	118.93	435.28
38	मे. विजया मोटल्स प्रा. लि.	गोलमुरी/12	व्यावसायिक	1.00	0.61	61	61.00	4.03.2008	7	5%	21.35	30.96	113.31
39	टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स	साकची/7	व्यावसायिक	0.65	0.85	85	55.42	05.09.2008	7	5%	19.40	28.13	102.94
40	मे. सुपर सेंटर	साकची/7	व्यावसायिक	0.21	1.64	164	34.44	27.08.2008	7	5%	12.05	17.48	63.97
41	श्री जयंतीलाल बादियानी व तीन अन्य	जुगसलाई/4	व्यावसायिक	0.12	1.84	184	22.63	10.04.2009	6	5%	6.79	9.84	39.27
42	श्री जवाहर लाल विग एवं अन्य	जुगसलाई/4	व्यावसायिक	0.10	1.64	164	17.06	26.09.2008	7	5%	5.97	8.66	31.68
43	कुशल इंडेन	बारा/11	व्यावसायिक	0.27	0.70	70	18.90	14.04.2009	6	5%	5.67	8.22	32.79
44	श्री वी.टी.एल. लियाओ	जुगसलाई/4	व्यावसायिक	0.08	1.84	184	14.54	25.02.2009	6	5%	4.36	6.32	25.22
45	श्री रघुबीर सिंह भाटिया एवं अन्य	जुगसलाई/4	व्यावसायिक	0.10	1.64	164	16.40	26.09.2008	7	5%	5.74	8.32	30.46
46	श्री आर एच. अमीन	जुगसलाई/4	व्यावसायिक	0.10	1.84	184	18.22	25.02.2009	6	5%	5.46	7.92	31.60

परिशिष्ट-XIV (कंडिका सं. को संदर्भित करें 5.3.11.1)

पट्टे की भूमि का अनियमित आवंटन (20.08.2005 के बाद उप-पट्टे के अनुमोदन को दर्शाती विवरणी) **(₹ लाख में)**

क्र.सं.	कपनी/संस्थान/विद्यालय का नाम व पता	भूमि की अवस्थिति/मौजा/ वार्ड सं.	उद्देश्य	उप-पट्टे का क्षेत्र (एकड़ में)	दर/डिसमिल	दर(प्रति एकड़)	सलामी	अधिकार की तिथि	लगान की गणना हेतु वर्ष	लगान की दर	सलामी पर लगान	सलामी के 145% की दर से उपकर	कुल
47	मे. नरेश कुमार एंड कं.	साकची/7	व्यावसायिक	0.35	0.90	90	31.50	02.03.2009	6	5%	9.45	13.70	54.65
48	फोर्चुन होटल सेंटर प्वाइन्ट	सोनारी/1	व्यावसायिक	1.00	0.67	67	67.00	14.01.2009	6	5%	20.10	29.15	116.25
49	साई कृपा शंकर एवं अन्य	जुगसलाई/4	व्यावसायिक	0.10	1.84	184	18.22	10.04.2009	6	5%	5.46	7.92	31.60
50	कौशल कंचन कंस्ट्रक्शन प्रा. लि.	जुगसलाई/4	व्यावसायिक	3.64	0.67	67	243.88	29.08.2008	7	5%	85.36	123.77	453.01
51	मे. सिटी स्क्वेयर प्रोजेक्ट प्रा. लि.	सोनारी/1	व्यावसायिक	2.50	0.70	70	175.00	21.04.2009	6	5%	52.50	76.13	303.63
52	सिंह इंडेन सेवा	जुगसलाई/4	व्यावसायिक	0.23	0.70	70	16.10	12.02.2009	6	5%	4.83	7.00	27.93
53	आशियाना हाउसिंग एंड फाइनान्स इंडिया लि.	सोनारी/1	व्यावसायिक	2.00	1.34	134	268.00	02.01.2009	6	5%	80.40	116.58	464.98
54	कुमार इन प्रा. लि.	गोलमुरी/12	व्यावसायिक	0.60	0.67	67	40.20	04.08.2008	7	5%	14.07	20.40	74.67
55	श्री किशोर कुमार स्टोर	साकची/7	व्यावसायिक	0.34	0.90	90	30.60	28.01.2009	6	5%	9.18	13.31	53.09
56	बिंदलाल बिल्डकॉम लिमिटेड	सोनारी/1	व्यावसायिक	2.00	0.67	67	134.00	8.09.2008	7	5%	46.90	68.01	248.91
57	मे. ऋषिराज होम्स प्रा. लि.	बारा/11	व्यावसायिक	1.75	1.17	117	205.19	17.01.2008	7	5%	71.82	104.13	381.14
58	मे. टी.के.(इंडिया) रियल एस्टेट	जुगसलाई/4	व्यावसायिक	0.75	1.64	164		03.07.2008	7	5%			

परिशिष्ट-XIV (कंडिका सं. को संदर्भित करें 5.3.11.1)

पट्टे की भूमि का अनियमित आवंटन (20.08.2005 के बाद उप-पट्टे के अनुमोदन को दर्शाती विवरणी) **(₹ लाख में)**

क्र.सं.	कपनी/संस्थान/विद्यालय का नाम व पता	भूमि की अवस्थिति/मौजा/ वार्ड सं.	उद्देश्य	उप-पट्टे का क्षेत्र (एकड़ में)	दर/डिसमिल	दर(प्रति एकड़)	सलामी	अधिकार की तिथि	लगान की गणना हेतु वर्ष	लगान की दर	सलामी पर लगान	सलामी के 145% की दर से उपकर	कुल
	(पी) लिमिटेड						123.00				43.05	62.42	228.47
59	एपेक्स कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग कं.	खूँटाडीह/3	व्यावसायिक	0.60	0.70	70	42.00	03.12.2008	7	5%	14.70	21.32	78.02
कुल				**144.33**			**10,517.54**				**3,678.82**	**5,334.28**	**19,530.64**

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in